VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जनवरी - 2019

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 7

1.1. नागरिकता संशोधन विधेयक - 2016 7

1.2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण 9

1.3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधी विवाद 10

1.4 भारतीय राजनीति का नारीकरण (महिलाओं की बढ़ती भागीदारी) 13

1.5. उत्तर-पूर्व हेतु स्वशासी परिषदें 14

1.6. ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी विधेयक 15

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) 18

2.1 प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता 18

2.2. भारत और दक्षिण अफ्रीका 20

2.3. गिलगित- बाल्टिस्तान मुद्दा 21

2.4. प्रारूप उत्प्रवास विधेयक - 2019 22

2.5 स्पेस डिप्लोमेसी 24

2.6 वेनेजुएला संकट 26

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 28

3.1. सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र 28

3.2. दिवाला और दिवालियापन संहिता 30

3.3. GST व्यवस्था 33

3.4. इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार) 34

3.5. भारतीय निर्यात-आयात बैंक 34

3.6. तकनीकी वस्त्र 35

3.7. न्यूनतम बुनियादी आय 37

3.8. राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना 38

3.9. भारत में यूरेनियम की आवश्यकताएं 39

4. सुरक्षा (Security) 42

4.1 द्वीप-समूहों का समेकन 42

4.2. पेरिस कॉल 45

4.3. सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 47

VISION IAS

4.4. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल....49

4.5 जलवायु परिवर्तन- एक सुरक्षा मुद्दा....50

4.6. युद्धक भूमिका में महिलाएं....52

5. पर्यावरण (Environment) 54

5.1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम....54

5.2. अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र....56

5.3. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग....59

5.4. लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी....60

5.5. मोटापा, अल्पपोषण और जलवायु परिवर्तन का परस्पर संबंध....62

5.6. संरक्षण का 'सांस्कृतिक मॉडल'....62

5.7. सुर्खियों में वनस्पति और वन्य जीवन....63

5.7.1. सारस क्रेन....63

5.7.2. उत्तर भारतीय शीशम....64

5.7.3.मगर क्रोकोडाइल....65

5.7.4. हम्पबैक डॉल्फिन....65

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 67

6.1. दुर्लभ रोग....67

6.2. भारत में कुष्ठ रोग....68

6.3. गैस हाइड्रेट....70

6.4. ईट राइट इंडिया मूवमेंट....70

6.5. युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम....71

6.6. यूनीस्पेस नैनो उपग्रह समुच्चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (उन्नति)....72

6.7. रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष....72

7. सामाजिक मुद्दे (social Issues) 74

7.1. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट....74

7.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण....75

7.3. जनजातीय स्वास्थ्य....76

7.4. मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023)....78

7.5. ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स - 2018....80

7.6. भारत में बंधुआ मज़दूरी (बलात श्रम) का प्रचलन....82

VISION IAS

8. संस्कृति (Culture) 85

8.1. संस्कृति कुम्भ 85

8.2. भारत रत्न 86

8.3. गणतंत्र दिवस परेड 2019 87

8.4. हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 'युगल की कब्र' की प्राप्ति....87

8.5. गांधी सर्किट....88

8.6. अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार....89

8.7. राष्ट्रीय महत्व के स्मारक....90

8.8. वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर....90

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 92

9.1. लैंगिक मुद्दों के प्रति युवाओं को संवेदनशील बनाना....92

10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News In Short) 94

10.1 सुर्ख़ियों में रही रिपोर्ट एवं सूचकांक 94

10.2 उत्कृष्टता के संस्थान 94

10.3. प्रवासी भारतीय दिवस....95

10.4 रायसीना वार्ता 2019....95

10.5. कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप....96

10.6 एशिया रिअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट 96

10.7 बेरुत घोषणा 96

10.8. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग....96

10.9. इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे (IOS) और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे (SIOS) 97

10.10 डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व....97

10.11 शेयर-प्लेजिंग....97

10.12 यू. के. सिन्हा समिति 97

10.13 गाफा टैक्स 98

10.14 री-वीव.इन 98

10.15. केरल में भारत का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम....98

10.16. जन शिक्षण संस्थान 98

10.17. भारतीय शिक्षा बोर्ड 99

10.18. अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम 99
10.19. वैश्विक सौर परिषद् 99
10.20. अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट 99
10.21. रेणुका बहु-उद्देश्यीय बाँध परियोजना 100
10.22. अरुणाचल प्रदेश का डिफो पुल 100
10.23. अटल सेतु 100
10.24. वन्दे भारत एक्सप्रेस 100
10.25. एशियन वाटरबर्ड सेन्सस, 2019 100
10.26 व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम 101
10.27 उर्मिया झील 101
10.28. 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 101
10.29. सालसा 101
10.30. एक्स-कैलिबर 101
10.31 अल्टिमा थुले 102
10.32.ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान- सी-44 102
10.33. उत्तर चुम्बकीय ध्रुव का स्थानांतरण 102
10.34. इंडस फ़ूड 2019 103
10.35. स्मार्ट फ़ूड एग्जीक्यूटिव कॉउन्सिल 103
10.36. वेब-वंडर वुमेन अभियान 103
10.37. द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019 104
10.38. सीलिएक रोग 104
10.39. लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी 104
10.40. सुर्ख़ियों में रहने वाले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यास 104
10.41. होवित्जर संयंत्र 105
10.42. मिसाइल परीक्षण 105
10.43. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के कमांड और कंट्रोल सेंटर (CCC) तथा कृत्रिम आसूचना में उत्कृष्टता केन्द्र (COE IN AI)...105
10.44. केन्द्रीय मंत्रियो के लिए कार्नो पुरस्कार 105
10.45. प्रधानमंत्री ने प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राप्त किया 105
10.46. हाल ही में सुर्ख़ियों में रही राज्य सरकार की योजनाएँ 106

VISION IAS

11. हाल ही में सुर्ख़ियों में रही सरकार की योजनाएं (Government Schemes In News) 107

11.1 अटल ज्योति योजना 107

11.2 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना 107

11.3 उड़ान 3.0 (उड़े देश का आम नागरिक योजना) / क्षेत्रीय संपर्क योजना 108

11.4 परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना....109

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. नागरिकता संशोधन विधेयक - 2016

(Citizenship Amendment Bill - 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यपगत हुए नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 का देश के कई भागों में विरोध किया गया।

विधेयक के प्रावधान

- **अवैध प्रवासियों की परिभाषा:** उल्लेखनीय है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 अवैध प्रवासियों द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के संबंध मे प्रतिबंध आरोपित करता है, वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 द्वारा इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए **'उत्पीड़ित' गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक** (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों) जो 31 दिसंबर, 2014 को या इससे पूर्व भारत आ गए हों तथा जो भारतीय नागरिकता हेतु आवश्यक वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना निवास कर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सके। हालाँकि, इसका लाभ प्रदान करने हेतु उन्हें केंद्र सरकार के पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों से छूट प्रदान की जाएगी।
- **देशीकरण द्वारा नागरिकता:** यह संशोधन देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास संबंधी योग्यता की कुल अवधि को 11 वर्षों से घटाकर 6 वर्ष तक करने के साथ-साथ विगत 12 माह से निरंतर निवास करने का प्रावधान करता है।
- **भारत के ओवरसीज नागरिक (Overseas Citizens of India: OCIs) के पंजीकरण को रद्द करना:** इस विधेयक में OCI के पंजीकरण को रद्द करने (यदि उनके द्वारा देश के किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता है) का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

नागरिकता अधिनियम, 1955

- यह अधिनियम जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम **अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से वंचित** करता है। यह अवैध प्रवासियों को ऐसे विदेशी के रूप में परिभाषित करता है, जिसने (i) भारत में बिना किसी वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश किया हो (ii) वह स्वीकृत अवधि से अधिक भारत में निवास कर रहा हो।
- यह **भारत के ओवरसीज नागरिक (OCIs) कार्डधारकों तथा उनके अधिकारों को विनियमित करता** है। एक OCI भारत आगमन हेतु मल्टी-एंट्री, मल्टी-पर्पज लाइफ-लॉन्ग वीजा प्राप्त कर सकता है।
- यह केंद्र सरकार को धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण, पंजीकरण की 5 वर्ष की अवधि में 2 वर्ष से अधिक का कारावास के दंड, संप्रभुता एवं देश की सुरक्षा इत्यादि आधार पर OCIs के पंजीकरण को रद्द करने हेतु सक्षम बनाता है।

यह संशोधन किस प्रकार 'उत्पीड़ित' अल्पसंख्यकों को लाभ पहुँचाएगा?

- यह विधेयक **विभाजन के दौरान हुए धार्मिक भेदभाव** का समाधान करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, विभाजन के पश्चात धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ा था।
- यह विधेयक **स्व-रोजगार प्राप्त करने, संपत्ति का क्रय करने, बैंक खाता खोलने तथा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड (PAN) एवं आधार कार्ड प्राप्त करने में कई लोगों को लाभ पहुंचाएगा**। उदाहरणार्थ: यह बांग्लादेश के चकमा तथा हाजोंग समुदाय को अत्यधिक लाभ प्रदान करेगा।

विधेयक का विरोध

- **धार्मिक भेदभाव:** यह विधेयक अवैध प्रवासियों के साथ उनके धर्म के आधार पर विभेदकारी व्यवहार करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं विदेशियों को समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है) का उल्लंघन करता है।
    - गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सूचीबद्ध करने के साथ ही एक मुद्दा यह भी है कि यह विभिन्न उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों जैसे - म्यांमार के रोहिंग्या एवं पाकिस्तान में अहमदिया को शामिल नहीं करता है।
- **देशों का चयन:** अधिकांश आलोचकों द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान (जो स्वतंत्रता-पूर्व भारत के भाग थे) जैसे देशों के साथ अफगानिस्तान को सम्मिलित करने तथा श्रीलंका, म्यांमार आदि जैसे अन्य पड़ोसी देशों को शामिल न करने के कारणों के औचित्य पर प्रश्न उठाया गया है।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और असम समझौता, 1985 जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ टकराव:** एक ओर जहाँ NRC एवं असम समझौते में भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता की समय सीमा (मार्च) 1971 निर्धारित की गई है, तो वही दूसरी ओर यह विधेयक पात्रता की समय सीमा (दिसंबर) 2014 निर्धारित करता है, अतः यह उन लोगों के दायरे तथा संख्या में वृद्धि करता है जो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो सकते हैं।
    - यह **असम समझौते के खंड 6 में निहित प्रावधान के विरुद्ध है**, जो सरकार को असम के लोगों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक-भाषाई पहचान को संरक्षण प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपता है।
- **स्थानीय जनसांख्यिकी हेतु खतरा:** स्थानीय समुदाय को भय है कि नागरिकता की संभावना बांग्लादेश से प्रवास को प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी लोगों पर 'बाहरी लोगों' का वर्चस्व स्थापित हो सकता है।
- **धार्मिक उप-राष्ट्रवादी (प्रादेशिकतावादी) राजनीति का उदय:** यह विधेयक असम के निवासियों को ब्रह्मपुत्र घाटी (जहां मुस्लिम बस्तियों की बहुलता हैं तथा विधेयक का अधिक विरोध किया गया है) तथा बराक घाटी (जहां हिंदू-बंगाली बस्तियों की बहुलता है तथा विधेयक का समर्थन करते हैं) में विभाजित करता है। वर्तमान समय तक, उत्तर-पूर्व के उप-राष्ट्रवादी भावना के समर्थकों ने नृजातीय-भाषाई पहचान को संरक्षित करने हेतु "विदेशियों" का विरोध करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **OCI पंजीकरण को रद्द करने हेतु व्यापक आधार:** यह छोटे अपराधों जैसे - यातायात संबंधी कानूनों का उल्लंघन (यथा नो-पार्किंग जोन में पार्किंग अथवा रेड लाइट जंप करना) करने पर OCI पंजीकरण को रद्द करने हेतु केंद्र सरकार को व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

असम समझौता, 1985

- यह भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा असम आंदोलन के नेताओं के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Settlement: MoS) है।
- वे सभी विदेशी जो 1951 से 1961 के मध्य असम में आए थे, उन्हें मतदान के अधिकार (right to vote) सहित पूर्ण नागरिकता प्रदान की गई थी;
    - 1971 के पश्चात आने वाले व्यक्तियों को निर्वासित किया गया था,
    - इसके अतिरिक्त, 1961 और 1971 के मध्य असम में आने वाले व्यक्तियों को दस वर्ष की अवधि तक मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था, परन्तु उन्हें नागरिकता के अन्य सभी अधिकार प्रदान किए गए थे।

स्थानीय समुदायों के मुद्दों का समाधान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **असम समझौते के खंड 6 के संचालन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन:** इस समिति द्वारा "असमिया लोगों" को परिभाषित किया जायेगा, जो प्रस्तावित सुरक्षा उपायों के पात्र हैं, जिसके अंतर्गत विधानसभा और स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भू-स्वामित्व अधिकार आदि शामिल हैं। साथ ही यह खंड 6 को क्रियान्वित करने हेतु 1985 के पश्चात से की गई कार्यवाहियों की प्रभावशीलता की भी जाँच करेगी।
- **अनुसूचित जनजाति का दर्जा:** सरकार ने छह प्रमुख समुदायों (यथा कोच राजबंशी, ताई अहोम, चुटिया, मटक, मोरन एवं चाय जनजातियों) को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव की घोषणा की है। वर्तमान में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होने के साथ, 34% मुस्लिम जनसंख्या वाला असम राज्य जनजातीय राज्य में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें अधिकांश सीटें इन जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।
- **अप्रवासियों का वितरण:** केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि नियमित अप्रवासियों को केवल असम में ही नहीं बसाया जाएगा, बल्कि अन्य विभिन्न राज्यों में भी बसाया जाएगा।

निष्कर्ष

- इस संदर्भ में सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने पड़ोसी देश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भूमि प्रदान करने के अपने वृहत दृष्टिकोण के साथ पूर्वोत्तर के लोगों की स्वदेशी पहचान को विकृत न करने के अपने वादे के मध्य संतुलन स्थापित करे।
- इस समय सरकार को अवैध प्रवास से संबंधित इस व्यापक मुद्दे का समाधान करना चाहिए, जो वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं है, विशेषकर रोहिंग्या लोगों के संदर्भ में।

VISION IAS

1.2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण

(Reservation for Economically Weaker Sections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **संविधान संशोधन (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019** (124वां संविधान संशोधन विधेयक) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अधिनियम **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)** को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में **10 प्रतिशत आरक्षण** प्रदान करता है, ध्यातव्य है कि ये वर्ग किसी भी आरक्षण योजना द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।

इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं:

- यह अधिनियम सरकार को "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" (EWS) की प्रगति हेतु विशिष्ट उपाय (आरक्षण तक सीमित नहीं) करने हेतु सशक्त करने के लिए **अनुच्छेद 15 को संशोधित करता है।**
    - इसके तहत इस प्रकार के वर्गों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर **लागू नहीं** होगा।
- यह संशोधन **अनुच्छेद 16(6) को अंतःस्थापित करता** है, जो सरकार को नागरिकों के "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" हेतु सभी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण करने हेतु सक्षम बनाता है।
- EWS को 10% तक का आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु प्रदत्त 50% के वर्तमान आरक्षण सीमा के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
- केंद्र सरकार पारिवारिक आय एवं आर्थिक पिछड़ेपन के अन्य संकेतकों के आधार पर नागरिकों के **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों"** को अधिसूचित करेगी।
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को संवैधानिक मान्यता:** यह प्रथम अवसर है जब किसी आर्थिक वर्ग को संवैधानिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्यता दी गई तथा यह वर्ग सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम के आधार का निर्माण करेगा। यह सकारात्मक कार्रवाई के निर्धारण हेतु पारंपरिक रूप से प्रयुक्त जाति संबंधी केंद्रीयता के प्रस्थान को इंगित करता है।

आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में तर्क:

- **नए अभाव मूल्यांकन मानदंड की आवश्यकता:** यद्यपि जाति, भारत में अन्याय का प्रमुख कारण रहा है परन्तु इसे किसी वर्ग के पिछड़ेपन के एकमात्र निर्धारक के रूप में नहीं मानना चाहिए। इसका कारण बदली हुयी परिस्थितियों में जाति एवं वर्ग के मध्य के कमजोर होती संबद्धता हैं।
    - **राम सिंह बनाम भारत संघ (2015) वाद** में उच्चतम न्यायालय के अनुसार सामाजिक अपूर्णताएं जाति (जैसे कि आर्थिक स्थिति/ट्रांसजेंडरों की लैंगिक पहचान) अवधारणा से परे विद्यमान हो सकती हैं। इसलिए, पिछड़ेपन की जाति-केंद्रित परिभाषा से परे जाकर नए मानदंड विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि मौजूदा सूची गतिशील बनी रहे और सर्वाधिक पिछड़े व्यक्ति को सकारात्मक कार्रवाई का लाभ प्राप्त हो सके।
- **विभिन्न वर्गों के मध्य असंतोष में वृद्धि:** राजनीतिक रूप से, वर्गीय मुद्दों की तुलना में जातिगत मुद्दे अधिक वर्चस्वशाली होते हैं। इसके कारण समान स्थिति अथवा अपेक्षाकृत कमजोर आर्थिक स्थिति वाले समुदायों के मध्य असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, जिन्हें जाति-आधारित आरक्षण से बाहर रखा जाता है।

आर्थिक स्थिति के आधार पर विस्तारित आरक्षण के विपक्ष में तर्क:

- **समानता के मानक के विरुद्ध:** सभी के समानता के अधिकार के 'विरुद्ध' पिछड़े वर्गों के लिए अवसर की समानता को संतुलित करने के लिए, आरक्षित सीटों पर 50% की सीमा निर्धारित की गई थी। जब कोटा 50% की सीमा से अधिक हो जाता है, तो यह समानता के मानक का उल्लंघन करता है।
    - **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) वाद** में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि समानता, संविधान की आधारभूत संरचना का एक भाग है। 50% की सीमा एक संवैधानिक आवश्यकता है जिसके बिना अवसर की समानता की संरचना समाप्त हो जाएगी।
- **अल्प-प्रतिनिधित्व नहीं:** सार्वजनिक रोजगार में उच्च जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार के पास निम्न आय वर्ग के लोगों का सार्वजनिक रोजगार में अल्प-प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करने वाले मात्रात्मक डेटा हैं अथवा नहीं।
- **उच्चतम सीमा के साथ समस्या:** EWS हेतु पात्रता के लिए 8 लाख रूपये प्रति वर्ष आय सीमा निर्धारित की गई है- जो 'क्रीमी लेयर' हेतु निर्धारित सीमा के समान है जिसके तहत OBC उम्मीदवार आरक्षण प्राप्ति के लिए अयोग्य हो जाते हैं- सीमित साधनों के साथ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मध्य समानता स्थापित की गई है।

- **EWS की परिभाषा तथा कोटा का आवंटन:** EWS की परिभाषा से संबंधित वर्तमान मुद्दा यह है कि यह अत्यधिक व्यापक तथा जनसंख्या के एक वृहत भाग को सम्मिलित करेगी। इसके अतिरिक्त यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और 8 लाख रूपये/ प्रति वर्ष की आय वाले परिवारों को एक ही श्रेणी में शामिल करता है।
    - अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों ('नॉन-क्रीमी लेयर') के लिए आरक्षण, देश में उनकी जनसंख्या से परस्पर संबंधित है। जबकि EWS हेतु 10% कोटा पर इस प्रकार की कोई स्पष्टता प्रदान नहीं की गई है।
- **लाभार्थियों की पहचान में चुनौतियां:** ऐसे देश में जहां आय के गलत प्रस्तुतीकरण के कारण वर्तमान में कराधीन जनसंख्या अत्यधिक न्यून है, इसके बावजूद आर्थिक पात्रता संबंधी मानदंडों को क्रियान्वित करने से नौकरशाही पर दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **'पेंडोरा बॉक्स' (Pandora's box) की मांगें:** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा OBC के वर्गों द्वारा भी इस प्रकार की मांगें उठायी जा सकती हैं कि उनके भी संबंधित कोटा के भीतर आर्थिक मानदंडों के आधार पर समान रूप से उप-वर्गीकरण किया जाना चाहिए। यह देश की जनसंख्या में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात पर आधारित कोटा संबंधी सीमा में वृद्धि करने हेतु नई जाति-आधारित जनगणना करने की मांग, या निजी क्षेत्र की नौकरियों तक आरक्षण का विस्तार करने की मांगों को बढ़ावा दे सकता है। सामान्य जनता एवं न्यायपालिका दोनों द्वारा पदोन्नति में भी कोटा की व्यापक स्वीकार्यता प्रदान की जा सकती है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र का सिकुड़ना:** केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) और यहां तक कि बैंकों में निरंतर रूप से कम होती नौकरियों के पूल के साथ, 10% आरक्षण अपेक्षाओं की पूर्ति करने में अक्षम हो सकता है।
- **मेरिट विरोधी:** सामान्य अवधारणा में, आरक्षण को मेरिट विरोधी का पर्याय माना जाता है। आरक्षण के विस्तार के साथ ही, यह अवधारणा जन सामान्य के मस्तिष्क में अधिक स्थायी रूप धारण कर सकती है।
- **लोकलुभावनवाद का उपकरण:** राजनीति में राजनीतिक लाभ हेतु आरक्षण प्रदान करने को एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह सामाजिक न्याय के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
- **विधेयक का पारित होना:** विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व इसे सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया गया था, साथ ही इसकी जांच किसी संसदीय समिति द्वारा नहीं की गई थी तथा इसके प्रस्तुतीकरण और अंतिम चर्चा के मध्य न्यूनतम समय लिया गया था।
- इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार EWS को 10% आरक्षण प्रदान करने हेतु **वर्ष 2010 की सिन्हो आयोग की रिपोर्ट** के आधार पर अपने वैधानिक आधार का समर्थन कर रही है। ध्यातव्य है कि आयोग ने EWS के लिए आरक्षण की स्पष्ट रूप से अनुशंसा नहीं की थी, परंतु EWS की सभी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया था।

आगे की राह

इंदिरा साहनी वाद (1992) में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली पीठ ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की मांग से संबंधित एक प्रावधान को निरस्त कर दिया था। अपने निर्णय में पीठ ने कहा की संविधान केवल सामाजिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए प्रावधान करता है। हालांकि, इस प्रकार के किसी भी कदम को निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए उठाया जाना चाहिए-

- राजनीतिक वर्ग द्वारा कोटा देने में **लोकलुभावनवाद को नियंत्रित करने** हेतु 50% की सीमा निर्धारित की गई थी। **आरक्षण प्रदान के लिए वर्गों की अनुशंसा करने हेतु** एक **संस्थागत तंत्र उपस्थित होना चाहिए।**
- उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर, **स्वतंत्र, पारदर्शी और अहस्तक्षेपकारी सत्यापन विधियों** को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण प्रावधानों का सरलता से दुरुपयोग नहीं किया जा सके।
- आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान करने के तर्क का **SC / ST समूहों के मध्य विद्यमान क्रीमी लेयर तक विस्तार करने के लिए इसपर बहुत** ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।
- आरक्षण की मांग को आकांक्षायुक्त भारत में उपलब्ध निजी क्षेत्र की नौकरियों की गुणवत्ता और पारिश्रमिक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कोटा के दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है की **निजी क्षेत्रक में अधिक एवं बेहतर नौकरियों के औपचारिकीकरण और निर्माण के लिए सक्षम परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए।**
- दीर्घकालिक समाधान के लिए, जातिगत विभाजन (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में), निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल निर्माण एवं शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

1.3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधी विवाद

[Electronic Voting Machine (EVM) Controversy]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, EVMs की सुरक्षा को लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए हैं।

EVMs में शामिल सुरक्षा संबंधी विशेषताएं

- **नॉन-रीप्रोग्रामेबल:** इसमें एक वन टाइम प्रोग्रामेबल (विनिर्माण के समय सॉफ्टवेयर बर्न किया जाता है) इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) चिप लगी होती है जिसे रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है।

VISION IAS

- **कोई बाह्य संचार हस्तक्षेप नहीं :** EVM के नेटवर्क का निर्माण किसी तार या बेतार प्रणाली द्वारा नहीं किया जाता है, और न ही ये किसी फ्रीक्वेंसी रिसीवर और डेटा डिकोडर से संबद्ध होती हैं, इसलिए इनमें कोई बाह्य संचार हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कंट्रोल यूनिट (CU), बैलट यूनिट (BU) से केवल विशेष रूप से इन्क्रिप्टेड और डायनामिकली कोडेड डेटा ही स्वीकार करती है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के संबंध में

- EVM में एक **"कंट्रोल यूनिट"** और एक **"बैलेटिंग यूनिट"** संलग्न होता है। कंट्रोल यूनिट, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी के पास तथा बैलेटिंग यूनिट मतदान कक्ष, जहां मतदाता गुप्त रूप से मतदान करता है, में रखी जाती है।
- यह कंट्रोल यूनिट में लगी सिंगल एल्कलाइन बैटरी से संचालित होती है और उन क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ विद्युत् नहीं है।
- इनका निर्माण **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** द्वारा किया गया है।

भारतीय चुनावों में EVM का इतिहास

- EVM का **प्रथम प्रयोग 1982 के केरल विधानसभा चुनाव (उपचुनाव)** में किया गया था।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 और चुनाव नियम 1961 के तहत EVM के प्रयोग की अनुमति नहीं होने के कारण इस चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था।
- EVM के प्रयोग की अनुमति देने के लिए **1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** को संशोधित किया गया।
- सम्पूर्ण राज्य के लिए इसका स**वर्प्रथम प्रयोग 1999 में, गोवा विधान सभा चुनाव** में किया गया था।
- **लोकसभा** के लिए EVM का सवर्प्रथम प्रयोग **2004** के लोकसभा चुनावों में किया गया था।

- नीदरलैंड और जर्मनी जैसे अन्य देश (जिन्होंने EVM का प्रयोग करना बंद कर दिया है) कंप्यूटर आधारित EVM का उपयोग करते हैं जो हैकिंग के प्रति सुभेद्य होती हैं, जबकि भारतीय EVM स्वतंत्र रूप से संचालित मशीनें हैं।
- **सुरक्षित सोर्स कोड:** BEL और ECIL में इंजीनियरों के चयनित समूह द्वारा सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड को देश में विकसित किया जाता है।
- यह मतदाता को केवल एक बार मतदान करने की अनुमति देती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट (CU) के मतपत्र को सक्षम बनाने पर ही अगला मत दर्ज किया जा सकता है।
- **मतदान का समय मुद्रांकन** : EVM को रियल टाइम वाच, फुल डिस्प्ले सिस्टम और प्रत्येक बार बटन दबाने की प्रत्येक गतिविधि की टाइम-स्टैंपिंग की जाती है, अतः सिस्टम जनरेटेड /अप्रत्यक्ष मतदान की कोई संभावना नहीं होती है।
- **निर्माण के पश्चात टेम्परिंग (छेड़छाड़) के विरुद्ध सुरक्षा:** टेम्परिंग के मामले में मशीन स्वतः सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु कार्यात्मक जाँच, ट्रायल रन, यादृच्छिक आवंटन, बहु-चरणीय परीक्षण, ड्राई रन और मतदान पश्चात सुरक्षित भंडारण जैसे विभिन्न प्रक्रियात्मक नियंत्रण और संतुलन (मानक संचालन प्रक्रिया) भी सम्मिलित हैं।

मतपत्र व्यवस्था को पुनःअपनाने के पक्ष में तर्क

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के तीन स्तंभों (पारदर्शिता, सत्यापन और गोपनीयता) के संदर्भ में EVMs द्वारा निम्नलिखित मुद्दों का सामना किया जाता है-
    - **पारदर्शी नहीं:** मतदाता द्वारा चयनित विकल्प का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित मत से भिन्न हो सकता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए, VVPAT को लागू किया गया था।
    - हालांकि, निर्वाचन आयोग का VVPAT ऑडिटिंग प्रति निर्वाचन क्षेत्र में एक यादृच्छिक ढंग से चुने गए पोलिंग बूथ तक सीमित है, जो दोषपूर्ण EVMs का पता लगाने में 98%-99% तक विफल होगा।
    - **सत्यापन योग्य नहीं:** केवल मत संख्या को सत्यापित किया जा सकता है और मतदान के चयनित विकल्प को नहीं।
    - **गोपनीय नहीं:** मतपत्र के प्रयोग की स्थिति में, निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना से पूर्व विभिन्न बूथों के मतपत्रों को एक साथ मिला दिया जाता था, जिससे मतदान वरीयताओं को किसी क्षेत्र के साथ संबद्ध नहीं किया जा सके। EVMs के माध्यम से गणना, मतदान केंद्रों के अनुसार गणना के समतुल्य है, जो उस केंद्र की मतदान पद्धति को उद्घाटित करने और समुदाय विशेष के लिए समस्या उत्पन्न होने की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है।
- **हैकिंग की संभावना:** EVMs के हैक होने का आरोप या यहां तक कि उनके हैक होने की संभावना जनता के मन में चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में अविश्वास उत्पन्न करती है।

VISION IAS

- **EVMs का दोषपूर्ण कार्य संचालन:** यद्यपि EVMs के उचित प्रयोग हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, फिर भी अधिकारियों द्वारा कभी-कभी ध्यान नहीं दिया जाता है और वह मशीनों को गलत क्रम में जोड़ देते हैं।

वोटर वैरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verifiable Paper Audit Trail :VVPAT)

- VVPAT एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की कि उनका मत सही रूप से दर्ज हुआ है, की अनुमति प्रदान करती है। साथ ही विवादों के मामले में यह संभावित चुनाव धोखाधड़ी/दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को ज्ञात करने और संग्रहीत परिणामों का ऑडिट करने के लिए एक साधन प्रदान करती है।
- **VVPAT** से, कंट्रोल यूनिट (CU) में मत की रिकॉर्डिंग के साथ उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ एक कागज की पर्ची दी जाती है। मतदान केंद्र में बैलट यूनिट (BU) से जुड़ी एक पारदर्शी विंडो में प्रिंटेड पर्ची प्रदर्शित होती है (7 सेकंड के लिए)।
- **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग** (2014) वाद में, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया कि VVPAT मतदान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और ECI द्वारा इसे लागू किया जाना चाहिए। आम चुनाव 2019 में, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में VVPAT का प्रयोग किया जाएगा।

क्या EVM को हैक किया जा सकता है?

- वायर्ड हैकिंग के लिए किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एवं भौतिक रूप से इसकी कंट्रोल यूनिट में जुडी चिप की आवश्यकता होगी अथवा वह प्रोसेसर को कृत्रिम रूप से परिवर्तित करके ऐसा कर सकता है।
- वायरलेस हैकिंग के लिए, किसी व्यक्ति को बाहर से EVM में अंतःस्थापित किए जाने के लिए एक छोटे आकार के कुशल एन्टेना के साथ एक छोटे से ट्रांसीवर सर्किट की आवश्यकता होती है। एन्टेना के आकार को कम करना तकनीकी रूप से कठिन है। ऐसे उपकरणों के निर्माण में न केवल उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, बल्कि EVM के एक्चुअल सर्किट बोर्ड की रुपरेखा की भी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, इस तरह के उपकरणों को लाखों EVM में अंतःस्थापित करने की कुल लागत बहुत अधिक होगी।
- इस प्रकार, तकनीकी रूप से, निर्वाचन आयोग, EVM निर्माताओं और चिप बनाने वाली कंपनियों के सहयोग के बिना, EVM को हैक करना लगभग असंभव होगा।

EVM के प्रयोग को जारी रखने के पक्ष में तर्क

- **प्रयोग और पहुँच में सुगमता** : EVM का प्रयोग सुगम है, यहां तक कि दलों के चुनाव-चिन्हों की पहचान करके मतदान करने वाले निरक्षर मतदाताओं के लिए भी यह अत्यधिक सहायक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करने में सक्षम है। साथ ही यह इलेक्ट्रॉनिक मतदान को अधिक सुगम बनाता है, इसका अर्थ है कि यह दिव्यांग व्यक्तियों को स्वावलंबित रूप से मतदान करने में सक्षम बनाता है।
- **विश्वसनीय और सुरक्षित**: EVM के प्रयोग से बूथ कैप्चरिंग, धांधली और स्याही द्वारा मतपत्रों को विकृत करने की घटनाओं पर रोक लगी है। इसके अतिरिक्त, EVM स्वयं में एक सुरक्षित मशीन है जिसे हैक किया जाना संभव नहीं है।
- **त्वरित परिणाम के साथ विश्वास बहाली**:विभिन्न लोकतांत्रिक देशों, विशेष रूप से ब्राजील, भारत और फिलीपींस जैसे बड़े देशों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान और इलेक्ट्रॉनिक गणना के माध्यम से आधिकारिक चुनाव परिणाम सप्ताह (मतपत्र व्यवस्था में) के बजाय घंटों में प्राप्त किए जा सकते हैं।
- **पूर्णतः ऑडिट योग्य** :भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अधिक सराहना हेतु निहित कारणों में से एक यह है कि यह सभी दलों, नागरिकों और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया को इसके प्रत्येक चरण में (जिसमें एक चुनाव शुरू होने से पूर्व का समय भी शामिल है) ऑडिट करने में सक्षम बनाती है।
- अन्य लाभों में अवैध और संदिग्ध मतों की संभावना को समाप्त करना सम्मिलित है, जो कई मामलों में, विवादों और चुनावी प्रतिस्पर्धाओं के मूल कारण हैं। साथ ही, यह चुनाव के दौरान कागज के उपयोग को भी कम करता है।

आगे की राह

यद्यपि "दोषपूर्ण संचलन" (जो एक तकनीकी कमी को प्रदर्शित करता है) के मामले भी परिलक्षित हुए हैं, किन्तु अभी तक "टैम्परिंग" (धोखाधड़ी के उद्देश्य से छेड़छाड़ करना) के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। 2017 में, निर्वाचन आयोग (EC) ने एक '**EVM चैलेंज**' का भी आयोजन किया था, जहां इसने राजनीतिक दलों को टेम्परिंग के किसी भी आरोप को प्रदर्शित करने/ साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

हालांकि, चुनाव की निष्पक्षता के लिए लागत और दक्षता संबंधी चिंताएं गौण हैं। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनसामान्य किसी भी प्रकार के अनुचित संदेह से मुक्त हो, इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:

VISION IAS

- सभी चुनावों और उपचुनावों में VVPAT के 100% परिनियोजन और किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी दोषपूर्ण EVM का पता लगाने हेतु उस निर्वाचन क्षेत्र की सभी EVM से प्राप्त VVPAT की मैन्युअली गणना करना आवश्यक है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के लिए टोटलाइज़र मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतदान केंद्र-आधारित परिणामों की घोषणा करने की वर्तमान प्रक्रिया की तुलना में 14 मतदान केंद्रों के मतों की एक साथ गणना करके मतदान की गोपनीयता में वृद्धि की जा सकती है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा EVM संबंधी सूचना अंतराल को कम करने हेतु सभी चुनावी राज्यों में नियमित प्रदर्शन आयोजित किए जाने चाहिए।
- निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारियों को छोटे बैचों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार के रूप में, EC को एक स्वतंत्र **सचिवालय** प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि इसके पास अधिकारियों का एक समर्पित कैडर उपलब्ध हो सके।

1.4 भारतीय राजनीति का नारीकरण (महिलाओं की बढ़ती भागीदारी)

(Feminisation of Indian Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए एक अध्ययन ने भारत की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को उजागर किया।

राजनीति में महिलाओं की आवश्यकता

- **संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय अधिदेश:** भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**' के साथ-साथ 'प्रतिष्ठा एवं अवसर की **समानता**' सुनिश्चित की गई है।
  - चुनावी प्रतिस्पर्द्धा में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी किसी भी देश में लोकतंत्र की प्रभावी वृद्धि का एक प्रमाणिक संकेत है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में अपनाई गई **इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन (CEDAW)** की अभिपुष्टि भी की गई है, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के अधिकार को निर्दिष्ट करता है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका

राजनीति का नारीकरण एक व्यापक पद है, जिसमें देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी (राजनीतिक निकायों में उनके प्रतिनिधित्व सहित) के विभिन्न रूपों और पहलों को शामिल किया जाता है। राजनीति के नारीकरण के विभिन्न स्तरों में निम्नलिखित महिलाएं शामिल हैं-

- **सांसद/विधायक:** इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन और UN वीमेन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट 'वीमेन इन पॉलिटिक्स 2017 मैप' के अनुसार भारत, कार्यकारिणी सरकार और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में विश्व में 148वें स्थान पर था।
- राजनीतिक दल के उम्मीदवार/दल के पदाधिकारी
- राजनीतिक दलों के प्रचारक/सदस्य - लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी से **चुनाव अभियानों/प्रचारों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होती है।**
- मतदाता- मतदाता के रूप में मतदान प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी 1962 में 46.6% से बढ़कर 2014 में लगभग 65.6% हो गई है।

- **राजनीति में भ्रष्ट आचरण की रोकथाम:**
  - **आपराधिक पृष्ठभूमि:** चुनाव लड़ने वाले पुरुष विधायकों के विचाराधीन आपराधिक मामलों की संख्या महिला विधायकों की तुलना में लगभग तीन गुनी होती है। यह कारक किसी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले पुरुष और महिला के मध्य बढ़ते अंतर के एक चौथाई भाग का वर्णन करता है।
  - **भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति :** भ्रष्टाचार के संदर्भ में, कार्यकाल के दौरान प्रति वर्ष महिलाओं द्वारा अर्जित परिसंपत्ति, पुरुषों द्वारा अर्जित संपत्ति की अपेक्षा 10 प्रतिशत कम है।
- **आर्थिक पहलू:** महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से न केवल महिलाओं और **बच्चों से संबंधित मुद्दों को नीति निर्धारण** में बेहतर रूप से प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे **आर्थिक विकास में भी अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो सकती है।**
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर अवसंरचना विकास पर किए गए अध्ययन के अनुसार, महिलाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करने के मामले में उच्च स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन करती हैं।
  - सभी नागरिकों के मध्य अवसरों की समानता के साथ प्रगतिशील समाज के निर्माण हेतु **महिलाओं से संबंधित संस्थाओं या एजेंसियों को सुदृढ़** करने हेतु समाज में निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिकाओं के महत्व को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करने वाले कारक

- **सामाजिक-संरचनात्मक:** इसके परिणामस्वरूप भागीदारी लेने वाली उपलब्ध महिलाओं की संख्या में कमी हो जाती है। घरेलू जिम्मेदारियां, महिलाओं की भूमिका को लेकर समाज में प्रचलित सांस्कृतिक दृष्टिकोण और परिवार से समर्थन का अभाव राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाली योग्य महिलाओं की संख्या को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा की सीमित पहुंच और धन की कमी महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं।
- **राजनीतिक:** यह महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रणाली के खुलेपन पर बल देता है। राजनीतिक दल और चुनावी प्रणाली, जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए पुरुषों या अन्य समूहों की क्षमता में वृद्धि करते हैं या सीमित करते हैं, महिलाओं को समान संख्या में पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उपयुक्त पाया गया है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु रणनीतियाँ:

- **राजनीति में महिलाओं को आरक्षण:** महिलाओं के लिए विधायी निकायों में सीटों के आरक्षण (33%) प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में पहले ही इस प्रकार के कदम उठाए जा चुके हैं।
- **क्षमता निर्माण, लैंगिक प्रशिक्षण और जागरूकता में सुधार** किए जाने हेतु आवश्यक है। उदाहरण के लिए, **'नई रोशनी'** नामक एक नई योजना जिसने अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि की है। इसमें उनके गाँव/इलाके में रहने वाले अन्य समुदायों की महिलायें भी शामिल हैं।
- **इसके अतिरिक्त, शिक्षा तक उनकी पहुंच में सुधार करना तथा शैक्षिक स्तर पर लड़कियों और लड़कों दोनों में लैंगिक संवेदीकरण पर कार्य करना आवश्यक** है।

हालांकि, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बद्धता तक पहुंच का अभाव प्रायः सांस्कृतिक, धार्मिक या पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों से प्रभावित और बाधित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनैतिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी या प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने से ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है ,क्योंकि अधिकाँश समस्याओं के लिए संकुचित मानसिकता उत्तरदायी है। इसलिए, महिला सशक्तिकरण के लिए न केवल सामाजिक-राजनीतिक सुधारों और तकनीकी क्षमता के विकास की आवश्यकता है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं को अपनी मानसिकता को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है।

1.5. उत्तर-पूर्व हेतु स्वशासी परिषदें

(North-East Autonomous Councils)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में छठी अनुसूची में सम्मिलित अधिसूचित क्षेत्रों के तहत 10 स्वशासी परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों में वृद्धि करने हेतु राज्य सभा में संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया।

स्वशासी परिषदों और छठी अनुसूची के विषय में

- **छठी अनुसूची** उत्तर-पूर्व के चार राज्यों यथा-**असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** के **जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन** से संबंधित है।
  - संविधान के तहत इन क्षेत्रों हेतु विशिष्ट प्रावधान इसलिए किया गया है ,क्योंकि इन राज्यों की जनजातियों ने इन राज्यों में निवास करने वाले अन्य लोगों की जीवनशैली और जीवनयापन के तरीकों को **पूर्णतः आत्मसात नहीं** किया है।
- इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का गठन **स्वशासी जिलों** के रूप में किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 30 सदस्यों से निर्मित एक **स्वशासी जिला परिषद है**। वर्तमान में ऐसी परिषदों की संख्या 10 है।
- इन स्वशासी परिषदों की कुछ **शक्तियां एवं कार्य** निम्नलिखित हैं:
  - वे **कुछ विशिष्ट विषयों जैसे कि** भूमि, वन, नहर के जल, स्थानांतरी कृषि, सम्पत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, तलाक इत्यादि पर **विधि का निर्माण** कर सकती हैं। परन्तु इस हेतु उन्हें राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - वे अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत जनजातियों के मध्य मुकदमों और वादों की सुनवाई हेतु अपने **ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन** कर सकती हैं।
  - वे जिले में **प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों,** फेरी, मत्स्य पालन क्षेत्रों, सड़कों इत्यादि **की स्थापना, निर्माण और उनका प्रबंधन** कर सकती हैं।

VISION IAS

- वे **गैर-जनजातीय लोगों द्वारा धन उधार देने और व्यापार को नियंत्रित करने हेतु विनियम** बना सकती हैं, परन्तु इस हेतु उन्हें राज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- उन्हें **भू-राजस्व के आकलन और संग्रहण तथा कुछ विशिष्ट करों के अधिरोपण** हेतु शक्तियाँ प्राप्त हैं।

स्वशासी परिषदों और विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित मुद्दे

- **वित्तीय स्वावलंबन का अभाव:** परिषदें निधियों हेतु अपनी संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर होती हैं जिससे वे स्थानीय विकास हेतु एक जीवंत संस्थान के रूप में विकसित होने हेतु आवश्यक लोचशीलता को प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं।
  - यह विधेयक प्रस्तावित करता है कि वित्त आयोग अब परिषदों हेतु वित्तीय हस्तांतरण की अनुशंसा करेगा।
- **कुछ जनजातियों का गैर-प्रतिनिधित्व:** यह माना जाता है कि कुछ परिषदें 30 सदस्यों वाली परिषद में अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत अनेक प्रमुख और गौण जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।
  - यह विधेयक इस हेतु मांगों पर विचार करने के लिए कुछ परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान करता है।
- **महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** जनजातीय प्रशासन में महिलाओं की अत्यल्प सहभागिता देखी जाती है।
  - यह विधेयक ग्राम और नगरपालिका परिषदों में महिलाओं हेतु कम से कम एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **ग्राम स्तरीय निकायों की आवश्यकता:** ग्राम परिषदों का प्रावधान यह संकेत करता है कि स्वशासी जिला परिषदों (ADCs) द्वारा स्थापित यह परिषदें न्याय प्रदायगी में योगदान करेंगी। हालांकि परम्परागत ग्राम निकाय से सामंजस्य स्थापित करने हेतु एक 'ग्राम सामुदायिक निकाय' की आवश्यकता है।
  - यह विधेयक निर्वाचित ग्राम नगरपालिका परिषदों का प्रावधान करता है जिसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं के निर्माण के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी।

छठी अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों में स्वशासी परिषदों से संबंधित अन्य मुद्दे

- **राज्यों और जिला परिषदों के मध्य कार्यात्मक उत्तरदायित्वों का अतिव्यापन:** इस तथ्य के बावजूद कि छठी अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ निश्चित मामलों को जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों को पूर्णतः हस्तांतरित किया जा सकता है परन्तु कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका परिषदों को पूर्ण स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
- **कुशल पेशेवरों का अभाव:** लगभग सभी परिषदों में योजनाओं से संबंधित पेशेवरों का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप विकासात्मक परियोजनाओं पर उचित तकनीकी और वित्तीय विवेचन के बिना केवल तदर्थ रूप से विचार किया जाता है।
- **राज्यपाल की भूमिका में स्पष्टता का अभाव:** छठी अनुसूची में कुछ विशिष्ट प्रावधानों का समावेश किया गया है जो उन मामलों पर प्रकाश डालते हैं जहां राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां प्रवर्तनीय होती हैं। हालांकि, इस संबंध में परस्पर-विरोधी मत प्रचलित हैं कि राज्यपाल को व्यक्तिगत विवेक के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए या संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार।
- **प्रथागत कानूनों के संहिताकरण का अभाव:** जनजातीय सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु प्रथागत कानूनों के संहिताकरण करने तथा इन्हें व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाने की नितांत आवश्यकता है।
- **निधियों का दुरुपयोग:** कुछ स्वशासी जिला परिषदें, सरकारी निधियों का दुरुपयोग करती हैं क्योंकि वहां विशेषज्ञ जांच अधिकारी नहीं होते तथा इन परिषदों द्वारा आरम्भ की गई पहलों का उचित लेखा-परीक्षण भी नहीं होता।
- **मौजूदा शक्तियों के पर्याप्त उपयोग का अभाव:** यद्यपि जिला परिषदों को भूमि विकास और भू-राजस्व हेतु विधि बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु जनजातीय समाज में समृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले भूमि-सुधारों को प्रारम्भ करने हेतु शायद ही कोई कदम उठाया गया है।

1.6. ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी विधेयक

(Bill for Trade Union Recognition)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने केंद्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रावधान **ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 में संशोधन** करने की स्वीकृति प्रदान की है।

ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926

- यह भारत में ट्रेड यूनियनों के **गठन और पंजीकरण** का उपबंध करता है।
- यह सात श्रमिकों के किसी भी संघ को एक संघ के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह अधिनियम **जम्मू और कश्मीर राज्य** को **छोड़कर** समस्त भारत पर लागू है।
- ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत **सरकारी कर्मचारियों द्वारा** ट्रेड यूनियनों **का गठन नहीं किया जा सकता है।**

पृष्ठभूमि

- विद्यमान अधिनियम में केवल ट्रेड यूनियनों के **पंजीकरण** संबंधी उपबंध किए गए हैं। वर्तमान में इस अधिनियम में यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।
- वर्तमान में, एक त्रिपक्षीय राष्ट्रीय निकाय द्वारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों (CTUOs) के रूप में ट्रेड यूनियन संगठनों को नामित करने के लिए सदस्यता संबंधी मानदंडों को निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के आधार पर, कुछ यूनियनों को 'मान्यता प्राप्त' माना जाता है।
- इस प्रक्रिया के अनुसार, **मुख्य श्रम आयुक्त** द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात 13 CTUOs को मान्यता प्रदान की गई है।

निम्नलिखित प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं-

- मूल अधिनियम में धारा 10(A) को जोड़ा जाएगा, जो केंद्र सरकार के स्तर पर **ट्रेड यूनियनों और ट्रेड यूनियन संघों को मान्यता प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को सशक्त बनाएगा।** वैधानिक मान्यता प्राप्त करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि किसी उद्योग या प्रतिष्ठान के मान्यता प्राप्त व्यापार संघ को नियोक्ता के साथ **सौदेबाजी या वार्ता करने के अधिकार** प्राप्त होते हैं।
- केंद्र या राज्य सरकार प्राधिकरण को इस प्रकार की मान्यता से उत्पन्न विवादों और इस प्रकार के विवादों का निर्णायक तरीके से निर्णय लेने हेतु **आगे नियम बना सकती है।**

विधेयक की आलोचना

- यूनियनों के मध्य इस संबंध में चिंताएं व्याप्त हैं कि यह त्रिपक्षीय सहमति आधारित विद्यमान व्यवस्था से इतर यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी **सरकार को विवेकाधीन शक्तियां** प्रदान करता है।
    - यह भारत के ट्राई-पार्टीज कंसल्टेशन (इंटरनेशनल लेबर स्टैण्डर्ड) कन्वेंशन, 1976 के तहत सामाजिक संवाद की प्रतिबद्धता के विरुद्ध है।
- उद्यम/स्थापना स्तर पर ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता का मुद्दा अभी भी विद्यमान है, जो श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को कम करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है।
- वर्तमान ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अनुसार **संविदा कर्मचारी** ट्रेड यूनियनों का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। वर्तमान युग में बढ़ती गिग इकॉनमी के कारण अधिकांश नौकरियां संविदात्मक हैं, इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से संविदा कर्मियों के **अधिकारों के मुद्दों** का समाधान करने की आवश्यकता है।

भारत में ट्रेड यूनियनिज्म

- **भारत में पहला संगठित श्रमिक आंदोलन 1884 में एन. एम. लोखंडे** द्वारा किया गया था, जो बंबई में एक कारखाना कर्मचारी थे, जिन्होंने एक आंदोलन का आयोजन किया और कारखानों में मजदूर वर्ग की कार्य स्थितियों का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त फैक्ट्री कमीशन को अभिवेदन प्रस्तुत करने हेतु श्रमिकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था।
- 1920 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने ट्रेड यूनियनिज्म के विकास की आवश्यकता के कारण **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)** की स्थापना की।
- **एन. एम. जोशी को भारत में आधुनिक ट्रेड** यूनियनिज्म **का जनक माना जाता है** और उन्होंने 1921 में विधानसभा में ट्रेड यूनियन बिल प्रस्तुत किया था।
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 19(1)(c)** एक मूल अधिकार के रूप में संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है।

राष्ट्र के लिए ट्रेड यूनियन का महत्व

- **सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक कल्याण:** सामूहिक सौदेबाजी करने हेतु ट्रेड यूनियन श्रमिकों के लिए एक उपकरण है। ट्रेड यूनियनों वाले उद्योगों में सदैव श्रमिकों को उच्च वेतन प्राप्त होता है। ट्रेड यूनियन रोजगार के बेहतर नियमों और शर्तों तथा अनुकूल कार्यस्थल मानकों के लिए नियोक्ताओं के साथ वार्ता करती है।
- **सामंजस्यपूर्ण कर्मचारी-नियोक्ता संबंध:** प्रबंधन के समक्ष श्रमिकों के मुद्दों को प्रस्तुत कर ट्रेड यूनियन औद्योगिक असंतोष, हिंसा, हड़ताल आदि को रोकते हैं जो देश की समग्र उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व:** ट्रेड यूनियन प्रायः कौशल उन्नयन के लिए शैक्षिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **बेहतर विधि-निर्माण:** ट्रेड यूनियन बेहतर श्रम और औद्योगिक विधियों के लिए श्रमिकों की मांग को सुदृढ़ करते हैं। श्रमिकों और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनियनों की क्षमता एक गुण के रूप में होती है, जिसके लिए राजनीतिक दल अनुकूल श्रम कानूनों को प्रस्तावित कर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

भारत में ट्रेड यूनियनों के समक्ष आने वाली समस्याएं

- **असमान विकास:** ट्रेड यूनियन गतिविधियां वृहत उद्योगों तक ही सीमित हैं।
- **निम्न सदस्यता:** हालांकि, भारत में ट्रेड यूनियनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसके बावजूद प्रति संघ सदस्यता में गिरावट दर्ज की गई है।
- **यूनियनों की बहुलता:** एक ही प्रतिष्ठान में कई ट्रेड यूनियन विद्यमान हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अनुसार सात श्रमिकों का कोई भी संघ यूनियन के रूप में पंजीकृत हो सकता है।
- **इंटर यूनियन प्रतिद्वंद्विता:** यूनियनों ने श्रमिकों के मध्य अधिक प्रभाव स्थापित करने हेतु एक-दूसरें को दबाने की कोशिश की है, इस प्रकार समग्र रूप से इसने संघवाद को हानि पहुंचाई है।
- **सार्वजनिक समर्थन का अभाव** क्योंकि ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को पूरा करने हेतु प्रायः हड़ताल और विरोध जैसे माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

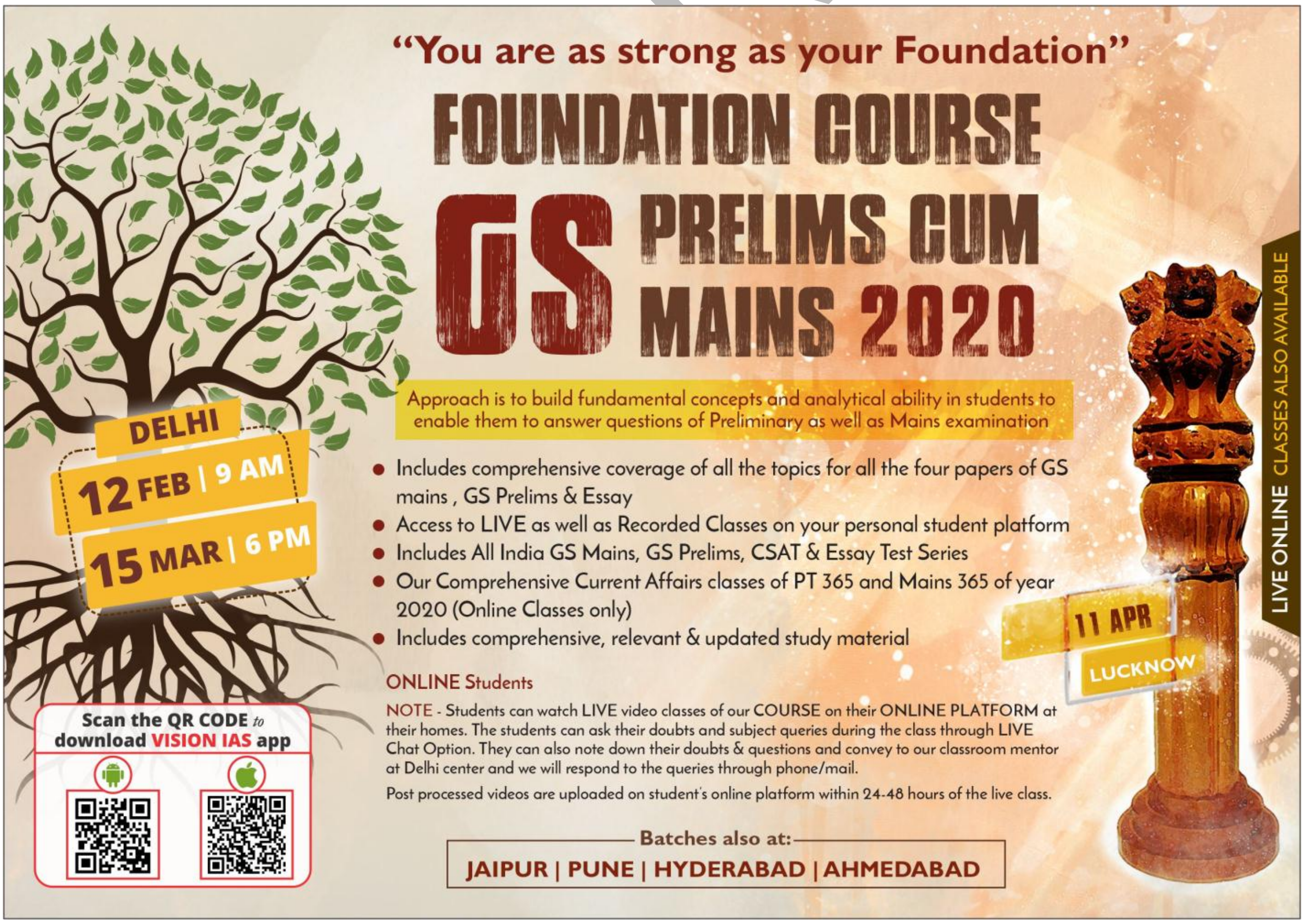

2. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1 प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता

(1st India-Central Asia Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अफगानिस्तान, किर्गिज़ गणतंत्र, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा कज़ाख़स्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था।
- भारत ने भू-आबद्ध अफगानिस्तान में भारतीय वस्तुओं की आवाजाही हेतु भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से संचालित **चाबहार बंदरगाह** परियोजना में **भाग लेने हेतु** मध्य एशियाई गणतंत्रों (CAR) को आमंत्रित किया है।
- भारत द्वारा आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर बेहतर समन्वय हेतु **एक क्षेत्रीय विकास समूह के गठन** का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया।
- भारत ने मध्य एशिया के भू-आबद्ध देशों के साथ **एयर कॉरिडोर्स के निर्माण हेतु एक वार्ता** भी प्रस्तावित की है। मुख्यतः पाकिस्तान (जो स्थलीय व्यापार पर नियंत्रण रखता है) द्वारा उत्पन्न समस्याओं से बचने हेतु भारत और विभिन्न अफगान शहरों के मध्य भारतीय वस्तुओं एवं शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के परिवहन हेतु पहले से ही एयर कॉरिडोर्स का प्रयोग किया जा रहा है।

भारत और मध्य एशिया

- भारत पांच मध्य एशियाई राष्ट्रों को मान्यता प्रदान करने वाले सर्वप्रथम देशों में से एक था। 1990 के दशक में इनके सोवियत संघ से पृथक होने के पश्चात् भारत द्वारा इन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। भारत द्वारा वर्तमान में मध्य एशियाई देशों को इसके **'विस्तारित और रणनीतिक पड़ोस'** के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।
- वर्तमान में इन मध्य एशियाई गणतंत्रों का भारत के साथ **व्यापार केवल 2 बिलियन डॉलर का है।** यह चीन के साथ 50 बिलियन डॉलर व्यापार की तुलना में अत्यल्प है। ज्ञातव्य है कि चीन ने इन देशों को अपने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (SREB) पहल के महत्वपूर्ण भाग का दर्जा दिया है।

मध्य एशिया का महत्त्व

- **रणनीतिक अवस्थिति:** इन देशों की भौगोलिक **अवस्थिति** ने इन्हें एशिया के विभिन्न क्षेत्रों तथा यूरोप और एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में स्थापित कर दिया है। ईरान के साथ चाबहार समझौते ने पाकिस्तान की उपेक्षा करते हुए भारत और मध्य एशिया के मध्य **नए व्यापारिक मार्गों का सृजन** किया है।
  - भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य बेस ताजिकिस्तान के फरखोर में स्थित है, जिसका परिचालन भारतीय वायु सेना और ताजिक वायु सेना द्वारा किया जा रहा है। ये मध्य एशियाई गणतंत्र चीन, अफगानिस्तान, रूस और ईरान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ताजिकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के निकट स्थित है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य एशिया के देश महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और हाइड्रोकार्बनों से सम्पन्न हैं तथा भौगोलिक रूप से भारत के निकट हैं। उदाहरणार्थ-
  - **कज़ाख़स्तान, यूरेनियम** का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा यहाँ विशाल **गैस और तेल भंडार** भी मौजूद हैं।
  - **किर्गिस्तान** के साथ-साथ **उज्बेकिस्तान** भी **स्वर्ण** का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्पादक देश है।

VISION IAS

- **ताजिकिस्तान** में तेल निक्षेपों के अतिरिक्त व्यापक **जलविद्युत क्षमता** भी विद्यमान है तथा विश्व का चौथा **सबसे बड़ा गैस भंडार** तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है।
    - **कज़ाख़स्तान और तुर्कमेनिस्तान** कैस्पियन सागर के तटवर्ती देश हैं, जो **कैस्पियन के निकट स्थित अन्य ऊर्जा समृद्ध देशों के साथ** सम्पर्क स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- **सुरक्षा:** अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के गंभीर क्षेत्रीय सुरक्षा निहितार्थ होंगे। मध्य एशियाई देशों को अफीम उत्पादन के **'गोल्डन क्रेसेंट'** (ईरान-पाक-अफगानिस्तान) से संचालित अवैध ड्रग्स व्यापार से उत्पन्न गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये हथियारों के अवैध व्यापार से भी ग्रसित हैं। मध्य एशिया में उत्पन्न अस्थिरता पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है।
    - इसके अतिरिक्त, धार्मिक अतिवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद मध्य एशियाई देशों के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करने के साथ-साथ क्षेत्रीय अस्थिरता भी उत्पन्न कर रहे हैं।
- **व्यापार और निवेश संभावनाएं:** मध्य एशिया विशेष रूप से कज़ाख़स्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के आर्थिक विकास ने निर्माण गतिविधियों में वृद्धि की है तथा सूचना प्रौद्योगिकी, औषध और पर्यटन जैसे क्षेत्रकों के विकास को तीव्रता प्रदान की है। भारत को इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है तथा व्यापक सहयोग इन देशों के साथ व्यापार संबंधों को अत्यधिक प्रोत्साहित करेगा। मध्य एशिया में भारतीय औषध उत्पादों की मांग भी अधिक है।

संबंधित जानकारी

- भारत और उज्बेकिस्तान ने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- उज्बेकिस्तान कज़ाख़स्तान के पश्चात् भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला मध्य एशिया का दूसरा देश होगा।

मध्य एशियाई गणतंत्रों के संदर्भ में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **भू-आबद्ध क्षेत्र:** मध्य एशिया भू-आबद्ध क्षेत्र है जिस कारण मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध बाधित हुए हैं। निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी ने भी भारत और मध्य एशिया के बीच अल्प व्यापार में योगदान दिया है।
    - इसके अतिरिक्त, भारत किसी भी मध्य एशियाई देश के साथ **प्रत्यक्षतः सीमा साझा नहीं** करता। यह इन देशों के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा, पर्यटन व अन्य संपर्कों को प्रोत्साहित एवं विस्तारित करने में एक प्रमुख अवरोध है। प्राचीन रेशम मार्ग एक विकल्प था परन्तु शिनजियांग में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों, चीन के साथ अनिर्णित सीमा विवाद तथा दीर्घकालिक वार्ताओं ने मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्गों की खोज हेतु भारत को बाध्य किया है।
    - **अफगानिस्तान में अस्थिरता तथा** क्षेत्र में **पाकिस्तान** के भू-रणनीतिक महत्त्व ने भारत द्वारा मध्य एशिया के साथ संबंधों का लाभ प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न किया है।
- **चीन की उपस्थिति:** मध्य एशिया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (SREB) पहल का भाग है। हालांकि शिनजियांग प्रांत के उइगर क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरतावाद के खतरे ने चीन को मध्य एशियाई सुरक्षा मामलों में सुदृढ़ व्यवस्था करने हेतु प्रेरित किया है, जिससे भारत के हित अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।
- **कट्टरतावाद और अतिवाद:** मध्य एशिया अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, इस्लामिक युनिफिकेशन मूवमेंट (IUM), हिज्ब-उत-तहरीर इत्यादि जैसे आतंकी संगठनों के समक्ष स्वयं को अधिक सुभेद्य मानता है।
- **इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र** में "यूथ बल्ज" (युवाओं की जनसंख्या में वृद्धि) **के साथ** सीमित आर्थिक अवसरों; गंभीर और बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार; ड्रग्स तस्करी; सुदृढ़ सरकार या दल आदि के बिना स्वेच्छाचारी राज्यों में उत्तराधिकार के प्रबंधन **जैसी घरेलू चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।**

क्षेत्र से संपर्क स्थापित करने हेतु भारत के प्रयास

- **कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी:** इस नीति को वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था। इसमें शामिल हैं-
    - उच्च स्तरीय यात्राओं और बहुपक्षीय सहभागिताओं के माध्यम से सुदृढ़ राजनीतिक संबंधों की स्थापना।
    - सैन्य प्रशिक्षण, नियमित ख़ुफ़िया सूचनाओं के साझाकरण, आतंकवाद-विरोधी प्रयासों में समन्वय और अफगानिस्तान की समस्या पर गंभीर विचार-विमर्श के माध्यम से रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग।
    - ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों में दीर्घकालिक भागीदारी।
    - क्षेत्र में एक व्यवहार्य बैंकिंग अवसंरचना स्थापित करने में सहायता करना।
    - मध्य एशियाई देशों में निर्माण एवं विद्युत् क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति में वृद्धि।
    - अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC), वायु सेवाओं, व्यक्तियों के परस्पर संपर्क और सांस्कृतिक विनिमयों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार।

- **शंघाई सहयोग संगठन:** SCO की पूर्ण सदस्यता के साथ, भारत और मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेतृत्व के मध्य अधिक शीर्ष स्तरीय संपर्क स्थापित होंगे।
- **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** भारत INSTC का संस्थापक सदस्य है। यह एक परियोजना है जो समुद्र मार्ग के माध्यम से भारत और ईरान को और तत्पश्चात ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से होते हुए मध्य एशिया से जोड़ती है।
- **ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास:** यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह के माध्यम से भू-आबद्ध अफगानिस्तान तथा ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया तक संपर्क स्थापित करने में सहायक होगा।
- **अश्गाबात समझौता:** भारत ने अश्गाबात समझौते को स्वीकार कर लिया है। यह मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के मध्य वस्तुओं के परिवहन को सुविधाजनक बनाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे हेतु एक समझौता है।
- **तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI):** यह एक प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो गलकिनिश (तुर्कमेनिस्तान) - हेरात - कंधार - मुल्तान - फाजिल्का (पाक-भारत सीमा) से होकर गुजरेगी। यह परियोजना न केवल प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर प्राकृतिक गैस के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध करवाएगी बल्कि **क्षेत्र में शांति और सुरक्षा** हेतु सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन भी करेगी।
- **यूरेशियन इकॉनमिक यूनियन (EEU):** भारत यूरेशियन इकॉनमिक यूनियन के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर वार्ता कर रहा है। EEU के सदस्य देश हैं- बेलारूस, कज़ाख़स्तान, रूस, अर्मेनिया और किर्गिस्तान।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** एक प्रभावशाली उपकरण है। इसके तहत इन देशों के युवा पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा मानव क्षमता विकास से लाभान्वित होंगे।

निष्कर्ष

- दोनों क्षेत्रों ने विविध क्षेत्रकों में उपलब्ध अवसरों का इष्टतम उपयोग नहीं किया है। भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने से **सम्बंधित देशों को परस्पर लाभ** प्राप्त होगा।
- भारत के साथ बेहतर संबंध **इन देशों को** अपने ऊर्जा, कच्चे माल, तेल एवं गैस, यूरेनियम, खनिज, जल विद्युत् शक्ति आदि हेतु **एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध** करवाने में सहायक होंगे।
- क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, दोनों रूपों में वर्तमान राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक परिदृश्य अपनी सहभागिताओं में गुणात्मक वृद्धि करने हेतु भारत और मध्य एशिया के समक्ष **अत्यधिक चुनौतियों के साथ-साथ अनेक संभावनाएं भी प्रस्तुत करता है।**
- इनके मध्य मजबूत संबंध इन देशों और विश्व की **सुरक्षा और समृद्धि** की बढ़ोतरी में योगदान करेंगे। मौजूदा भारत-मध्य एशिया वार्ता को गुणात्मक रूप से उन्नत बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र में महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखे जा सके।

2.2. भारत और दक्षिण अफ्रीका

(India & South Africa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक तीन वर्षीय (2019-21) **रणनीतिक कार्यक्रम** पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस समझौते को भारतीय प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के मध्य सम्पन्न वार्ताओं के पश्चात् अंतिम रूप प्रदान किया गया था। ध्यातव्य है कि सिरिल रामफोसा **गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे।**
- इस रणनीतिक कार्यक्रम के तहत **रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन, संचार प्रौद्योगिकी** और **कृषि** सहित विभिन्न क्षेत्रकों में सहयोग शामिल होगा। दक्षिण अफ्रीका द्वारा **दक्षिण अफ्रीकी व्यवसाय वीज़ा व्यवस्था** को सरलीकृत करने तथा उसमें सुधार करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। साथ ही दोनों नेताओं ने **भगोड़े आर्थिक अपराधियों** से निपटने हेतु सहयोग को सुदृढ़ करने पर एक साथ कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया है।

पृष्ठभूमि

- भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध शताब्दियों पुराने हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के **रंगभेद-विरोधी आन्दोलन** का समर्थन करने वाले अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक अग्रणी देश था। भारत रंगभेद समर्थक सरकार (वर्ष 1946) के साथ व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने वाला प्रथम देश था।
- दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के संबंध चार दशकों के अंतराल के पश्चात् **मई 1993** में जोहान्सबर्ग में एक **सांस्कृतिक केंद्र** के आरम्भ के साथ **पुनर्स्थापित** किए गए। दक्षिण अफ्रीका के साथ **राजनयिक और कॉन्सुलर संबंध** नवंबर 1993 में पुनर्स्थापित हुए।
- वर्ष 2017 में **वर्ष 1997 में की गयी 'रणनीतिक भागीदारी हेतु लाल किला घोषणा'** के 20 वर्ष पूर्ण हुए। यह अवधि वर्ष दर वर्ष इस भागीदारी के सुदृढ़ीकरण को प्रदर्शित करती रही है।
- इसके अतिरिक्त **त्श्वाने घोषणा, 2006** के माध्यम से शिक्षा, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वीज़ा व्यवस्था आदि विविध क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ किया गया।

VISION IAS

सहयोग के पारस्परिक क्षेत्र

- **व्यापार और निवेश:** दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार पहले से ही 10 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। **निवेश** को प्रोत्साहित करने हेतु दोनों देशों द्वारा वर्ष 1998 में **दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **अंतरराष्ट्रीय मंच:** दोनों देश **BRICS (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका), IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका), IORA (इंडियन ओशेन रिम एसोसिएशन), G-20** आदि संगठनों के सदस्य हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यता को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करने हेतु एक **विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के तहत प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश **भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश** थे तथा राष्टमंडल गणतंत्रों के रूप में **राष्टमंडल के** पूर्ण सदस्य हैं।
- **वैश्विक आतंकवाद:** दोनों देशों द्वारा **यू एन कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म** को सहमति प्रदान करने एवं उसका अंगीकरण करने का समर्थन किया गया है।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्रों** में प्रशिक्षण कौशल विकास प्रयास (भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग), भारतीय फर्मों द्वारा निवेश के माध्यम से औषधीय देखभाल को प्रोत्साहन, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, हिन्द महासागर क्षेत्र में नौसैन्य संलग्नता आदि को शामिल किया गया है।

चिंताएं

- **व्यापार:** वैश्विक आर्थिक मंदी तथा घरेलू राजनीतिक कारकों द्वारा तीव्र विस्तार को अवरुद्ध किये जाने से पूर्व वर्ष 2012 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1 ट्रिलियन रुपये) के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि दोनों देशों द्वारा एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को प्रोत्साहित किया गया है, परन्तु इसे अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।
- **चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा:** चीन पहले से ही अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत मौद्रिक संदर्भ में **चीन की चेकबुक कूटनीति** के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता।
- **द्विपक्षीय संबद्धता की तुलना में अधिक बहुपक्षीय संलग्नता:** वर्तमान में भारत अधिकांशतः बहुपक्षीय स्तर पर संलग्न (जैसे अफ्रीकी संघ के साथ) है। इसके कारण भारत की विकास परियोजनाओं की डाउनस्ट्रीम डिलीवरी इन चैनलों के माध्यम से होती है, जिससे इनका अपेक्षित श्रेय भारत को प्राप्त नहीं होता। अतः भारत के प्रयासों को पर्याप्त महत्व प्रदान करने हेतु द्विपक्षीय संबद्धता में वृद्धि की जानी आवश्यक है।
- **नस्लीय भेदभाव:** दक्षिण अफ्रीका के नागरिक उनके साथ घटित हिंसात्मक तथा आपराधिक घटनाओं के कारण भारत में स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते तथा नस्लीय भेदभाव के कारण भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसी प्रवृत्तियां दोनों देशों के जनसामान्य की परस्पर संबद्धता के प्रति अहितकर होती हैं।

सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र

- **निवेश:** कुछ अनुपूरक क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए, उदाहरणार्थ दक्षिण अफ्रीका में विदेशी निवेशकों को मोटर वाहनों के कलपुर्जों, वस्त्र और फुटवियर उद्योग जैसे अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। प्रमुख **अप्रयुक्त क्षेत्रकों** में - स्वास्थ्य, पोषण और लोक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका को भारत में जैव-प्रौद्योगिकी (दक्षिण अफ्रीकी विनिर्माताओं का एक प्रमुख सुदृढ़ क्षेत्रक) के क्षेत्र में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्रक को अब स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- **कौशल विकास** को निरंतर उच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि विशाल युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीका में कौशल विकास की अत्यधिक सम्भावना है।

आगे की राह

- दोनों देशों द्वारा अपने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे से संबंधित प्रमुख मुद्दों की प्रगति की समीक्षा और उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों के समाधान हेतु **प्रत्येक वर्ष** कम से कम एक **सम्मेलन का** आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। **भारत-अफ्रीका रणनीतिक वार्ता, इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट** जैसे मंचों के माध्यम से अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु भारत के प्रयास वांछनीय हैं तथा उनकी निरंतरता अत्यावश्यक है।
- बहुपक्षीय **संलग्नता** का वर्तमान मार्ग भारत हेतु अपेक्षित परिणामों का सृजन नहीं कर रहा है। **द्विपक्षीय सहभागिताओं** पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत की अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अधिक आवश्यक है। इसके माध्यम से वर्तमान में किए गए प्रयासों के समान प्रयास से भी भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान एवं ख्याति में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी।
- दक्षिण अफ्रीका में **भारतीय डायस्पोरा** की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इसे सामाजिक और साथ ही साथ आर्थिक अवसंरचना में भागीदारी के विभिन्न स्तरों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में दक्षिण अफ्रीकी डायस्पोरा के हितों के संरक्षण हेतु प्रयास करने तथा भेदभाव, हिंसक अपराधों इत्यादि जैसे मुद्दों का पूर्ण उन्मूलन करने की भी आवश्यकता है।

2.3. गिलगित- बाल्टिस्तान मुद्दा

(Gilgit- Baltistan Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत द्वारा पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त किया गया और इस संबंध में पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया गया।

VISION IAS

निर्णय के बारे में:

- पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया की उसका क्षेत्राधिकार एवं शक्ति गिलगित-बाल्टिस्तान तक विस्तारित है।
- न्यायालय ने पाकिस्तान की संघीय सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर (POK) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के लोगों को मूल मानवाधिकारों सहित अन्य अधिकार प्रदान करने हेतु तत्काल एक नवीन कानून को प्रख्यापित करने का निर्देश दिया है।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** यह क्षेत्र भारत का एक अभिन्न अंग था और बना रहेगा। गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र हेतु पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार का आदेश स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है।

गिलगित-बाल्टिस्तान (GB) क्षेत्र के बारे में:

- यह क्षेत्र पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर रियासत का एक भाग था, परंतु कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के पश्चात **4 नवंबर, 1947 से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में** है।
- इस क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर 'पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र' (The Northern Areas of Pakistan) कर दिया गया तथा इस पर पाकिस्तान सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। उत्तरी क्षेत्र PoK से भिन्न है, ध्यातव्य है कि जम्मू-कश्मीर के PoK को पाकिस्तान "आज़ाद कश्मीर" कहता है। हालाँकि, उत्तरी क्षेत्र PoK के आकार से छह गुना से भी अधिक है।
- पाकिस्तानी सरकार द्वारा अगस्त 2009 में **गिलगित-बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ- गवर्नेंस ऑर्डर** के क्रियान्वयन के पश्चात से उत्तरी क्षेत्रों को '**गिलगित-बाल्टिस्तान**' के रूप में जाना जाने लगा।

- 2018 में पाकिस्तान सरकार ने विवादित क्षेत्र को अपने पांचवें प्रांत के रूप में सम्मिलित करने के लिए कई आदेश भी पारित किए थे। ध्यातव्य है कि बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब एवं सिंध पाकिस्तान के अन्य चार प्रांत हैं।

वर्तमान स्थिति

- इसकी एक **निर्वाचित विधानसभा** एवं एक **परिषद** है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सभी शक्तियां इस परिषद में निहित हैं तथा इस क्षेत्र के संसाधनों एवं राजस्व पर इसका पूर्ण नियंत्रित स्थापित है।
- **गिलगित-पाकिस्तान (GB) का पाकिस्तान के संविधान में कही भी उल्लेख नहीं है:** यह क्षेत्र न तो स्वतंत्र है और न ही इसे प्रांतीय दर्जा प्रदान किया गया है। अभी तक पाकिस्तान द्वारा इससे एक भिन्न भौगोलिक इकाई के रूप में व्यवहार किया जाता था।

इस क्षेत्र में भारत की चिंताएं

- **कश्मीर का मुद्दा:** भारत ने पाकिस्तान के साथ गिलगित-बाल्टिस्तान (GB) के संभावित विलय पर आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर का भाग होने के कारण यह तथाकथित कश्मीर के विवाद की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है।
- **चीनी हस्तक्षेप:** चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का निर्माण गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से किया जाएगा। इसी कारण से भारत चीन द्वारा प्रायोजित मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता है।

यह क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है?

- **रणनीतिक स्थिति:** गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया एवं चीन की सीमाओं के प्रतिच्छेदन क्षेत्र (intersection) पर अवस्थित है।
- **वृहत क्षेत्र:** गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र आज़ाद कश्मीर के क्षेत्र की तुलना में पाँच गुना अधिक (लगभग छह गुना) है। इसमें नृजातीय-भौगौलिक रूप से विशिष्ट दो क्षेत्र शामिल हैं- बाल्टिस्तान (जो लद्दाख का भाग है) तथा गिलगित।
- **जल एवं ऊर्जा सुरक्षा:** गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र अपने जल एवं ऊर्जा संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व सिंधु नदी इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। सर्वाधिक विवादित सियाचिन हिमनद सहित महत्वपूर्ण हिमनद भी गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित हैं। सिंधु नदी की जलविद्युत क्षमता इसे ऊर्जा सुरक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण बनाती है।

2.4. प्रारूप उत्प्रवास विधेयक - 2019

(Draft Emigration Bill - 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में उत्प्रवास विधेयक, 2019 लाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौजूदा उत्प्रवासन अधिनियम, 1963 को प्रतिस्थापित करेगा।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास से संबंधित सभी मामलों हेतु मौजूदा विधायी ढाँचे का निर्धारण **उत्प्रवास अधिनियम 1983 द्वारा** किया जाता है।
- इसे **खाड़ी क्षेत्र में भारतीय कामगारों के बड़े पैमाने पर होने वाले उत्प्रवास** के विशिष्ट संदर्भ में क्रियान्वित किया गया था। इस अधिनियम के समकालीन प्रवास प्रवृत्तियों का समाधान करने संबंधी प्रावधान कुछ सन्दर्भों में सीमित ही हैं।

इस नए विधेयक की आवश्यकता

- **उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में निहित सीमाएं** कई बार मौजूदा संसाधनों के उप-इष्टतम उपयोग, अवैध एजेंटों पर मुकदमा दायर करने में विलंब, प्रवासी कामगारों के कल्याण और संरक्षण के उद्देश्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रभावी रूपरेखा निर्मित करने में विधायी प्रावधानों की कमी द्वारा परिलक्षित होती हैं।
- इसके अतिरिक्त, विगत कुछ वर्षों में **प्रवास की प्रकृति, पैटर्न, दिशा तथा मात्रा में व्यापक परिवर्तन आया है।** इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अंतर्गत विकसित देशों में देश के कुशल पेशेवरों द्वारा किया जाने वाला प्रवास, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रवास इत्यादि शामिल हैं।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **उत्प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण (Emigration Management Authority: EMA)** - इस विधेयक में **उत्प्रवासियों के समग्र कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक बहु-मंत्रालय EMA** का गठन करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण प्रवास प्रबंधन से संबंधित मामलों पर नीतिगत मार्गदर्शन करने, व्यापक समीक्षा करने एवं पर्यावलोकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण होगा।
- **प्रवास एवं आयोजन ब्यूरो तथा प्रवास प्रशासन ब्यूरो (Bureau of Emigration Policy and Planning & Bureau of Emigration Administration):** ये ब्यूरो दैनिक संचालनीय मामलों के अतिरिक्त प्रवास से संबंधित सभी मुद्दों एवं विदेशों में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे।
- **पंजीकरण/सूचना (Registration/Intimation):** यह विधेयक प्रवासी रोजगार हेतु जाने वाले **सभी श्रेणियों के भारतीय कामगारों एवं विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के अनिवार्य पंजीकरण / सम्बंधित सूचना प्रदान करने का प्रावधान करता** है। मंत्रालय द्वारा प्रवास की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफार्म संचालित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
- **भर्ती एजेंसियों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों** के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। भर्ती एजेंसियों के साथ कार्यरत उप-एजेंटों को भी प्रस्तावित विधेयक के दायरे में लाया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत **भर्ती एजेंटों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों की रेटिंग** के संबंध में प्रावधान को भी शामिल किया गया है।
- **कल्याण एवं सुरक्षा:** इस विधेयक में व्यापक प्रावधान किए गए हैं जिनमें बीमा, प्रस्थान-पूर्व दिशा-निर्देश, कौशल उन्नयन, क़ानूनी सहायता, प्रवासी सहायता केंद्र, हेल्प डेस्क, प्रवास एवं मोबिलिटी साझेदारियां, श्रमिक एवं मानवशक्ति सहयोग करार/समझौता ज्ञापन इत्यादि शामिल हैं।
- **अपराध एवं दंड:** इस विधेयक में **मानव तस्करी, अवैध भर्ती, ड्रग्स की अवैध तस्करी,** भर्ती की आड़ में अपराधियों को प्रश्रय देने तथा बिना उचित प्रक्रिया के उत्प्रवास सेवाओं की पेशकश करने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह **महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित गंभीर अपराधों** के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।

भारतीय प्रवासी कामगारों के समक्ष व्याप्त चुनौतियां:

- **प्रवास संबंधित नीति एवं डाटा का अभाव:** यह अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार में भारतीयों की संभावित क्षमता का उपयोग करने की भारत की क्षमता को प्रभावित करता है।
- **भर्ती चरण में विद्यमान समस्याएं:** कामगारों को भेजने वाले और प्राप्तकर्ता देशों की भर्ती एजेंसियों द्वारा वीजा के लिए अत्यधिक कीमत वसूलने, अनुबंध अवधि, वेतन, ओवरटाइम तथा अन्य संबंधित विवरणों की अपूर्ण जानकारी के माध्यम से प्रवासियों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। अनधिकृत भर्ती एजेंटों की समस्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
- **कौशल विकास का अभाव:** यह विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के समक्ष सबसे बड़ी बाधा है। वैश्विक मोबिलिटी के लिए उपयुक्त कार्यबल तैयार करने में पांच मुख्य तत्व शामिल हैं: (i) वैश्विक मानकों के साथ योग्यताओं का संरेखण (ii) अवसंरचना का विकास (iii) प्रामाणिक मूल्यांकन एवं प्रमाणन फ्रेमवर्क (iv) प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास और (v) (रोजगार संबद्धता (जॉब लिंकेज)।
- **न्यूनतम निर्दिष्ट मजदूरी (Minimum Referral wages):** सरकार द्वारा एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) देशों (ऐसे देश जिन्हें प्रोटेक्टर ऑफ़ इमिग्रेंट्स के कार्यालय द्वारा उत्प्रवास स्वीकृति की आवश्यकता होती है) में कार्यरत भारतीय कामगारों के वेतन को विनियमित करने हेतु न्यूनतम निर्दिष्ट मजदूरी निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह मजदूरी गंतव्य देशों में होने वाले आर्थिक

परिवर्तनों के साथ संरेखित नहीं हो पाई है।

- **संकट/आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान समस्याएं:** अभी तक भारत सरकार द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान भारतीय कामगारों की सुरक्षित निकासी हेतु मेजबान देशों के साथ मिलकर किसी भी प्रकार के स्थायी तंत्र को संस्थागत नहीं बनाया गया है।
- **कामगारों का दुरुपयोग:** भारतीय प्रवासियों में से अधिकांश अशिक्षित एवं ब्लू कॉलर कामगार हैं। इस प्रकार की पृष्ठभूमि के साथ, वे चरमपंथी समूहों की ओर अभिप्रेत हो सकते हैं।
- **पुनर्वास नीति का अभाव:** वर्तमान में देश के पास गंतव्य स्थान पर वापस लौटने वाले प्रवासियों के संवर्द्धित कौशल का उपयोग करने में सहायता करने संबंधी कोई पुनर्वास नीति विद्यमान नहीं है।
- **अमानवीय जीवनयापन परिस्थितियां:** खाड़ी क्षेत्र में अनियमित श्रमिक प्रायः जोखिमपूर्ण जीवन तथा कामकाजी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जिसके कारण वे न्याय एवं मूल अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।
- **लैंगिक परिप्रेक्ष्य एवं प्रवास:** एक लैंगिक-संवेदनशील प्रवासन नीति की तत्काल आवश्यकता है, जो न केवल सुरक्षा, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के व्यापक उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए।

प्रवासी भारतीयों के कल्याण हेतु सरकारी पहलें:

- **मदद पोर्टल (MADAD Portal):** यह 2015 में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आरंभ की गई एक ऑनलाइन शिकायत निगरानी प्रणाली है। यह ई-पोर्टल विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को एक ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे भारत सरकार के पास कॉन्सुलर (दूतावास) सेवाओं संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
- **प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र:** दिल्ली में 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन की स्थापना की गई है, जो प्रवासियों/संभावित प्रवासियों को सूचना प्राप्त करने तथा भर्ती एजेंटों/विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाती है।
- **प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2017:** यह एक **अनिवार्य बीमा योजना** है जिसका उद्देश्य ECR देशों में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रवास करने वाले एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) श्रेणी में आने वाले भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना है।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF):** इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को अत्यंत संकट एवं आपात स्थिति में सहायता प्रदान करना है।
- प्रवासियों को जानकारी और सहायता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन स्टॉप सर्विस आउटलेट के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु, मेजबान देशों में **भारतीय कामगार संसाधन केंद्रों** की स्थापना की गई है।
- **महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी योजना (MGPSY)-** यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण करने के साथ-साथ ECR देशों में उनके सामाजिक सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना है।

2.5 स्पेस डिप्लोमेसी

(Space Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों

अपनी स्पेस डिप्लोमेसी के एक भाग के रूप में, भारत द्वारा अपने पांच पड़ोसी देशों - भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका में पांच ग्राउंड स्टेशन और 500 से अधिक टर्मिनलों की स्थापना की जाएगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसंरचना का निर्माण 2017 में लॉन्च किए गए **दक्षिण एशिया उपग्रह (South Asia Satellite)** के विस्तार के रूप में किया जा रहा है।
- यह टेलीविज़न प्रसारण से लेकर टेलीफोनी और इंटरनेट, आपदा प्रबंधन और टेली-मेडिसिन तक के **अनुप्रयोगों** में सहायता करेगी।
- यह कदम पड़ोसी देशों में हमारी **रणनीतिक** परिसम्पत्तियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है।

स्पेस डिप्लोमेसी क्या है?

- स्पेस डिप्लोमेसी अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने की एक कला और अभ्यास है।
- अंतरिक्ष, प्रतिस्पर्द्धा और वर्चस्व स्थापित करने के लिए वैश्विक शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा और सहयोग के एक नए क्षेत्र के रूप में उभरा है। अत्यधिक जटिल होने के कारण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय पहचान, प्रस्थिति के साथ-साथ उसकी सॉफ्ट-पावर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है।

VISION IAS

भारतीय विदेश नीति में एक साधन के रूप में अन्तरिक्ष

- **नेबरहुड फर्स्ट नीति का विस्तार:** दक्षिण एशिया उपग्रह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है।
- **भारत की सॉफ्ट-पावर को प्रोत्साहित करना:** यह विभिन्न देशों के मध्य भारत की सॉफ्ट-पावर एवं साख को प्रोत्साहित तथा प्रदर्शित करेगा, क्योंकि भारत द्वारा पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से प्राप्त परिणामों को साझा किया जाता है। भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो ने विकासशील देशों को अमेरिकी या यूरोपीय समकक्षों की तुलना में उपग्रहों को लॉन्च करने का एक सस्ता विकल्प प्रदान किया है। यह कदम पड़ोसी देशों और भारत के संबंध को ओर अधिक प्रगाढ़ बनाएगा।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** चीन के पास तिब्बत में एक एडवांस सेटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर है जो न केवल भारतीय उपग्रहों को ट्रैक कर सकता है बल्कि उन्हें प्रभावहीन भी बना सकता है। पड़ोसी देशों में स्थित ग्राउंड स्टेशन चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में भारत की सहायता करेंगे।
- **सहयोग का एक नवीन क्षेत्र:** अंतरिक्ष भारत और अन्य देशों के मध्य सहयोग के एक नवीन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जो इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक सुधार करेगा।

स्पेस डिप्लोमेसी की दिशा में भारतीय पहल

- भारत ने SAARC देशों को अपने रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम **NAVIC** का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।
- भारत ने **अन्य देशों के साथ भी सहयोग स्थापित किया है,** उदाहरण- NISAR।
- भारत के **चंद्रयान मिशन** (जिसने चंद्रमा पर जल की खोज की) में नासा के साथ मिलकर कार्य किया गया था।
- प्रायः खगोलीय अनुसंधान के लिए भारतीय उपग्रहों के डाटा को मित्र देशों के साथ साझा किया जाता है, जो भारत की साख में वृद्धि करने के साथ-साथ संबंधों को भी सुदृढ़ बनाता है।
- इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (ISTRAC) द्वारा **ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मॉरीशस** में तीन अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों का संचालन किया जाता है।
- इसरो ने 2001 में इंडिया-म्यांमार फ्रेंडशिप सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग की स्थापना की।
- दक्षिण एशिया उपग्रह या GSAT-9 दक्षिण एशियाई देशों में विभिन्न संचार अनुप्रयोग प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक भू-स्थैतिक संचार उपग्रह (Geostationary Communication satellite) है। कुछ अन्य अनुप्रयोगों के अंतर्गत टेली-मेडिसिन, आपदा प्रबंधन, बैंकिंग, ई-गवर्नेंस इत्यादि शामिल हैं।

स्पेस डिप्लोमेसी से संबंधित मुद्दे

- **वैधानिक समझौतों का अभाव:** अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि मौजूद नहीं हैं। वाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में **यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर स्पेस अफेयर्स** द्वारा कार्य किया जाता है, किन्तु अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए NPT या CTBT जैसी कोई बाध्यकारी संधि विद्यमान नहीं है।
- **राष्ट्रों के मध्य वैश्विक असमानता को बनाए रखता है:** चूँकि कुछ ही देशों के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विद्यमान है, अत: यह अन्य अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों की विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता में वृद्धि करता है।
- **संसाधनों का दुरुपयोग:** एक मुद्दा यह भी है कि विकासशील देश अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बजाय अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर अत्यधिक व्यय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए - उत्तर कोरिया का भी अपना एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जबकि इसके नागरिक अकाल और भुखमरी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं।
- **अंतरिक्ष सीमा की एकसमान परिभाषा का अभाव:** संप्रभु हवाई क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर सीमा के संबंध में कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता विद्यमान नहीं है।
- **अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण:** अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण, भविष्य में उनकी स्पेस डिप्लोमेसी के भाग के रूप में राष्ट्रों के हाथों का एक नया उपकरण बन सकता है। अंतरिक्ष में स्थित हथियार मौजूदा हथियारों की तुलना में 100 गुना घातक हो सकते हैं और मानवता को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं।

संबंधित निकाय

यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन दी पीसफुल यूज़ ऑफ़ आउटर स्पेस (COPUOS) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों के निर्माण हेतु एक मंच है। इसके द्वारा पाँच अंतरराष्ट्रीय संधियाँ सम्पन्न की गई हैं:

- **'आउटर स्पेस ट्रीटी (Outer Space Treaty)',** जो वाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
- **"रेस्क्यू अग्रीमेंट (Rescue Agreement)":** अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और वाह्य अंतरिक्ष में

VISION IAS

प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की वापसी से संबंधित।

- **"लायबिलिटी कन्वेंशन (Liability Convention)":** कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज़ बाई स्पेस ऑब्जेक्ट्स।
- **"रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन (Registration Convention)":** कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इन टू आउटर स्पेस।
- **"मून एग्रीमेंट (Moon Agreement)":** यह चन्द्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों पर राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स (UNOOSA)

- यह कमेटी ऑन दी पीसफुल यूज़ ऑफ़ आउटर स्पेस (COPUOS) के एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत महासचिव की जिम्मेदारियों को लागू करने तथा कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च इन टू आउटर स्पेस को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।

एशिया-पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (APSCO)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो पूर्ण अंतरराष्ट्रीय वैधानिक स्थिति के साथ एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र निकाय के रूप में संचालित है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग **(चीन)** में स्थित है।
- इसमें शामिल अंतरिक्ष एजेंसियां हैं: **बांग्लादेश, चीन, ईरान, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू, थाईलैंड एवं तुर्की।**
- **इंडोनेशिया एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, जबकि मेक्सिको एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है।**
- इसमें डाटा साझाकरण, एक अंतरिक्ष संचार नेटवर्क स्थापित करना और स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना शामिल है।
- भारत को भी इस प्रकार के संगठन के गठन पर विचार करना चाहिए।

2.6 वेनेजुएला संकट

(Venezuela Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

वेनेजुएला में तेल की गिरती कीमतों से उत्पन्न आर्थिक संकट तथा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा विपक्ष को नियंत्रित करने के प्रयास के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई।

वेनेजुएला संकट के बारे में

- वेनेजुएला के समक्ष व्याप्त सबसे बड़ी समस्या हाइपरइन्फ्लेशन (अत्यधिक उच्च या नियंत्रण से बाहर मुद्रास्फीति) की है। इस आर्थिक संकट ने खाद्यान्नों की कमी की समस्या को बढ़ाया है साथ ही सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप औषधियों व चिकित्सकीय उपकरणों तक लोगों की पहुँच स्थापित नहीं हो पा रही है।
- पिछली सरकार द्वारा प्रदान की गई **सब्सिडी**, कंपनियों के व्यापक पैमाने पर **राष्ट्रीयकरण** और **वित्त के कुप्रबंधन** तथा मादुरो द्वारा लिए गए अतार्किक निर्णयों के कारण वर्तमान संकट और अधिक जटिल हो गया है।
- इसके कारण एक **राजनीतिक संकट** भी उत्पन्न हो गया है क्योंकि दो गुट उभर कर सामने आए हैं। एक पक्ष **अमेरिका** के नेतृत्व में विपक्ष का समर्थन कर रहा है और दूसरा पक्ष **रूस, चीन** द्वारा समर्थित वर्तमान सरकार का समर्थन कर रहा है।
- **भारत ने अभी तक किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया है।**

संकट का प्रभाव

- **तेल की कीमतों में वृद्धि:** वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश है। इस संकट के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति मिश्रण जटिल रूप ले सकता है और संभवतः तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
    - भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश होने

VISION IAS

के कारण **मुद्रास्फीति के साथ-साथ व्यापार घाटे** से भी प्रभावित हो सकता है।

  - हालाँकि अमेरिका द्वारा आरोपित नए प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला **चीन, भारत तथा अन्य एशियाई देशों को कच्चे तेल के निर्यात करने हेतु बाध्य हो सकता है।** इससे अल्पावधि में भारतीय रिफाइनरियों को लाभ हो सकता है क्योंकि उनके लिए अधिक प्रतिस्पर्द्धी मूल्य उपलब्ध होंगे।

- **व्यापक स्तर पर प्रवसन:** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2015 में संकट के बाद से 1.6 मिलियन से अधिक लोग देश छोड़कर चले गए हैं, जिससे पड़ोसी देशों पर दबाव बढ़ गया है।
- **वेनेजुएला में बढ़ती अपराध दर:** जैसे-जैसे देश निर्धन होता जा रहा है, अनेक लोग धन अर्जन हेतु अपराध का सहारा ले रहे हैं।

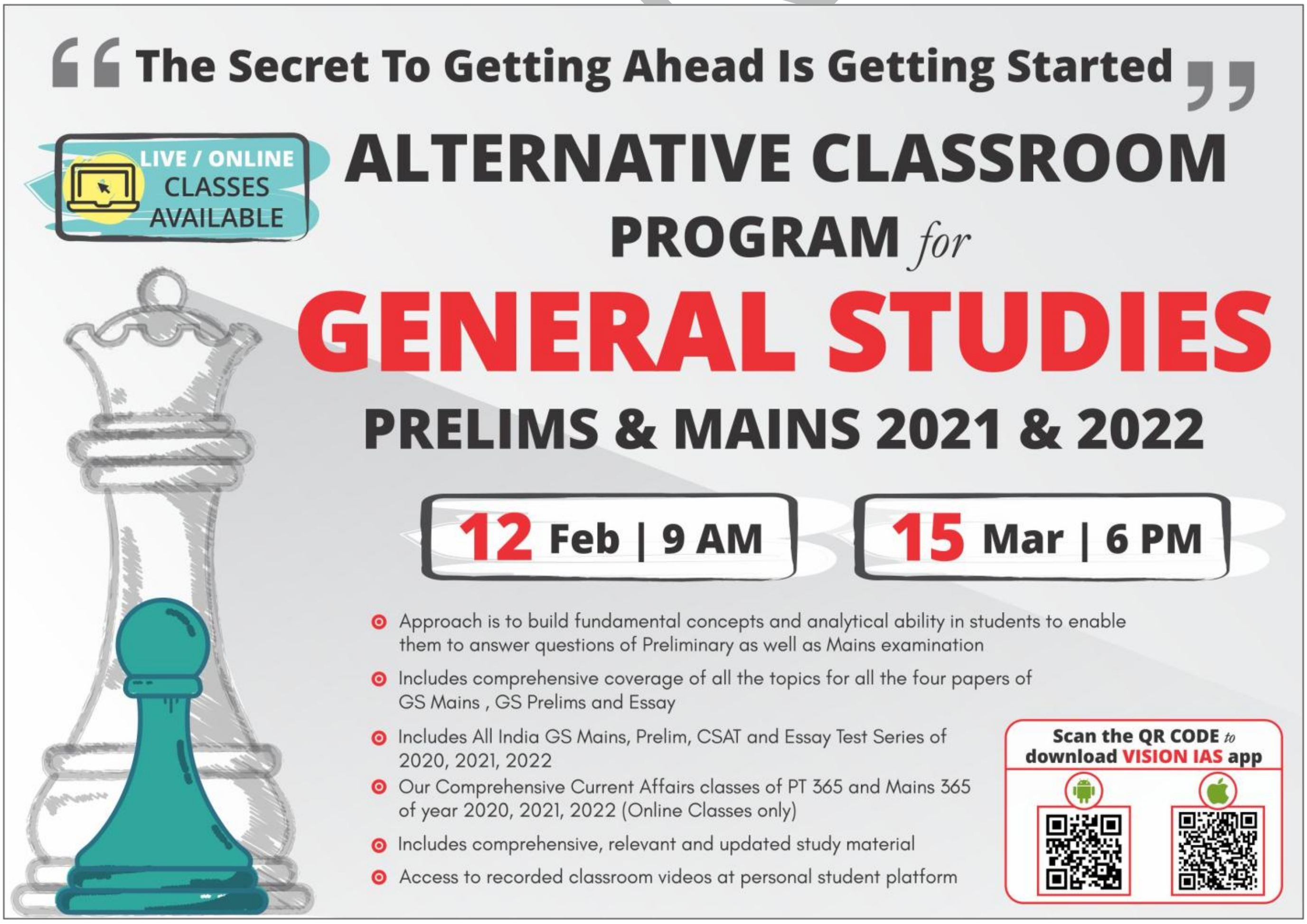

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र

(Status Paper on Government Debt)

सुर्खियों में क्यों?

2017-18 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र का कुल ऋण 31 मार्च 2014 के 47.5% से घटकर 2017-18 में 46.5% रह गया।

सरकारी ऋण

- **सरकारी देयताओं** को व्यापक रूप से भारत की संचित निधि के विरुद्ध ऋण (जिसे सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है) और लोक लेखा में देयताओं (जिन्हें अन्य देयताएं कहा जाता है) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक ऋण GDP का 41% है, जबकि अन्य देयताएं GDP का 5.5% है।
- सार्वजनिक ऋण को आगे **आंतरिक ऋण** (GDP का 38.2%) और **बाह्य ऋण** (GDP का 2.9%) में वर्गीकृत किया जाता है।
- **आंतरिक ऋण में विपणन योग्य ऋण** (GDP का 32.9%) और **गैर-विपणनयोग्य ऋण** (GDP का 5.3%) सम्मिलित होता है।
  - विपणन योग्य ऋण में नीलामी के माध्यम से जारी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल, दोनों सम्मिलित होते हैं।
  - राज्य सरकारों और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल (14 दिनों की ITB), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियां आदि गैर-विपणन योग्य आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।
- **अन्य देयताओं** में भविष्य निधि, आरक्षित निधियां और जमाएं, अन्य लेखाओं आदि के कारण उत्पन्न देयताएं सम्मिलित हैं।

सरकारी ऋण को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **निवेशकों का विश्वास प्रभावित होता है:** राजकोषीय समेकन की अनुपस्थिति में चूक का जोखिम बढ़ जाता है और इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का दर्जा घटा दिया जाता है। निवेशकों का विश्वास खोने से न केवल भारत में FDI/FII कम होगा, बल्कि भविष्य में ऋण लेना भी महंगा हो जाएगा।
- **ऋण संवृद्धि प्रभावित होती है:** चूंकि बाजार में निवेश के बजाय सरकार को अधिक धन उधार दिया जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट क्षेत्र बाहर निकल जाता है जिससे औद्योगिक और पूँजीगत परिसंपत्ति वृद्धि धीमी होती है और रोजगार की संभावित हानि होती है।
- **वाणिज्यिक बैंकों का राजकोषीय दमन:** जब सरकार अधिक उधार लेती है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों (GSecs) की अधिक खरीद के लिए विवश करती है। जब वाणिज्यिक बैंक GSecs में अधिक निवेश करता है (जहां वह वाणिज्यिक ऋणों से कम ब्याज अर्जित करता है) तो इससे निजी क्षेत्र के लिए पूंजी की उपलब्धता कम हो जाती है और बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होती है।
- **मुद्रास्फीति:** बहुत अधिक सरकारी ऋण से मुद्रास्फीति हो सकती है और वास्तविक ब्याज दरों में कमी आ सकती है। यह लोगों को स्वर्ण और अचल संपत्ति में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कमज़ोर आर्थिक तरलता और काले धन की समस्या बढ़ जाती है।
- **विनिमय दर जोखिम:** विदेशी प्रतिभूतियों के सापेक्ष घरेलू प्रतिभूतियों की घटी मांग (खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण) विनिमय दर को नीचे धकेल सकती है और डॉलर के संदर्भ में घरेलू मुद्रा को कमजोर कर सकती है। इससे आयात अधिक महंगा हो जाएगा और आगे मुद्रास्फीति अधिक तीव्र हो जाएगी।
- **समिति की अनुशंसाएं:** एन.के. सिंह की अगुवाई वाली FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) की समीक्षा समिति ने अनुशंसा की है कि 2023 तक केंद्र और राज्यों के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात क्रमशः 40% और 20% होना चाहिए। यह सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है।
- **अंतर-पीढ़ीगत समता:** अंतर-पीढ़ीगत समता को क्षति पहुंचेगी क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों को सरकारी ऋण का निपटान करने के लिए बढ़े हुए करों का भुगतान करना होगा।

जहां कल्याणकारी उपायों और पूंजीगत परिसंपत्ति विकास में व्यय करके संवृद्धि और समग्र मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी उधारी आवश्यक है, वहीं देश की दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात अच्छा नहीं है।

क्या राजकोषीय समेकन ने केंद्र सरकार के लिए काम किया है?

- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **सकल राजकोषीय घाटा** (GFD) 2011-12 में 5.9% से घटकर 2017-18 में 3.5% रह गया।
- **बाजार से अधिक उधारी:** सरकार ने आय और व्यय में अस्थायी घाटा पूरा करने के लिए RBI पर निर्भरता कम कर दी है (RBI से ऋण लेना मुद्रास्फीतिकारी होता है क्योंकि इससे मुद्रा का संचलन बढ़ जाता है)। यह विपणन योग्य ऋण की अधिक हिस्सेदारी से स्पष्ट है।

VISION IAS

- **बाजार ब्याज दरों की ओर बढ़ना:** सरकार ने बाजार उधारी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच असमानता को दूर करने और निजी क्षेत्र को बाहर निकलने से रोकने के लिए प्रशासित ब्याज दरों के बाजार दरों के साथ तालमेल की दिशा में भी प्रगति की है।
- **ब्याज दर की अस्थिरता कम करना:** भारत में लगभग 98% सार्वजनिक ऋण स्थायी ब्याज दरों पर अनुबंधित है, जो ऋण पोर्टफोलियो को ब्याज दर की अस्थिरता से बचाता है और ब्याज भुगतान के संदर्भ में बजट को निश्चितता और स्थिरता प्रदान करता है।
- **ऋण संधारणीयता में वृद्धि:** केंद्र का IP-RR अनुपात (राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान) 2000 के दशक के लगभग 52% से घटकर 2017-18 में 35.3% रह गया। भारत में ऋण की दीर्घकालिक संधारणीयता बड़े पैमाने पर घरेलू बचत के माध्यम से वित्त पोषित होने, मुख्य रूप से निश्चित ब्याज दर लिखतों का उपयोग करने और विशाल घरेलू संस्थागत निवेशक आधार द्वारा समर्थित होने के कारण है।

ऋण संधारणीयता के लिए केंद्र सरकार की रणनीति

सरकार की ऋण प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए सरकार के लिए कम लागत पर धन जुटाना है कि ऋण का स्तर संधारणीय बना रहे, ऋण संरचना स्थिर बनी रहे और वित्तीय स्थिरता का व्यापक उद्देश्य पूरा हो।

- **समर्पित निकाय** - संस्थागत रूप से, सरकार ने भारत के बाह्य (वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित) और घरेलू ऋण (RBI द्वारा प्रबंधित), दोनों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए एक सांविधिक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी** (PDMA) की स्थापना का निर्णय लिया है। इस दिशा में पहला कदम 2016 में वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के भीतर एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) की स्थापना था।
- **मध्यम-अवधि ऋण प्रबंधन रणनीति** (MTDS) - अगले 3 वर्षों (2018-19 से 2020-21 तक) में लागू की जाने वाली यह रणनीति तीन व्यापक स्तंभों पर आधारित है:
  - **उधारी की कम लागत:** लंबी अवधि के बंधपत्र जारी करना, बेहतर निवेशक संबंध और उधारी कैलेंडर की अग्रिम अधिसूचना।
  - **जोखिम शमन:**
    - **मुद्रा जोखिम** - घरेलू G-Sec बाजार में विदेशी निवेशकों की पहुंच में सुधार लाकर घरेलू और विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो का उपयुक्त मिश्रण।
    - **विस्तारण (रोल-ओवर) जोखिम** - रोल-ओवर जोखिम कम करने के लिए परिपक्वता को 10-वर्षीय परिपक्वता बकेट से 10-14 वर्षीय परिपक्वता बकेट तक बढ़ाने की सचेत रणनीति।
    - **जिंस (कमोडिटी) मूल्य जोखिम** - स्वर्ण की कीमतों से सम्बद्ध वैकल्पिक निवेश लिखत प्रदान करके भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (SGB) का शुभारंभ किया गया।
    - **ब्याज दर जोखिम** - हालाँकि अस्थिर दर वाले बॉन्ड (FRB), इंफ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड (IIB) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी लिखतें विभिन्न निवेशकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए जारी की गई हैं तथापि जोखिम सीमित करने में उनका योगदान निम्न ही बना रहा है।

रोल-ओवर जोखिम (Roll-over Risk)

यह ऋण के पुनर्वित्तपोषण से जुड़ा जोखिम है। सामान्यत: रोल-ओवर जोखिम का देशों और कंपनियों द्वारा तब सामना किया जाता है जब ऋण या अन्य ऋण दायित्व (जैसे बंधपत्र) परिपक्व होने वाले होते हैं और उन्हें नए ऋण में परिवर्तित करने या रोल-ओवर की आवश्यकता होती है। यदि इस बीच ब्याज दरें बढ़ गई हों तो ऋण का उच्च दरों पर पुनर्वित्तपोषण करना होगा और भविष्य में अधिक ब्याज प्रभाव वहन करना होगा; या बंधपत्र निर्गमन की स्थिति में ब्याज के रूप में अधिक भुगतान करना होगा।

- **बाजार का विकास:** इसके माध्यम से ऋण की कीमत का निर्धारण कुशलता से हो सकेगा।

राज्यों की ऋण स्थिति

राज्यों का कुल ऋण बढ़ता रहा है जो 2017-18 में बढ़कर 24% हो गया है 2018-19 में 24.3% होने का अनुमान है।

राज्यों की बकाया देयताएं बढ़ी हैं

- **बढ़ता व्यय:** UDAY बंधपत्र जारी करने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लागू होने, ब्याज भुगतान में वृद्धि, ऋण माफी जैसे लोकलुभावन उपायों आदि के कारण।
- **बढ़ता ऋण:** 12वें वित्त आयोग (FC) के बाद से राज्यों की बाजार उधारी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उच्च निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है।
- **घटती प्राप्तियां:** चूंकि कर प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा करना पड़ता है, अतः केंद्र करों के बजाय कई उपकर, अधिभार इत्यादि लगा रहा है। इससे राज्यों का राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है।

राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए कदम

- **राज्य के सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार** (राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात)।
  - राज्य के राजस्व व्यय की हिस्सेदारी कुल व्यय का 80% है।

VISION IAS

○ केंद्र से राज्यों को (14वें FC के बाद) "शर्तमुक्त निधि (अनटाइड फंड्स)" की मात्रा में वृद्धि के बाद भी, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना पर राज्यों का व्यय स्थिर बना हुआ है। • केंद्र से राज्यों को कर हस्तांतरण में एक मानदंड के रूप में **"राजकोषीय अनुशासन" का पुनर्समावेशन** (14वें FC द्वारा उपयोग नहीं किया गया) • अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य की बाजार उधारी के अनुमोदन के लिए **अधिक कठोर, अराजनीतिक और पारदर्शी मानदंड** • राज्य प्रभाग योजना (राज्य की उधारी के लिए स्वीकृति) और बजट प्रभाग (जो FRBM अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है) के बीच **बेहतर समन्वय** • **पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं** का प्रचलन ताकि राज्य के सार्वजनिक ऋण (जैसे कि SPSUs/ जारी की गई गारंटियों के माध्यम से बजट से इतर किये जाने वाले व्यय) को कम करके न आंका जाए।

3.2. दिवाला और दिवालियापन संहिता

(Insolvency and Bankruptcy Code)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की संवैधानिकता को यथावत बनाए रखने का निर्णय दिया है।

परिचालनात्मक और वित्तीय लेनदार • वित्तीय लेनदार वे होते हैं जिनका संस्था के साथ विशुद्ध वित्तीय संविदा, जैसे कि ऋण या ऋण प्रतिभूति का संबंध होता है। • परिचालन संबंधी लेनदार (बेजमानती लेनदार) का संदर्भ ऐसे किसी भी व्यक्ति से होता है जिसने वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान की हों और उनके लिए कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान देय हो। • दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) लेन-देन की प्रकृति (अर्थात् विशुद्ध रूप से वित्तीय लेनदेन या दिन-प्रतिदिन के परिचालनों से संबंधित लेन-देन) के आधार पर वित्तीय और परिचालनात्मक लेनदार के बीच भेद करती है।

इस निर्णय पर अधिक जानकारी

- दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि कंपनी के परिसमापन या इसकी बिक्री की स्थिति में, **परिचालनात्मक लेनदारों के बकायों का स्थान वित्तीय लेनदारों के बाद आता है** जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कि यदि लेनदारों के इन दोनों वर्गों के बीच एक बुद्धिमत्तापूर्ण विभेद स्थापित किया जा सके **तो यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।** वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान से अर्थव्यवस्था और बैंकों में पूंजी के अंतर्वाह में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाएं अन्य उद्यमियों को धन उधार देने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार परिचालनात्मक लेनदारों की तुलना में वित्तीय लेनदारों का सापेक्षिक महत्व अधिक होता है।
- इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दिवालियापन मामले को वापस लेने की अनुमति के लिए सीमा निर्धारित करना विधायिका के दायरे में आता है। साथ ही, इस अधिनियम में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) / राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के माध्यम से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के स्वेच्छाचारी या एक पक्षीय निर्णयों को रद्द करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) 2016: मुख्य विशेषताएं						
कॉर्पोरेट्स एवं सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) के लिए **वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान और समाधान** स्पष्ट और तीव्र प्रक्रिया	**2 भिन्न समाधान प्रक्रियाएं:** • नए सिरे से आरंभ करना • दिवालियेपन का शोधन	**अधिनिर्णयन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी के लिए) और ऋण वसूली अधिकरण (व्यक्तियों और असीमित भागीदारी फर्मों के लिए)	**उपयोगिताओं पर जानकारी:** दिवालियापन और दिवाला कार्यवाही में उपयोग करने हेतु वित्तीय जानकारी को संसाधित करना।	**दिवालियापन पेशेवर (IPs):** दिवाला शोधन प्रक्रिया (IRP) के वाणिज्यिक पहलुओं का प्रबंधन	**दिवालियापन पेशेवर एजेंसियाँ:** दिवालियापन पेशेवरों के लिए पेशेवर मानकों तथा आचार संहिताओं का का विकास करना।	**नियामक:** दिवालियापन पेशेवरों (IPs), दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों (IPAs) एवं सूचना उपयोगिताओं के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड।

VISION IAS

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत चरणों का क्रम						
डिफ़ॉल्ट के प्रथम दिन ऋणदाता या ऋणप्राप्तकर्ता दिवाला संबंधी कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु NCLT/ DBT में जा सकते हैं। NCLT/ DBT वाद को 14 दिनों की अवधि के भीतर स्वीकृत या रद्द कर सकते हैं।	→	एक बार मामला दर्ज हो जाने के पश्चात, ऋणदाता लेनदारों की समिति (कमेटी ऑफ़ क्रेडिटर्स: CoC) का गठन करेंगे, एक IP को नियुक्त किया जाएगा, जो अंतरिम अवधि में ऋणदाताओं की कंपनी का संचालन करेगा।	→	180 दिनों के भीतर, CoC को एक डेट रिकास्ट प्लान (debt recast plan) पर निर्णय लेना होता है। ऋणदाताओं को अंतिम समाधान योजना का निर्माण करने हेतु अतिरिक्त 90 दिन का समय दिया जाता है।	→	यदि ऋणदाता अपनी सहमति व्यक्त करते हैं (मतदान द्वारा) तो CoC डेट रिस्ट्रक्चरिंग (debt restructuring) को आगे जारी रख सकती है। अन्यथा, 180 दिनों के पश्चात कंपनी ऋण प्राप्तकर्ता की परिसंपत्तियों का परिसमापन कर दिया जाएगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता की सफलताएं

- **आशाजनक आरंभ:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा 1322 मामलों को स्वीकार किया जा चुका है। 4452 मामलों का स्वीकृति-पूर्व अवस्था में ही निपटान किया जा चुका है।
- **स्वीकृति-पूर्व अवस्था में समाधान:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के सम्मुख लेनदारों की याचिका दायर होने के बाद कई देनदार स्वीकृति-पूर्व अवस्था में ही भुगतान करना आरंभ कर देते हैं ताकि दिवालियापन की कार्यवाही न हो। यह इंगित करता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) ने वार्ता, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से न्यायालयों के बाहर सफलतापूर्वक समाधान को गति प्रदान की है। इससे न्यायपालिका प्रणाली के भार में कमी होगी।
- **बड़े खातों का समाधान:** जून 2017 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत 12 बड़े खातों (5000 करोड रुपए से अधिक बकाया ऋण वाले और बैंकों की कुल गैर निष्पादनशील परिसंपत्तियों के 25% भाग के लिए उत्तरदायी) के तत्काल समाधान की अनुशंसा की थी।
    - टाटा स्टील द्वारा 36400 करोड़ की पारदर्शी बोली के माध्यम से भूषण स्टील के सफल समाधान ने बैंकों को कुल ऋण के लगभग 75% भाग की पुनर्प्राप्ति में सहायता की।
    - भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड समाधान की उन्नत अवस्था में हैं। एस्सार स्टील के मामले में ऋणदाता 49,000 करोड़ रुपए के ऋण के लगभग 86% हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं।

धारा 29A विलफुल डिफाल्टर, प्रवर्तकों/ एक वर्ष से अधिक समय तक गैर-निष्पादनशील ऋण धारण करने वाले कंपनी प्रबंधन या अयोग्य निदेशकों को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित करती है। पहले, चूक करने वाले प्रवर्तक भी समाधान प्रक्रिया में भाग ले सकते थे जो उन्हें कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने और साथ ही साथ अपनी ऋण देयता कम करने में सक्षम बनाती थी।

- **समाधान में कम समय लगना:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के आंकड़ों के अनुसार, समाधान और परिसमापन परिणाम के लिए लगने वाला औसत समय 270 दिन की अधिकतम समयसीमा के भीतर होता है। वर्ष 2015 में किए गए विश्व बैंक के अनुमान की तुलना में यह महत्वपूर्ण सुधार है, जिसमें यह कहा गया था कि समाधान में लगने वाली औसत समय अवधि 4.3 वर्ष होती है।
- **पुनर्प्राप्ति में होने वाली क्षति कम होना:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय ऋणदाता के लिए पुनर्प्राप्ति की दरों में निरपेक्ष आधार पर सुधार हुआ है।
    - विश्व बैंक की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2015 के अनुसार ऋण पुनर्प्राप्ति की दर भारत में 1 डॉलर पर लगभग 27 सेंट्स के आस-पास और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों में लगभग 1 डॉलर पर लगभग 70 सेंट्स थी।
- **ऋण बाजार पर कानून का प्रभाव:** परिचालनात्मक लेनदार संहिता को अपने दावों की धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रभावी साधन मानते हैं। पहले परिचालनात्मक लेनदारों (जिनमें मुख्य तौर पर विक्रेता और कर्मचारी सम्मिलित होते हैं) के लिए दीवानी मुकदमे और देनदार के विरुद्ध न्यायालय में समापन कार्यवाही आरम्भ होने के अतिरिक्त अपनी बकाया राशि को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं था।
- **धारा 29(A) का प्रभाव:** धारा 29(A) के समावेशन के बाद कंपनियां खतरे के निशान को पार नहीं करने और राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) को संदर्भित किए जाने की स्थिति उत्पन्न होने से बचने के लिए भुगतान कर रही हैं। इससे संभावित डिफाल्टर्स पर निवारक प्रभाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें दिवालियापन और दिवाला अधिनियम (IBC) की कार्यवाही शुरू होने पर कंपनी के प्रबंधन में अपनी स्थिति छिन जाने का भय होता है।
- **एकसमान और सार्वभौमिक अनुप्रयोग:** IBC के सामान्य ढांचे को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य समाधान योजनाओं जैसे कि रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (SDR) योजना, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ़ स्ट्रेस्ड एसेट्स (S4A) इत्यादि को वापस ले लिया है। इसने देश भर में दिवालियापन प्रक्रिया को सुसंगतता प्रदान की है।

VISION IAS

- **रियल एस्टेट में पारदर्शिता:** 2017 में संशोधन ने घर खरीददारों के साथ वित्तीय लेनदारों के समान व्यवहार करने की अनुमति प्रदान की है। यह घर खरीददारों के हितों की रक्षा करेगा, जो वित्तीय संस्थाओं की तुलना में बिल्डरों को अधिक पूंजी का योगदान करते हैं किन्तु समाधान योजना में अभी तक इनका कोई मत नहीं होता था।
- **परिणाम तटस्थता पर ध्यान केंद्रित होना**: दिवालियापन और दिवाला संहिता (IBC) पुनरुद्धार और परिसमापन दोनों को फर्म पर दबाव को दूर करने के माध्यमों के रूप में देखती है और निर्णय को कंपनी के लेनदारों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ देती है। यह IBC के लागू होने से पूर्व के विश्व में प्रचलित विचार प्रणाली से मौलिक विस्थापन का संकेत देती है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम या कंपनी अधिनियम जैसे कानूनों में एक परिणाम के रूप में परिसमापन के प्रति सामान्य विमुखता थी, जिससे विलंब और अनिर्णय की स्थिति बढ़ जाती थी।

चुनौतियाँ

- **अवसंरचनागत बाधाएं:** IBC की वर्तमान संरचना एवं क्षमता के माध्यम से ऐसे मामलों की **बड़ी संख्या से तथा कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं में उत्पन्न होने वाले मुकदमों से निपटना कठिन होगा।**
- **प्रमुख मुद्दे:** IBC एक नया कानून है और इसका न्यायशास्त्र अभी विकासमान अवस्था में है; साथ ही आरम्भिक मामले अधिक समय ले रहे हैं क्योंकि न्यायालयों द्वारा धारा 29(A) की वैधता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का अभी निपटान किया जा रहा है।
- **परिसमापन के विरुद्ध पूर्वाग्रह का भाव:** यह इस धारणा पर आधारित है कि IBC का उद्देश्य दबावग्रस्त कम्पनियों का पुनरुद्धार कर उनका समाधान करना है और परिसमापन IBC प्रक्रिया की असफलता को प्रदर्शित करता है। IBC संशोधन द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवश्यक न्यूनतम मत को कम (75% से 66%) करना भी इस पूर्वाग्रह को दर्शाता है। वर्तमान में जारी अनेक मामलों में समाधान योजना का प्रस्तुतिकरण और उनकी मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारित 270 दिनों से अधिक समय तक बने रहना जारी है। यह IBC की भावना के विरुद्ध है जो दबावग्रस्त कम्पनियों के लिए परिणाम के रूप में परिसमापन को पुनरुद्धार या पुनर्गठन के समान मानती है।
- **परिसमापन प्रक्रिया में चुनौतियां:**
  - IBC के अंतर्गत परिसमापक, ऋणदाताओं से ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण (यदि ऋणप्राप्तकर्ता ऋण का पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है तो परिसम्पत्ति को बेचने का अधिकार) त्यागने की अपेक्षा करता है। इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने को कई कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
  - पिछली जांचों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर एजेंसी जैसी जांच एजेंसियों द्वारा परिसंपत्तियों की कुर्की, प्रक्रिया को विलंबित करती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ उलझी हुई संपत्ति कई खरीददारों को आकर्षित नहीं करती है।
  - कॉरपोरेट ऋण प्राप्तकर्ता के जटिल भूमि स्वामित्व पैटर्न परिसमापन के समक्ष अन्य चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। कई मामलों में परिसमापन लागत उपलब्ध परिसम्पत्तियों से अधिक होती है।
- **छोटी कंपनियों को छूट प्रदान करना:** छोटी कंपनियों के प्रमोटरों को धारा 29A के अंतर्गत अयोग्यता से छूट दी जाती है; अन्यथा ये कम्पनियाँ बोलीदाताओं की अनुपस्थिति में सीधे परिसमापन में चली जाएंगी। लोगों द्वारा बड़ी कंपनियों पर फोकस करने के बावजूद, छोटी कम्पनियाँ भी दिवालिया कंपनियों की सूची में प्रभावी रूप से विद्यमान होती हैं। छोटी कंपनियों को दिया गया विशेष दर्जा इन्हें अपना आकार बड़ा करने के लिए हतोत्साहित करने वाला एक अन्य कारक हो सकता है।
- **सीमा-पारीय दिवाला कानून पर स्पष्टता का अभाव:** भारत ने अभी तक **यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ (UNCITRAL) के सीमा-पारीय दिवाला मामलों पर मॉडल कानून** को नहीं अपनाया है और इसलिए उसे सीमा-पारीय दिवाला कार्यवाही को प्रशासित करने के लिए एकल देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों की आवश्यकता होती है।
  - जून 2018 में भारत सरकार ने दिवालियापन और दिवाला संहिता (**IBC**) में जोड़ने के लिए सीमापारीय दिवाला पर प्रस्तावित प्रारूप अध्याय जारी कर दिया।

निष्कर्ष

- विदेशी निवेशकों को परिसंपत्ति निवेश के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए दबावग्रस्त परिसंपत्ति में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए तत्काल नीतिगत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं की अनुपस्थिति में परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रभावित होगा, जिससे बैंकों और अन्य लेनदारों को और अधिक घाटा होगा।
- एक उचित रूप से अभिकल्पित दिवालियापन और दिवाला कानून को "वित्तीय रूप से दबावग्रस्त" कंपनियों और "आर्थिक रूप से दबावग्रस्त" कंपनियों के बीच अंतर करना चाहिए।
  - जब किसी कंपनी के अपेक्षित लाभों का वर्तमान मूल्य उस कम्पनी की परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य से कम होता है, तो कम्पनी आर्थिक रूप से दबावग्रस्त होती है। ऐसी कंपनी का लाभकारी ढंग से परिसमापन किया जा सकता है।
  - इसके विपरीत, यदि कोई कंपनी आर्थिक रूप से दबावग्रस्त नहीं है, लेकिन केवल अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो यह वित्तीय रूप से दबावग्रस्त है। ऐसी फर्म की परिसम्पत्तियों को यदि कार्यशील इकाई के रूप में एकजुट रखा जाता है जो ऐसी फर्म की परिसम्पत्तियाँ अधिक मूल्यवान होती हैं। इसलिए, इस प्रकार की इकाई को अनिवार्य रूप से पुनर्संरचित किया जाना चाहिए।

2 वर्ष गुजरने पर भले ही इसका विकास अभी जारी है तथापि दिवालियापन और दिवाला संहिता (IBC) पर्याप्त सफल सिद्ध हुई है और भारत की अशोध्य ऋणों की समस्या का समाधान करने का मुख्य सूत्र-साधन बनी हुई है।

VISION IAS

3.3. GST व्यवस्था

(GST Regime)

सुर्खियों में क्यों?

हाल के महीनों में GST परिषद द्वारा GST व्यवस्था में परिवर्तन हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

GST परिषद

- यह GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 279(A) के अंतर्गत गठित एक **संवैधानिक निकाय** है।
- इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय वित्त मंत्री** द्वारा की जाती है और **अन्य सदस्य** केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी वित्त मंत्री होते हैं।

GST व्यवस्था में हालिया परिवर्तन

- **वस्तु एंव सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना:** यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। यह राज्यों और केंद्र के बीच अप्रत्यक्ष कर विवादों में मध्यस्थता करेगा।
    - इस अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थापित की गयी है। यह राज्यों और केंद्र, दोनों के एक-एक तकनीकी सदस्य और अध्यक्ष से मिलकर बनी है।
    - वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्रीय और राज्य GST अधिनियमों के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पहली अपील पर जारी किये गये आदेशों के विरूद्ध, GST कानूनों के तहत दूसरी का अपील का मंच है।
    - यह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला साझा मंच है।
- MSME क्षेत्र को राहत
    - **उच्च छूट सीमा:** परिषद ने **अधिकांश राज्यों के लिए 20** लाख रुपये **तथा उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 10** लाख रुपये की वार्षिक टर्नओवर की पुरानी सीमा में वृद्धि की है **तथा इस वृद्धि** के परिणामस्वरूप कंपनियों को अब **क्रमशः 40 लाख रुपये और 20 लाख** रुपये तक के टर्नओवर पर **GST से छूट** दी जाएगी।
    - **मौजूदा कम्पोजीशन स्कीम (Composition Scheme) के लिए टर्नओवर सीमा में वृद्धि:** कम्पोजीशन स्कीम की सीमा को **1.5** करोड़ रुपये (पहले **1** करोड़ रुपये) वार्षिक टर्नओवर तक बढ़ाया जाएगा और कंपनियों को 1 अप्रैल, 2019 से **वार्षिक विवरण दाखिल करने और करों का त्रैमासिक भुगतान करने** की अनुमति होगी।
    - **छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए कम्पोजीशन स्कीम:** परिषद ने पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे सेवा प्रदाताओं तक 6 प्रतिशत (3% केंद्रीय GST और 3% राज्य GST) की कर की दर पर इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- **GST दरों में परिवर्तन:** GST परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों में कटौती करने का निर्णय लिया है। इनमें विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ियों हेतु पुर्जे और सहायक उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आदि सम्मिलित हैं। साथ ही फ्रोजेन और संरक्षित सब्जियों को लेवी से छूट प्रदान की गयी है। अब 28 प्रतिशत का स्लैब केवल विलासिता और सिन गुड्स (समाज एवं व्यक्ति के लिए हानिकारक वस्तुएं) तक सीमित है।
- ऐसे करदाताओं को जिन्होंने लगातार दो कर अवधियों तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, **ई-वे बिल** हासिल करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

GST कम्पोजीशन स्कीम

- इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं को अपने टर्नओवर पर मामूली कर (1%, 5% या 6%) का भुगतान करना होता है।
- यह योजना करदाताओं के प्रशासनिक बोझ को कम करती है परन्तु उनके लिए बड़ी फर्मों को माल बेचना कठिन बनाती है क्योंकि बड़ी फर्में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं हैं।

ई-वे बिल (E-way Bill) के संबंध में

- यह **एक राज्य से दूसरे राज्य** 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की किसी भी खेप को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा रखा जाने वाला आवश्यक **दस्तावेज** है। ।
- इससे वस्तुओं के आवागमन के लिए प्रत्येक राज्य में **अलग पारगमन पास की आवश्यकता समाप्त** हो जाती है और इस प्रकार बाधामुक्त आवागमन संभव होता है।
- ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल की **वैधता** उस **दूरी** पर निर्भर करती है, जहां तक वस्तु को ले जाना है।

VISION IAS

3.4. इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार)

(Insider Trading)

सुर्खियों में क्यों?

SEBI ने **टी.के.विश्वनाथन** समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने के एक तंत्र का निर्धारण किया है।

पृष्ठभूमि

- **इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?** यह प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री है।
- **यह अवैध क्यों है?** चूंकि प्रकटीकरण प्राय: मूल्य संवेदनशील होते हैं**,** इसलिए इनसाइडर बड़ा व्यापारिक लाभ कमाने के लिए हमेशा बेहतर स्थिति में होते हैं। चूंकि यह अन्य निवेशकों के लिए अनुचित होता है अतः बाजार में भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के आधार पर व्यापार करना अवैध है।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध**: भारत में**, सेबी अधिनियम, 1992** के अंतर्गत निर्मित **सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशन, 1992** का उद्देश्य प्रतिभूतियों के संबंध में इनसाइडर ट्रेडिंग के खतरे पर अंकुश लगाना और इसे रोकना है। **कंपनी अधिनियम 2013** भी इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाता है।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रकरण**: 2016-17 में बाजार नियामक द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में की गई जांचों की संख्या पिछले वर्ष के 12 मामलों से बढ़कर 34 हो गई।

इनसाइडर ट्रेडिंग का मुकाबला करने के लिए SEBI का तंत्र

- **प्रवर्तकों का उत्तरदायित्व:** कंपनी के प्रवर्तक यदि किसी 'वैध' उद्देश्य के बिना कंपनी के संबंध में कोई अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) रखते हैं तो उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराने का निर्णय लिया गया है। इस सन्दर्भ में कार्यवाही उनकी अंशधारिता की स्थिति से निरपेक्ष रहते हुए की जाएगी।
- **इनसाइडर को परिभाषित करना:** इसमें तीन तत्व सम्मिलित हैं – वह व्यक्ति एक प्राकृतिक व्यक्ति या कानूनी संस्था होना चाहिए; व्यक्ति कंपनी से जुड़ा होना या जुड़ा समझा जाना चाहिए; इस प्रकार के संबंध के आधार पर UPSI हासिल करना।
- **वैध उद्देश्य:** यह निर्दिष्ट किया गया है कि "वैध उद्देश्य" पद के अंतर्गत इनसाइडर द्वारा व्यवसाय के साधारण क्रम के दौरान UPSI को साझा किया जाना सम्मिलित होगा, बशर्ते कि इसे विनियमों के प्रतिबंधों से बचने या टालने के उद्देश्य से साझा न किया गया हो।
- **डिजिटल डेटाबेस:** निदेशक मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के नामों के एक संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाकर रखा जाए जिनके साथ जानकारी साझा की जाती है।

इनसाइडर ट्रेडिंग से निपटना चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों है?

- **श्रमबल का अभाव:** कॉरपोरेट शासन पर कोटक समिति की रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया कि SEBI में छह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए केवल एक कर्मचारी है, जबकि अमेरिकी प्रतिभूति बाजार नियामक 'सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन' में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए लगभग एक कर्मचारी है।
- **विकसित होती प्रौद्योगिकी:** दूसरी समस्या यह है कि निरंतर विकसित होती प्रौद्योगिकी और संचार के आधुनिक साधनों पर दृष्टि रखना कठिन है। यह नियामक के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों पर निगरानी रखने में जटिलता के स्तर को बढ़ाते हैं।
- **शिथिल कार्यान्वयन:** कागज पर नियमों और जमीनी वास्तविकता के मध्य अंतर है जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

3.5. भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(Export-Import Bank of India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में मंत्रिमण्डल ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के पुनर्पूंजीकरण को स्वीकृति प्रदान की है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया)

- इसे 1982 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत **भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार** को वित्तपोषित करने, सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह बैंक मुख्य रूप से **भारत से निर्यात के लिए ऋण देता है**। इसमें भारत से विकासात्मक और अवसंरचना परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीददारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की सहायता करना भी सम्मिलित है।
- यह **RBI द्वारा विनियमित** किया जाता है।

VISION IAS

रियायती वित्त योजना (CFS)

- इसके अंतर्गत सरकार 2015-16 से विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं की सहायता कर रही है।

अन्य एक्जिम पहल - GRID (ग्रास रूट्स इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट) पहल।

- जमीनी स्तर की पहलों/प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से निर्यात संभावना वाली पहलों/प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और कारीगरों / निर्माता समूहों / समूहों / छोटे उद्यमों / गैर-सरकारी संगठनों को उनके उत्पाद पर लाभकारी प्रतिफल प्राप्त करने में सहायता करने और इन इकाइयों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार द्वारा **पुनर्पूंजीकरण बंधपत्र** जारी करके पुनर्पूंजीकरण किया जाएगा और इससे राजकोषीय घाटा प्रभावित नहीं होगा।
- **लाभ:** यह बैंक के लिए पूंजी पर्याप्तता में वृद्धि करना और बढ़ी हुई क्षमता के साथ भारतीय निर्यातों की सहायता करना संभव बनाएगा।
- भारतीय वस्त्र उद्योग को सहायता करना, **रियायती वित्त योजना (CFS)** तथा भारत की सक्रिय विदेश नीति और रणनीतिक इरादे के आलोक में भविष्य में नई ऋण व्यवस्था जैसी नई पहलों की परिकल्पना करने के लिए प्रोत्साहन।
- इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डल ने बैंक की अधिकृत पूंजी को **10,000** करोड़ रुपये से बढ़ाकर **20,000** करोड़ रुपये किये जाने की भी स्वीकृति दी है।

विदेश नीति और व्यापार में एक्जिम की भूमिका

- **विदेश व्यापार में सुधार:** बैंक देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्यातकों, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों के हित में विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं में संलग्न होता है। इस प्रकार यह भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में तीव्रता लाने के लिए विभिन्न वित्तीय, विपणन और तकनीकी पहलुओं में सहायता प्रदान करता है।
- **भारत के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि:** एक्जिम बैंक की वर्तमान में 233 लाइन ऑफ क्रेडिट (LOCs) हैं जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (CIS) के 62 देशों को कवर करती हैं। इनके तहत भारत से निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए लगभग 22.86 बिलियन डॉलर की क्रेडिट प्रतिबद्धताएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- **नेबरहुड पॉलिसी में भूमिका:** भारत सरकार SAARC देशों के लिए एक्जिम बैंक के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए ब्याज सहायता प्रदान करती है।
- कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में भारतीय आर्थिक उपस्थिति को उत्प्रेरित करने के लिए एक्जिम बैंक के तहत परियोजना विकास निधि की स्थापना करके **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ASEAN का एकीकरण।**
- **BRICS बैंक के साथ सहयोग:** 2018 में एक्जिम बैंक ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के साथ सामान्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये। इस MoU का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच कौशल हस्तांतरण और ज्ञान साझेदारी के अतिरिक्त राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार सहयोग ढांचा स्थापित करना है।
  - एक्जिम बैंक, BRICS इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज़्म के अंतर्गत **नामित सदस्य विकास बैंक** है।

3.6. तकनीकी वस्त्र

(Technical Textiles)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।

तकनीकी वस्त्र क्या हैं?

- ये सौंदर्यपरक और सजावटी विशेषताओं के बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए विनिर्मित वस्त्र सामग्रियां और उत्पाद हैं।**
- ये बुने हुए या गैर-बुने हुए या दोनों का संयोजन हो सकते हैं। इन्हें एकल या बहु-परत के रूप में बनाया जा सकता है और इन्हे मिश्रित या लेपित सामग्री के रूप में उत्पादित किया जा सकता है।
- इन्हें **विशुद्ध रूप से प्राकृतिक या संश्लेषित मूल वाले या दोनों प्रकारों के संयोजन वाले किसी भी फाइबर यार्न या तंतु** से बनाया जा सकता है।
- इनका न केवल वस्त्र, बल्कि साथ ही कृषि, चिकित्सा, अवसंरचना, मोटर वाहन, एयरोस्पेस, खेल-कूद, रक्षा और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में भी अनुप्रयोग है।

VISION IAS

भारत में तकनीकी वस्त्र

- यह वस्त्र उद्योग के लिए **सनसाइन क्षेत्रक** है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक तेजी से बढ़ते क्षेत्रकों में से एक है। ये देश में मांग, विकास और औद्योगीकरण द्वारा संचालित हैं।
- बारह खंडों वाले **वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार में** भारत की कुल **4-5%** की हिस्सेदारी है।
- तकनीकी वस्त्र भारत में कुल वस्त्र मूल्य श्रृंखला का 12-15% हैं, जबकि कुछ यूरोपीय देशों में तकनीकी वस्त्र कुल वस्त्र मूल्य श्रृंखला का 50% हैं।
- भारत में तकनीकी वस्त्र बनाने वाली लगभग 2100 इकाइयाँ हैं। इनमें से **अधिकांश गुजरात में** और उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रित हैं।
- विकसित देशों में 10-12 कि.ग्रा. की तुलना में भारत में तकनीकी वस्त्रों की प्रति व्यक्ति खपत 1.7 कि.ग्रा. है।
- यह उद्योग आयात-गहन है। पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग में आयात में वृद्धि देखी गई है, 2014-15 में यह 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

उपयोग के आधार पर तकनीकी वस्त्र क्षेत्रक के 12 खंड (segments) हैं:

- एग्रोटेक (मछली पकड़ने का जाल)
- मेडिटेक (सैनिटरी नैपकिन)
- बिल्डटेक (फर्श और दीवार कवरिंग)
- मोबिलटेक (एयरबैग्स), क्लॉथटेक (जूते का फीता),
- ओएकोटेक (अपशिष्ट निपटान)
- जियोटेक (जियोनेट)
- पैकटेक (लपेटने वाला कपड़ा, जूट की बोरियां)
- होमटेक (स्टफ टॉय, पर्दे)
- प्रोटेक (बुलेट प्रूफ जैकेट)
- इंड्यूटेक (कन्वेयर बेल्ट)
- स्पोर्टेक (स्विमवियर)

सभी श्रेणियों में **पैकटेक विशालतम खंड** है और बाजार में 42% हिस्सेदारी रखता है।

इस क्षेत्रक के लिए सरकार की पहल

- सरकार ने **स्कीम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ़ टेक्निकल टेक्सटाइल्स (SGDTT)** आरंभ की थी। इसके 3 घटक थे:
  - तकनीकी वस्त्र उद्योग डेटाबेस बनाने के लिए आधार-रेखा (बेसलाइन) सर्वेक्षण।
  - अवसंरचना संबंधी सहायता के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसे जियोटेक्सटाइल्स के लिए BTRA, एग्रोटेक्सटाइल्स के लिए SASMIRA, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स के लिए NITRA और मेडिकल टेक्सटाइल्स के लिए SITRA।
  - उद्यमियों में जागरुकता पैदा करना।
- इसके बाद, सरकार ने तकनीकी वस्त्र उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए **तकनीकी टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी मिशन (2010-2014)** आरंभ किया। इसमें 2 लघु-मिशन हैं -
  - **लघु मिशन- I** - मानकीकरण, साझा परीक्षण सुविधाओं के निर्माण, प्रोटोटाइप के स्वदेशी विकास और IT आधारित संसाधन केंद्रों के लिए।
  - **लघु मिशन- II** - यह व्यवसाय स्टार्ट-अप, अनुबंध अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए समर्थन के माध्यम से घरेलू और निर्यात बाजार के विकास हेतु सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
- तकनीकी वस्त्र-आधारित सभी मशीनें **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना** के अंतर्गत आती हैं। यह योजना वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई और उपयुक्त तकनीक को सुलभ बनाती है।
- सरकार ने तकनीकी वस्त्र खंड के लिए **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक FDI** की अनुमति दी है।
- **स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स (SITP)** के अंतर्गत सरकार इन पार्कों में अवसंरचना के निर्माण के लिए 40% तक की सहायता प्रदान करती है।

3.7. न्यूनतम बुनियादी आय

(Minimum Basic Income)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में देश में न्यूनतम बुनियादी आय (MBI) की मांग उठी है।

आय सहायता: राष्ट्रीय उदाहरण

- **मध्य प्रदेश शर्त रहित नकद अंतरण परियोजना,** में 6000 से अधिक लाभार्थियों को वर्तमान सब्सिडी के अतिरिक्त आय सहायता प्रदान की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण

- फिनलैंड के "*Perustulokokeilu*" **(बेसिक इनकम एक्सपेरिमेंट)** के अंतर्गत, 25 से 58 वर्ष की आयु के बेरोजगार लोगों के चयनित पूल में बिना किसी शर्त के आय प्रदान की गयी थी।
- ब्राजील में '*Bolsa Familia*' एक "निर्धनता विरोधी" कार्यक्रम है जिसमें एक निश्चित आय स्तर से नीचे आय प्राप्त करने वाले परिवारों को नकद अनुदान दिया जाता है, बशर्ते वे अपने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसी शर्तों को पूरा करते हों।

न्यूनतम बुनियादी आय (MBI) की अवधारणा:

न्यूनतम बुनियादी आय एक **समाज कल्याण व्यवस्था** है जो परिवारों को कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर एक बुनियादी आय की गारंटी देती है। यह **सार्वभौमिक बुनियादी आय** (UBI) से भिन्न योजना है। UBI सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से, बिना किसी जीविका साधन की जांच या कार्य की आवश्यकता के एक आवधिक शर्त रहित नकद हस्तांतरण योजना है। उस सीमा तक, MBI एक **सशर्त UBI या एक अर्द्ध UBI (लक्षित) है।**

इस विचार (अवधारणा) के गुण क्या हैं?

- **सामाजिक न्याय और समानता:** एक न्यायपूर्ण समाज में ऐसे साधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय प्रदान की जा सके।
- **चयन की स्वतन्त्रता:** भारत में गरीबों को आर्थिक निर्णयकर्ताओं के स्थान पर सरकार की कल्याणकारी नीतियों की विषय-वस्तु माना जाता है। MBI के तहत उन्हें एजेंट के रूप में देखा जाता है और उन्हें उनकी इच्छानुसार कल्याणकारी व्यय का उपयोग करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।
- **निर्धनता उन्मूलन:** आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) के अनुसार, यदि आय वर्ग के शीर्ष 25% को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए तो आय अंतरण, GDP की लगभग 4% से 5% की लागत पर निर्धनता को 0.5% तक कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आय गारंटी में शहरी निर्धन सम्मिलित हैं।
- **MBI में ग्रामीण तनाव को कम करने की क्षमता है,** उदाहरण: यह दीर्घकालिक ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम कर सकता है, क्योंकि बचत की प्रवृति में वृद्धि होती है।
- **बेहतर सामाजिक विकास:** मध्य प्रदेश में प्रायोगिक अध्ययनों से पता चला है कि अनुपूरक आय से पोषक तत्वों के सेवन, स्कूलों में प्रवेश और बालिकाओं की उपस्थिति, शौचालय निर्माण आदि में सुधार हो सकता है।
- **वित्तीय समावेशन:** ग्रामीण आय में वृद्धि और बैंक खातों के उपयोग को प्रोत्साहित कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होता है।
- **अन्य लाभों** में प्रशासनिक दक्षता, लिंग-समानता (परिवारों के स्थान पर व्यक्तियों को लाभार्थी मानना) श्रम बाजार के आघातों और श्रम बाजार के लचीलेपन के विरुद्ध बीमा आदि हैं।

चुनौतियाँ:

- **बुनियादी आय की परिभाषा:** आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त 'बुनियादी आय' की सर्वसम्मत परिभाषा तय करना कठिन है। तेंदुलकर समिति की 33 रूपए प्रतिदिन की गरीबी रेखा के अनुसार यह 12,000 रूपये प्रतिवर्ष है। इसमें GDP के वर्तमान 4-4.5% के सब्सिडी भार की तुलना में GDP का 11-12% खर्च होगा।
- **राजकोषीय चुनौतियाँ:** कुल राजकोषीय लागत 2 कारकों पर निर्भर होगी: (i) योजना का कवरेज (ii) वर्तमान सब्सिडियों/योजनाओं के प्रतिस्थापन का स्तर। इसके अतिरिक्त, मध्यम अवधि का राजकोषीय जोखिम, मौजूदा सब्सिडी में कठिनाई, धनी लोगों से अधिक कर राजस्व प्राप्त करने पर विरोध का सामना और बढ़ते हुए उपभोग से मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि की संभावना जैसी चुनौतियाँ भी हैं।
- **नकद के दुरुपयोग की आशंका:** आय सहायता प्रदान करते समय, यह माना जाता है कि लाभार्थी अपने विवेक का बुद्धिमता से उपयोग करेंगे। हालाँकि, इसमें नकदी के दुरुपयोग (व्यसनों एवं हानिकारक वस्तुओं की खरीद में), **महिलाओं और बच्चों की बढ़ती हुई सुभेद्यता**

VISION IAS

क्योंकि परिवारों में धन का नियंत्रण पुरुषों के पास होता है, प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ का **मुद्रास्फीति से सुरक्षित न होना** आदि जैसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं।

प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण योजनाओं के विभिन्न लागत अनुमान		
योजना	सकल घरेलू उत्पाद (GDP)	विवरण
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (आर्थिक सर्वेक्षण 16-17)	4.2-4.5	आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, 75 प्रतिशत कवरेज के साथ 7,620 रुपए का वार्षिक अंतरण
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UNICEF-SEWA)	5.1	UNICEF और SEWA द्वारा मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में पायलट आधार पर एक अध्ययन कराया गया, जिसके तहत 2011 में प्रत्येक वयस्क को 300 रूपए/प्रति माह प्राप्त होता था, जो अखिल भारत के स्तर पर 2015-16 के 450 रूपए के बराबर है।
क्वासी- यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम (Feldman et al)	-1.3	ग्रामीण जनसंख्या के 75 % भाग हेतु 18000 रूपए/ प्रति घर का वार्षिक अंतरण

- **लक्षित बनाम सार्वभौम:** सार्वभौमिकता इन नकद अंतरण योजनाओं द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यीकरण के विरुद्ध सेवाओं के कुशल वितरण की कुंजी है। लाभार्थियों की पहचान से सम्बन्धित मुद्दों जैसे कठोर लक्ष्यीकरण की अपनी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आसानी से पहचाने जाने योग्य मानदंड निर्धारित करना आवश्यक है अन्यथा लीकेज के सन्दर्भ में इसे श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता।
- **बुनियादी आय, राज्य की क्षमता का विकल्प नहीं है:** विकसित देशों में, नकद अंतरण वर्तमान सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को पूरकता प्रदान करते हैं और इन्हें स्वास्थ्य व शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधानों के अतिरिक्त अलग से प्रदान किया गया है। भारतीय संदर्भ में, MBI के पक्ष में अधिकांश तर्क, वर्तमान सामाजिक सुरक्षा हस्तक्षेपों की अक्षमताओं पर आधारित हैं और इन हस्तक्षेपों को प्रत्यक्ष नकद अंतरण से विस्थापित करने का प्रयास करते हैं।
    - नकद अंतरण के द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के बिना सेवाओं की मांग पैदा करने का प्रयास किया जाता है, यह गरीबों को निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर बनाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के निजीकरण से पहुंच या उपलब्धता की समस्या हो सकती है (जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में) और गरीबों व वंचित वर्ग का बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करने से छूट सकते हैं।
- **कर्मचारी की उत्पादकता में कमी** और निरंतर प्रयास के माध्यम से कौशल विकास एवं नियोजनीयता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन में कमी होना।
- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:** नकद अंतरण की सफलता बैंकिंग प्रणाली के विस्तार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच पर निर्भर है।

3.8. राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

(National Agricultural Higher Education Project: NAHEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ICAR ने हाल ही में देश में **उच्च कृषि शिक्षा को सुदृढ करने एवं प्रतिभाओं को इस ओर आकर्षित करने हेतु** 1100 करोड़ रुपए की एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना **(NAHEP)** का आरंभ किया है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (ICAR)

- कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग (DARE) **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत एक **स्वायत्त संगठन** है।
- यह समस्त देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबन्धन हेतु सर्वोच्च निकाय है।
- ICAR का **कृषि शिक्षा प्रभाग,** देश में कृषि क्षेत्र में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि-आपूर्ति श्रंखला में मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उच्च कृषि प्रणाली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने में संलग्न है।

'स्टूडेंट रेडी': ICAR के अंतर्गत एक **ग्रामीण उद्यमिता जागरुकता विकास योजना (Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojana: READY)** है:

- इसके अंतर्गत, स्नातक छात्रों को कृषि और उद्यमिता का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की किसान पाठशाला योजना

- यह कृषि विभाग के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को राज्य के कृषक समुदाय से जोड़ने के लिए एक विस्तार और आउटरीच प्रोग्राम है।

कृषि शिक्षा की आवश्यकता

- **इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है:** प्रभावी कृषि शिक्षा (किसानों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए) कृषि प्रक्रियाओं के लिए बेहतर आर्थिक और तकनीकी निर्णय निर्माण को सक्षम बनाती है। यह आगे चल कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित होती है।

VISION IAS

- **कृषि की मूल्य श्रृंखला को समझना:** कृषि की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला अर्थात खेत की आगत से बाजार श्रृंखला तक, विभिन्न अवरोधों का सामना करती है। कृषि शिक्षा के द्वारा इन अवरोधों का उचित समाधान किया जा सकता है।
- **रोजगार सृजन:** सृजित होते श्रमबल को संलग्न करने हेतु कृषि शिक्षा की आवश्यकता है, विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी, GM खाद्य, प्रीसिजन एग्रीकल्चर इत्यादि के उभरते हुए क्षेत्रों आदि में विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- **श्रम के मूल्य में वृद्धि करता है:** भारत में कृषि क्षेत्र में व्यक्तियों के श्रम का बाजार मूल्य कई विकासशील देशों की तुलना में कम है और कृषि शिक्षा किसी व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करती है और इस प्रकार उसके श्रम के बाजार मूल्य में वृद्धि करती है।

कृषि शिक्षा के समक्ष व्याप्त चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त वित्त:** कृषि, राज्य सूची का विषय है और इसके लिए वैधानिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है, किन्तु उनके पास धन का अभाव है। हालांकि, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जबकि परिचालन बजट में कमी आई है जिसके कारण संस्थानों में नवाचार बाधित होता है।
- **संकाय:** राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAU) में सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों के स्थान पर पर्याप्त संख्या में नयी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और उनमें पढ़ा रहे अधिकाँश शिक्षकों (लगभग 51%) ने उसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है। यह शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बाधित करता है।
- **नेटवर्किंग और गुणवत्ता का अभाव:** यह देखा गया है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और समेकन का अभाव है।
- **निम्न गुणवत्ता:** इन विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता निम्नस्तरीय है, जो आगे चल कर उनकी वैश्विक रैंकिंग को प्रभावित करती है।
- **पहला विकल्प नहीं:** कृषि शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण, कृषि शिक्षा छात्रों के बीच प्रथम विकल्प नहीं होता है।

NAHEP के संबंध में:

- **वित्तपोषण:** इसे विश्व बैंक एवं भारतीय सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को अधिक प्रांसगिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AU) और ICAR को सहायता प्रदान करना।
- **लाभ:** यह तकनीकी रूप से समर्थ और सत्यापनयोग्य निवेश प्रस्तावों को लाने और उन्हें कार्यान्वित करने के इच्छुक AUs का समर्थन करके गुणवत्ता को सम्बोधित करती है। यह संकाय (फैकल्टी) प्रदर्शन में वृद्धि करती है और इन AUs में बेहतर छात्रों को आकर्षित करती है, छात्र अधिगम के परिणामों में सुधार करती है, और भावी रोजगार सम्भावनाओं को बेहतर बनाती है, विशेष रूप से निजी क्षेत्रक में।

घटक

- **संस्थागत विकास योजनाएं (Institutional Development Plans: IDPs):** NAHEP उन चयनित प्रतिभागी AUs को संस्थागत विकास अनुदान प्रदान करेगी, जिनका उद्देश्य AU के छात्रों के लिए अधिगम परिणामों और भविष्य में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ संकाय शिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान प्रभावशीलता को बेहतर बनाना है।
- **उन्नत कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (Centre of Advanced Agricultural science & Technology: CAAST):** महत्त्वपूर्ण और उभरते हुए कृषि विषयों पर शिक्षण, अनुसन्धान और विस्तार हेतु बहु-विषयक केंद्र स्थापित करने के लिए चयनित प्रतिभागी AUs को CAAST अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- AUs को रिफॉर्म रेडी बनाने (अर्थात प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु तैयार करने) हेतु चयनित प्रतिभागी AUs को **नवाचार अनुदान प्रदान करना;** और रिफॉर्म रेडी AUs एवं अन्य अंतर्राज्यीय व अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त AUs का मार्गदर्शन करना।
- **परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन:** शिक्षा प्रभाग/ICAR, सभी NAHEP घटकों में गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक **निगरानी और मूल्यांकन (M&E) प्रकोष्ठ** की स्थापना करेगा।

3.9. भारत में यूरेनियम की आवश्यकताएं

(Uranium Requirements In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक संसदीय पैनल ने संस्तुति की है कि भारत में यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने हेतु यूरेनियम की नई खानें खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

VISION IAS

भारत में वर्तमान परिदृश्य

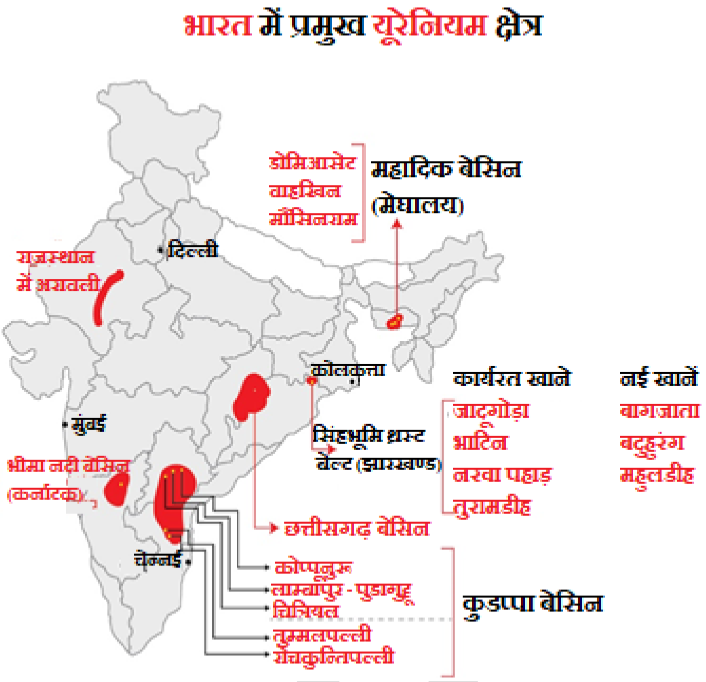

- वर्तमान में, घरेलू उत्पादन के लिए यूरेनियम का अधिकाँश भाग **झारखंड के जादूगोड़ा की खानों** से प्राप्त होता है।
- भारत, वर्तमान में कज़ाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस और रूस से यूरेनियम का आयात करता है। हाल ही में भारत ने उज़्बेकिस्तान से यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत में, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत **यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड** (UCIL) व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए यूरेनियम अयस्क के खनन और प्रसंस्करण हेतु उत्तरदायी एकमात्र संगठन है।
- UCIL द्वारा प्राप्त यूरेनियम का उपयोग हथियारों और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों दोनों के लिए किया जाता है। आयातित यूरेनियम का उपयोग केवल असैनिक परमाणु ऊर्जा उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- परमाणु खनिज निदेशालय (AMD) भारत में परमाणु खनिज भंडार के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए उत्तरदायी है – विशेष रूप से, परमाणु कार्यक्रम के विकास के लिए आवश्यक यूरेनियम संसाधनों के दोहन हेतु।

आवश्यकता

- **वर्तमान परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन:** यूरेनियम की कमी के कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रायः अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करते हैं। देश में परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन आपूर्ति सुरक्षा प्राप्त करने के लिए **15,000 टन यूरेनियम का भंडार आवश्यक है।**

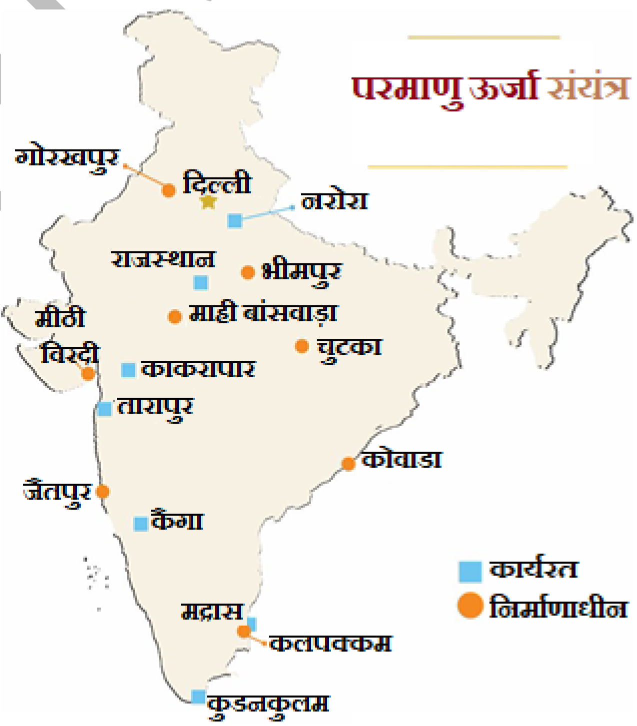

- **गैर IAEA संयंत्रों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता:** घरेलू यूरेनियम का उपयोग उन संयंत्रों में किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्रहरी अर्थात् **अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** के अधीन नहीं है।
- **भविष्य की क्षमता बढ़ाने के लिए ईंधन:** सरकार ने वर्ष 2031-32 तक 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता संवर्धन का लक्ष्य रखा है।

चुनौतियाँ:

- **खनन के कारण भूजल का यूरेनियम संदूषण:** हाल ही में, एक अध्ययन में 16 भारतीय राज्यों में भूमिगत जल में यूरेनियम संदूषण पाया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात में जांचे गए अधिकांश कुओं में WHO की अनुशंसित सीमा 30 μg/L से अधिक यूरेनियम पाया गया।
- **यूरेनियम की शुद्धता:** विश्व में पाए जाने वाले यूरेनियम की तुलना में, भारत में अधिकांश प्रमाणित यूरेनियम भण्डार निम्न श्रेणी (0.15 प्रतिशत U) का है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन:** इसे प्रायः एक ऐसे कारक में रूप उद्धरित किया गया है, जो परमाणु ईंधन से विस्थापन का आह्वान करता है। छोटे प्रसंस्करण मार्ग वाले संयत्रों को जल के पुन: उपयोग को अधिकतम करने, उत्पाद की उच्च प्राप्ति और अपशिष्टों के न्यूनतम निर्वहन आदि से संबंधित उपायों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।
- **परमाणु-विरोधी प्रदर्शन:** जापान के फुकुशिमा परमाणु आपदा के पश्चात, प्रस्तावित भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थलों के आस-पास की जनसंख्या ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। **उदाहरण: जैतापुर विरोध और मीठी विर्दी में विरोध।**

* **अन्य मुद्दे:** भूमि अधिग्रहण, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास/पुनर्स्थापन, आरक्षित वन/बाघ अभयारण्यों की अवस्थिति, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे, सार्वजनिक सहमति आदि जैसे कारक भी देश में प्रमाणित यूरेनियम और थोरियम संसाधनों के खनन और दोहन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

* यूरेनियम आयात करने हेतु देशों के साथ सौदों पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त, सरकार द्वारा तैयार किए गए विज़न प्लान के अनुसार, घरेलू उत्पादन में **2031-32 तक दस गुना** वृद्धि होने की आशा है।
* सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कई भावी और संभावित भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में अत्याधुनिक, एकीकृत, बहु-अनुशासनात्मक अन्वेषण और नई खानों एवं प्रसंस्करण सुविधाओं को आरम्भ कर घरेलू यूरेनियम आपूर्ति में वृद्धि हेतु उपाय किए हैं।

4. सुरक्षा (Security)

4.1 द्वीप-समूहों का समेकन

(Integrating the Islands)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से 100 मील उत्तर में सामरिक रूप से अवस्थित एक नए एयरबेस 'INS कुहासा' की स्थापना की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का चौथा एयरबेस और तीसरा नौसैनिक हवाई सुविधा केंद्र होगा। नौसेना वर्तमान में कैंपबेल की खाड़ी में INS बाज एयरबेस तथा पोर्ट ब्लेयर में हवाई पट्टियों का संचालन करती है, जबकि कार निकोबार में वायुसेना का एयरबेस है। भारत का एकमात्र त्रि-सेवा कमान इन द्वीप-समूहों पर स्थापित किया गया है।
- इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गतिविधियों पर निगरानी रखने के एक प्रयास के साथ भारत ने द्वीपों में सैन्य अवसंरचना को उल्लेखनीय रूप से उन्नत बनाया गया है।

अन्य संबंधित सुर्खियां

प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि स्वरूप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के **3 द्वीपों** के नाम में परिवर्तन करने की घोषणा की। ये नाम परिवर्तन इस प्रकार हैं: **रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप** के रूप में जाना जाएगा।

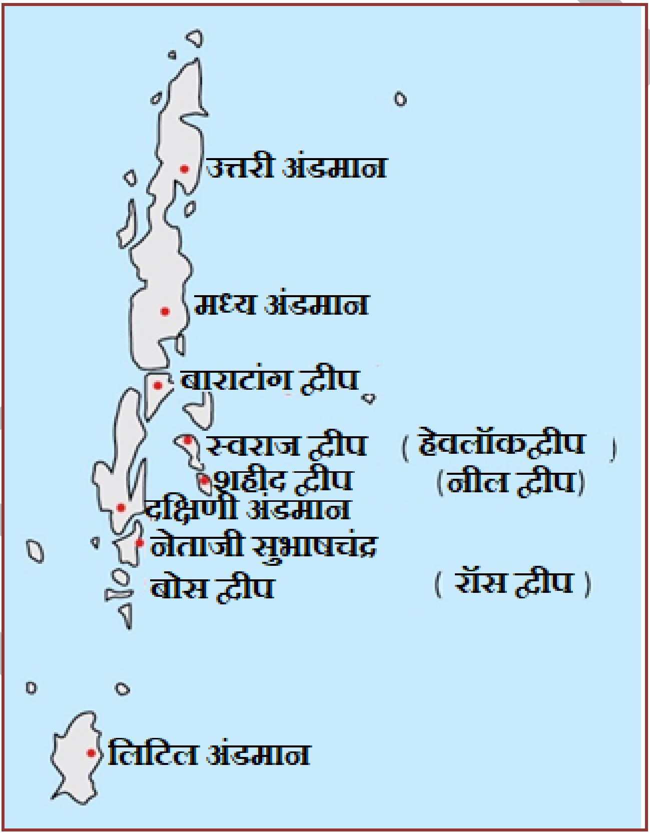

अन्य तथ्य

स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
- वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वीप समूह पर **स्वतंत्र भारत (आजाद हिंद) की अस्थायी सरकार** के गठन की घोषणा की।
- निर्वासित सरकार के गठन के पश्चात आज़ाद हिंद फौज ने इंडो-बर्मा फ्रंट पर आंग्ल-अमेरिकी मित्र देशों की सेनाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।

सेलुलर जेल

- **सेलुलर जेल**, जिसे **कालापानी** के नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर (दक्षिण अंडमान) में अवस्थित एक औपनिवेशिक कारावास था। इसका उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया जाता था।
- कई प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों जैसे- बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर आदि को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहां कैद किया गया था। वर्तमान में इसका परिसर एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मौजूद है।

अंडमान द्वीप समूह का महत्व

- **चीन-भारत बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** इसे चीन द्वारा पनडुब्बियों की नियमित तैनाती, अंडरवाटर सर्विलांस नेटवर्क के विकास और जिबूती में सैन्य बेस की स्थापना के साथ चीन के नौसैन्य अड्डों के विस्तार को देखते हुए समझा जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, चीन मैरीटाइम सिल्क रूट के रूप में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की पहुंच बढ़ाते हुए हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में **भारत के आधिपत्य को चुनौती दे रहा है**, यहां तक कि तब भी जब भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास में जापान और अमेरिका के साथ सहयोग स्थापित किया है।

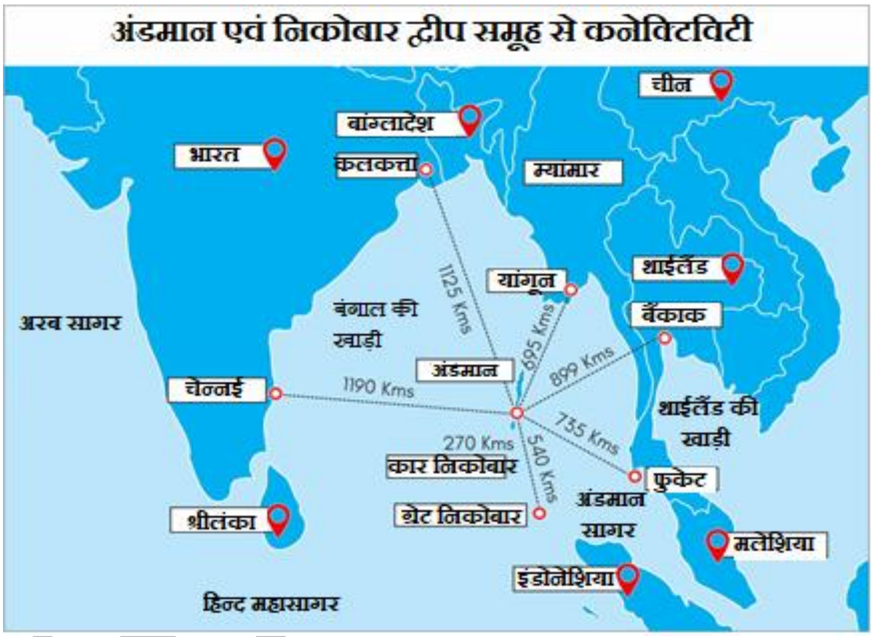

- **सामरिक महत्व**:
  - **भारत की पूर्व की ओर देखो नीति (Look East Policy: LEP) और हिन्द-प्रशांत रणनीति** गहन रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह द्वारा इस क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्यों के विकास में निभाई जाने वाली भूमिका पर निर्भर है।
  - भारत के लिए इन द्वीपों की अवस्थिति विशिष्ट है क्योंकि ये भारत के स्थलीय क्षेत्र और समुद्री सीमा का विस्तार मलक्का जलसंधि के मुहाने तक करते हैं। इन द्वीपों के माध्यम से भारत आसियान देशों के साथ संबंधों में सुधार कर सकता है।
- **आर्थिक महत्व:** भारत के लगभग 30% विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का विस्तार इन द्वीपों की उपस्थिति के कारण है। यह क्षेत्र **जल के भीतर की संपदा का एक संभावित स्रोत हो सकता है।**
- **मत्स्यन** इन क्षेत्रों की जनसंख्या का मुख्य आधार है, अतः यहाँ 'ब्लू इकोनॉमी' विज़न के साथ एकीकृत आधुनिक और संधारणीय अंतर्देशीय मत्स्यन और जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु बल दिया जा सकता है।
  - गहरे सागर में तेल की ड्रिलिंग और मीथेन गैस हाइड्रेट्स के विकास सहित वृहद पैमाने पर हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण संभव है।
  - इस क्षेत्र में औषधीय पौधों और विदेशी पौधों की प्रजातियों के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की खोज की जा सकती है तथा क्षेत्रों की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल संधारणीय कृषि और बागवानी पद्धतियों का प्रसार किया जा सकता है।
  - इस क्षेत्र की समृद्ध वनस्पति एवं प्राणि सम्पदा तथा आकर्षक भौगोलिक अवस्थितियों और स्थलाकृति के कारण यहां पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को वृहद स्तर पर बढ़ावा मिल सकेगा।

लक्षद्वीप द्वीप समूह का महत्व

- इन द्वीपों का प्रसार भारत के प्रादेशिक जलीय क्षेत्र में 20,000 वर्ग किमी तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में लगभग 400,000 वर्ग किमी का विस्तार प्रदान करता है।
- लक्षद्वीप द्वीप समूह के निकटवर्ती लैगून और EEZ में महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनका अत्यधिक आर्थिक महत्व है।
- लक्षद्वीप द्वीप समूह के निकट स्थित 9 डिग्री चैनल पूर्वी एशिया के लिए फारस की खाड़ी से जहाजों के सागरीय नौवहन के लिए सबसे सीधा मार्ग है। भारतीय पश्चिमी तट और साथ-साथ अन्य द्वीपीय राष्ट्रों जैसे श्रीलंका और मालदीव से निकटता, व्यस्त सागरीय नौवहन मार्गों से समीपता तथा व्यापक भौगोलिक प्रसार, इन द्वीपों को प्राथमिक समुद्री मार्गों (SLoCs) की सुरक्षा और साथ ही भारत की सामुद्रिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।
- वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से द्वीपों का महत्व बढ़ गया है।

द्वीप विकास हेतु भारत के प्रयास:

- रक्षा मंत्रालय (MoD) ने वर्ष 2001 में, इन द्वीपों के सामरिक लाभ प्राप्त करने हेतु एक एकीकृत त्रि-सेवा (थल, जल और वायु) थिएटर कमांड का गठन किया।
- सुरक्षा एजेंसियाँ अंडमान और लक्षद्वीप के तटों पर नियमित तटीय सुरक्षा अभ्यास को संचालित कर रही हैं। उदाहरणार्थ- लक्षद्वीप पर नेपच्यून II और अंडमान पर तटरक्षक।
- हाल ही में सरकार द्वारा द्वीप समूहों के सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास के व्यापक कार्यक्रम हेतु निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए संभावित निवेशकों के साथ नीलामी-पूर्व बैठक आयोजित की गई। NITI आयोग को "द्वीपों के समग्र विकास" की प्रक्रिया का अनुकरण करने हेतु अधिदेशित किया गया है।
- 2017 में समुदाय आधारित पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्वीपों के समग्र विकास के लिए **द्वीप विकास एजेंसी (Island Development Agency: IDA)** का गठन किया गया। इसके तत्वावधान में प्राथमिकता के आधार पर पोर्ट ब्लेयर के पास दिगलीपुर हवाई अड्डे के उन्नयन और मिनिकॉय हवाई अड्डे के निर्माण तथा उपग्रह बैंडविथ के उन्नयन जैसी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
- गृह मंत्रालय ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशियों को 29 अधिवासित द्वीपों की यात्रा करने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (RAP) की आवश्यकता जैसे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है।

चुनौतियां

- **पर्यावरणीय:** इन द्वीप समूहों का 90% से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है तथा कई द्वीपों पर पेयजल का अभाव है, अतः यहां किसी नए अधिवास के संबंध में विचार नहीं किया जा सकता है।
  - यहाँ तक कि अत्यधिक पर्यटन भी संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रभावित करेगा और इस प्रकार विभिन्न द्वीपों में **उच्च मूल्य और कम मात्रा के पर्यटन** (high value-low volume tourism) की अनुमति प्रदान करना एकमात्र संभव तरीका है, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय की भी स्वीकृति प्राप्त है।
- **भौगोलिक:** किसी भी विकास योजना को नियमित भूकंप (निकोबार द्वीप समूह के निकट भूकंप के कारण वर्ष 2004 में सूनामी) जैसी चुनौतियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।
- **अवसंरचनात्मक:** कई वर्षों के पश्चात भी नौकरशाही बाधाओं के कारण भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के मध्य समुद्र के भीतर एक केबल लिंक अपूर्ण है। यहाँ तक कि राजधानी शहर पोर्ट ब्लेयर में नौसैन्य अड्डे पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के अनियमित होने की सूचना प्राप्त हुई है।
  - सड़क निर्माण, हवाई पट्टी निर्माण तथा यहां तक कि जेटियों (jetties) का निर्माण भी मंद है, क्योंकि भारी वर्षा भवन निर्माण गतिविधि को प्रतिबंधित करती है और मुख्य भूमि से दूरी निर्माण की लागत में वृद्धि करती है।
  - दक्षिणी द्वीप समूहों की निगरानी एक बड़ी चुनौती है। सुनामी द्वारा सड़क के विध्वंस के पश्चात द्वीप समूहों का केवल वायु और समुद्र मार्ग ही से संपर्क स्थापित है।
- **सामाजिक:** अंडमान और निकोबार (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियमन (ANPATR), 1956 स्थानिक समुदायों को संरक्षित करता है तथा उनके द्वारा अधिवासित क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करता है। किसी भी आगंतुक को बिना अनुमति के इन आरक्षित क्षेत्रों के निकट जाने के लिए अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जनजातियां जैसे कि सेंटिलीज बाहरी लोगों के साथ किसी भी संपर्क का विरोध करते हैं, जैसा कि हाल ही में अमेरिकी पर्यटक जॉन चाऊ की स्थानीय निवासियों(सेंटलीज) द्वारा की गई हत्या से स्पष्ट है।

आगे की राह

- **संलग्नता में सुधार:** मुख्य भूमि से प्रवास को प्रोत्साहित करना और सामरिक रूप से अवस्थित गैर-अधिवासित कुछ द्वीपों पर पर्यटन के लिए सावधानी पूर्वक अनुमति प्रदान करना। अन्य तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - एक सॉफ्ट रणनीति के रूप में, वाणिज्यिक परिचालन के लिए इन द्वीपों के उपयोग को मलक्का जलसंधि के पूरक के तौर पर खोला जाए।
- **सैन्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** द्वीपों पर आवश्यक अवसंरचना का निर्माण संघर्ष की स्थिति में एक पहुंच-रोधी और एरिया-डिनायल सागरीय अपवर्जन क्षेत्र (anti-access and area-denial maritime exclusion zone) का सृजन संभव बनाएगा।
  - तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन में सुधार करना। इस योजना में पर्याप्त मानव बल और इंटरसेप्टर नौकाओं के साथ सुसज्जित तटीय पुलिस स्टेशन की स्थापना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - प्रवेश और निकासी स्थलों पर निगरानी को बनाए रखकर निर्जन द्वीपों की सतर्कता बढ़ाना। इसके लिए द्वीप क्षेत्र में हवाई अड्डों का निर्माण तथा निगरानी टावर के साथ रडार सेंसर स्थापित किए जाएं।
  - अंडमान में एकीकृत कमांड के गठन पर धीमे निर्णय निर्माण, रस्साकशी और वित्तपोषण संबंधी मुद्दों का समाधान करना।

VISION IAS

- विशाखापट्टनम में तैनात पूर्वी बेड़े की पूरकता हेतु द्वीप में स्थायी नौसैन्य बेड़े को स्थापित करना।
- जहाजों की स्वचालित पहचान और लंबी दूरी से पहचान एवं ट्रैकिंग सिस्टम को सक्षम करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को परिनियोजित करना।

- विभिन्न तरीकों से इस क्षेत्र में **आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, जैसे:**
  - अंडमान के तट पर गहन सागरीय मत्स्यन का विकास करना क्योंकि इन द्वीपों में मत्स्यन अत्यधिक संधारणीय है।
  - मलक्का जलसंधि (दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के मध्य प्रमुख समुद्री मार्ग) से केवल 90 किमी की दूरी पर ग्रेट निकोबार के कैंपबेल की खाड़ी में एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को विकसित करने की योजना को शीघ्र पूरा करना।
  - इन परियोजनाओं को इष्टतम रूप से पूरा करने हेतु वृहत वित्तीय आवश्यकताओं तथा परिचालन एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता के लिए निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आकर्षित करना।
- **सॉफ्ट पावर के रूप में पर्यटन:** अतीत में, भारत ने हिमालय में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ पर्वतारोहण / साहसिक अभियानों को बढ़ावा दिया है साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए तवांग को खोला गया है जिससे कि यह संदेश दिया जा सके कि भारत का इन क्षेत्रों में प्रभावी अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण स्थापित है।
- भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए निर्जन द्वीपों (जहां वर्तमान में पहुंच प्रतिबंधित है) को खोलना (यह दक्षिण चीन सागर में चीन के दृष्टिकोण के समान, जहाँ उसने हैनान द्वीप को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है)।
  - इन द्वीपों के राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर आकर्षक पर्यटन स्थलों का सृजन करना (जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क में किया गया है)।
  - समुद्र आधारित गतिविधियों जैसे कि स्कूबा डाइविंग, नौकायन, गहन सागरीय मत्स्यन, लाइव-ऑन-बोर्ड डाइविंग आदि के लिए एक सुपरिभाषित नीति को कार्यान्वित करना, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा सम्मिलित हो। इस तरह की गतिविधियां सुरक्षा संबंधी मुद्दों जैसे अवैध शिकार और पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे समुद्री जीवों का ह्रास आदि पर निगरानी रख सकती हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास करना:**
  - क्वाड एलायंस (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए द्वीप समूहों में सोनार निगरानी प्रणाली स्थापित कर सकते हैं।
  - अवसंरचना विकास के लिए अत्यधिक सस्ती आवश्यक सामग्री के आयात हेतु इंडोनेशिया के साथ गहन संलग्नता स्थापित करना।

4.2. पेरिस कॉल

(Paris Call)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेरिस में आयोजित की गई यूनेस्को इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) की बैठक में, "द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबरस्पेस" को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य साइबर स्पेस के संरक्षण हेतु साझा सिद्धांतों को विकसित करना है।

पेरिस कॉल के तहत विकसित किए गए सिद्धांत

पेरिस कॉल में उल्लिखित लक्ष्य एवं अपनाए गए सिद्धांत राज्यों, कॉर्पोरेशनों एवं सिविल सोसाइटी के मध्य वरीयताओं संबंधी सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- **समावेशी विनियामक प्रक्रिया:**
  - मौजूदा क्षेत्रक-विशिष्ट पहलों ('टेक अकॉर्ड', 'यू.एन. ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स', 'फॉर द वेब') को एक ही दस्तावेज में एकत्रित करना एवं भविष्य की वार्ताओं हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के लिए इसके दायरे में विस्तार करना।
  - साइबर स्पेस में विश्वास, सुरक्षा और स्थिरता को बेहतर बनाने में निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं के उत्तरदायित्व को मान्यता प्रदान करना।
  - सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के मध्य **सहयोग में सुधार करने के लिए एक सुदृढ़ बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाना**, ताकि साइबर अपराधिकता के खतरे से निपटा जा सके। साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- **अंतरराष्ट्रीय कानून:**
  - UN चार्टर एवं अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप, प्रमुख रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, साइबरस्पेस का बेहतर समन्वित विनियमन तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को प्रोत्साहन।
- **राज्य संप्रभुता:**
  - साइबरस्पेस में होने वाले शत्रुतापूर्ण कृत्यों के संदर्भ में संप्रभु राज्यों की विशिष्ट भूमिका को बढ़ावा देना। यह गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए गए कॉर्पोरेट हैक-बैक (hack-back) और अन्य आक्रामक गतिविधियों की निंदा करता है।
  - यह चुनावों में हस्तक्षेप को रोकने के उपायों के लिए भी अपील करता है।

VISION IAS

- **नागरिक सुरक्षा**
    - व्यक्तियों और महत्वपूर्ण अवसंरचना को क्षतिग्रस्त होने से संरक्षण प्रदान करता है तथा "पब्लिक कोर ऑफ़ दी इंटरनेट" की शत्रुतापूर्ण अभिकर्ताओं से सुरक्षा करता है।
    - उद्योगों एवं सिविल सोसाइटी को श्रेष्ठ दैनिक प्रथाओं ("साइबर स्वच्छता: cyber hygiene") को बढ़ावा देने तथा उत्पादों एवं सेवाओं में 'सिक्योरिटी बाई डिजाइन' के कार्यान्वयन में संलग्न करना। साइबर स्वच्छता व्यक्तिगत स्तर पर डेटा की सुरक्षा एवं रक्षा को संदर्भित करती है।

इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF)

- यह एक **लोक नीति संबंधी संवाद समूह है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट से संबंधित मुद्दों** जैसे निरंतरता, सुदृढ़ता, सुरक्षा, स्थिरता एवं विकास को संबोधित करना है।
- यह इंटरनेट से संबंधित लोक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु विभिन्न हितधारक समूहों (यथा सरकारों, कॉरपोरेट्स एवं सिविल सोसाइटी) से संबंधित लोगों को एक समान मंच प्रदान करते हुए कार्य करता है।

साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन (Budapest convention on cybercrime) के बारे में:

- साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर यूरोपीय परिषद् (Council of Europe) एकमात्र बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय लिखत है।
- यह एक साझा नीति के माध्यम से इंटरनेट एवं कंप्यूटर संबंधी अपराधों का समाधान प्रदान करता है। इसके लिए यह राष्ट्रीय कानूनों के अनुकूलन, जांच-पड़ताल संबंधी तकनीकों को समाहित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरणों में सुधार तथा अंतरराष्ट्रीय पुलिस के साथ-साथ न्यायिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है।
- यह साइबर अपराध की जांच करने तथा किसी भी अपराध के संदर्भ में साक्ष्य को अधिक प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए प्रक्रियात्मक वैधानिक उपकरण प्रदान करता है।
- भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं है।

अन्य मानक निर्माण पहलें

- **माइक्रोसॉफ्ट** ने अपने **"डिजिटल पीस"** अभियान के साथ **साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड** को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को साइबर हमलों के विरुद्ध उसके ग्राहकों की गोपनीयता एवं सुरक्षा को बेहतर रूप से संरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाना है।
- **सीमेंस** ने **चार्टर ऑफ़ ट्रस्ट** का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा हेतु "वैश्विक मानक" विकसित करने के साथ सुरक्षा संबंधी सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक मानकों का विकास करना है।
- वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में ग्रुप ऑफ़ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट (GGE) ने साइबर स्पेस में 4 शांति कालीन मानदंडों का निर्माण किया:
    - राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे की महत्वपूर्ण अवसंरचना के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करना
    - साइबर हमलों की जांच में अन्य राष्ट्रों की सहायता करना
    - एक दूसरे की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को लक्षित नहीं करना
    - देशों को उनके क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली गतिविधियों के लिए उत्तरदायी ठहराना

इसमें कौन सम्मिलित हो सकता है?

- पेरिस कॉल पर 190 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 130 सदस्य निजी क्षेत्रक से थे जबकि 50 से अधिक सदस्य राष्ट्र शामिल थे। **भारत, अमेरिका, चीन, रूस** जैसे प्रमुख देशों ने **समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए।**
- कई प्रमुख **अमेरिकी तकनीकी कंपनियों** जैसे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, HP आदि ने समझौते का समर्थन किया है। अन्य महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठनों जैसे- वर्ल्ड लीडरशिप अलायन्स, चाथम हाउस, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन तथा इंटरनेट सोसाइटी इत्यादि ने भी समझौते को समर्थन प्रदान किया है।

पेरिस कॉल का महत्व

- पेरिस कॉल कई हितधारकों से समर्थन प्राप्त करके **वैश्विक रूप से स्वीकार्य साइबर सुरक्षा मानदंडों** के निर्माण संबंधी मुद्दे को एक नई गति प्रदान करती है।

VISION IAS

- इसे **पश्चिमी लोकतंत्रों और सत्तावादी (authoritarian) शासनों के बीच मध्य मार्ग खोजने** की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है, ताकि साइबरस्पेस से संबंधित मुद्दों पर सर्वसम्मति का निर्माण किया जा सके।
- हालाँकि, **कुछ ऐसे मुद्दे मौजूद हैं** जिन पर अभी भी विचार किया जाना शेष है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - वैधानिक रूप से बाध्यकारी अनुपालन तंत्र की स्थापना
  - जासूसी एवं किसी देश के नेतृत्व वाले (विशेषकर देश के उकसावे पर गैर-राज्य अभिकर्ताओं के माध्यम से किये जा रहे) आक्रामक अभियानों से निपटना।

चूंकि अमेरिका, चीन और रूस ने इसमें शामिल होने हेतु अनिच्छा व्यक्त की है, इसलिए अब यह कॉल अंतरराष्ट्रीय संस्थानों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत जैसे राज्यों के समर्थन पर निर्भर करेगी।

इंटरनेट गवर्नेंस के मॉडल

मल्टी-स्टेकहोल्डर मॉडल (पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका द्वारा समर्थित)
- विकेन्द्रीकृत अभिशासन संस्थाएं जिनमें कॉर्पोरेट्स, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) तथा सिविल सोसायटी जैसे गैर-राज्य अभिकर्ताओं को साइबरस्पेस को विनियमित करने वाले वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानदंडों के निर्माण में अपना मत व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- कॉर्पोरेट्स की तकनीकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान करता है।

मल्टीलेटरल मॉडल (रूस और चीन द्वारा समर्थित)
- समझौतों पर आधारित शासन मॉडल है, जो विभिन्न सरकारों तथा गैर-राज्य अभिकर्ताओं (सीमित भागीदारी के साथ) के मध्य साझा किया जाता है।
- साइबर स्पेस के प्रबंधन में राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को बनाए रखता है तथा उसे आत्मरक्षा करने एवं राज्य में कानून-व्यवस्था के उत्तरदायित्व को बनाए रखने (साइबरस्पेस हेतु प्रत्युपाय करने सहित) के अन्तर्निहित अधिकार का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाता है।

भारत की प्रतिक्रिया
- भारत ने अपने पक्ष को समय के साथ दीर्घकालिक समर्थित बहुपक्षीयता (multilateralism) से बहु-हितधारिता (multi-stakeholderism) में परिवर्तित किया है।
- हालांकि, भारत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक नीति के क्षेत्रों में **साइबरस्पेस के संरक्षक के रूप में सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है**। यह डेटा स्थानीयकरण (देश के भीतर डेटा भंडारण करना) एवं सर्वर प्रबंधन संबंधी प्रतिक्रिया द्वारा स्पष्ट है।
- भारत साइबर अपराधों से निपटने के लिए डेटा साझा करने के संदर्भ में कॉर्पोरेट्स द्वारा अधिकाधिक सहयोग का समर्थन करता है।

वर्तमान में, सरकारी एवं निजी, दोनों स्तरों पर वैश्विक नीति निर्माण तंत्र के साथ संलग्नता {इंटरनेट को-ऑपरेशन फॉर एसाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN) में भागीदारी सहित} में कमी आई है। भारत को घरेलू स्तर पर बहु-हितधारक संलग्नता (इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम) को प्रारंभ करने की आवश्यकता है, ताकि बहु-हितधारिता की प्राप्ति हेतु सिविल सोसाइटी एवं तकनीकी विशेषज्ञों के साथ पर्याप्त मात्रा में संलग्नता स्थापित की जा सके।

4.3. सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

(Space Technology in Border Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा प्रबंधन के सुधार में **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु क्षेत्रों की पहचान करने के लिए** कार्यबल गठित करने संबंधी रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु अग्रलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है - **द्वीप विकास, सीमा सुरक्षा, संचार एवं नौवहन, भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) और संचालन आयोजना प्रणाली तथा सीमा अवसंरचना विकास।**
- रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाओं में **सीमा प्रहरी बलों (BGFs)** की क्षमताओं में सुधार करना तथा सुरक्षा, परिचालनात्मक आयोजना और सीमा अवसंरचना के विकास हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (संसाधनों) का उपयोग करना इत्यादि शामिल हैं।
- गृह मंत्रालय **अंतरिक्ष विभाग** के सहयोग से परियोजना का कार्यान्वयन करेगा, जिससे **द्वीपों और सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ होगी** तथा सीमा एवं द्वीपीय क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास सुगमता से हो सकेगा।

VISION IAS

- परियोजना को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने हेतु, इसरो (ISRO) और रक्षा मंत्रालय के गहन समन्वय के साथ पांच वर्षों में कार्यान्वयन हेतु लघु, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
    - **लघुकाल में** BGFs की तत्काल आवश्यकताओं के लिए हाई रिजॉल्यूशन इमेजरी और संचार के लिए बैंडविथ का प्रबंध किया जाएगा।
    - **मध्यम अवधि में** गृह मंत्रालय के अनन्य उपयोग हेतु इसरो द्वारा एक उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा।
    - **दीर्घावधि** के लिए, गृह मंत्रालय भू-खंड प्रणाली (ग्राउंड सेगमेंट) और नेटवर्क अवसंरचना विकसित करेगा ताकि अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों से उपग्रह संसाधनों को साझा किया जा सके तथा विभिन्न इमेजरी संसाधनों को संगृहीत करने और इन संसाधनों को प्रयोक्ता एजेंसियों को प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय अभिलेख सुविधा केंद्र विकसित किया जा सके। **इसके कार्यान्वयन** हेतु **सीमा सुरक्षा बल (BSF)** को **मुख्य अभिकरण** के रूप में नामित किया गया है।
- सुदूर क्षेत्रों में **तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs)** को उपग्रह संचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) आधारित जीपीएस** अत्यधिक ऊंचाई, सुदूर एवं दुर्गम सीमा क्षेत्रों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में परिचालनात्मक दलों के लिए नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करेगा।

सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका

मरुस्थल और न्यून आवासित क्षेत्रों सहित, मुख्यतः **प्रादेशिक एवं स्थलाकृतिक विविधताओं** जैसे- पर्वत श्रृंखलाओं, सागर, उष्णकटिबंधीय वनों और जलवायविक कारकों **के कारण** संपूर्ण सीमा की बाड़बंदी करना एक गंभीर चुनौती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इस समस्या के समाधान हेतु अधिक प्रभावशाली साधन प्रदान करती है।

- **सामयिक सूचना (Timely Information):** विभिन्न उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त सूचना का उपयोग रक्षा प्रतिष्ठानों सहित विविध अभिकरणों द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ मौसम उपग्रह स्थलाकृतिक विशेषताओं और मौसमी दशाओं के विषय में सामयिक सूचना प्रदान कर सकते हैं, जो सैन्य और अर्द्ध-सैन्य अभियानों हेतु महत्वपूर्ण है।
- **आसूचना आगत और निगरानी (Intelligence inputs and Surveillance):** सुदूर संवेदी उपग्रह, रडार उपग्रह और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) सेंसरों से युक्त उपग्रहों के माध्यम से, जो सभी प्रदेशों और सभी मौसमों में दिन-रात आगत प्रदान करने में सक्षम हैं।
- **घुसपैठ नियंत्रण (Checking infiltration):** निम्न भू-कक्षा निगरानी उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के द्वारा उपयुक्त सैन्य बल की तैनाती करके घुसपैठियों को निरुद्ध किया जाएगा। इस संदर्भ में मध्य ऊंचाई पर लंबी अवधि तक उड़ान भरने में सक्षम (Medium Altitude Long Endurance: MALE) मानवरहित विमानों (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) तथा अधिक ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ान भरने में सक्षम (High Altitude Long Endurance: HALE) UAVs का सक्रिय परिनियोजन भारत की निगरानी और टोह क्षमताओं में सुधार करेगा।
- **उन सीमाओं की सुरक्षा जहाँ प्रत्यक्ष निगरानी नहीं हो पा रही है (Defending the invisible):** भू-अवलोकन उपग्रह उन संवेदनशील क्षेत्रों (हॉट स्पॉट्स) के समग्र चित्र प्रदान करते हैं जहाँ सीमा-पार करने की घटनाएं अधिक होती हैं। भारत देश के विवादित सीमा क्षेत्रों के चित्र तथा हाई-रिज़ॉल्यूशन वीडियो प्राप्त करने हेतु रिसैट और कार्टोसैट उपग्रहों का उपयोग करता है।
- **एजेंसियों के मध्य समन्वय (Coordination between agencies):** यद्यपि सुरक्षा बल पहले से ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, परन्तु सीमा प्रहरी IB, RAW और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान परिषद (NTRO) जैसे केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा साझा की गई आसूचनाओं पर निर्भर हैं। उन्हें लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी जैसे क्षेत्रों में खराब संचार व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के साथ सीमा सुरक्षा प्राधिकरण मुख्यालयों, सीमा चौकियों या सीमा पर गश्त लगा रहे सैन्य-बलों से सूचना का आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में सैन्य उपग्रह

- **GSAT-7** इसरो द्वारा निर्मित प्रथम समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है जो भारतीय सुरक्षा बलों को सेवाएं प्रदान करता है। इस उपग्रह की मुख्य उपयोगकर्ता **भारतीय नौसेना** है।
- **GSAT-7A** एक उन्नत सैन्य संचार उपग्रह है। यह मुख्य रूप से **भारतीय वायुसेना** को सेवाएं प्रदान करता है। इसकी सेवाओं के 30% भाग का उपयोग थल सेना द्वारा भी किया जाता है।
- अन्य सैन्य उपग्रहों में **माइक्रोसैट-R, कार्टोसैट-1 और 2 श्रृंखलाएं, रिसैट-1 और रिसैट-2** शामिल हैं।

4.4. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

(Central Armed Police Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा गठित पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कार्य स्थितियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

सीमा रक्षक बल	गैर-सीमा रक्षक बल
असम राइफल्स: यह भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र की रक्षा करता है।	**केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force: CISF):** यह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है।
सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force: BSF): यह भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बांग्लादेश की रक्षा करता है।	**केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force: CRPF):** यह आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (Indo-Tibetan Border Police: ITBP): यह भारत-चीन सीमा की रक्षा करता है।	**राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard: NSG):** यह आतंकवादी-रोधी गतिविधियों में तैनात किया जाता है।
सशस्त्र सीमा बल (SSB): यह भारत-भूटान एवं भारत-नेपाल सीमा की रक्षा करता है।	

रिपोर्ट द्वारा पहचान किए गए मुद्दे:

- **सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण:** शीर्ष पदानुक्रम के उच्च पदों पर मुख्य रूप से प्रतिनियुक्तियां (IPS अधिकारियों की) की जाती हैं। ऐसे अफसर अधिकांशतः कैडर अधिकारियों के कल्याण हेतु पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहते हैं।
- **अत्यधिक रिक्तियां तथा पदोन्नति की संभावनाओं का अभाव:** CAPFs के सभी कैडरों में गंभीर निष्क्रियता विद्यमान है, जो बलों के मनोबल एवं दक्षता को प्रभावित करती है तथा भावी जटिलताओं सम्बन्धी दूरदर्शिता, योजना तथा अग्र-सक्रिय अनुमानों के अभाव को प्रतिबिंबित करती है।
- **एक सुदृढ़ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का अभाव**, इसने वर्ष 2017 में BSF के एक सैनिक को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया था।
- **राज्य पुलिस एवं CAPF नेतृत्व के मध्य अप्रभावी समन्वय:** राज्य कानून एवं व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए CRPF पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। प्रशिक्षण कंपनियों की निरंतर तैनाती CRPF की परिचालन क्षमता को प्रभावित करती है, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण एवं विश्राम से भी वंचित करती है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना: बॉर्डर आउट पोस्ट्स (BOPs)** के विभिन्न स्थलों पर **विद्युत का अभाव**, कर्मियों की कार्य परिस्थितियों के साथ-साथ CAPF के परिचालन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
  - पूर्व पुलिस महानिदेशक ई.एन.राममोहन द्वारा अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा की घटना (जिसमें 76 CRPF जवान माओवादी हमले में शहीद हो गए थे) की जांच में पाया गया कि CRPF के कैंप में आधारभूत सुविधाओं का अभाव था, साथ ही न्यूनतम सुरक्षा एवं शोचनीय निर्वहन परिस्थितियाँ विद्यमान थीं।
- **सड़क संपर्क और गतिशीलता:** सड़क परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब होता है, जो कर्मियों की गतिशीलता को प्रभावित करता है। इसके मुख्य कारणों में- वन / वन्यजीवों सम्बन्धी अर्थात् पर्यावरणीय स्वीकृति, कठोर चट्टानों का विस्तार, सीमित कार्यशील मौसम, निर्माण सामग्री की उपलब्धता में विद्यमान कठिनाई इत्यादि सम्मिलित हैं।
- **आयुध और गोला-बारूद का अभाव:** युद्ध हेतु तैयार उपकरणों की खरीद में अत्यधिक विलंब तथा अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, विशेषकर तब जब कर्मियों को युद्धक परिवेश में तैनात किया गया हो।

VISION IAS

अनुशंसाएं

- **IPS वर्चस्व को समाप्त करना:** CRPF की कार्य पद्धति भी सशस्त्र बलों के समान है तथा प्रतिनियुक्ति के रूप में सशस्त्र बलों से अधिक अधिकारियों को नियुक्त करना वांछनीय हो जाता है।
  - हालांकि गृह मंत्रालय (MHA) ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक CAPF में IPS अधिकारियों की उपस्थिति विभिन्न CAPFs एवं राज्य के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय में वृद्धि करेगी, अतः IPS अधिकारी CAPFs का अधिक प्रभावी, कुशल व निष्पक्ष नेतृत्व करने तथा पर्यवेक्षी निर्देशन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।
- **बल के आधुनिकीकरण** को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इन बलों द्वारा न केवल सीमा-पार से आने वाले शत्रुओं बल्कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है।
- ***वन-साइज़ फ़िट्स ऑल अप्रोच*** **के स्थान पर समस्या विशिष्ट काउंटर प्लान:**
  - **जम्मू एवं कश्मीर के लिए:** गृह मंत्रालय को एक बहु-आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जो युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने से रोक सके, आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगा सके, साथ ही आतंकवाद-रोधी अभियान आरंभ कर सके।
  - **वामपंथी क्षेत्र के लिए:** गृह मंत्रालय को माइन-प्रतिरोधी वाहनों की खरीद के लिए प्रयास करना चाहिए। यह 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत आयात या घरेलू विनिर्माण के माध्यम से किया जा सकता है।
- इन बलों की **कैडर समीक्षा त्वरित रूप से की जानी चाहिए**, क्योंकि यह उनकी संगठनात्मक संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा समयबद्ध तरीके से परियोजना की पूर्ति को सुनिश्चित करती है।
- **समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) विंग की स्थापना:** इसके द्वारा अनुशंसा की गई है कि CRPF द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट मुद्दों, जैसे कि वृहत आकार और तैनाती के क्षेत्रों इत्यादि, को देखते हुए इसकी स्वयं की एक समर्पित R&D इकाई का गठन किया जा सकता है ताकि CRPF से संबंधित मुद्दों जैसे कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (IED) और वाहनों को बुलेट प्रूफ बनाने आदि से सम्बंधित मुद्दों का समाधान खोजा जा सके।

4.5 जलवायु परिवर्तन- एक सुरक्षा मुद्दा

(Climate Change- A Security Issue)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित करने की बढ़ती मांग पर प्रश्नचिह्न उठाया।

संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर का अनुच्छेद 39

सुरक्षा परिषद शांति, शांति का उल्लंघन या आक्रामक कृत्यों के किसी भी खतरे के अस्तित्व का निर्धारण करेगी और अनुशंसाओं का निर्माण करेगी, अथवा यह तय करेगी कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

- कई विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन को **वार्मिंग वार** के रूप में घोषित किया जिसके लिए UN चार्टर के अनुच्छेद 39 के तहत इसके अधिदेश के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- वार्मिंग वार एक रूपक (शीत युद्ध की तरह) है जो यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार ऐसे विवादों के चालक रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके प्रभाव संचित होते जाते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जीवन की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं।

जलवायु परिवर्तन एक सुरक्षा मुद्दा क्यों है?

- भोजन, जल और ऊर्जा की मांग बढ़ने के कारण पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। विस्तृत बेरोजगारी, तीव्र शहरीकरण और पर्यावरणीय निम्नीकरण अस्थिरता और विवादों को बढ़ाते हुए निरंतर असमानता, राजनीतिक सीमान्तीकरण और गैरप्रतिक्रियात्मक सरकारों का कारण बन सकते हैं।
- उपर्युक्त संदर्भ में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** ने सात कारकों की पहचान की है जिनमें जलवायु परिवर्तन देशों और समाज की सुरक्षा तथा शांति के लिए खतरों के गुणक के रूप में कार्य करता है।
  - **स्थानीय संसाधन प्रतिस्पर्धा**: जैसे-जैसे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा, अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है और यहाँ तक कि उचित विवाद समाधान की अनुपस्थिति में विवाद को हिंसक बना सकती है।
  - **आजीविका असुरक्षा और प्रवास**

VISION IAS

- जलवायु परिवर्तन उन किसानों की असुरक्षा को बढ़ा देगा जो आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। यह उन्हें प्रवासन के लिए मजबूर करेगा तथा आय के अनौपचारिक और अवैध स्रोतों को अपनाने हेतु विवश कर सकता है।
- **विश्व बैंक के 2050 तक के आंकलनों के अनुसार** दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लगभग 140 मिलियन लोग अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होंगे।
    - **चरम मौसमी घटनाएँ और आपदाएँ:** आपदाएँ संवेदनशील स्थिति में वृद्धि कर सकती हैं और विशेष रूप से संघर्षों से प्रभावित देशों में लोगों की सुभेद्यता और शिकायतों को बढ़ा सकती हैं।
    - **अस्थिर खाद्य कीमतें**
- जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न होने, कीमतों में वृद्धि होने एवं बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना है। इससे हिंसा, दंगों और नागरिक संघर्षों के जोखिमों में वृद्धि होगी।
- IPCC के आंकलन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2080 तक 770 मिलियन लोग अल्पपोषित होंगे।
    - **सीमापारीय जल प्रबंधन**
        - यह तनाव की उत्पत्ति का एक सामान्य स्रोत है। जैसे-जैसे मांग में वृद्धि होगी तथा जलवायु प्रभाव उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, जल के उपयोग पर प्रतिस्पर्धा से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ने की संभावना में वृद्धि होगी।
        - हाल ही में जारी हिंदुकुश-हिमालयन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान उत्सर्जन स्तर के साथ इस क्षेत्र के दो-तिहाई ग्लेशियर वर्ष 2100 तक ख़त्म हो जाएंगे और 2 बिलियन लोगों के लिए जल संकट उत्पन्न हो जाएगा।
    - **समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय क्षरण**
        - समुद्र का जलस्तर बढ़ने से निम्नवर्ती क्षेत्रों की व्यवहार्यता उनके जलमग्न होने से पहले से ही खतरे में पड़ जाएगी तथा सामाजिक विघटन, विस्थापन और प्रवासन को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, समुद्री सीमाओं और समुद्र के संसाधनों पर असहमति बढ़ सकती है।
        - IPCC की 5वीं आंकलन रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के स्तर में वर्ष 2100 तक 52-98 सेमी तक की वृद्धि हो सकती है।
    - **जलवायु परिवर्तन के अनभिप्रेत प्रभाव**: जैसे-जैसे जलवायु अनुकूलन और शमन नीतियां अधिक व्यापक रूप से कार्यान्वित होंगी, अनभिप्रेत नकारात्मक प्रभावों के जोखिमों में (विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में) भी वृद्धि होगी। निम्न संस्थागत क्षमता और शासन वाले देशों में यह राजनीतिक दबाव को अत्यधिक बढ़ावा दे सकता है और अंततः गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के हस्तक्षेप के समर्थन का कारण

- यदि UNSC ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को एक अंतरराष्ट्रीय खतरे के रूप में घोषित किया तो सैन्य और असैन्य प्रतिबंधों का आह्वान किया जा सकता है।
- राष्ट्रों द्वारा पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त न करने की दशा में परिषद के पास प्रतिबंधों का विकल्प उपलब्ध होगा। वर्तमान में अपेक्षाकृत सीमित अंतरराष्ट्रीय संवीक्षा के साथ संचालित होने वाले निगमों पर भी **आर्थिक प्रतिबंध** लगाए जा सकते हैं।
- इस तरह की घोषणा के समर्थक जलवायु समझौतों (UNFCCC के तहत) की धीमी और अप्रभावी प्रगति का हवाला देते हैं और 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान वृद्धि को रोकने हेतु ग्रीन हॉउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। यह जलवायु समझौतों में दबाव तत्व को लाएगा।
- इन उपायों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जलवायु प्रेरित संकट वाले क्षेत्रों के आस-पास पीसकीपिंग फोर्सेज की तैनाती और बढ़ी हुए मानवीय सहायता को सम्मिलित किया जा सकेगा।

भारत विरोध क्यों कर रहा है?

- **क्षेत्राधिकार का विस्तार**: भारत सुरक्षा परिषद के चार्टर को पुनर्परिभाषित करने और इसके अधिकार क्षेत्र के विस्तार करने का विरोध करता है क्योंकि यह अपने मूल अधिदेश को भी पूरा करने में विफल रहा है।
- **UNSC की विशिष्ट प्रकृति:** जलवायु न्याय UNFCCC जैसी समावेशी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। समावेशन का यह गुण UNSC जैसे अपवर्जनात्मक और अपारदर्शी निकाय में मौजूद नहीं है।
- **समस्या की जटिल प्रकृति:** जलवायु परिवर्तन एक बहुआयामी मुद्दा है जिसमें न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक आर्थिक, जननांकीय और मानवीय कारक सम्मिलित हैं। UNSC के पास किसी समस्या को देखते समय मुख्य रूप से एक राजनीतिक अधिदेश के साथ संकीर्ण दृष्टिकोण होता है।
- **UNSC का पिछला रिकॉर्ड:** ऐतिहासिक रूप से UNSC का आचरण इसके सदस्य देशों के स्वयं के भू-राजनीतिक हित में पक्षपात पूर्ण रहा है। इसने एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और इसके निर्णयों में एकरूपता का अभाव है। एक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की मांग करने वाला जलवायु न्याय (उदाहरण के लिए सामान्य किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत) UNSC के दायरे में जोखिम में पड़ सकता है।
- UNSC देशों की संप्रभुता और स्व-निर्धारण के अधिकार को भी कमजोर करती है।

4.6. युद्धक भूमिका में महिलाएं

(Women in Combat Role)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **सैन्य पुलिस बल में अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों (Personnel Below Officer Rank: PBOR) में पहली बार** महिलाओं को भर्ती करने का निर्णय लिया है। महिलाओं को श्रेणीबद्ध रीति में भर्ती करते हुए अंततः कुल बल (Corps) के 20% तक शामिल करना है।

सैन्य पुलिस बल (Corps of Military Police)

- यह **भारतीय सेना** की एक सैन्य पुलिस है।
- सैन्य पुलिस की मुख्य भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - छावनियों और सेना प्रतिष्ठानों की देख-रेख (पुलिसिंग) करना।
    - सैनिकों द्वारा नियमों और विनियमों के उल्लंघन को प्रतिबंधित करना।
    - शांतिकाल और युद्ध के दौरान सैनिकों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स के संचलन को बनाए रखना।
    - युद्ध कैदियों का प्रबंधन।
    - आवश्यकतानुसार सिविल पुलिस की सहायता करना।
- वर्तमान में महिलाएं सेना के चिकित्सा, विधिक, शैक्षणिक, सिग्नल और इंजीनियरिंग विंग जैसे चयनित क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- वर्तमान में सेना में **कुल कार्यबल का 3.80 प्रतिशत महिलाएं है, यह वायु सेना में 13.09 प्रतिशत और नौसेना में 6 प्रतिशत है।**
- **भारतीय वायु सेना** एकमात्र **सशस्त्र बल** है जिसमें **महिलाओं को युद्धक भूमिका प्रदान की गई है।** इसमें लगभग पांच महिला फाइटर जेट पायलटों की भर्ती की गई है। वर्तमान में सभी प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों से गुजर रही हैं।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना में **महिलाओं की नाविकों के रूप में भर्ती** करने का निर्णय लिया है।

युद्धक भूमिका में महिलाओं के पक्ष में तर्क

- **लैंगिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि:** यह विश्व के सर्वाधिक पुरुष वर्चस्ववादी संव्यवसायों में से एक में लैंगिक समता हेतु एक सुधारवादी कदम सिद्ध होगा। विश्व स्तर पर भी यह प्रवृत्ति प्रचलित है।
- **सैन्य तत्परता:** एक मिश्रित लैंगिक बल को अनुमति प्रदान करना सेना को सुदृढ़ करेगा। सभी स्वैच्छिक बल प्रतिधारण और भर्ती दरों में गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सभी नौकरियों हेतु आवेदक पूल का विस्तार अधिक स्वैच्छिक भर्तियों को प्रत्याभूत करता है।
- **प्रभावशीलता:** महिलाओं पर व्यापक प्रतिबंध युद्ध क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाने के लिए सर्वाधिक सक्षम व्यक्ति के चयन की कमांडरों की क्षमता को सीमित करता है।
- **परंपरा:** युद्धक इकाइयों में महिलाओं के समेकन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। समय के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहते हैं और पुरुषवादी उपसंस्कृति में भी परिवर्तन हो सकता है। विगत सदी में अनेक पूर्ववर्ती पुरुषवादी संव्यवसाय महिलाओं हेतु सफलतापूर्वक खोले गए हैं।
- **सांस्कृतिक विभिन्नताएं और जनसांख्यिकी:** महिलाओं को सेवा में शामिल करने से संकटपूर्ण और संवेदनशील कार्यों (जिनके लिए आवश्यक अंतर्वैयक्तिक कौशल की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक सैनिक में नहीं होता) हेतु प्रतिभा पूल में वृद्धि होगी। एक व्यापक कार्मिक आधार अर्थात् महिलाओं की भागीदारी से सेनाओं को संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने हेतु सर्वोत्तम और अत्यधिक कूटनीतिक सैनिकों की उपलब्धता में सहायता प्राप्त होगी।
- **करियर में उन्नति:** चूँकि युद्धक कर्तव्य सामान्यतया वरिष्ठ अधिकारी पद पर पदोन्नत होने के लिए अनिवार्य माना जाता है, अत: महिला कार्मिकों को इस अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान न करना यह सुनिश्चित करता है कि बहुत कम महिलाएं सेना में उच्चतम पदों तक पंहुच पाएंगी।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी:** आधुनिक युद्ध का परिदृश्य अधिक परिष्कृत हथियारों के साथ परिवर्तित हो गया है। युद्ध के क्षेत्र के रूप में साइबरस्पेस के उद्भव और खुफिया जानकारी एकत्र करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। कठोर बल प्रयोग, जो कि प्रायः महिलाओं को शामिल न करने का एक कारण रहा है, वर्तमान में कम प्रासंगिक हो गया है।

युद्धक भूमिका में महिलाओं के विपक्ष तर्क

- **सेना में स्थिति:** सेना में फील्ड परिस्थितियां अत्यधिक विषम हैं तथा लड़ाकों और शत्रु से निकटता के कारण अपेक्षाकृत अधिक कठिन चुनौतियां का करना सामना पड़ता है।
- **शारीरिक क्षमता:** परंपरागत रूप से महिलाओं को कुछ कार्यों के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल नहीं माना जाता है। शारीरिक फिटनेस के मानकों को पुरुषों के अनुरूप निर्धारित किया गया है तथा महिलाओं को उन मानकों तक पहुंचने में अधिक प्रयास करना पड़ता है।

VISION IAS

- **सैन्य तत्परता:** गर्भावस्था जैसी कुछ परिस्थितियां उस दशा में किसी सैन्य टुकड़ी की तैनाती हेतु उपयुक्तता को प्रभावित कर सकती हैं जब उसमें महिलाओं की संख्या एक असंगत अनुपात में मौजूद हो अथवा उसमें आवश्यक संख्या से कम लोग मौजूद हों।
- **परंपरा:** पुरुष, विशेष रूप से वे जो सेना में नियोजित होते हैं, प्रायः पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को बनाए रखते हैं। एक उच्च पुरुषवादी सैन्य उपसंस्कृति में महिलाओं की उपस्थिति पर रोष और उत्पीड़न एक समस्या बन सकते हैं।
- **शत्रु द्वारा दुर्व्यवहार:** पुरुष और महिला, दोनों ही प्रकार के युद्ध बंदियों को यातना का सामना करना पड़ता है, इसलिए यातना एवं बलात्कार महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के संबंध में प्रश्न उठाते हैं।

देश की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर **निरपेक्ष तरीके से** विचार किया जाना चाहिए। इसलिए सैन्य सेवाओं में महिलाओं के शामिल करने की संपूर्ण अवधारणा को **समग्र और वस्तुनिष्ठ तरीके** से देखा जाना चाहिए, न कि तथाकथित 'पुरुष वर्चस्व के अंतिम क्षेत्र' में प्रवेश के प्रश्न के रूप में। इसलिए पुरुष और महिला, दोनों प्रकार के सैनिकों की निरंतर और **आवधिक प्रदर्शन ऑडिटिंग** के साथ, सैन्य सेवाओं में महिलाओं का **क्रमिक रूप से समेकन** किया जाना चाहिए। इससे भावी सेनाएं सर्व समावेशी होने के साथ अधिक सशक्त हो सकती हैं।

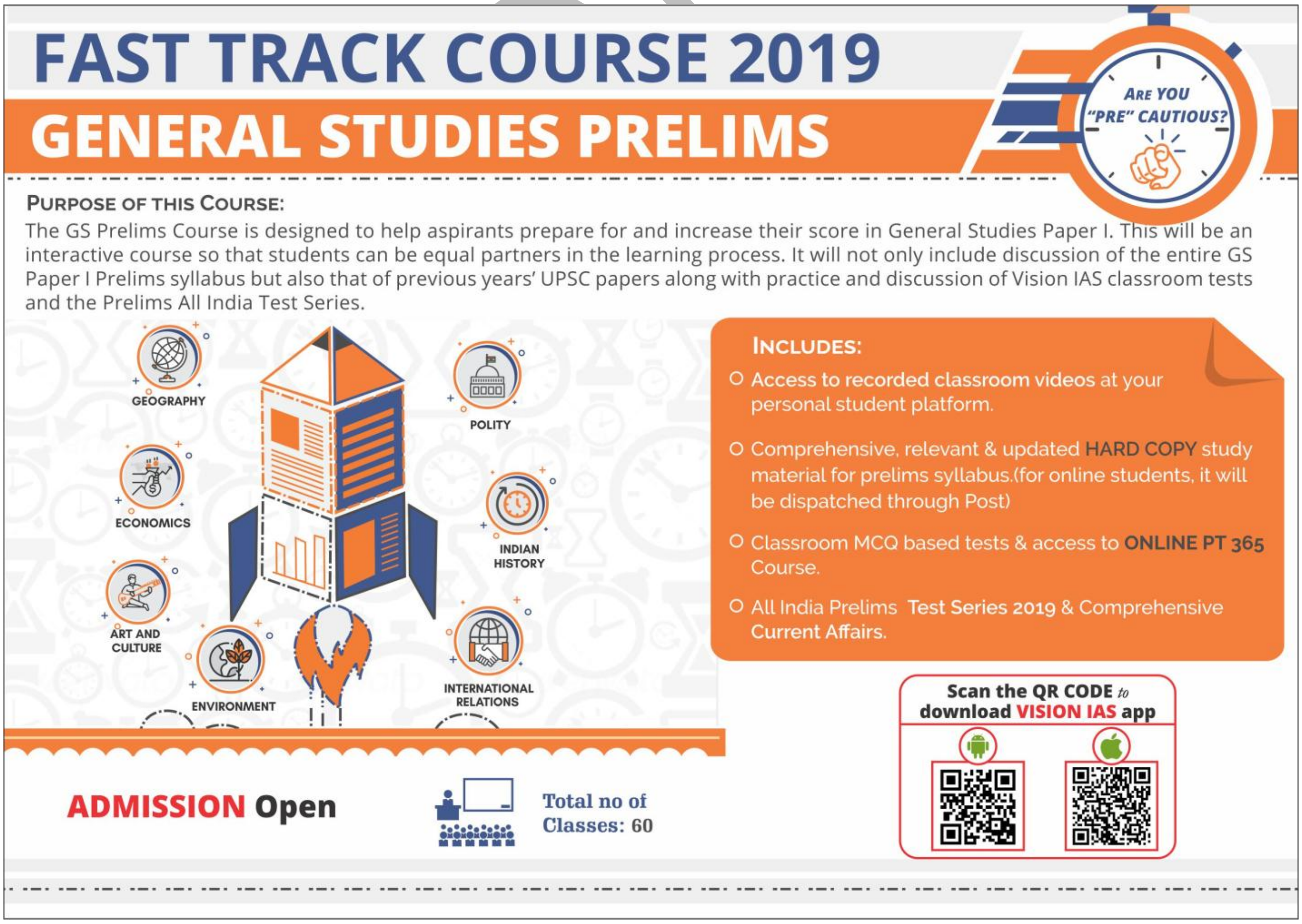

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

(National Clean Air Programme: NCAP)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का शुभारंभ किया गया।

NCAP के बारे में

- यह प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक पहल है जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदूषक कणों (PM-10 व PM-2.5) की सांद्रता को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वर्ष 2017 को तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में और वर्ष 2019 को प्रथम वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।

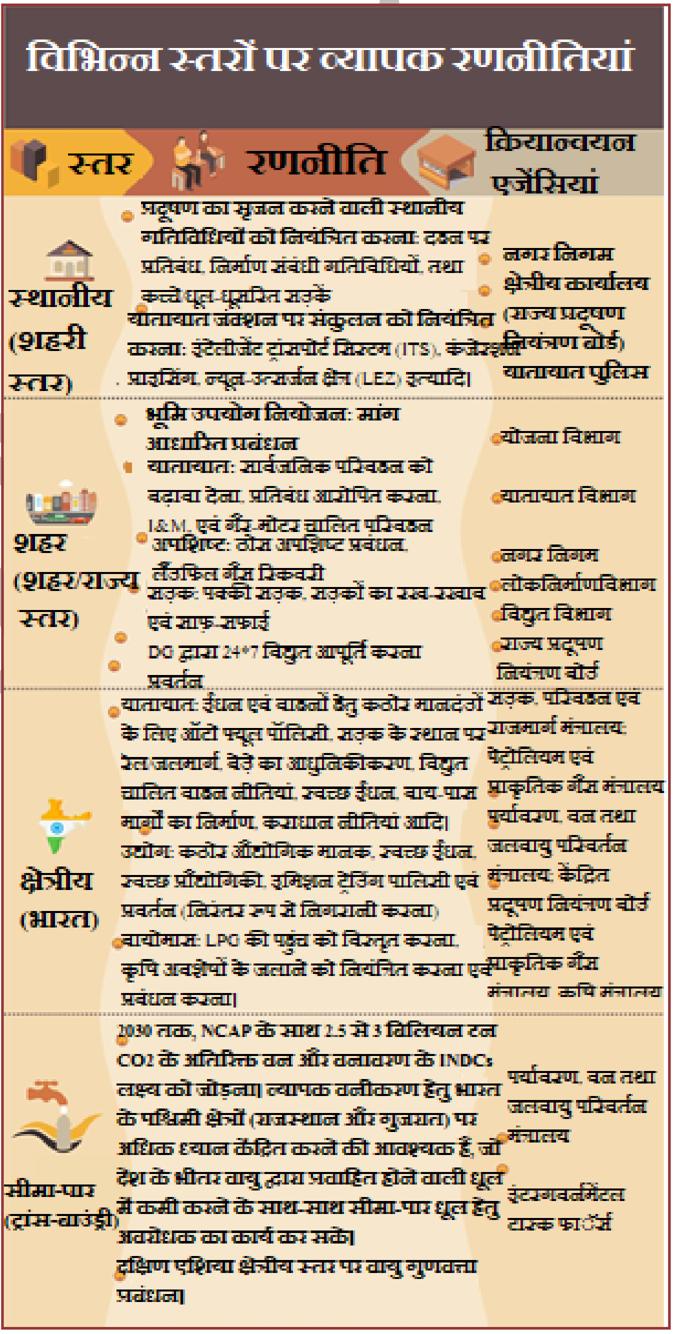

- इस कार्यक्रम को 102 **नॉन-अटेनमेंट (non-attainment) शहरों** (जो लगातार पाँच वर्ष तक PM10 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिये **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों** को पूरा करने में विफल रहते हैं) में कार्यान्वित किया जाएगा। इन शहरों का चयन **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (2011-2015) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट 2014/2018** के आधार पर किया गया है।
- **इसके उद्देश्यों में सम्मिलित हैं:**
    - **वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का कठोरता से कार्यान्वयन**;
    - संपूर्ण देश में वायु गुणवत्ता से संबंधित निगरानी तंत्र को संवर्द्धित करना तथा सुदृढ बनाना;
    - जन-जागरूकता और क्षमता निर्माण के उपायों को संवर्द्धित करना।

NCAP का महत्व

- **यह इस प्रकार का प्रथम प्रयास है-** इसके अंतर्गत **समयबद्ध** न्यूनीकरण लक्ष्य सहित वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए एक **राष्ट्रीय रूपरेखा** तैयार की गई है। इस प्रकार के लक्ष्य का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह योजनाओं के लिए आवश्यक स्थानीय एवं क्षेत्रीय कार्रवाईयों की गंभीरता के स्तर को निर्धारित करने में सहायता करते हैं ताकि ये कार्रवाइयां न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी हो सकें।
- **बहु-क्षेत्रीय सहयोग और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण** – इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदूषण के सभी स्रोतों को कवर किया गया है तथा संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं अन्य हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है।
- **सर्व-समावेशी दृष्टिकोण** – इस कार्यक्रम के अंतर्गत **शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों** के लिए किए गए उपायों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, NCAP कार्यक्रम वायु प्रदूषण की सीमा-पार प्रकृति की भी पहचान करता है और इस प्रकार देश में वायु प्रदूषण के प्रबंधन में विशेष रूप से **सीमा-पार रणनीतियों** का निर्धारण करने में सहायता करता है।
- **स्वास्थ्य और प्रदूषण को लिंक करना** - NCAP कार्यक्रम के अंतर्गत अब 20 शहरों के नेशनल एनवायरनमेंटल हेल्थ प्रोफाइल को शामिल किया गया है जिसे MoEFCC ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ मिलकर आरंभ किया है। इसमें वायु प्रदूषण एवं

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने और निर्णय-निर्माण के साथ उसे एकीकृत करने के लिए कहा है।

NCAP का कार्यान्वयन

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB),** NCAP फ्रेमवर्क के भीतर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं शमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा।
- **NCAP को संबंधित मंत्रालयों द्वारा संस्थागत** और अंतर-क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से संगठित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, CPCB तथा उद्योग, शैक्षणिक समुदाय व नागरिक समाज के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है।
- यह कार्यक्रम अपने परिणामों को प्राप्त करने हेतु **बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों**, परोपकारी संस्थाओं और अग्रणी तकनीकी संस्थानों के साथ **सहयोग करेगा।**
- **MoEFCC की शीर्ष समिति** द्वारा समय-समय पर इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वार्षिक प्रदर्शन की आवधिक रूप से रिपोर्टिंग की जाएगी। कार्यवाहियों के उत्सर्जन में होने वाली कमी के लाभों का आकलन करने हेतु उपयुक्त संकेतक विकसित किए जाएंगे।

NCAP के घटक: इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं।

न्यूनीकरण कार्रवाई: NCAP में सात न्यूनीकरण कार्यवाहियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- **वेब-आधारित, त्रि-स्तरीय तंत्र:** किसी भी प्रकार के गैर-अनुपालन से बचने हेतु समीक्षा, निगरानी, आकलन व निरीक्षण के लिए एक वेब-आधारित, त्रि-स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है। यह तंत्र एक एकल प्राधिकरण की निगरानी में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, जो तीन स्वतंत्र रूप से संचालित संस्थाओं की मान्यता सुनिश्चित करेगा।
- **व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान:** राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) द्वारा प्रबंधित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) के सहयोग से हरित भारत राष्ट्रीय मिशन (GIM) के तहत शहरों/कस्बों में प्रदूषण वाले संवेदनशील स्थानों पर NCAP कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण संबंधी पहलें प्रारम्भ की जाएंगी।
- **प्रौद्योगिकी समर्थन:** वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा न्यूनीकरण में समर्थ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अनुसंधान एवं विकास, प्रायोगिक स्तर पर प्रदर्शन और फ़ील्ड स्तर पर कार्यान्वयन के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- **क्षेत्रीय और सीमा-पार योजना:** विशेष रूप से सिंधु-गंगा का मैदान के संदर्भ में, प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रकार की योजना की प्रमुख भूमिका है। **'वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण और दक्षिण एशिया के लिए इसके संभावित सीमा-पार प्रभावों पर माले घोषणापत्र'** और **'दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP)'** के तहत पहलों को प्रेरित कर दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन की जांच की जाएगी।
- **क्षेत्रक आधारित हस्तक्षेप:** इसके अंतर्गत ई-मोबिलिटी, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, घरों के भीतर वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र का उत्सर्जन तथा धूल प्रबंधन जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- **102 नॉन-अटेनमेंट शहरों के लिए शहर विशिष्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना:** यह योजना मौसमी परिस्थितियों एवं स्रोत प्रभाजन अध्ययन (source apportionment study) अर्थात वायु प्रदूषण के स्रोतों एवं वायु प्रदूषण में उनके योगदान के अध्ययन सहित विज्ञान-आधारित व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है।
    - गंभीर व आपातकालीन AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) का समाधान करने हेतु, दिल्ली के लिए निर्मित 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)' की तर्ज़ पर, प्रत्येक शहर हेतु एक पृथक आपातकालीन कार्रवाई योजना को प्रतिपादित किया जाएगा।
    - इसके अतिरिक्त, राज्य की राजधानियों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- राज्य सरकारों की भागीदारी केवल प्रभावी कार्यान्वयन रणनीति विकसित करने तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इनके द्वारा विस्तृत वित्तपोषण तंत्र की खोज भी की जाएगी।

सूचना और डेटाबेस संवर्द्धन

- **वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क,** जिसके अंतर्गत ग्रामीण निगरानी नेटवर्क, 10 शहरों में सुपर नेटवर्कों (राष्ट्र की समग्र वायु गुणवत्ता की गतिकी, हस्तक्षेपों का प्रभाव, प्रवृति, अन्वेषणात्मक मापन आदि से सम्बंधित) को स्थापित करना सम्मिलित है।
- **सभी नॉन-अटेनमेंट शहरों में स्रोत प्रभाजन अध्ययन का विस्तार करना:** इससे प्रदूषण के स्रोतों की प्राथमिकता का निर्धारण करने और सर्वाधिक उपयुक्त कार्रवाई योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। केंद्र द्वारा स्रोत प्रभाजन अध्ययन के लिए **एकीकृत दिशा-निर्देशों** का निर्माण किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जायेगा।
- **वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभाव का अध्ययन:** NCAP कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभावों के अध्ययन का समर्थन किया जाएगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में आंकड़ों के मासिक विश्लेषण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

VISION IAS

* वायु प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** पर ध्यान दिया जाएगा।
* **परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और उत्सर्जन मानकों की समीक्षा**: मौजूदा मानकों को समय-समय पर सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और जिन स्रोतों के लिए मानक उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए नए मानकों को प्रतिपादित करने की आवश्यकता है।
* **राष्ट्रीय उत्सर्जन सूची**: इसे NCAP के तहत औपचारिक रूप प्रदान किया जाएगा। इसका महत्व उत्सर्जन में कटौती करने के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का पता लगाने और वायु गुणवत्ता मॉडल के लिए एक इनपुट के रूप में है।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण

* **संस्थागत ढांचा**: इसके अंतर्गत MoEF&CC स्तर पर एक राष्ट्र-स्तरीय शीर्ष समिति और विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिवों के अधीन राज्य-स्तरीय शीर्ष समितियां सम्मिलित हैं। कई अन्य संस्थानों की परिकल्पना की जा रही है जैसे MoEF&CC स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति तथा केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (CPMU) एवं CPCB स्तर पर राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (NPIU)।
* **जन-जागरूकता एवं शिक्षा**: राष्ट्रीय पोर्टलों, मीडिया की संलग्नता, नागरिक समाज की सहभागिता आदि के माध्यम से।
* **प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण**: NCAP द्वारा CPCB और SPCB स्तर पर सीमित श्रमबल और अवसंरचना, विभिन्न संबद्ध हितधारकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण के अभाव आदि के कारण वायु गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करने की अक्षमता की पहचान की गई है। यह अक्षमता वायु प्रदूषण प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के समक्ष एक प्रमुख बाधा है।
* **वायु सूचना केंद्र की स्थापना करना**: यह डैश बोर्ड का निर्माण करने, डाटा विश्लेषण, व्याख्या और प्रसार करने हेतु उत्तरदायी होगा। इसे IITs, IIMs की सहायता से स्थापित किया जा सकता है।
* निगरानी उपकरणों के प्रमाणन के लिए **NPL-भारत प्रमाणन योजना (NPL-ICS) का संचालन करना**। यह वायु प्रदूषण की ऑनलाइन निगरानी के संबंध में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा। प्रस्तावित प्रमाणन योजना में तीन प्रमुख घटक होंगे यथा NPL-भारत प्रमाणन निकाय (NICB), प्रमाणन समिति और परीक्षण एवं अंशशोधन सुविधा (testing and calibration facility)।

चुनौतियाँ

* **मजबूत आदेश की आवश्यकता :** NCAP **कानूनी रूप से बाध्यकारी** नहीं है और इस प्रकार यह केवल एक परामर्श कार्यक्रम रह जाता है। ने केवल राज्य व शहरी सरकारों के लिए अधिक प्रवर्तनीय आदेश स्थापित करने के लिए, बल्कि अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी इसे कानूनी समर्थन देना महत्वपूर्ण हो जाता है।
* **उच्चतर आंकाक्षाओं की आवश्यकता :** NCAP के तहत वर्तमान आकांक्षाओं का जो स्तर है, वह देश में श्वसनयोग्य वायु गुणवत्ता को बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि इसमें 30% की कमी होने पर भी यह NAAQS और WHO के मानको से ऊपर का प्रदूषण स्तर होगा।
* **राजकोषीय रणनीति की आवश्यकता**: यदि NCAP कार्यक्रम के पास स्पष्ट राजकोषीय रणनीति नहीं है तो यह दीर्घ काल में संधारणीय नहीं हो सकता। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि प्रस्तावित आबंटन (300 करोड रूपयें) एक बार की कवायद है या यह एक बार-बार दिये जाने वाला समर्थन है।

* **वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली (AQFS)**: एक अत्याधुनिक मॉडलिंग तंत्र के रूप में, इसके द्वारा अगले दिन की वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान किया जाएगा। ISRO के माध्यम से उपलब्ध उपग्रह डाटा को NCAP के तहत निगरानी व पूर्वानुमान के लिए एकीकृत किया जाएगा।
* **तकनीकी संस्थानों एवं ज्ञान के साझेदारों का नेटवर्क**: विश्वविद्यालयों, संगठनों और संस्थानों में समर्पित वायु प्रदूषण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उच्च शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षाविदों, शैक्षणिक प्रशासकों और तकनीकी संस्थानों के एक नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा।
* **प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ (Technology Assessment Cell: TAC)**: यह प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करेगा। जहां आवश्यक हो, स्वदेशीकरण और स्थानीय विनिर्माण के लिए समयबद्ध लक्ष्यों के साथ प्रौद्योगिकी प्रवर्तन/हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
    * TAC का निर्माण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत नवाचार केंद्र आदि के मौजूदा तंत्रों व कार्यक्रमों के उपयोग तथा IIT, IIM, प्रमुख विश्वविद्यालयों, उद्योगों के सहयोग के माध्यम से किया जाएगा।

5.2. अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र

[Waste-To-Energy (WTE) Plants]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली के ओखला और आसपास के क्षेत्रों के निवास करने वाले लोगों द्वारा अपने निकट स्थापित होने वाले WTE संयंत्र के विरूद्ध विरोध-प्रदर्शन किया गया था।

VISION IAS

WTE में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों के प्रकार

- **भस्मीकरण (Incineration)** इसमें ईंधन के रूप में MSW का उपयोग होता है जिसके उच्च मात्रा में वायु के साथ जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। भस्मीकरण का उपयोग करने वाले WTE संयंत्र में, इन गर्म गैसों का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए होता है।
- **गैसीकरण (Gasification)** वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक या जीवाश्म ईंधन आधारित कार्बनयुक्त पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। ऐसा ऑक्सीजन और/या भाप की नियंत्रित मात्रा के साथ, बिना दहन के, उच्च तापमान (> 700'C) पर पदार्थ की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। गैसीकरण द्वारा उत्पादित सिनगैस (Syngas) को उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **तापीय-अपघटन (Pyrolysis)** में तेल और/या सिनगैस (साथ ही ठोस अपशिष्ट उत्पादन) उत्पादित करने के लिए बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के उष्मा का अनुप्रयोग सम्मिलित है और इसमें अधिक समरूप अपशिष्ट स्ट्रीम की आवश्यकता होती है।
- **बायोमीथेनेशन** वह प्रक्रिया है जिससे कार्बनिक पदार्थ को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्मजीवों के माध्यम से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। इसमें किण्वन करने वाले जीवाणु, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीकारक जीवाणु और मेथेनोजेनिक आर्किया सम्मिलित हैं।

पृष्ठभूमि

- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** के आकलनों के अनुसार, भारत के शहरों/कस्बों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट में लगभग 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है, जिसे 2031 तक 1,075 मेगावाट और 2050 तक 2,780 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है।
- **वर्तमान क्षमता:** भारत में पांच नगरपालिका अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता प्रतिदिन 66.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की है, जिसमें से दिल्ली में प्रतिदिन 52 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है।

अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता

- **अवैज्ञानिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) निपटान की समस्या:** केवल 75-80% नगरपालिका अपशिष्ट को ही एकत्रित किया जाता है और इसके केवल 22-28% भाग को ही प्रसंस्कृत और उपचारित किया जाता है एवं शेष का डंप यार्ड में अंधाधुंध तरीके से निपटान किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2031 तक MSW उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन और 2050 तक 436 मिलियन टन हो जाएगा।
- **भूमि-भराव से हानिकारक उत्सर्जन:** भूमि-भराव स्थलों पर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित खाद्य अपशिष्ट के कार्बनिक अपघटन से उच्च मात्रा में उत्सर्जन होते हैं। यह भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक समस्या है।

अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) संयंत्रों के लाभ

- **ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की कुल मात्रा में कमी:** मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है। अधिकांशत: यह भूमि-भराव में अपशिष्ट के अपघटन से उत्सर्जित होती है। WTE सुविधाएं, भूमि-भराव की तुलना में प्रत्येक टन अपशिष्ट से लगभग दस गुना अधिक विद्युत का उत्पादन करते हुए मीथेन के उत्सर्जन में कमी करती हैं।
- **संसाधन बचत और पुन:प्राप्ति का व्यापक विस्तार:** नगरपालिका ठोस अपशिष्ट स्ट्रीम में बची हुए धातुओं को भस्मीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न राख से निष्कर्षित किया जा सकता है और धातुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है।
- **24x7 विद्युत:** पवन और सौर ऊर्जा के विपरीत WTE सुविधाएं, 24X7 नवीकरणीय विद्युत प्रदान करने में सक्षम हैं।
- **भूमि-भराव के उपयोग और विस्तार में अत्यधिक कमी हो सकती है:** WTE सुविधाएं सामान्यत: अपशिष्ट की मात्रा को 90% तक कम कर देती हैं। न्यून और छोटे भूमि-भराव को संसाधित करने की आवश्यकता होती है।
- समुदाय में WTE सुविधाओं की स्थापना से अपशिष्ट की लंबी दूरी तक ढुलाई करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण में भी कमी हो जाती है।

चुनौतियां

- **निम्न कैलोरी मान युक्त अपशिष्ट:** भारत में नगरपालिका अपशिष्ट को प्राय: सही ढंग से पृथक नहीं किया जाता है। इसमें पश्चिमी देशों (30 प्रतिशत) की तुलना में कुल 60 से 70 प्रतिशत के मध्य अत्यधिक जैव-निम्नीकरणीय (गीला) अपशिष्ट सामग्री विद्यमान होती है। यह अपशिष्ट को उच्च नमी सामग्री और निम्न कैलोरीफिक (कैलोरी मान) वैल्यू प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में केवल 12 प्रतिशत अपशिष्ट का ही भस्मीकरण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से तापीय उपचार किया जा सकता है।
    - साथ ही, भारतीय परिवार पारंपरिक रूप से अपने अपशिष्ट जैसे कागज, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, कपड़े, रबड़, आदि को कबाड़ीवालों को सौंप देते हैं। इससे पुन: अपशिष्ट की कैलोरिफिक वैल्यू और कम हो जाती है।
- **उच्च विषाक्त अपशिष्ट:** इनसिनरेटर (भास्मीकरण यन्त्र), जहरीली राख या स्लैग विकसित करते हैं, जिसमें भारी धातुएं और गैसीय प्रदूषक होते हैं जो विषाक्त (संक्षारक प्रभाव युक्त) होते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं।

VISION IAS

- **महंगी विद्युत:** कोयले और सौर संयंत्रों से 3-4 रुपये प्रति किलोवाट की तुलना में, WTE संयंत्र लगभग 7 रुपये/किलोवाट की दर से विद्युत का विक्रय करते हैं।
- **शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिए वित्त की कमी** नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के एकीकृत प्रबंधन के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता को प्रभावित करती है, जिसके लिए WTE परियोजनाओं में निवेश की आवश्यकता होती है।
- **अन्य चुनौतियों के अंतर्गत** आपूर्ति की अनियमित और अपर्याप्त मात्रा; सहमत शुल्क (agreed fee) का भुगतान न करना और विद्युत सहित अपशिष्ट प्रसंस्कृत परियोजनाओं की गैर-विपणन क्षमता सम्मिलित है।

आगे की राह

- **उन्नत MSW संग्रह प्रणाली:** नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा घरेलू अपशिष्ट (व्यापार और संस्थागत अपशिष्ट सहित), सड़क अपशिष्टों, सतही नालियों से गाद तथा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट जैसे निष्क्रिय अपशिष्ट का पृथक-पृथक संग्रह और परिवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- WtE पर **के कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता वाले कार्यदल (2014) की अनुशंसा के अनुरूप WtE संयंत्रों के निर्माण में **निजी भागीदारी को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।
- राज्य विद्युत डिस्कॉमों के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से निर्धारित किए गए प्रशुल्क पर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से उत्पादित विद्युत को खरीदने के प्रावधान को सम्मिलित करने हेतु **विद्युत अधिनियम-2003 में संशोधन** किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रवर्तन किया जाना चाहिए कि अपशिष्ट को उत्पादन के स्रोत पर मिश्रित न किया जाए तथा अपशिष्टों का अमिश्रित स्ट्रीम में ही प्रबंधन किया जाए।
- **WTE संयंत्रों का विकल्प**: चूंकि पश्चिमी देशों में WTE प्रौद्योगिकियों को चरणबद्ध रूप से बाहर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें तब तक अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि उन्होंने प्रस्तावित अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा न किया हो। खाद निर्माण और जैव-मीथेनीकरण जैसे अन्य विकल्पों की खोज की जा सकती है।
- **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की भूमिका:** नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन पर ऊर्जा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में अपशिष्ट संग्रह दक्षता बढ़ाने हेतु राज्यों और ULBs को अधिक अनुदान प्रदान करने का सुझाव दिया गया है और साथ ही औपचारिक प्रणाली के भीतर **कूड़ा बीनने वालों और कबाड़ीवालों को एकीकृत करने** की भी अनुशंसा की गई है।
    - प्रत्येक स्तर पर प्रयासों का समन्वय करने और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों को सफल बनाने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों और तकनीकों का सुझाव देने हेतु **निगरानी समिति की स्थापना करना,** जिसमें राज्य सरकारों और ULBs के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों।
- **नागरिक समाज की भागीदारी:** नगरपालिका प्राधिकरणों को अपने अपशिष्ट का प्रबंधन करने में नागरिक समाज को सम्मिलित करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। **'5R' अवधारणा:** अर्थात् कम करना (reduce), पुन: उपयोग करना (reuse), पुनर्प्राप्त करना (recover), पुनर्चक्रण करना (recycle) और पुनर्विनिर्माण करना (remanufacture) को कार्यान्वित करके संसाधन पुन:प्राप्ति और **अपशिष्ट न्यूनीकरण** की सुविधा प्रदान करके **लिए सामुदायिक जागरूकता** और घर-घर जाकर संग्रह का कार्य करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA), समुदाय आधारित संगठनों/ NGOs को प्रेरित करना चाहिए।

सरकारी पहल

- नीति आयोग ने अपने 'थ्री ईयर एक्शन एजेंडा - 2017-18 से 2019-20' के अंतर्गत यह सुझाव दिया है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को जलाया जाना चाहिए। नीति आयोग के **कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं:**
    - **कम्पोस्ट खाद निर्माण और बायोगैस संधारणीय नहीं हैं** क्योंकि वे बड़ी मात्रा में सह-उत्पाद या अवशेष उत्पन्न करते हैं। केवल भस्मीकरण, थर्मल पाइरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसीकरण तकनीकें ही संधारणीय निपटान समाधान प्रदान करती हैं।
    - **पाइरोलिसिस** (जो हमारे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के लिए अनुपयुक्त है) और प्लाज्मा तकनीक (जो बहुत महंगी है) **की तुलना में भस्मीकरण वरीयता प्रदान करनी चाहिए।**
    - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट स्वच्छ करने की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय के अधीन **वेस्ट टू एनर्जी कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया** की स्थापना करना।
- ऊर्जा की पुन:प्राप्ति के लिए अपशिष्ट एवं अवशेषों के विकास, प्रदर्शन और प्रसार के लिए राजकोषीय और वित्तीय व्यवस्था के साथ अनुकूल परिस्थितियां और परिवेश का निर्माण करने हेतु **शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा कार्यक्रम।**
    - औद्योगिक अपशिष्ट, मल-जल उपचार संयंत्रों आदि से बायोगैस उत्पादन के लिए पूंजीगत सब्सिडी और अनुदान के रूप में **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)** प्रदान करना।
- **स्वच्छ भारत मिशन** (SBM) के अंतर्गत 2019 तक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निपटान की परिकल्पना की गई है। WTE संयंत्र इस मिशन का आधार है क्योंकि इनसे अपशिष्ट का सर्वाधिक वैज्ञानिक निपटान किया जाता है।

VISION IAS

- **भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति** के प्रावधानों के अनुसार गीले और सूखे अपशिष्ट को मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए ताकि कम से कम **1500 Kcal/kg** वाले केवल गैर-खाद योग्य (non-compostable) और गैर-पुनर्चक्रण योग्य (non-recyclable) अपशिष्ट, **WTE** संयंत्रों तक पहुँच सकें।

5.3. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग

(Access And Benefit Sharing: ABS)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिव्य फार्मेसी को **जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के फेयर एंड एक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग (FEBS) उद्देश्य** के भाग के रूप में स्थानीय और देशज समुदायों के साथ अपने लाभ के साझाकरण के निर्देश दिए हैं।

एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) क्या है?

- यह उस तरीके को संदर्भित करता है जिस प्रकार आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों को संसाधनों का उपयोग करने वाले लोगों (उपयोगकर्ताओं) या देशों एवं उन्हें प्रदान करने वाले लोगों या देशों (प्रदाताओं) के मध्य साझा किया जा सकता है।
- **महत्व**: ABS यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आनुवांशिक संसाधनों तक भौतिक पहुँच को सुविधाजनक बनाया जाए और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों को प्रदाताओं के मध्य **समान रूप से साझा** किया जाए। कुछ प्रकरणों में इसमें आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित देशज लोगों और स्थानीय समुदायों (ILC) के बहुमूल्य पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया जाता है।
  - साझा किया जाने वाला लाभ **मौद्रिक या गैर-मौद्रिक** रूप में हो सकता है, जैसे कि अनुसंधान कौशल और ज्ञान का विकास।
- **संचालन प्रक्रिया:** ABS, उपयोगकर्ता को प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली **पूर्व सूचित सहमति** (PIC) तथा आनुवंशिक संसाधनों एवं सम्बद्ध लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करने हेतु दोनों पक्षों के मध्य **पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों** (MAT) को विकसित करने के लिए दोनों पक्षों के मध्य समझौते पर आधारित है।
- **कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (CBD) के अंतर्गत ABS पर नागोया प्रोटोकॉल:** इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उचित उपयोग और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के उचित हस्तांतरण सहित उचित और न्यायसंगत ढंग से आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का हस्तांतरण करना है।

जैव-विविधता अधिनियम (BDA) - 2002

- CBD का हस्ताक्षरकर्ता देश होने के कारण 2002 में भारत द्वारा निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्यों के साथ **जैव विविधता अधिनियम** को अधिनियमित किया गया था:
  - जैविक विविधता का संरक्षण।
  - इसके घटकों का संधारणीय उपयोग।
  - जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्यायसंगत साझाकरण।
- **संस्थागत संरचना:** केन्द्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण** (NBA), राज्य स्तर पर **राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)** और नगरपालिकाओं एवं पंचायतों दोनों के साथ कार्य करने वाली स्थानीय-स्तर पर **जैव विविधता प्रबंधन समितियों** (BMCs) की एक त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई थी।
- यह अधिनियम जैविक संसाधनों के संरक्षण में ILC की भूमिका और भागीदारी आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत, कंपनी को **करोपरांत अपनी बिक्री का 0.5 प्रतिशत साझा करना** आवश्यक है, यदि उसका वार्षिक टर्नओवर **3** करोड़ रुपये से अधिक है।
- इसमें पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) के विकास और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT) को जारी करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMCs) के माध्यम से ILC की भागीदारी का भी प्रावधान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कंपनी द्वारा जैव-विविधता के उत्पादकों एवं किसानों, देशज दवाओं का व्यवसाय करने वाले वैद्य और हकीमों सहित स्थानीय लोगों और समुदायों के लिए पूर्व अनुमोदन या सूचना को **BDA की धारा 7** के अंतर्गत छूट की मांग की गई है।
- **हालांकि,** निर्णय में कहा गया है कि BDA 2002 के तहत **भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियां** जैविक संसाधनों का उपयोग करने हेतु देशज और स्थानीय समुदायों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इनके द्वारा वर्षों से जैविक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित रखा गया है।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत में जैव-विविधता अधिनियम के ABS संबंधी प्रावधानों को कार्यान्वित न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपए की हानि हो रही है।

VISION IAS

ABS के कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियां

- 2016 तक 16% से भी कम स्थानीय निकायों द्वारा BMC का गठन किया गया था।
- 15 राज्यों के लगभग 3% से कम स्थानीय निकायों द्वारा ही पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स (PBRs) को विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि PBRs में किसी क्षेत्र के जैविक संसाधनों (पौधों,जंतुओं) तथा स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान का अभिलेखन किया जाता है।
  - PBR की अनुपस्थिति से कई एंडेंजर्ड प्रजातियों के समक्ष विलुप्ति का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों से स्थानीय लोग वंचित हो जाते और सम्बंधित उद्योग अपनी औद्योगिक परियोजनाओं के पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव को प्रकट किए बिना अपनी परियोजनाओं को जारी रखने में सक्षम हो जाते हैं।
  - PBR की अनुपस्थिति, कल्पित पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट का मार्ग प्रशस्त करती है।
- **स्थानीय प्रतिनिधित्व का अभाव:** न तो NBA और न ही राज्य जैव-विविधता बोर्ड मे स्थानीय समुदायों, वनवासी समुदायों या यहां तक कि पारंपरिक ज्ञान से संबंधित व्यवसायियों का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **कॉरपोरेट की मिलीभगत:** इस उद्योग से संबंधित बड़े अभिकर्ताओं ने स्वयं को अभी तक संबंधित राज्य जैव-विविधता बोर्ड (SBB) में पंजीकृत नहीं किया है, जिससे भारतीय कंपनियों की जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने और अंततः जैव-विविधता बोर्डों के साथ रॉयल्टी साझा करने की आवश्यकता की उपेक्षा की जा रही है।
  - कई बार उद्योगों द्वारा संसाधनों या ज्ञान तक प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त न करके विभिन्न बिचौलियों (स्थानीय बाजारों सहित) के माध्यम से पहुँच प्राप्त की जाती है।

ABS के लिए संबंधित पहलें:

सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ (CEBPOL)

- नार्वे सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा जैव-विविधता नीतियों और विधियों में व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित करने और क्षमता निर्माण का विकास करने हेतु इस केंद्र की स्थापना की गई है।

UNEP - GEF - MoEF ABS परियोजना

- **उद्देश्य:** भारत में ABS समझौतों के कार्यान्वयन के माध्यम से जैव-विविधता संरक्षण प्राप्त करने हेतु जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 और नियम 2004 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हितधारकों की संस्थागत, व्यक्तिगत और प्रणालीगत क्षमताओं में वृद्धि करना।

2017 में ABS की ऑनलाइन फाइलिंग

- NBA द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के साथ मिलकर आवेदनों की ई-फाइलिंग को संभव बनाने हेतु वेबसाइट लॉन्च की गई है।

आगे की राह

- जैविक (आनुवंशिक) संसाधनों और संबद्ध स्थानीय पारंपरिक ज्ञान (ITK) की प्राप्ति एवं किसी भी प्रकार के उसके उपयोग से पूर्व ILCs के PIC को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (NBA) की पूर्व स्वीकृति के अधीन, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने/उपयोग करने वाली घरेलू कंपनियों और अनुसंधान प्रतिष्ठानों, को भी लाया जाना चाहिए।
- जैविक संसाधनों और संबद्ध ITK तक उपयोगकर्ताओं की पहुँच की निगरानी करने हेतु ILC को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5.4. लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी

(Land Degradation Neutrality: LDN)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिज़र्टिफिकेशन (UNCCD) के तहत भूमि निम्नीकरण के प्रथम वैश्विक आकलन की समीक्षा करने हेतु एक सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्ष 2030 तक LDN (भूमि निम्नीकरण को रोकना) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लैंड डिग्रडेशन न्यूट्रैलिटी (LDN) के बारे में

- UNCCD की परिभाषा के अनुसार, LDN एक ऐसी स्थिति है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं को समर्थन प्रदान करने तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु आवश्यक **भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता** निर्दिष्ट कालिक और स्थानिक पैमानों पर स्थिर बनी रहती है या उनमें वृद्धि होती रहती है।
- यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्धार के साथ उत्पादक भूमि की अपेक्षित हानि को प्रतिसंतुलित करता है।

VISION IAS

- LDN के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
  - **अवॉयड (Avoid)**: इसके अंतर्गत उचित विनियमन, योजना निर्माण और प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से, निम्नीकरण के कारकों का समाधान करके एवं भूमि की गुणवत्ता में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों को रोकने तथा लचीलापन प्रदान करने के लिए अग्रसक्रिय उपायों के माध्यम से भूमि निम्नीकरण का परिवर्जन किया जा सकता है।
  - **रिड्यूस (Reduce)**: संधारणीय प्रबंधन पद्धतियों का अनुप्रयोग कर कृषि और वन भूमि के निम्नीकरण को कम किया जा सकता है या उसका शमन किया जा सकता है।
  - **रिवर्स (Reverse)**: जहां संभव हो, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्यों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर निम्नीकृत भूमि की कुछ उत्पादक क्षमता और पारिस्थितिक सेवाओं की पुनर्स्थापना या पुनर्वासित करना है।
- LDN, भूमि निम्नीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले मृदा अपरदन, **मरुस्थलीकरण, जलाभाव, प्रवासन संबंधी असुरक्षा** और आय असमानताओं को रोक सकती है। इस प्रकार, यह **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सहायता करती है।**

भारत और LDN

- भारत द्वारा वर्ष 2030 तक LDN प्राप्त करने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के समान ही लक्ष्य अपनाए गए हैं।
- वर्ष 2011-2013 के दौरान, भारत का कुल भूमि निम्नीकृत क्षेत्र भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल का 29.3% (लगभग 96.4 मिलियन हेक्टेयर) था।
- वर्ष 2014-15 में मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण एवं सूखे (DLDD) के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2.54 प्रतिशत अर्थात् 47 बिलियन डॉलर की हानि हुई।
- वनस्पति निम्नीकरण और वायु अपरदन सहित जल अपरदन, भारत में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं।

भूमि निम्नीकरण का वैश्विक परिदृश्य

- विगत 15 वर्षों के दौरान विश्व की लगभग 20% भूमि निम्नीकृत हो चुकी है और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में 3.2 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं।
- कृत्रिम क्षेत्रों का विकास (जैसे शहरीकरण) भूमि उपयोग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है जिसमें 2000-2015 की अवधि के दौरान 32.2 प्रतिशत (1,68,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि) की वृद्धि हुई है।
- मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण की आर्थिक लागत 490 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष अनुमानित की गई है।

LDN प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदम

- 2030 तक LDN प्राप्त करना, 2015 में अपनाए गए **सतत विकास लक्ष्यों** में से एक लक्ष्य है।
- **LDN लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम:** इसके अंतर्गत, जो देश नेशनल लैंड डिग्रडेशन न्यूट्रैलिटी (LDN) लक्ष्य निधारण की प्रक्रिया में हैं उन्हें UNCCD द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आधार रेखाओं की परिभाषा, लक्ष्यों और **LDN** प्राप्त करने के लिए संबद्ध उपाय सहित नेशनल लैंड डिग्रडेशन न्यूट्रैलिटी (LDN) लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जा रही है।
- संधारणीय कृषि, संधारणीय पशुपालन प्रबंधन, कृषि-वानिकी, संधारणीय वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना विकास और इको-टूरिज्म सहित सम्पूर्ण विश्व में भूमि पुनर्वासन एवं संधारणीय भूमि प्रबंधन पर बैंक-ग्राह्य परियोजनाओं में निवेश करने हेतु **LDN** निधि का निर्माण करना। इसे **UNCCD** द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और मिरोवा (एक निजी निवेश प्रबंधन फर्म) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- UNCCD द्वारा **ग्लोबल लैंड आउटलुक** जारी किया जाती है जिसमें मानव कल्याण के लिए भूमि की गुणवत्ता के केन्द्रीय महत्त्व का प्रदर्शन, भूमि उपयोगका परिवर्तन, निम्नीकरण और हानि से संबंधित वर्तमान प्रवृत्तियों का आकलन, इन्हें प्रेरित करने वाले कारकों की पहचान और प्रभावों का विश्लेषण आदि किया जाता है।
- भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण की चुनौतियों से निपटने हेतु वर्ष 2011 में UNCCD कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज - 10 (COP-10) में **लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम आरम्भ** किया गया था।
- भारत में वर्ष 2001 में 20 वर्षों के लिए मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु **राष्ट्रीय कार्य योजना** (NAP) आरम्भ की गई थी।
- इसरो और 19 अन्य भागीदारों द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) परिवेश के तहत भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों के आंकड़ों का उपयोग करके संपूर्ण देश का डिज़र्टिफिकेशन एंड लैंड डीग्रेडेशन एटलस (2016) तैयार किया गया था।
- एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित मिशन आदि जैसी योजनाओं में भूमि निम्नीकरण से निपटने हेतु आवश्यक घटक विद्यमान हैं।

VISION IAS

आगे की राह

भूमि निम्नीकरण को कम करने हेतु, भूमि संसाधनों पर बढ़ते दबावों को कम किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, UNCCD द्वारा जारी वैश्विक लैंड आउटलुक द्वारा कुछ ऐसे समाधानों को रेखांकित किया गया है जिन्हें भूमि संसाधनों पर बढ़ते दबावों को स्थिर और कम करने हेतु उत्पादकों, उपभोक्ताओं, सरकारों और संस्थाओं द्वारा अपनाया जा सकता है:

- **मल्टीफंक्शनल लैंडस्केप एप्रोच**: भूमि उपयोग योजना निर्माण में जैव-विविधता के संरक्षण की दिशा में लोगों की मांगों की सर्वोत्तम रूप से पूर्ति करने वाले भूमि उपयोगों की पहचान करते हुए भू-दृश्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना और संतुलन स्थापित करना।
- **विविध लाभों को प्राप्त करने हेतु कृषि**: कृषि पद्धतियों को इस प्रकार रूपांतरित किया जाना चाहिए कि वे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ खाद्य उत्पादन गतिविधियों से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सर्वाधिक वांछनीय लाभों को इष्टतम स्वरूप प्रदान कर सके।
- **ग्रामीण-शहरी इंटरफेस का प्रबंधन**: व्यापक परिदृश्य में संधारणीयता के लिए अभिकल्पित किए गए शहर परिवहन, खाद्य, जल और ऊर्जा की पर्यावरणीय लागत को कम कर सकते हैं और संसाधन दक्षता के लिए नए अवसर प्रदान कर सकते हैं।
- **स्वस्थ और उपजाऊ भूमि को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए** प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपभोग और उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना। उदाहरण के लिए: खाद्य पदार्थों की बर्बादी और हानि के वर्तमान स्तरों में कमी करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना।
- हितधारक सहभागिता, भूमि पर स्वामित्व, लैंगिक समानता और सतत निवेश एवं अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्राप्त की गई सफलताओं को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने हेतु **एक सक्षमकारी परिवेश का निर्माण करना।**

5.5. मोटापा, अल्पपोषण और जलवायु परिवर्तन का परस्पर संबंध

(Obesity, Undernutrition and Climate Change Linkage)

सुर्खियों में क्यों?

"मोटापा, अल्पपोषण और जलवायु परिवर्तन की ग्लोबल सिंडेमिक: लैन्सेट आयोग की रिपोर्ट" के तहत वर्णित किया गया है कि निकट भविष्य में स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वैश्विक स्तर पर निम्नस्तरीय स्वास्थ्य के प्रमुख कारणों (जैसे-अल्पपोषण और मोटापा) से उत्पन्न चुनौतियों को उल्लेखनीय रूप से जटिल बना देंगे।

सिंडेमिक (Syndemic) क्या है?

तीन महामारियाँ- मोटापा, अल्पपोषण और जलवायु परिवर्तन - व्यापक रूप से प्रत्येक देश और क्षेत्र में अधिकांश लोगों को प्रभावित करती हैं। उनका इस प्रकार एक साथ घटित होना **"सिंडेमिक" अर्थात् सिनर्जी ऑफ एपिडेमिक्स (synergy of epidemics)** के रूप में जाना जाता है, क्योंकि:

- वे एक ही समय और स्थान में एक साथ घटित होते हैं।
- जटिल रोगात्मक दशाएँ उत्पन्न करने के लिए परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं।
- उनके सामाजिक कारक समान होते हैं।

जलवायु परिवर्तन और अल्पपोषण के मध्य अंतर्क्रियाएं	जलवायु परिवर्तन और मोटापे के मध्य अंतर्क्रियाएं	अल्पपोषण और मोटापे के मध्य अंतर्क्रियाएं
कम उपज: वैश्विक तापन से विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपज कम होगी। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन पादप भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन और सूक्ष्मपोषक तत्वों की मात्रा को कम कर सकता है।	**निम्न गुणवत्ता की भोजन पद्धति** : फल और सब्जी उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन उत्पादों को अधिक महंगा बना देगा, और बहुसंख्यक लोगों की भोजन पद्धति को प्रभावी रूप से संसाधित खाद्य और पेय उत्पादों की ओर ले जा सकता है जिनमें वसा, शर्करा और सोडियम की उच्च मात्रा होती है। चरम मौसम और जलवायु घटनाक्रम के कारण **शारीरिक गतिविधि में कमी** आती है।	**दोहरी समस्या**: कई देश अल्पपोषण और अतिपोषण या मोटापे की दोहरी समस्या का सामना कर रहे हैं। आरम्भिक जीवन काल में अल्पपोषण बाद में मोटापे का कारक बनता है। इस संबंध की व्याख्या करने वाले जैविक एवं सामाजिक तंत्रों में भ्रूण और शिशु अवस्था के अल्पपोषण, खाद्य असुरक्षा, आहार की गुणवत्ता का निम्न स्तर आदि सम्मिलित हैं। खाद्य पदार्थों की विविधता में कमी इसका मुख्य लक्षण है।

5.6. संरक्षण का 'सांस्कृतिक मॉडल'

('Cultural Model' of Conservation)

सुर्खियों में क्यों?

अरुणाचल प्रदेश की इदु मिश्मी जनजाति के लोग दिबांग वन्यजीव अभयारण्य (DWS) को बाघ आरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) का दर्जा देने के विचार का विरोध कर रहे हैं।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल के दिनों में मिश्मी पहाड़ियों के अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में **सड़क संपर्क** में सुधार हुआ है। इससे ऊँचे स्थानों में पर्यटकों की संख्या और अवैध शिकार की घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) घोषित करने पर विचार कर रहा है।
- हालांकि, बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में एक क्षेत्र की घोषणा वहां संचालित **स्थानीय इदु मिश्मी लोगों की विभिन्न गतिविधियों** जैसे- पेड़ काटना, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना और कृषि एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियों आदि **को प्रतिबंधित करती है।**
- इदु मिश्मी जनजाति के लोग परंपरागत रूप से जीववादी और शमनवाद (शैनावादी) विश्वास का अनुसरण करते हैं और बाघ को अपने सहोदरों के रूप में मानते हैं। इदु मिश्मी जनजाति के लोग बाघों का शिकार कभी नहीं करते और यहाँ तक कि यदि आत्मरक्षा में कोई बाघ मारा जाता है तो एक मनुष्य के समान ही उसकी अंत्येष्टि की जाती है।
- इस प्रकार, इदु मिश्मी जनजाति के लोग बाघ आरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) का निर्माण किए जाने का विरोध कर रहे हैं और उसके स्थान पर **संरक्षण के सांस्कृतिक मॉडल** को अपनाने की माँग कर रहे हैं।

भारत की विभिन्न जनजातियों द्वारा प्रयुक्त संरक्षण के सांस्कृतिक मॉडल

- **राजस्थान की विश्नोई जनजाति**: विश्नोई जनजाति के लोग वृक्षों को पवित्र मानते हैं और अपने गांव में मौजूद पशुओं और पक्षियों सहित **संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र** की रक्षा करते हैं। इस जनजाति ने अपनी टाइगर फोर्स का गठन किया है जो वन्य जीव संरक्षण का कार्य करने वाले सक्रिय युवाओं की एक ब्रिगेड है।
- **आंध्र प्रदेश की चेंचू जनजाति**: वे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (NSTR) में बाघ संरक्षण हेतु प्रयासरत हैं। यह जनजाति, शाकाहारी प्राणियों के लिए पर्याप्त जल और चारे को सुनिश्चित करने वाले पारिस्थितिकीय संतुलन को भंग किए बिना, **बाघों और वन्यजीवों के साथ** लंबे समय से सह-अस्तित्व में रह रही है।
- **जूनागढ़ की मालधारी जनजाति (गुजरात)**: गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संरक्षण योजना की सफलता इस जनजाति के शेरों के साथ **शांतिपूर्ण सह अस्तित्व** के कारण संभव हुई है।
- **अरुणाचल प्रदेश की बुगुन जनजाति:** इस जनजाति ने समुदाय संचालित संरक्षण पहलों और **पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी बुगुन लियोसिचला के संरक्षण में सहायता की है।** इसके प्रयासों के लिए सिंगचुंग बुगुन समुदाय रिजर्व ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 प्राप्त किया।
- **अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति द्वारा** पाक्के/पखुई टाइगर रिजर्व में धनेश (हॉर्नबिल) पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा, पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (PPHF) - **राज्य का एकमात्र संरक्षण त्योहार- को 'राज्य महोत्सव' घोषित किया गया है।**

संरक्षण का औपनिवेशिक बनाम सांस्कृतिक मॉडल

- **संरक्षण का औपनिवेशिक मॉडल:** इस मॉडल में मानव उपस्थिति को प्रकृति के लिए खतरा समझा जाता है।
  - यह मॉडल **स्थानीय लोगों के अधिकारों को अस्वीकार करता है** और दीर्घावधिक सामाजिक संघर्ष उत्पन्न करता है।
  - यह मॉडल **भारत के लिए उपयुक्त नहीं है** क्योंकि कई देशज समुदाय प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं।
- **संरक्षण का सांस्कृतिक मॉडल**
  - यह **देशज लोगों एवं "पारंपरिक ज्ञान" धारण करने वाले अन्य लोगों के अधिकारों को सम्मान** प्रदान करने पर आधारित है। यह मॉडल सामाजिक संघर्षों को रोकता है।
  - यह वन प्रबंधन एवं शासन में वन निवासियों को शामिल करता है और गौण वन उपज पर वनवासियों के पारंपरिक अधिकार को मान्यता प्रदान करते हुए संरक्षण को अधिक प्रभावी और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रावधान करता है।
  - 1975 का **किंशासा प्रस्ताव** (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ नेचर:IUCN के अंतर्गत) संरक्षण के सांस्कृतिक मॉडल को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है। यह जीवन और भूमि स्वामित्व की पारंपरिक विधियों के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह सरकारों से जीवन-यापन करने की प्रथागत विधियों को बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का आह्वान करता है।

5.7. सुर्खियों में वनस्पति और वन्य जीवन

(Flora Fauna in News)

5.7.1. सारस क्रेन

(Sarus Crane)

सुर्खियों में क्यों?

राज्य के वन और वन्यजीव विभाग की नवीनतम **2018** की जनगणना (ग्रीष्मकालीन) के अनुसार**, उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी में 5.2% वृद्धि** हुई है। सारस की भारतीय आबादी का **73%** उत्तर प्रदेश में विद्यमान है।

VISION IAS

सारस क्रेन से संबंधित तथ्य

- सारस क्रेन (एंटीगन एंटीगन) एक विशाल आकार का **गैर-प्रवासी क्रेन** है। यह **भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया** के कुछ भागों में पाया जाता है।
- **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** ने अपनी थ्रेटेंड प्रजातियों की सूची में इसे **'वल्नरेबल'** के रूप में चिह्नित किया है।
- यह सामान्यत: कम उथले जल युक्त, **प्राकृतिक आर्द्रभूमि**, दलदली एवं परती क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में निवास करता है।
- यह सामाजिक वन्यजीव है, जो अधिकांशत: जोड़ों में अथवा तीन या चार के छोटे समूहों में पाया जाता है।
- यह **विश्व का सर्वाधिक लंबा (औसतन 5 फीट) उड़ने वाला पक्षी** है और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (WTI) के **अनुसार** भारत का एकमात्र **आवासी प्रजननकर्ता क्रेन** भी है।
- सारस **सर्वाहारी** होते हैं और मछली एवं कीड़े-मकोड़े, साथ ही जड़ों और पौधों को खाते हैं।
- **खतरा:** आर्द्रभूमि का निम्नीकरण और हानि, कीटनाशकों का अंतर्ग्रहण, वयस्क सारसो का शिकार तथा व्यापार, आहार, औषधीय उद्देश्यों के लिए अंडों एवं चूजों का संग्रह और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर आवास का होना।

सारस क्रेन संरक्षण परियोजना

- यह परियोजना टाटा ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश वनविभाग के सहयोग से भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में चलाई जा रही है।
- इसमें स्थानीय स्वयंसेवक (जिन्हें **सारस मित्र या फ्रेंड्स ऑफ द सारस**), टाटा ट्रस्ट के भागीदार NGO और सारस संरक्षण समिति सम्मिलित हैं।

5.7.2. उत्तर भारतीय शीशम

(North Indian Rosewood)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने CITES के परिशिष्ट II से शीशम (डलबर्जिया सिस्सू) को हटाने का प्रस्ताव दिया है।

CITES के संबंध में

- यह एक अंतर-सरकारी समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पौधों के नमूनों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न हो।
- इसमें **तीन परिशिष्ट** हैं।
  - **परिशिष्ट I** में वे प्रजातियां हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा है। केवल असाधारण परिस्थितियों में इन प्रजातियों के नमूनों के व्यापार की अनुमति है।
  - **परिशिष्ट II** में वे प्रजातियां हैं जिनके समक्ष विलुप्ति का खतरा भले ही न हो किन्तु उनका व्यापार इसलिए नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बन जाए।
  - **परिशिष्ट III** में वे प्रजातियां हैं जो कम से कम एक ऐसे देश में संरक्षित हैं, जिसने अन्य CITES पक्षों से व्यापार नियंत्रित करने में सहायता के लिए कहा है।
- CITES पक्षों पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी** है और यह उन सभी भागीदार देशों हेतु मानक रूपरेखा प्रदान करता है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर CITES का कार्यन्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी कानून अपनाना है।

CITES पर हस्ताक्षर के दिन अर्थात 3 मार्च, को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया गया है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- डलबर्जिया की सभी प्रजातियों को **"लुकअलाइक (समरूपता)" मानदंड** के आधार पर परिशिष्ट में रखा गया था। यह मानदंड इस प्रजाति के समक्ष व्याप्त खतरे के स्तर पर नहीं, बल्कि इस प्रजाति की अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों से अंतर करने की कठिनाई पर आधारित है।
- निकट भविष्य में परिशिष्ट I में सम्मिलित होने के लिए इसे पात्र बनने से रोकने हेतु इस प्रजाति के व्यापार का विनियमन आवश्यक नहीं है और **जंगल से इसके नमूनों की कटाई जंगली आबादी को उस स्तर तक कम नहीं कर रही है** जिस पर इसका अस्तित्व निरंतर कटाई या अन्य प्रभावों से लुप्तप्राय हो सकता है।

VISION IAS

- भारत ने औटर्स (आओनिक्स सिनेरियस), स्मूद कोटेड औटर्स (लुट्रोगेल पर्स्पीसिलाटा), भारतीय स्टार कछुआ (जियोकेलोन एलिगैंस) को परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में स्थानांतरित करने और CITES के परिशिष्ट II में टोके गेको (गेको गेको) और वेज फिश (राइनिडे) को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया है। टोके गेको (tokay gecko) का चीनी पारंपरिक चिकित्सा के लिए अत्यधिक व्यापार किया जाता है।

उत्तर भारतीय शीशम (डलबर्जिया या सिस्सू) से संबंधित तथ्य

- यह उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाने वाला **पर्णपाती वृक्ष** है और वानिकी, कृषिवानिकी और बागवानी में अपनी उपयोगिता के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- **उपयोग:**
  - **औषधीय गुण:** इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के लिए किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: त्वचा रोग, रक्त रोग, सिफलिस, पेट संबंधी समस्याएं, पेचिश, उल्टी आदि।
  - **अपरदन नियंत्रण:** इसकी व्यापक जड़ प्रणाली इसे अपरदन को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए आदर्श रूप से अनुकूल बनाती है।
  - **मृदा उर्वरता:** भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी यह वृक्ष **लेग्युम परिवार** का सदस्य है और अपनी जड़ प्रणाली पर जीवाणु ग्रंथियों के माध्यम से **वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर** कर सकता है।
  - इसमें कीटनाशक और लार्वानाशक गुण भी हैं। साथ ही इसमें काष्ठ बेधक कुछ कीड़ों के लिए प्रतिरोध क्षमता भी विद्यमान है।
  - उत्कृष्ट परिष्करण रंग और चिकनाई के साथ भारतीय शीशम की लकड़ी अत्यधिक टिकाऊ होती है; इसका उपयोग पृष्ठावरण या अलंकृत आवरण, फर्नीचर, अलमारियाँ, पैनलिंग, नक्काशी, छोटी इमारती लकड़ी, प्लाईवुड और संगीत वाद्ययंत्र के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह **प्रजाति अत्यंत तीव्र दर से बढ़ती है** और इसमें अपने मूल परास से बाहर भी अनुकूलित होने और अस्तित्वमान रहने की क्षमता है। यह विश्व के कुछ भागों में **तेजी से फैलने वाली प्रजाति** है।

5.7.3.मगर क्रोकोडाइल

(Mugger Crocodile)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, गुजरात सरकार ने स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी पर सीप्लेन सर्विस की सुविधा प्रदान करने के लिए सरदार सरोवर बांध से **मगर क्रोकोडाइल** (क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस) को स्थानांतरित किया है।

मगर मगरमच्छ से संबंधित तथ्य

- यह एक सरीसृप प्रजाति है जिसे **दलदली मगरमच्छ या ब्रॉड-स्नॉटेड मगरमच्छ** भी कहा जाता है और यह भारत में पाई जाने वाली तीन-मगरमच्छ प्रजातियों (**खारे पानी का मगरमच्छ, दलदली मगरमच्छ और घड़ियाल**) में से एक है।
- यह **म्यांमार और भूटान में विलुप्त है, और संभवतः बांग्लादेश में भी विलुप्त है।**
- इसके पर्यावास में आर्द्रभूमियां (अंतर्देशीय), मरीन नेरिटिक (समुद्र का उथला भाग), कृत्रिम/जलीय निकाय और समुद्र सम्मिलित हैं।
- यह **बिल में अंडे देने वाली** प्रजाति है। यह वर्ष के दौरान शुष्क मौसम में अंडे देते हैं।
- वडोदरा **भारत का एकमात्र शहर** है जहाँ मानव आबादी के बीच मगरमच्छ अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं।
- **खतरा**: जल प्रदूषण, मानव उपभोग के लिए भोजन, अवैध उपयोग और व्यापार जैसे औषधीय उद्देश्य,वस्त्र/सहायक सामग्री आदि।
- **संरक्षण संबंधी दर्जा**: इसे **वन्य जीवजन्तु और वनस्पति** की **लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I** के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, **IUCN की रेड लिस्ट में 'वल्नरेबल'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है और **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के** अंतर्गत संरक्षित है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी। इसमें बंदी प्रजनन कार्यक्रम और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सम्मिलित है।

5.7.4. हम्पबैक डॉल्फिन

(Humpback dolphins)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, हम्पबैक डॉल्फिन को मुंबई तट के निकट देखा गया।

VISION IAS

हम्पबैक डॉल्फ़िन से संबंधित तथ्य

- **अवस्थिति:** हिंद महासागर की हंपबैक डॉल्फिन हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक के तटीय क्षेत्रों में पायी जाती है।
- **पर्यावास:** उथले पानी में रहने की प्राथमिकता के कारण यह प्रजाति अपने पर्यावास के प्रति सर्वाधिक अनुकूल मानी जाती है। ये विश्व के कुछ सर्वाधिक गहन रूप से प्रयुक्त, मत्स्यन एवं नौवहन हेतु उपयोग में आने वाले, रूपांतरित एवं प्रदूषित जल में रह सकती है।
- IUCN स्थिति: लुप्तप्राय।
- WPA संरक्षण: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I।

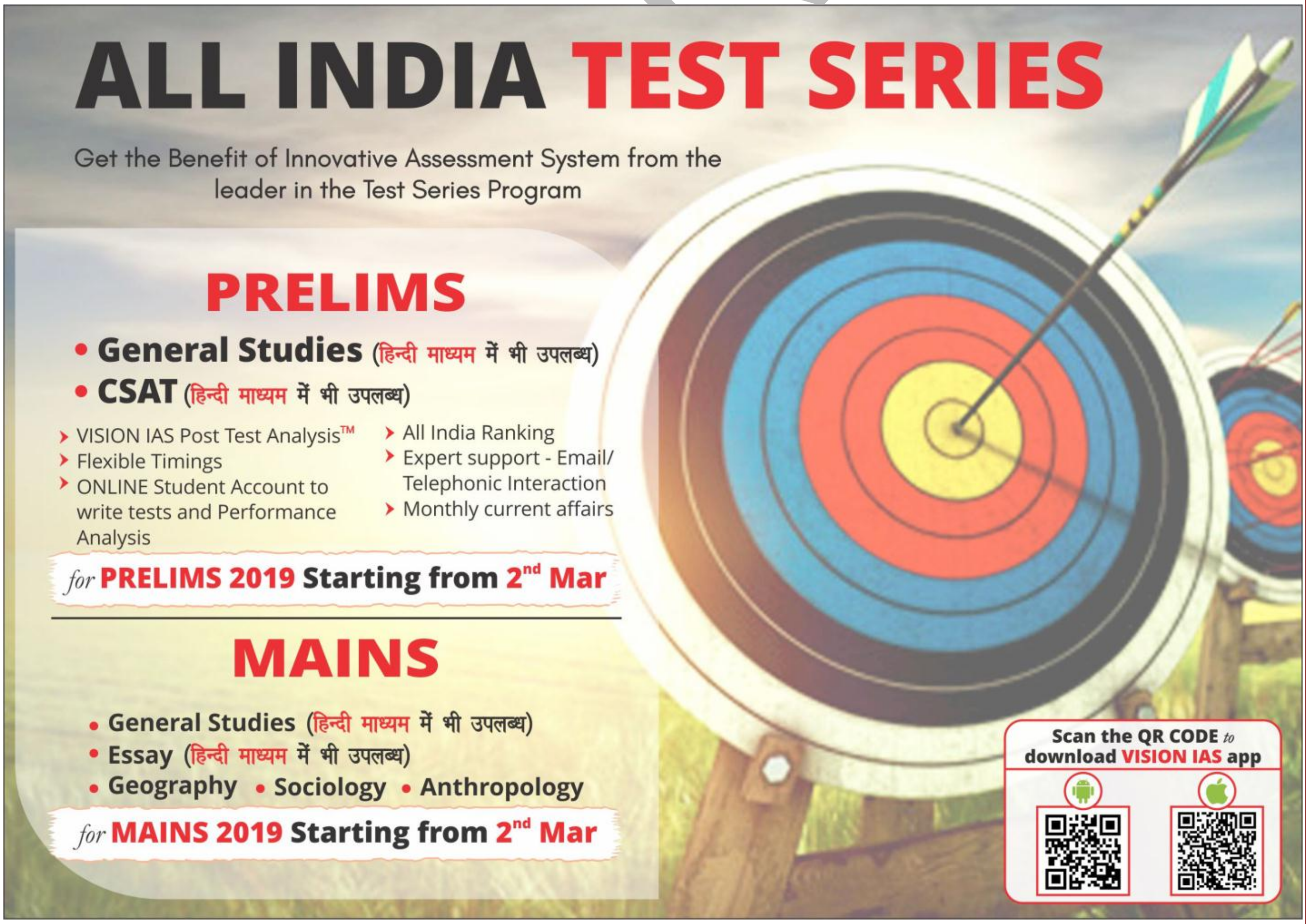

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

6.1. दुर्लभ रोग

(Rare Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति (NPTRD) को वापस लेने के पश्चात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने **राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) की अम्ब्रेला योजना के तहत एक उप-घटक को जोड़ने** के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत **निर्धनता रेखा के नीचे** जीवन-यापन करने वाले लोगों को निर्दिष्ट दुर्लभ रोगों (जिनके लिए एक बार उपचार की आवश्यकता होती है) के उपचार के लिए एकमुश्त **वित्तीय सहायता प्रदान** करने के प्रावधान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)

- RAN की स्थापना का उद्देश्य **जानलेवा रोगों** से पीड़ित निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले **रोगियों** को किसी भी सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल/संस्थान या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए **वित्तीय सहायता प्रदान** करना है।
- ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता **'एकमुश्त अनुदान'** के रूप में प्रदान की जाती है। यह राशि उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जारी की जाती है जहां पर उपचार दिया गया हो/दिया जा रहा हो।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत इसे एक सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है।

दुर्लभ रोगों के बारे में

- दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है और विभिन्न देशों में इसकी परिभाषाएं प्रायः भिन्न होती हैं। हालांकि, सामान्यतः दुर्लभ रोगों को '**अल्प प्रसार वाली स्वास्थ्य स्थिति** जो सामान्य जनसंख्या में प्रसारित अन्य रोगों की तुलना में बहुत कम लोगों को प्रभावित करती है', के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ रोग** को 'प्रायः दुर्बल करने वाले आजीवन रोग अथवा विकार की स्थिति जिसकी व्यापकता प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम होती है', के रूप में परिभाषित करता है।
- दुर्लभ रोगों में से 80% **अपनी उत्पत्ति में आनुवांशिक होते हैं** और इसलिए यह बच्चों को अधिक प्रभावित करते हैं।
- इन्हें '**ऑर्फ़न डिजीज**' भी कहा जाता है क्योंकि दवा कंपनियां कम लाभप्रदता के कारण इन रोगों के उपचार विकसित करने में अधिक रुचि नहीं रखती हैं।
- सबसे सामान्य दुर्लभ रोगों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल-सेल एनीमिया, ऑटो-इम्यून डिजीज आदि शामिल हैं।
- ये देश में कुल जनसंख्या के 6% - 8% भाग को प्रभावित करते हैं। भारत में अब तक लगभग 450 दुर्लभ रोगों को दर्ज किया गया है।
- **कर्नाटक** 'रेयर डिजीज एंड ऑर्फ़न ड्रग पॉलिसी' जारी करने वाला पहला राज्य है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा नीति को "असमर्थनीय" करार दिया क्योंकि नीति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यान्वित किया जाना था। (NHM का कार्यान्वयन क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित है **परंतु दुर्लभ रोग तृतीयक देखभाल के अंतर्गत आते हैं**)।
- नई नीति के तैयार होने तक अंतरिम उपाय के रूप में **एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।** एक नई नीति के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

इस कदम की आलोचना: भारत को दुर्लभ रोगों पर नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **निरंतर उपचार की आवश्यकता:** अधिकांश दुर्लभ रोग जिनके लिए उपचार उपलब्ध हैं, उनके उपचार के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है तथा अंतरिम व्यवस्था के रूप में केवल एकमुश्त सहायता, नीति का विकल्प नहीं हो सकती है।
  - NPTRD में ऐसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों तथा कदमों को रेखांकित किया गया था, जिन्हें दुर्लभ रोगों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति में स्वास्थ्य प्रणाली की संधारणीयता और उपचार तक पहुंच के मध्य संतुलन स्थापित करने की मांग की गई थी।
- **ये परिवारों को निर्धनता की ओर धकेलते हैं:** इनका प्रायः परिवारों पर भावनात्मक के साथ-साथ वित्तीय भार के रूप में विनाशकारी प्रभाव होता है। प्रति रोगी उपचार की लागत अत्यधिक होती है, जो सामान्यतः 25 लाख और 4 करोड़ के मध्य होती है। अतः यह मध्यम वर्गीय परिवारों की भी पहुंच से बाहर है।
- **ये जनसंख्या के एक उल्लेखनीय भाग को प्रभावित करते हैं:** यद्यपि भारत में दुर्लभ रोगों से ग्रसित रोगियों की कोई रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं है (हालाँकि नीति में इसके लिए प्रावधान था), तथापि सरकार के अनुमानों के अनुसार इनकी संख्या लगभग 70 से 90 मिलियन है।

VISION IAS

- **अनुसंधान एवं विकास में कठिनाई:** दुर्लभ रोगों पर शोध कार्य करना कठिन है क्योंकि रोगियों की संख्या अत्यधिक कम है। इसके कारण प्रायः अपर्याप्त नैदानिक अनुभव प्राप्त हो पाता है। नीति में एक अनुसंधान एवं विकास फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई थी, जिसे केवल एकमुश्त वित्तीय समर्थन के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- **स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर नहीं:** निजी बीमा कंपनियां आनुवांशिक विकारों को पूर्व-मौजूदा परिस्थितियों के रूप में मानती हैं और इस आधार पर उन्हें कवरेज से बाहर कर देती हैं। चूंकि अधिकांश दुर्लभ रोग आनुवांशिक होते हैं, इसलिए रोगियों को नियमित रूप से बीमा कवर से बाहर रखा जाता है।

6.2. भारत में कुष्ठ रोग

(Leprosy in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) के अंतर्गत लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन (कुष्ठ रोग का पता लगाने संबंधी अभियान) की प्रारंभिक रिपोर्ट में बिहार में अब तक के सर्वाधिक लगभग **50,000 नए कुष्ठ रोग के मामलों** को सूचित किया गया है।

वर्तमान परिदृश्य

- **वर्ष 2005** में जब नए मामले प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम हो गए, तो **भारत ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन** की घोषणा की थी। फिर भी, वर्तमान में विश्व में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सर्वाधिक संख्या (58 प्रतिशत) भारत में पायी जाती है।
- भारत में हुए अनुसंधान ने **मल्टी-ड्रग थेरेपी** या MDT के विकास में योगदान दिया, जिसे वर्तमान में WHO द्वारा अनुशंसित किया गया है। इसके कारण उपचार अवधि में कमी आई है और ठीक होने की दर में वृद्धि हुई है।
- हाल के वर्षों में अन्य देशों के समान भारत ने भी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध विभेदकारी कानूनों को समाप्त कर दिया है।
  - वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा औपनिवेशिक युग के कठोर लेपर्स एक्ट को समाप्त कर दिया गया तथा जनवरी 2019 में लोकसभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिसमें **तलाक के एक आधार के रूप में कुष्ठ रोग को हटाने की मांग की गई।**

कुष्ठ रोग क्या है?

- कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। यह **माइकोबैक्टीरियम लेप्री** के कारण होने वाला **अत्यधिक संक्रामक** रोग है।
- बैक्टीरिया का उद्भवन काल (Incubation period) **अत्यधिक दीर्घ** होता है। व्यक्ति के संक्रमित होने के पश्चात् प्रथम लक्षणों के प्रकट होने में **6-10 वर्ष या 20 वर्ष** तक का समय भी लग सकता है।
- यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ के म्यूकोसा और आंखों को प्रभावित करता है।
- यह रोग उपचार योग्य है तथा प्रारंभिक अवस्था में उपचार प्रदान करके रोगी को अपंगता से बचाया जा सकता है।

माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानिआइ (MIP)

- यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा कुष्ठ रोग के उपचार के लिए **एक स्वदेशी रूप से विकसित टीका** है।
- अब इसका उपयोग NLEP के अंतर्गत भी किया जा रहा है। यह जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगा।

कुष्ठ रोग उन्मूलन के समक्ष चुनौतियां

- **कुष्ठ रोग में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध:** वैश्विक आंकड़े दर्शाते हैं कि अध्ययन किए गए माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कुल 8% स्ट्रेन में **रिफैम्पिसिन, डैप्सोन और ओफ़्लॉक्सासिन जैसी दवाओं के प्रति जीन उत्परिवर्तन आधारित प्रतिरोध देखा गया है।**
- **दवाओं को लेने में अनियमितता:** विभिन्न कारणों से अधिकांश रोगी दवाओं को लेने में अनियमित हो जाते हैं और MDT (मल्टी ड्रग थेरेपी) कोर्स को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।
- **वर्ष 2005 में कुष्ठ उन्मूलन की घोषणा से संबंधित मुद्दे:**
  - इस घोषणा के पश्चात् वित्तीयन में कमी के साथ-साथ प्राप्त संसाधनों की मात्रा में भी गिरावट आई। कार्यक्रम से संबंधित कार्यकर्ताओं ने छिपे हुए मामलों की पहचान करने के लिए घर-घर दौरे करना बंद कर दिया तथा इसके स्थान पर केवल स्वैच्छिक रोगी पंजीकरण पर ध्यान दिया गया।
  - **त्वचा रोग विशेषज्ञों द्वारा रोगियों को उपचार के लिए न भेजा जाना**, क्योंकि उन्मूलन के अत्यधिक प्रचार ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि कुष्ठ रोग अब अतीत का रोग हो गया है।
  - आधिकारिक तौर पर उन्मूलित घोषित रोग **न तो फंड प्रदाताओं को आकर्षित करता और न ही शोधकार्यों के लिए युवा शोधकर्ताओं को**, भले ही वह वास्तविकता में अभी भी सर्वव्यापी ही क्यों न बना हो।
- **कुष्ठ रोग से संबद्ध कलंक:** कलंक का भय तथा परिणामी भेदभाव, व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहायता की मांग करने से हतोत्साहित करता है।
- **वित्त पोषण का अभाव:** कुछ अनुसंधान और जागरुकता अभियानों में वित्तीय संकट पर्याप्त मानव बल की कमी और इस रोग का प्रारंभिक चरण में निदान करने में सक्षम प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की कमी का कारण बनता है ।

कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए किए गए उपाय

अंतर्राष्ट्रीय

- WHO द्वारा वर्ष 1995 के पश्चात् से विश्व भर के सभी रोगियों के लिए **मल्टी ड्रग थेरेपी** निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। यह सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों के लिए एक सरल और अत्यधिक प्रभावी उपचार प्रदान करती है।
- वर्ष 2016 में WHO ने **द ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रैटेजी 2016-2020: ऐक्सेलरैटिंग टुवर्ड्स ए लेप्रोसी फ्री वर्ल्ड,** को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य कुष्ठ नियंत्रण प्रयासों को पुनर्जीवित करना तथा विशेष रूप से स्थानिक देशों में रोग से प्रभावित बच्चों का अपंगता से बचाव करना है।

भारत सरकार की पहलें

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** का उद्देश्य सभी जिलों में कुष्ठ रोग की व्यापकता को कम करके इसे 10,000 की जनसंख्या पर 1 से भी कम करना और इसके मामलों को शून्य करना है।
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1,50,000 **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों** द्वारा देश भर में कुष्ठ रोग के संबंध में सभी भारतीयों की स्क्रीनिंग करने की योजना बनाई गयी है।
- **स्पर्श कुष्ठ रोग जागरुकता अभियान** का उद्देश्य कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाने और इसके उपचार के महत्व को प्रसारित करना है।
- कुष्ठ रोग के संचरण को रोकने के लिए **कीमो प्रोफिलैक्सिस और इम्युनो-प्रोफिलैक्सिस** जैसे नए निरोधक दृष्टिकोणों पर विचार किया जा रहा है।
- **30 जनवरी** (महात्मा गांधी के शहीद दिवस) को संपूर्ण भारत में एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाया गया ताकि इस रोग के बारे में लोगों में जागरुकता का प्रसार किया जा सके।
- वर्ष 2016 में **कुष्ठ रोग के मामलों की जांच संबंधी एक अभियान** आरंभ किया गया, जिसमें घर-घर जांच और निदान के लिए रोगियों को रेफर करना शामिल था।
- **12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2017 तक जिला स्तर पर कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने** की योजना बनाई गई।

भारत का राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य भारत से कुष्ठ रोग को समाप्त करना है।
- **कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए रणनीतियाँ:**
  - सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के माध्यम से **विकेंद्रीकृत एकीकृत कुष्ठ रोग संबंधी सेवाएं प्रदान करना।**
  - **कुष्ठ रोग के नए मामलों का शीघ्र पता लगाना और पूर्ण उपचार** उपलब्ध करना।
  - मल्टीबैसिलरी (MB) और बच्चों से संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए **घर-घर संपर्क सर्वेक्षण करना।**
  - नियमित और विशेष प्रयासों के माध्यम से **प्रारंभिक निदान और शीघ्र MDT आरंभ करना।**
  - कुष्ठ रोग के मामलों का पता लगाने और पूर्ण उपचार प्रदान करने हेतु मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) से सहायता प्राप्त करना।
  - विकलांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास (DPMR) सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पर स्व-रिपोर्टिंग में सुधार करने और कुष्ठ से संबंधित कलंक को कम करने के लिए समुदाय में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर **गहन निगरानी और पर्यवेक्षण।**

आगे की राह

- **सतही घोषणाओं से बचना:** भारत द्वारा अभी भी राज्य या जिला स्तर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसके लिए पुराने अनुभवों से सीख ली जानी चाहिए तथा आत्मतुष्टि का माहौल बनाने से बचना आवश्यक है।
- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण की सही भावना के साथ **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC) पहल का तीव्रता से कार्यान्वयन।**
- संचार एवं व्यवहार परिवर्तन कौशल में **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण को उन्नत बनाना** तथा **गुणवत्तायुक्त देखभाल व मैत्रीपूर्ण सेवाओं तक रोगियों की पहुंच में सुधार करना।**
- **MDT का पालन:** इसमें रोगियों, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और समाज की सोच और कार्यों को लक्षित करने वाली कई पहलों के द्वारा सुधार किया जा सकता है।
- **कलंक को दूर करना:** इस कार्यक्रम के प्रबंधकों को सकारात्मक स्वास्थ्य संदेशों को डिजाइन करना चाहिए, साथ ही कुष्ठ रोगियों को त्वरित और बेहतर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। समुदाय को कुष्ठ रोगियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने हेतु लक्षित समूहों तक पहुंच स्थापित की जानी चाहिए तथा उनको लक्षित करने के लिए अभिनव मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **आजीविका के अवसरों का सृजन करना:** जिन लोगों का प्रारंभिक अवस्था में उपचार किया गया है तथा वे कार्य कर सकते हैं, उन्हें कौशल और व्यापार संबंधी प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। इससे वे कार्य करने में सक्षम बन सकेंगे।

VISION IAS

6.3. गैस हाइड्रेट

(Gas Hydrates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के शोधकर्ताओं ने प्रयोगात्मक रूप से यह प्रदर्शित किया है कि **मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड** (CO_2) गैस हाइड्रेट्स के रूप में विद्यमान हो सकते हैं।

गैस हाइड्रेट क्या हैं?

- गैस हाइड्रेट्स तब निर्मित होते हैं, जब मीथेन जैसी एक गैस जलीय अणुओं के परिभाषित संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोस अणुओं के मध्य अवरुद्ध हो जाती है। **यह जल की एक ठोस बर्फ जैसी संरचना है जिसकी आणविक कैविटी में गैस के अणु विद्यमान होते हैं।**
- प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स, सम्पूर्ण विश्व में ध्रुवीय क्षेत्रों से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में **महाद्वीपीय सीमांतों और मग्नतटों** पर पाए जाते हैं।
- गैस हाइड्रेट के भंडार सामान्यतः **सागरीय अधस्तल पर जैविक रूप से समृद्ध कोल्ड सीप पारिस्थितिकी तंत्र से संबद्ध होते हैं।** कोल्ड सीप ऐसे स्थान हैं जहां हाइड्रोकार्बन युक्त तरल पदार्थ का प्रायः मीथेन अथवा हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में सागरीय अधस्तल के नीचे से ऊपर की ओर रिसाव होता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि मीथेन हाइड्रेट्स के रूप में संचित कार्बन की कुल मात्रा, अन्य **सभी जीवाश्म ईंधन भंडार के रूप में संचित कार्बन पदार्थों की कुल मात्रा से अधिक** है; फलत: इनकी परिकल्पना भविष्य के संभावित ऊर्जा संसाधन के रूप में की जा रही है।
- मीथेन के दहन के दौरान किसी भी अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में CO2 का कम उत्सर्जन होता है (अर्थात् यह अधिक CO_2 कुशल है); इसलिए, अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में गैस हाइड्रेट से मीथेन का उपयोग करना **अपेक्षाकृत अधिक जलवायु अनुकूल है।**
- अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, **भारत में अमेरिका के पश्चात् दूसरा सबसे बृहत् गैस हाइड्रेट भंडार है।** कृष्णा-गोदावरी (KG), कावेरी और केरल बेसिन में अनुमानित भंडार 100-130 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है।
- IIT टीम द्वारा प्रयोगशाला में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेट, सी बेड के नीचे **हाइड्रेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रच्छादन अथवा भंडारण (sequestering or storing)** की संभावना में वृद्धि करता है।

गैस हाइड्रेट का निष्कर्षण: गैस हाइड्रेट से प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:

- **डीप्रेशराइजेशन:** हाइड्रेट की परत में ड्रिलिंग के माध्यम से छेद करके नीचे के दबाव को कम करना। यह तकनीक केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट के नीचे हाइड्रेट्स के लिए प्रयोग में ली जाती है।
- **थर्मल स्टिम्युलेशन: वाष्प का अन्तःक्षेपण** (स्टीम इंजेक्शन), गर्म लवणीय विलयन (हॉट ब्राइन सॉल्यूशन) आदि, जो हाइड्रेट क्षेत्र के बाहर स्थानीय भंडार गृह के तापमान में वृद्धि करता है, तथा यह हाइड्रेट के वियोजन का कारण बनता है, इस प्रकार मुक्त गैस निर्मुक्त होती है जिसे एकत्र किया जा सकता है।

हालांकि, विश्व के किसी भी देश ने अब तक व्यावसायिक और आर्थिक रूप से गैस हाइड्रेट्स का उत्पादन करने की तकनीक विकसित नहीं की है।

निष्कर्षण से संबंधित मुद्दे: गैस हाइड्रेट **सागर नितल स्थिरता** के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गैस हाइड्रेट के पिघलने से सागर नितल में फिसलन या स्खलन हो सकता है। इस प्रकार गैस हाइड्रेट से निष्कासित मीथेन जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारतीय पहल

- **राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (NGHP)** का भारत के अभूतपूर्व गति से बढती ऊर्जा मांग के आलोक में राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ **वर्ष 1997** में हुआ। इसने पहली बार वर्ष 2006 में अध्ययन किया।
- भारत ने इस संबंध में प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए **कनाडा** के साथ एक समझौता किया है।
- IIT मद्रास, GAIL के सहयोग से, **कृष्णा-गोदावरी बेसिन** से मीथेन हाइड्रेट से मीथेन को पुनर्प्राप्त करने के साथ-साथ CO2 प्रच्छादन के लिए भी कार्य कर रहा है।

6.4. ईट राइट इंडिया मूवमेंट

(Eat Right India Movement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वस्थ भारत यात्रा का आयोजन किया। यह ईट राइट इंडिया मूवमेंट का एक प्रमुख घटक है।

ईट राइट इंडिया मूवमेंट

- यह एक बहु-क्षेत्रक प्रयास है, जिसके अंतर्गत नमक, चीनी, वसा आदि को दैनिक आहार में शामिल करने, ट्रांस-फैट को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा स्वस्थ खाद्य विकल्पों को प्रोत्साहित करने पर प्रमुखतया ध्यान केंद्रित किया गया है।

VISION IAS

- इसे स्वस्थ खाओ और सुरक्षित खाओ के दो व्यापक स्तंभों पर गठित किया गया है।
- यह FSSAI द्वारा नागरिकों को लक्षित करने वाली निम्नलिखित तीन पहलों को समेकित करता है:
    - **सुरक्षित और पौष्टिक भोजन (SNF) पहल** के अंतर्गत घर, स्कूल, कार्यस्थल इत्यादि स्थानों में खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - **ईट हेल्दी कैंपेन** (स्वस्थ खाओ अभियान) नमक, चीनी, वसा आदि को दैनिक आहार में शामिल करने तथा ट्रांस-फैट को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर केंद्रित है।
    - **फूड फोर्टिफिकेशन,** पांच मुख्य खाद्य पदार्थों- गेहूं के आटे, चावल, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिन और खनिज तत्वों को संयोजित कर उनकी पोषण सामग्री में सुधार करने पर केंद्रित है।
- इसमें कार्रवाई के सात व्यापक क्षेत्र हैं:
    - रोल मॉडल, देखभालकर्ताओं और साथियों के रूप में प्रभावित करने के माध्यम से स्वस्थ खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि करना,
    - स्कूलों में मानक निर्धारित करना, स्वस्थ भोजन की आदतों को प्रोत्साहित करना तथा भोजन का एक शैक्षणिक साधन के रूप उपयोग करना,
    - उपयुक्त विनियमन के माध्यम से बच्चों के लिए विपणन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और उपभोक्ता अनुकूल पोषण लेबलिंग का प्रावधान करना,
    - GST दरों में अंतर के माध्यम से अस्वास्थ्यकर भोजन के लिए उच्च कराधान का प्रावधान करना,
    - उपयुक्त मेन्यू लेबलिंग के माध्यम से स्वस्थ भोजन विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करना,
    - उपलब्धता में वृद्धि और स्वास्थ्यप्रद विकल्पों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के साथ विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध विकल्पों का पुनः निर्धारण करना,
    - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा अस्वास्थ्यकर अवयवों को कम करके खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना।
- मूवमेंट के अंतर्गत, सोशल मीडिया और मास मीडिया के माध्यम से स्वस्थ भोजन की आदतों को अपनाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए "आज से थोड़ा कम अभियान" का शुभारंभ किया गया।

6.5. युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम

(Young Scientist Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्कूली छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के बारे में

- इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ज्ञान और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- एक माह के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक से 3 छात्रों का चयन किया जाएगा।
- छात्रों, विशेषकर आठवीं कक्षा के छात्रों को व्याख्यान और अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयोगशालाओं तक पहुंच तथा छोटे उपग्रहों के निर्माण का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।
- इसकी परिकल्पना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA द्वारा इस तरह के कार्यक्रम के संचालन के पश्चात् की गई है।
- यात्रा और बोर्डिंग के सभी खर्चों को **पूर्णतः ISRO द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**
- इसके अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व में **छह इन्क्यूबेशन सेंटर** स्थापित किए जाएंगे। **त्रिपुरा के अगरतला में इस तरह का पहला केंद्र स्थापित किया गया है।**

छात्रों के साथ संवाद (Samvad with Students)

- हाल ही में ISRO ने छात्रों के साथ संवाद नामक एक स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम आरम्भ किया है। इसके अंतर्गत ISRO के अध्यक्ष अपनी आउट स्टेशन यात्राओं के दौरान छात्रों से मिलते हैं तथा छात्रों के प्रश्नों और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं।

इसरो-छात्र सहयोग (ISRO-Student Collaborations)

- **ANUSAT:** ANUSAT (अन्ना विश्वविद्यालय उपग्रह) इसरो के समग्र मार्गदर्शन में **एक भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह है** तथा यह संदेश संग्रह और अग्र संचालन से संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा।
- **STUDSAT:** स्टूडेंट सैटेलाइट (STUDSAT) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात इंजीनियरिंग कॉलेजों के कंसोर्टियम द्वारा देश में विकसित पहला **पिको-सैटेलाइट** है।
- **YOUTHSAT:** छात्रों की भागीदारी के साथ एक **संयुक्त भारत-रूसी नक्षत्रीय और वायुमंडलीय उपग्रह मिशन है।** इसका उद्देश्य सौर परिवर्तिता और थर्मोस्फीयर-आयनोस्फीयर परिवर्तनों के संबंधों का अन्वीक्षण करना है।

- **SRMSat:** यह SRM विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 10.9 किलोग्राम वजन का एक नैनो उपग्रह है, जो CO2 और जल वाष्प की जांच करके वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के स्तर की समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है।
- **जुगनू (Jugnu):** इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर द्वारा विकसित 3 किलो वजन का एक नैनो उपग्रह है। इस उपग्रह का उद्देश्य निकट अवरक्त क्षेत्र (near infrared region) में पृथ्वी की इमेजिंग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा सिस्टम स्थापित करना है और इमेज प्रोसेसिंग एल्गॉरिदम का परीक्षण करना है।

6.6. यूनीस्पेस नैनो उपग्रह समुच्चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (उन्नति)

(Unispace Nanosatellite Assembly & Training Programme: UNNATI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इसरो ने **नैनो उपग्रह के विकास पर क्षमता निर्माण** हेतु उन्नति नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

UNNATI के बारे

- इस कार्यक्रम का शुभारंभ बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की **50वीं वर्षगांठ (यूनीस्पेस +50)** के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान किया गया।
- यह कार्यक्रम **भागीदार विकासशील देशों को नैनो उपग्रहों के समुच्चयन, समेकन एवं जाँच कार्य में क्षमता संवर्द्धन के लिए अवसर** प्रदान करेगा।

नैनो उपग्रह के बारे में

- **वजन के आधार पर होने वाले वर्गीकरण** के अंतर्गत एक नैनो उपग्रह वह उपग्रह है जिसका वजन 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है।
- ये उपग्रह प्रक्षेपण की **लागत को कम** कर सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में किसी वस्तु को लॉन्च करने के लिए उसका वजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण (सर्वाधिक लागत) पक्ष होता है।
- **अनेक नैनो उपग्रहों को,** उपग्रहों के नेटवर्क (उपग्रह नक्षत्र मंडल) के रूप में **एक साथ परिनियोजित** किया गया है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते है और सूक्ष्म विवरणों को कैप्चर कर सकते हैं।
- यह प्रणाली विश्व भर के निर्धन, ग्रामीण अथवा कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में लोगों को वहनीय, उच्च गति की इंटरनेट पहुंच प्रदान कर सकती है जो वर्तमान में पारंपरिक उपग्रहों की उच्च लागत के कारण पहुंच से वंचित है।

उपग्रह वर्गीकरण	वजन (किलोग्राम)
बृहत् उपग्रह (Large satellite)	>1000
मध्यम उपग्रह (Medium satellite)	500 से 1000
मिनी उपग्रह (Mini satellite)	100 से 500
माइक्रो उपग्रह (Micro satellite)	10 से 100
नैनो उपग्रह (Nano satellite)	1 से 10
पिको उपग्रह (Pico satellite)	0.1 से 1
फेम्टो उपग्रह (Femto satellite)	<0.1

6.7. रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

(International year of the Periodic table of Chemical Elements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के प्रथम प्रकाशन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में **वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष** के रूप में घोषित किया है।

रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में

- रूसी वैज्ञानिक **दमित्री मेंडलीव** ने वर्ष 1869 में प्रथम आवर्त सारणी प्रकाशित की। उन्होंने सभी रासायनिक तत्वों को **परमाणु द्रव्यमान** (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या) और अन्य रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया।
    - **मेंडलीव के आवर्त नियम:** तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं।
- हालांकि, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष थे, जैसे - **हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति और बाद में खोजे गए समस्थानिकों** (समान रासायनिक गुण परंतु भिन्न-भिन्न परमाणु द्रव्यमान) **के लिए कोई स्थान न होना।**

- इस प्रकार, **इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (IUPAC)** द्वारा प्रबंधित **आधुनिक आवर्त सारणी** को परमाणु द्रव्यमान के बजाय **परमाणु क्रमांक** के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है।
    - यह परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास और **आवर्ती रासायनिक गुणों** द्वारा व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की एक सारणीबद्ध व्यवस्था है, जिसकी संरचना आवर्ती प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है।
    - आवर्त सारणी की **सात पंक्तियों** (जिन्हें **आवर्त** कहा जाता है) में सामान्यतः बाईं ओर धातुएँ और दाईं ओर प्रधातुएँ अवस्थित होती हैं।
    - कॉलम, जिन्हें **समूह अथवा वर्ग** कहा जाता है, में समान रासायनिक व्यवहार वाले तत्व स्थित होते हैं।
    - आवर्त सारणी के सात आवर्तों को परमाणु क्रमांक 1 (हाइड्रोजन) से 118 (ओगनेसॉन) तक खोज अथवा संश्लेषित किए गए तत्वों से पूर्ण किया गया है।
    - यह वैज्ञानिकों के लिए सभी तत्वों और खोजे जाने वाले नए तत्वों के गुणों के अध्ययन, उनका **पूर्वानुमान** और उन्हें समझने हेतु एक असाधारण साधन है।
- **यूनेस्को और 1001 इन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYPT2019)** के उपलक्ष्य में सतत विकास हेतु रसायन विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नई शैक्षणिक पहल का शुभारंभ किया जाएगा।

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

7.1. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट

(Annual Status of Education Report: ASER)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, NGO **प्रथम** द्वारा 13वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) प्रकाशित की गयी, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालती है।

ASER रिपोर्ट पर अतिरिक्त जानकारी

- वर्ष 2017 में, इसने ASER 'बियॉन्ड बेसिक्स' के नाम से अपने प्रथम एकान्तर-वार्षिक प्रारूप का आयोजन किया। इसमें सम्पूर्ण भारत के 28 जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।
- वर्ष 2018 में, ASER रिपोर्ट पुनः अपने 'आधारभूत' मॉडल पर लौट आई।

ASER 2018 सर्वेक्षण के बारे में

- इस रिपोर्ट में शिक्षा की स्थिति से संबंधित तीन मुख्य आयामों को कवर किया गया है।
  - 3-16 वर्ष की आयु के बच्चों के **स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति**।
  - 5-16 वर्ष की आयु के बच्चों में **बुनियादी पठन और गणित सम्बन्धी क्षमता**।
  - **खेल-कूद की सुविधाओं के साथ स्कूलों की बुनियादी अवसंरचना**।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

सकारात्मक निष्कर्ष

- **स्कूलों में नामांकन में वृद्धि**: स्कूलों में नामांकित बच्चों का आंकड़ा 97 प्रतिशत को पार कर गया है, पहली बार स्कूलों में गैर-नामांकित बच्चों का अनुपात 3 प्रतिशत से भी कम रहा है।
- **स्कूलों में गैर-नामांकित बालिकाओं के अनुपात में कमी:** वर्ष 2018 में, स्कूलों में 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाली गैर-नामांकित बालिकाओं का अखिल भारतीय अनुपात 4.1 प्रतिशत तक कम हो गया है और 15 से 16 आयु वर्ग वाली लड़कियों में यह अनुपात 13.5 प्रतिशत तक कम हुआ है।
- **निजी स्कूलों में नामांकन स्थिर रहा:** वर्ष 2018 में निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों (6-14 आयु वर्ग वाले) का अनुपात 30.9 प्रतिशत के साथ लगभग अपरिवर्तित रहा है जो सार्वजनिक शिक्षा में समग्र विश्वास की ओर संकेत करता है।
- **स्कूली अवसंरचना में सुधार:**
  - **लड़कियों के लिए शौचालय वाले स्कूलों** का प्रतिशत वर्ष 2010 में 48% की तुलना में वर्ष 2018 में 66.4% के स्तर पर पहुँच गया है।
  - **चहारदीवारी वाले स्कूलों** का अनुपात वर्ष 2010 के 51% से बढ़कर वर्ष 2018 में 64.4% हो गया है।
  - वर्ष 2018 में, 10 में से प्रत्येक 8 स्कूलों में छात्रों के लिए **खेल का मैदान** या तो स्कूल-परिसर के भीतर या आसपास उपलब्ध है।
- **प्रारंभिक बाल्यावस्था (0-8 वर्ष) शिक्षा:** 3 वर्ष की उम्र तक, दो-तिहाई बच्चे किसी न किसी प्रकार के प्री-स्कूल (शिशु विद्यालय) में नामांकित कराए गए थे। नामांकन पैटर्न केवल 8 वर्ष की आयु तक आकर ही स्थिर होता है जब 90% से अधिक बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय में हो चुका होता है।

चिंता के विषय

- **अधिगम में समता–राज्यवार विषमताएं:** यद्यपि अधिकांश राज्यों में तीसरी और पाँचवीं कक्षा का अधिगम-स्तर ऊँचा हुआ है तथापि इन कक्षाओं के अधिगम-स्तर में व्यापक असमानता विद्यमान है। उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में वर्ष 2014-18 के बीच 5% सुधार देखा गया, जबकि तीसरी कक्षा के 13% छात्र अभी तक शब्दों को पढ़ पाने में असमर्थ हैं और शब्दों को न पढ़ पाने वाले बच्चों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 60% से भी अधिक है।
- **पठन-क्षमता में अत्यल्प सुधार:** पाँचवीं कक्षा के 50.3% छात्र उन पाठों को पढ़ने में असमर्थ हैं जो उनसे तीन कक्षा नीचे के छात्रों के लिए बने हैं, यह मात्र 2.2% प्रतिशत की अत्यल्प वृद्धि दर्शाता है।
  - आठवीं कक्षा के लगभग 73% छात्र कक्षा 2 की पुस्तकों को पढ़ने में सक्षम हैं, यह स्थिति वर्ष 2016 से स्थिर बनी हुई है।

VISION IAS

- **गणितीय क्षमता में कोई सुधार नहीं:** तीसरी कक्षा के बच्चे जो घटाव के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं, उनके संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 27.6% था जो वर्ष 2018 में बढ़कर मात्र 28.1% हुआ। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, यह आंकड़ा 2016 में 20.3% और वर्ष 2018 में 20.9% था।
- **गणितीय क्षमता में लैंगिक अंतराल:** वे लड़कियां जो कम से कम दूसरी कक्षा के पाठों का पठन करने में सक्षम हैं, उनका अनुपात 77% के साथ लड़कों के अनुपात के लगभग समान है, हालांकि कई राज्यों में लड़कियां, लड़कों से आगे हैं। किन्तु आधारभूत अंकगणित में, लड़कों ने पर्याप्त बढ़त बनाई हुई है।

ASER और NAS (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) के बीच अंतर

ASER सर्वेक्षण	NAS सर्वेक्षण
यह एक घरेलू सर्वेक्षण है जिसे वर्ष 2005 से संचालित किया जा रहा है।	यह एक स्कूल-आधारित सर्वेक्षण है।
इसमें एक-एक करके मौखिक मूल्यांकन किया जाता है।	यह पेन पेपर के माध्यम से लिया जाने वाला टेस्ट है।
यह सभी बच्चों (चाहे वो स्कूल में नामांकित हों या नहीं हो) के प्रतिनिधि नमूने पर आधारित है।	यह सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों को ध्यान में रखता है।
यह पठन और गणित जैसे मूलभूत कौशलों पर केन्द्रित है।	यह विभिन्न कौशलों का ध्यान देता है।
यह सर्वेक्षण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है।	यह सर्वेक्षण पूरे देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में चलाया जाता है।
यह नागरिक-आधारित (citizen-led) सर्वेक्षण है।	यह सर्वेक्षण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत NCERT द्वारा किया जाता है।

भारत की शिक्षा नीति पर ASER का प्रभाव

- **अधिगम-परिणामों पर फोकस:** वर्ष 2008 में, ASER के तीन लगातार वर्षों के बाद, जिला वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया और इसके अंतर्गत 'अधिगम सुधार कार्यक्रम' को बजट आवंटन प्राप्त करने वाले विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। इससे पहले, मुख्य विषयों में स्कूल की अवसंरचना और निविष्टियों पर ही ध्यान दिया जाता था।
    - साथ ही, विगत कुछ वर्षों के दौरान अधिगम मूल्यांकन, भारत की शिक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन गया है। NCERT का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) और राज्य अधिगम मूल्यांकन सर्वेक्षण (SLAS) इस नए फोकस को दर्शाते हैं।
- **प्राथमिक संदर्भ बिंदु:** वर्ष 2009 के बाद से, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उद्धृत, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में और इसके साथ हाल ही में नई शिक्षा नीति के प्रारूप के अंतर्गत ASER के निष्कर्षों को विशिष्ट रूप से दर्शाया जा रहा है।
- **अधिगम मूल्यांकन को संहिताबद्ध करना:** केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (CABE) की 64वीं बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि अधिगम मूल्यांकन को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए और शिक्षा के अधिकार (RTE) क़ानूनों का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव:** जैसा कि देखने में आया है, 'नागरिक-आधारित मूल्यांकन' (CLA) मॉडल वर्तमान में 3 महाद्वीपों के 13 देशों में लागू किया गया है।

7.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

(National Health Authority:NHA)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" के रूप में पुनर्गठित करने के** लिए स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य सम्बंधित जानकारी

- इस प्राधिकरण को अब आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय** बना दिया गया है।
- मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO पद** को भारत सरकार के सचिव के रूप में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। अब CEO के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे-
    - **पूर्ण वित्तीय अधिकार** (अब तक NHA द्वारा जारी सभी फंड स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से जारी किए जाते थे)
    - NHA का पूर्ण **प्रशासनिक नियंत्रण**।

- वर्तमान बहु-स्तरीय निर्णयन संरचना को **शासी बोर्ड** द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है:
    - इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री करेंगे।
    - इसके सदस्यों में नीति आयोग के CEO और NHA के CEO सम्मिलित होंगे।
    - डोमेन विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और बोर्ड में राज्यों का भी चक्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
    - बोर्ड तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से यह कदम उठाया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) को **स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे से** बाहर कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की **भूमिका अब** संसदीय मामलों में NHA के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करने तक **सीमित रहेगी** जैसे- वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के दो घटक

- **स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र:** इसके तहत स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को 1.5 लाख केन्द्रों की सहायता से लोगों के घरों के निकट लाया जाएगा। ये केंद्र व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे, जिनके अंतर्गत गैर-संक्रामक रोगों और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित देखभाल शामिल की जाएगी।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)** : यह योजना 10 करोड़ से अधिक निर्धन व सुभेद्य परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर करेगी, जिसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक स्वस्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।

NHA की आवश्यकता

- **तीव्र निर्णयन:** इस प्रकार की संरचना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैसी एजेंसियां शामिल थीं जिसके कारण पदानुक्रम में सभी से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। इस तरह की प्रक्रिया को संपन्न करने में मूल्यवान समय नष्ट हो जाता है तथा कभी-कभी प्रस्ताव भी वांछित अनुमति प्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं।
    - अब NHA अपने परिचालन दिशा-निर्देशों के लिए, प्रीमियम राशि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने, एक स्वास्थ्य आसूचना प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण करने तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के साथ कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- **लीकेज में कमी और शिकायत निवारण**: प्राधिकरण को धोखाधड़ी व दुर्व्यवहार को रोकने, जाँच एवं नियंत्रण करने और शिकायतों का निवारण करने का प्रबल अधिदेश प्राप्त होगा, जिससे लीकेज में कमी आएगी।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप**: स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वतंत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए निर्धारित आदेश-श्रृंखला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य अभ्यास है।

7.3. जनजातीय स्वास्थ्य

(Tribal Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जनजातीय स्वास्थ्य पर गठित एक विशेषज्ञ समिति ने आदिवासी स्वास्थ्य पर अपनी पहली रिपोर्ट **"ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया-ब्रिजिंग द गैप एंड अ रोडमैप फॉर द फ्यूचर" (भारत में जनजातीय स्वास्थ्य – अंतराल को भरना और भविष्य के लिए रोड मैप)** शीर्षक के रूप में प्रस्तुत किया।

जनजातियाँ क्यों?

जनजातीय जनसंख्या विशिष्ट सांस्कृतिक, सामजिक-आर्थिक और भौगोलिक विशेषताओं का प्रतीक है। विडम्बना यह है कि संवैधानिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद यह विशिष्टताएं और भिन्नताएं इनके हाशिये पर बने रहने का कारण बन गयी हैं।

स्वास्थ्य के विभिन्न घटक और उनकी विषम (skewed) प्रकृति:

- **पारम्परिक संकेतक –** जीवन प्रत्याशा, मातृ-मृत्यु दर, किशोर स्वास्थ्य, बाल रुग्णता, मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर से सम्बन्धित प्रदर्शन औसत से 10 से 25 प्रतिशत तक कम है। जैसे जनजातीय लोगों की जीवन प्रत्याशा 67 वर्षों के राष्ट्रीय औसत की तुलना में केवल 63.9 वर्ष ही है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 74 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62 है।
- **बीमारी का भार**– जनजातीय लोग बीमारियों के तिगुने बोझ से ग्रस्त हैं।
- **कुपोषण और संचारी रोग** –जनजातीय जनसंख्या मलेरिया, तपेदिक, HIV, हेपेटाइटिस, वायरल ज्वर इत्यादि जैसे संचारी रोगों के विषम भार से ग्रस्त है। उदाहरणार्थ **जनजातीय लोग मलेरिया के 30% मामलों और मलेरिया से होने वाली 60% मृत्यु के शिकार होते हैं,** 50% किशोर जनजातीय लड़कियों का वजन सामान्य से कम होता है। गैर-जनजातीय जनसंख्या की तुलना में जनजातीय लोगों के शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI) में कमी और अवरुद्ध शारीरिक विकास देखा जाता है।

VISION IAS

- **जीवनशैली से जुड़े रोगों में तीव्रता से वृद्धि –** जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वसन रोग आदि। इसके अतिरिक्त सिकल सेल एनीमिया के रूप में अनुवंशिक विकार 1–40% तक होता है।
- **मानसिक रोग और व्यसन –**जनजातियों के बीच इन समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है क्योंकि वे इन समस्याओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। NFHS-3 के अनुसार 15-54 वर्ष आयु वर्ग में जहाँ 56% गैर-जनजातीय लोग तम्बाकू का उपयोग करते हैं वहीं इसी आयु वर्ग में तम्बाकू का उपयोग करने वाले जनजातीय पुरुषों की संख्या 72% है।

जनजातीय शासन में कमियां

- **शासन सरंचना -** जनसंख्या स्तर के आंकड़ों की कमी, केंद्रीकृत नीति निर्माण और कार्यान्वयन, प्रक्रियाओं से जनजातीय लोगों की लगभग अनुपस्थिति, राज्य स्तर के कमजोर हस्तक्षेप आदि ने इनकी खराब स्वास्थ्य स्थितियों को और बढ़ावा दिया है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना -** यद्यपि जनजातीय लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं, परन्तु लगभग आधे राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की 27 से 40% तक की कमी है। इसके परिणामस्वरूप जनजातीय स्वास्थ्य की स्थिति में कम पहुंच और कम कवरेज के साथ ही परिणाम भी निम्नस्तरीय प्राप्त हुए हैं।
- **मानव संसाधन -** PHC डाक्टरों (33% कमी), CHC विशेषज्ञों (84% कमी), स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सिंग कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय रूप से प्रशिक्षित युवाओं के सन्दर्भ में स्वास्थ्य सम्बन्धी मानव संसाधनों की अत्यधिक कमी है। न्यूनतम सुविधाओं के साथ अलग-थलग स्थानों पर स्थित केंद्र स्वास्थ्य कर्मियों में अनिच्छा उत्पन्न करते हैं।
- **जनजातीय स्वास्थ्य का वित्तपोषण -** जनजातीय उपयोजना (TSP) को जनजातीय नीतियों के लिए वर्तमान वित्त का अनुपूरक बनाने के उत्तम लक्ष्य के साथ प्रारम्भ किया गया था, किन्तु इसमें मंद क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को विभिन्न राज्यों के TSP आवंटन की कोई जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक जनजातीय स्वास्थ्य व्यय के लेखांकन का भी अभाव है।

जनजातियों के बारे में:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनजातीय जनसंख्या **104 मिलियन से अधिक है। यह 705 जनजातियों में विभाजित है और देश की जनसंख्या का 8.6% है।**
- संख्यात्मक रूप से **मध्य प्रदेश में (15 मिलियन) सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है, उसके पश्चात महाराष्ट्र (10 मिलियन), ओडिशा और राजस्थान** आते हैं।
- अधिकांश जनजातीय लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- **933**/1000 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में जनजातीय लिंगानुपात **990**/1000 है।

जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति:

- **आजीविका स्थिति -** 40.6% जनजातीय लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं वहीं केवल 20.5% गैर- जनजातीय लोग ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश हैं।
- **बुनियादी सुविधाओं का अभाव – 2011 के जनगणना के आंकड़ों** से पता चलता है कि गैर- जनजातीय जनसंख्या के बीच नल-जल, स्वच्छता सुविधा, जल-निकासी की सुविधा और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की पहुंच अत्यंत कम है।
- **शैक्षिक अंतर –** शैक्षिक स्थिति में भी बहुत अधिक अंतर है। **41% जनजातीय लोग अनपढ़ हैं, जबकि गैर-जनजातीय लोगों में यह संख्या 31% है। साथ ही केवल 2% से भी कम जनजातीय लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं।**

आगे की राह

- **सेवा वितरण का संगठन -**
    - **एक बॉटम अप एप्रोच –** सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को रखते हुए बॉटम अप एप्रोच का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। **ग्राम सभा** इसके लिए आधार का कार्य करेगी, जिसमें ASHA और स्थानीय आरोग्य मित्र होंगे। उसके पश्चात पारंपरिक चिकित्सकों से सुसज्जित एक स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उसके बाद जनजातीय स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र होंगे। शीर्ष पर 2 डॉक्टरों और मोबाइल आउटरीच सुविधा से युक्त एक PHC होगा। इन क्षेत्रों के लिए एक स्थानीय प्राथमिक देखभाल प्रणाली अधिक स्वीकार्य है जैसा कि **गढ़चिरौली जिले में जनजाति अनुकूल अस्पताल के लिए SEARCH (सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ) पहल** के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
    - **माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर** जेनरिक दवाओं, स्वास्थ्य बीमा आदि की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए ई-औषधि, समर्पित मेडिकल कॉलेज, टेलीमेडिसिन, आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
    - **स्कूलों और मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों** को प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यवस्था को अनूसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले जनजातीय लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा।

VISION IAS

- **जनजातीय स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन-** नई व्यवस्था में कुशल स्थानीय युवाओं, पारम्परिक चिकित्सकों, ASHA और प्रधानमन्त्री जनजातीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के लिए उच्च वेतन, बेहतर आवास और प्रगति के अवसरों के रूप में एक सेवा सरंचना का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- **जनजातीय स्वास्थ्य के सन्दर्भ में विशेष समस्याओं का समाधान करना:**
  - **मलेरिया** के लिए, एक उचित निगरानी प्रणाली, मानव संसाधन उपलब्धता, व्यापक अनुसंधान पर आधारित निवारक एवं उपचारात्मक देखभाल पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
  - **कुपोषण** को खाद्य सुरक्षा, स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग, निवारक और प्रबंधकीय विधियों और घर पर देखभाल एवं ICDS को मजबूत करने के माध्यम से सम्बोधित किया जाएगा।
  - **शिशु मृत्यु दर और असुरक्षित मातृत्व को,** वैज्ञानिक डाटा संग्रहण के माध्यम से ,महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के माध्यम से तथा प्रसव पूर्व देखभाल, आपातकालीन सेवाओं, समय पर पारिश्रमिक प्रदान करने इत्यादि के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त **परिवार नियोजन** की संस्कृति के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा।
  - **नशामुक्ति के लक्ष्य को** ऐसे मामलों की मैपिंग, उससे ग्रस्त लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था तथा आबकारी नीति के बेहतर कार्यान्वयन आदि के द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
  - **सिकल सेल एनीमिया** को नए डिजाइन और योजना के माध्यम से सम्बोधित किया जाएगा तथा साथ ही उचित प्रबन्धन के माध्यम से जानवरों के हमलों, विशेषकर सर्पदंश प्रभाव के मामलों को भी कम किया जायेगा।
  - **साक्षरता अभियान** और **सालुखे समिति रिपोर्ट** के आधार पर जनजातीय आश्रमों में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा।
- **ज्ञान, अनुसंधान और जनजातीय स्वास्थ्य पर डेटा - 4-R अर्थात रेस्पेक्ट (सम्मान), रेलेवेंस (प्रासंगिकता), रेसिप्रोसिटी (सहभागी) और रिस्पोंसिबिलिटी (उत्तरदायित्व)** पर आधारित सैद्धांतिक दृष्टिकोण का पालन किया जाएगा।
- **शासन और भागीदारी –** इसके अंतर्गत ग्राम सभाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय स्वास्थ्य सलाहकार परिषदों तक की बहु-स्तरीय शासन सरंचना का प्रस्ताव है। इसमें स्वयं-सहायता समूह भी होंगे, जो इसे अधिक **अनुक्रियाशील, सहभागी, समावेशी और अभिसारी** बनाएंगे।
- **जनजातीय स्वास्थ्य का वित्तपोषण –** समिति ने जनजातीय स्वास्थ्य के लिए वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल नीति में स्वास्थ्य देखभाल व्यय में प्रस्तावित 2.5% से 8.6% की वृद्धि, **TSP दिशा-निर्देशों** का कठोरता से कार्यान्वयन और अनुसंधान, मैपिंग एवं साक्षरता अभियानों के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत धन निर्धारित करने की अनुशंसा की है।

- रिपोर्ट में **सिद्धान्तों** के एक समूह का सुझाव दिया गया है, जिसके आधार पर एक समग्र जनजातीय नीति बनाई जाएगी और वह वांछित लक्ष्यों पर आधारित होगी। ये सिद्धांत हैं- **न्याय, समानता, समावेशिता, पहुंच, समेकन, वहनीयता, लचीलापन, विकेंद्रीकरण, वित्तीय स्वायत्तता और सशक्तिकरण।**
- **उपर्युक्त सिद्धान्तों पर आधारित लक्ष्य, वर्ष 2022 तक एक संधारणीय, कार्यात्मक और समग्र जनजातीय स्वास्थ्य नीति निर्माण करेंगे।।**

7.4. मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023)

National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **मादक पदार्थ मांग कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)** प्रस्तुत की है।

NAPDDR के सम्बन्ध में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक **बहु-आयामी रणनीति** का नियोजन करना है जैसे:
  - निवारक शिक्षा, जागरूकता प्रसार, परामर्श, नशामुक्ति, उपचार और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का पुनर्वास।
  - केंद्र, राज्य और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- **प्रशासनिक तंत्र**
  - शामक, दर्द निवारकों और माँसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए **कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय** और साइबर सेल द्वारा कड़ी निगरानी से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकना।
  - सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और कौशल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित एक **बहु-मंत्रिस्तरीय संचालन समिति।**

VISION IAS

- **कुछ आवश्यक पहलें:**
  - शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों और पुलिस पदाधिकारियों आदि के लिए **जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित** करना।
  - स्थानीय निकायों और अन्य स्थानीय समूहों जैसे महिला मंडल, स्व-सहायता समूह आदि को सम्मिलित कर मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने में **सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग को बढ़ाने की भी योजना** है।
  - अलग-अलग श्रेणियों और आयु समूहों में **मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों के पुन:उपचार, चल रहे उपचार और उपचार के बाद के लिए माड्यूल तैयार करना।**

ड्रग्स नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा

- संविधान का **अनुच्छेद 47** राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। **यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेयों और दवाओं के निषेध की बात करता है।**
- **नारकोटिक ड्रग्स (स्वापक औधषि) और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय।**
  - यह **मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध व्यापक उपाय प्रदान करता है, जिसमें धन शोधन के विरुद्ध प्रावधान भी सम्मिलित हैं।**
  - यह मादक पदार्थों के तस्करों के प्रत्यर्पण, नियंत्रित वितरण और कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए **अंतरराष्ट्रीय सहयोग** का प्रावधान करता है।
- **स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम)**
  - यह अधिनियम अनिवार्य रूप से आपूर्ति में कमी की गतिविधियों से सम्बन्धित है। यह किसी व्यक्ति को किसी भी नशीली दवा या मादक पदार्थों के उत्पादन/निर्माण/कृषि करने, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, संग्रहण और/या उपभोग को प्रतिबंधित करता है।
  - **इसमें ड्रग्स पर निर्भर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के कुछ प्रावधान** भी सम्मिलित हैं। यह केंद्र सरकार को नशेबाज़ों की पहचान, उपचार, उपचार पश्चात देखभाल, इनके पुनर्वास और निवारक शिक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकृत करता है।
  - यह केंद्र सरकार को उपचार केन्द्रों की स्थापना, रखरखाव और नियमन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।
  - यह केवल उन पंजीकृत नशेबाजों के मामले में ड्रग्स की आपूर्ति की अनुमति देता है जहाँ उनका चिकित्सकीय प्रयोग किया जाए और औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इन पदार्थों की अनुमति देता है।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत **नशे के अनिवार्य उपचार के लिए कोई प्रावधान नहीं है।**
  - अधिनियम के पालन के लिए **नारकोटिक नियन्त्रण ब्यूरो (NCB)** का गठन किया गया था और ब्यूरो को इस अधिनियम के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सभी गतिविधियों का समन्वय करने का अधिकार दिया गया है।

भारत में मादक पदार्थों का सेवन इतनी बड़ी समस्या क्यों है?

- **भौगोलिक अवस्थिति:** भारत विश्व के दो प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों (जिन्हें **"गोल्डन ट्रायंगल" और "गोल्डन क्रिसेंट"** कहा जाता है) के मध्य एक संयोजक देश है। भारत के भीतर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर-पूर्व भारत (विशेषकर मणिपुर) और उत्तर-पश्चिम भारत (विशेष रूप से पंजाब) हैं।
- **सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, आर्थिक तनाव में वृद्धि और सहायक सम्बन्धों में कमी** से मादक पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 1 मिलियन लोग (जिनका रिकॉर्ड औपचारिक रूप से दर्ज है) हेरोइन का नशा करते हैं और अनौपचारिक रूप से इनकी संख्या लगभग 5 मिलियन के करीब है।
- **ड्रग्स या मदिरा के दुरूपयोग के जोखिम पर शिक्षा का प्रभाव -** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (2002) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि ड्रग्स का दुरुपयोग करने वाले 29% निरक्षर थे और उनमें से एक बड़ा हिस्सा निम्न वर्ग से था।
- **कमजोर कानून प्रवर्तन और विनियामक नियंत्रण**
  - **कानून प्रवर्तन** जैसे स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का कार्यान्वयन बहुत धीमा रहा है।
  - प्रायः **अधिकारियों को ड्रग कानूनों के प्रवर्तन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है।**
  - कई बार, **फर्मास्यूटिकल क्षेत्रक के लिए वैध रूप से उत्पादित अफीम अवैध मार्गों से अन्यत्र भेज दी जाती है।**

VISION IAS

गोल्डन ट्रायंगल

- यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाओं के बीच का क्षेत्र है।

गोल्डन क्रिसेंट

- एशिया में अवैध अफीम उत्पादन का दूसरा प्रमुख क्षेत्र अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में फैला है।
- यह मध्य, दक्षिण और पश्चिमी एशिया के चौराहे पर स्थित है।

ड्रग्स के दुरूपयोग के प्रभाव

- **सुरक्षा चुनौतियाँ**
  - लगभग 500 बिलियन डालर के उत्पादन के साथ, यह पेट्रोलियम और हथियारों के व्यापार के बाद **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। अवैध प्रकृति के कारण यह धन शोधन का भी कार्य करता है।**
  - ड्रग्स, **गैर-ड्रग अपराधों** जैसे बन्दूकों के अवैध उपयोग और हिंसा के विभिन्न रूपों की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए जोखिम:** अधिकांश ड्रग्स उपयोगकर्ताओं के 18-35 वर्षों के आयु समूह से होने के कारण मानवीय क्षमता के मामले में होने वाली क्षति आकलन से परे है। **युवाओं के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और बौद्धिक विकास को अधिक क्षति पहुँचती है।**
- **परिवार पर प्रभाव:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग का पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है तथा साथ ही परिवार में अस्थिरता, बालशोषण, आर्थिक असुरक्षा, स्कूली शिक्षा से वंचित होना इत्यादि जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **नशीली दवाओं के लिए इंजेक्शन के उपयोग (IDU) और HIV/AIDS प्रसार का मजबूत सम्बन्ध:** उच्च-जोखिम वाले समूहों से वायरस अब यौन संचरण के माध्यम से "सामान्य" जनसंख्या में फ़ैल रहा है।

आगे की राह

- **राज्य की भूमिका**
  - राज्य के विधानों, अधिनियमों और कार्यक्रमों की प्रभावकारिता पर विश्वसनीय आधारभूत सर्वेक्षण और प्रभावों के मूल्यांकन का अध्ययन होना चाहिए।
  - स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रिया की स्थापना और विभिन्न देशों के बीच सूचना के समन्वय और इसे साझा करने हेतु एक औपचारिक तन्त्र द्वारा **ड्रग्स के उत्पादन की कड़ी निगरानी** की आवश्यकता है।
  - किसी क्षेत्र में ड्रग्स सम्बंधित अंतराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में जानकारी हेतु सुदृढ़ ख़ुफ़िया तन्त्र और वेबसाईट/पोर्टल का विकास किया जाना चाहिए।
- **विभिन्न हितधारकों की भूमिका:** गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक नेताओं, धार्मिक नेताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आदि जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है।
- **अवसरंचना विकास:** नशामुक्ति केन्द्रों और पुनर्वास केन्द्रों में वृद्धि की जानी चाहिए। वर्तमान सामान्य अस्पतालों को उपचार प्रदान करने हेतु बेहतर बनाया जाना चाहिए। नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सुधार किया जाना चाहिए।
- ड्रग्स और शराब पर निर्भरता को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** में पृथक स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

7.5. ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स - 2018

(Global Report on Trafficking in Persons – 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) द्वारा हाल ही में 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2018' ज़ारी की गयी।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य

- **संपूर्ण विश्व में महिलाएं तथा लड़कियां मानव तस्करी का सर्वाधिक शिकार होती हैं:** इनमें से लगभग तीन चौथाई की तस्करी यौन शोषण के उद्देश्य से की जाती है तथा 35 प्रतिशत (महिलाएं तथा लड़कियां) **बेगार** के लिए तस्करी का शिकार बनती हैं। तस्करी के शिकार लोगों में **30 प्रतिशत बच्चे होते हैं।**
- दक्षिण एशिया से मानव तस्करी के शिकार लोग विश्व के 40 देशों में पाए गए हैं। मध्य-पूर्व में **खाड़ी सहयोग परिषद् के देश प्रमुख गंतव्य स्थल हैं।**
- **यौन शोषण** के लिए तस्करी **यूरोपीय देशों** में सबसे अधिक प्रचलित है, जबकि अफ्रीका के **उप-सहारा क्षेत्रों तथा मध्य-पूर्व** में बेगार (बलात श्रम) इस अवैध व्यापार के संचालन का मुख्य कारक है।

VISION IAS

- रिपोर्ट का मुख्य फोकस **तस्करी पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव** पर है। पीड़ितों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती, बलात विवाह, स्वर्ण तथा हीरे को खानों में श्रमिक, तथा सशस्त्र समूहों इत्यादि द्वारा कुलियों के रूप में उपयोग करने के लिए अवैध रूप से ख़रीदा या बेचा जाता है।

भारत में मानव तस्करी

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** के अनुसार, भारत में 2016 में **मानव तस्करी के 8,132 मामले दर्ज़ किए गए थे।** ये पिछले वर्ष दर्ज किए गए मामलों से **15% अधिक हैं।**
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 23** मानव तस्करी तथा बेगार का निषेध करता है। तथापि, अभी तक इस अपराध के निवारण के लिए कोई विशिष्ट क़ानून नहीं है।
- तदनुसार, **मानव तस्करी (बचाव, संरक्षण तथा पुनर्वासन) विधेयक, 2018 तैयार कर लिया गया है।** इस विधेयक की मुख्य **विशेषताओं** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
  - **पीड़ित व्यक्तियों/गवाहों** तथा शिकायतकर्ताओं की पहचान न उजागर कर उनकी गोपनीयता बनाए रखना।
  - पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए **समय-बद्ध ट्रायल तथा प्रत्यावर्तन (देश में वापस भेजना)** – संज्ञान लिए जाने के 1 वर्ष के भीतर तथा मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में प्राधिकृत तथा नामित न्यायालय।
  - **बचाए गए पीड़ितों की तत्काल सुरक्षा** तथा उनका पुनर्वास।
  - पहली बार **पुनर्वास निधि** का निर्माण किया गया है।
  - इस विधेयक के अंतर्गत जिलों, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर **समर्पित संस्थागत प्रणाली** के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी-निरोध ब्यूरो का कार्य करेगी।
  - **दण्ड** के तहत **10 वर्ष के सश्रम कारावास** से लेकर कम से कम 1 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भारत में तस्करी के निषेध हेतु सरकारी हस्तक्षेप

- **उज्ज्वला योजना,** तस्करी की रोकथाम और तस्करी पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें उनके परिवार से जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना है।
- **अनैतिक तस्करी (निवारण) अधिनियम (ITPA),** 1956 वेश्यावृत्ति हेतु मानव तस्करी का निषेध करता है तथा तस्करी के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान करता है।
- भारत ने **अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय, 2000** की अभिपुष्टि की है। इसमें **मानव तस्करी के निरोध, समाप्ति तथा इस अपराध हेतु दण्ड विधान के लिए प्रोटोकॉल भी सम्मिलित है।**

सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्रों में मानव तस्करी में योगदान करने वाले कारक

- **राज्य की सत्ता में कमी तथा क़ानून व्यवस्था में गिरावट**: राजकीय संस्थाओं का ढहना तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न दंडाभाव के कारण ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है जिसमें मानव तस्करी को फलने-फूलने का मौक़ा मिलता है।
- **बलात विस्थापन**: 2017 में, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी आयुक्त के आकलन के अनुसार, **अत्याचार और उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा या मानवाधिकार हनन** के कारण **6 करोड़ 8 लाख लोगों को बलात विस्थापन का शिकार होना पड़ा।**
- **मानवीय आवश्यकताएं तथा सामाजिक-आर्थिक दबाव:** विस्थापित लोगों की शिक्षा, वित्तीय संसाधनों या आय-सृजन के अवसरों तक सीमित पहुंच हो सकती है। इससे तस्करों को लोगों को सुरक्षित आप्रवासन मार्ग, रोज़गार तथा शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण का लालच देकर तस्करी के लिए उर्वर वातावरण तैयार करने में सहायता मिलती है जिससे वे लोगों को धोखा देकर उन्हें शोषणकारी स्थिति में ला खड़ा करते हैं।
- **सामाजिक विखंडन तथा परिवारों में बिखराव:** भेद-भाव तथा अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के कारण बहुत-से लोग सुरक्षा तथा बचाव के लिए परिवार तथा मित्रों से दूर जाने को विवश होते हैं।

UNODC का परिचय

- इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ मादक द्रव्य नियंत्रण कार्यक्रम तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र के विलय के माध्यम से हुई थी।
- UNODC अपने बजट के 90 प्रतिशत के लिए मुख्य रूप से सरकारों द्वारा स्वैच्छिक अंशदानों पर निर्भर करता है।
- इसने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का निर्माण किया (जो 2003-04 में लागू हुआ), जिसने मानव तस्करी

रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों की क्षमता का समर्थन किया। भारत ने 2011 में इसकी अभिपुष्टि की। इससे सम्बद्ध दो प्रोटोकॉल निम्नलिखित हैं-

  - **लोगों,** विशेषतः बच्चों तथा महिलाओं की तस्करी को **रोकने, समाप्त करने तथा दण्डित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रोटोकॉल**, तथा
  - **भूमि, जल तथा आकाश मार्ग से अप्रवासियों की तस्करी के खिलाफ़ संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल।**

- इन माध्यमों को लागू करने के समर्थन में, UNDOC ने 2007 में **मानव तस्करी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पहल (UNGIFT)** की स्थापना की।

अंतरराष्ट्रीय कानून के अतिरिक्त साधन, जिसमें मानव तस्करी के विरुद्ध विभिन्न खंड सम्मिलित हैं:

- मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा (1948)।
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (1966)।
- मानव तस्करी तथा वेश्यावृत्ति में लिप्त किसी व्यक्ति के शोषण समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1949)
- महिलाओं के विरुद्ध हर तरह के भेद-भाव से मुक्ति पर सम्मेलन (1979)

आगे की राह

- **राष्ट्रों को ऐसे राष्ट्रीय क़ानून तथा नीतियाँ बनानी चाहिए** जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि वैधानिक तथा विशेष लोगों को मानव तस्करी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। उनसे अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त हो सके कि वे ऐसे अपराधों से होने वाली आय को ज़ब्त कर सकें तथा जहाँ संभव हो सके उन ज़ब्त परिसंपत्तियों का उपयोग तस्करी पीड़ित व्यक्ति को क्षति-पूर्ति प्रदान करने के लिए कर सकें।
- **प्रशिक्षण, सशक्तिकरण तथा आपराधिक न्याय अधिकारियों की विशेषज्ञता:** प्रशिक्षण में मानवाधिकार संबंधी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य आपराधिक न्याय प्रदानकर्ता अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करके पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना उनके अधिकारों को सम्मान प्रदान करना होना चाहिए।
- **पीड़ितों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार:** तस्करी से संबंधित मामलों के प्रभावी संचालन के लिए पीड़ितों का सहयोग आवश्यक है। यदि पीड़ितों को शिकायत करने से रोका या हतोत्साहित किया जाएगा तो इससे आपराधिक न्याय प्रणाली की तस्करी संबंधी मामलों की जाँच एवं उनकी सुनवाई करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।
- **लैंगिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना:** पुरुषों तथा लड़कों को प्रायः मानव तस्करी तथा संबंधित शोषण का शिकार के रूप में देखने से बचा जाता है। उनको हुए नुकसान की या तो रिपोर्टिंग आवश्यकता से कम की जाती है या आपराधिक न्याय एजेंसियां ऐसे मामलों की जाँच को प्राथमिकता नहीं देतीं।
- **क्षमता निर्माण:** NGO को ऐसे कार्यक्रमों, नेटवर्कों तथा संसाधनों का निर्माण करना चाहिए ताकि कानूनी समुदाय को क्षमता निर्माण में सहायता मिल सके ताकि वे तस्करी पीड़ितों को उपचार मांगने एवं उसके लिए सभी संभव उपायों की पहचान करने एवं क्षति-पूर्ति की सफल दावेदारी से संबंधित तरीकों की पहचान कर सकें।

7.6. भारत में बंधुआ मज़दूरी (बलात श्रम) का प्रचलन

(Prevalence Of Bonded Labour in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिसंबर, 2018 के अंतिम सप्ताह में, कर्नाटक के एक अदरक फ़ार्म से मानव तस्करी के द्वारा लाए गए 52 मज़दूरों को मुक्त कराया गया।

भारत में बंधुआ मज़दूरी के प्रचलन के कारण

ILO के बलात श्रम अभिसमय, 1930 के बाद से, बलात या बाध्यात्मक श्रम का अर्थ "दण्ड का भय दिखा कर किसी व्यक्ति से स्वेच्छा से तैयार या सहमत न होने पर भी श्रम करवाया जाना है"। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- **आर्थिक कारण:** किसी व्यक्ति को बंधुआ मज़दूरी या बलात श्रम की ओर धकेलने वाले कारणों में भूमिहीनता, बेरोजगारी तथा निर्धनता प्रमुख हैं जो अन्य कारणों के साथ मिल कर लोगों को क़र्ज़ या ऋण के जाल में उलझा देते हैं जिससे वे बंधुआ मज़दूरी की ओर प्रवृत्त होने को विवश हो जाते हैं।
- **सामाजिक कारण:** जातिगत संरचना (बंधुआ मजदूर मुख्य रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होते हैं), निरक्षरता, विवाह जैसी सामाजिक प्रथाएं तथा परम्पराएं ऋण का जाल बुनती हैं, तथा उन्हें इस प्रथा की उत्पत्ति तथा उसके सतत रूप से ज़ारी रहने के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है।
- **बंधुआ मज़दूरी प्रथा को ज़ारी रखने के लिए उत्तरदायी अन्य कारणों** में आप्रवासन, उद्योगों की अवस्थिति (अलग-थलग क्षेत्रों में), श्रम-गहन पुरानी प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

VISION IAS

बंधुआ मज़दूरी के प्रचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए कदम तथा उपाय

- **संवैधानिक सुरक्षा:** भारतीय संविधान ने विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा का वचन दिया है। उदाहरण के लिए, **अनुच्छेद 23** के अंतर्गत यह किसी भी प्रकार की बंधुआ मज़दूरी प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान करता है।
- **क़ानूनी प्रावधानों** में बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (जो सम्पूर्ण देश में बंधुआ मज़दूरी के उन्मूलन की दिशा में प्रयासरत है), न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (1948), संविदा श्रम (नियंत्रण तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970, बाल श्रम (निषेध तथा उन्मूलन) अधिनियम तथा IPC (धारा 370) आदि सम्मिलित हैं।
- बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 जैसी **सरकारी योजनाएं** भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं।

भारत में बंधुआ मज़दूरी का चलन

- **वैश्विक दासता सूचकांक (GSI), 2018 के आकलन के अनुसार, 2016 में भारत में 80 लाख लोग आधुनिक दासता का जीवन जी रहे थे।** सरकार ने इस दावे को इस आधार पर कड़ी चुनौती प्रस्तुत की कि इसके पैमाने ठीक से तय नहीं थे तथा उनका दायरा अत्यधिक व्यापक था।
- **भारत में आधुनिक दासता के प्रचलन के आलोक में देखें तो प्रत्येक एक हज़ार लोगों में 6.1 लोग इससे पीड़ित थे।** 167 देशों में, **भारत का 53वाँ स्थान पर था,** जिसमें उत्तरी कोरिया प्रति 1000 जनसंख्या में 104.6 व्यक्तियों के साथ शीर्ष पर है जबकि जापान प्रति 1000 जनसंख्या में 0.3 व्यक्तियों के साथ इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है।

बंधुआ मज़दूरी को संबोधित करने संबंधी चुनौतियाँ

- **बंधुआ मज़दूरी प्रणाली का कोई सर्वेक्षण नहीं:** प्रत्येक जिले को इस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु धन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी 1978 से लेकर अब तक पूरे देश में सरकार द्वारा कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। इसके बदले, सरकार बंधुआ मज़दूरी से छुड़ाए गए और पुनर्वासित लोगों की संख्या पर निर्भर करती है।
- **मामलों की पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं होती:** NCRB के आंकड़ों के अनुसार, पुलिस द्वारा सभी मामलों को रिपोर्ट नहीं किया जाता। 2014 तथा 2016 के बीच केवल 1,338 पीड़ितों का रिकॉर्ड रखा गया, जिसमें 290 पुलिस मुक़दमे दर्ज किए गए। यह संख्या इसी अवधि में देश के छः राज्यों से छुड़ाए गए 5,676 पीड़ितों की संख्या के एकदम विपरीत है।
- **त्रुटिपूर्ण पुनर्वास व्यवस्था:** तात्कालिक राहत के रूप में केवल आंशिक हर्जाना ही दिया जाता है (जो मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है), तथा वह भी आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर ही दिया जाता है। न्यायिक व्यवस्था की लचर कार्य-प्रणाली को देखते हुए, दोषी सिद्ध होने में हुई देरी के कारण लोग ऐसे मामलों को दर्ज कराने को लेकर हतोत्साहित होते हैं।
- पीड़ितों के बचाव तथा मुख्य धारा में उनके पुनःएकीकरण में **व्यावहारिक चुनौतियों या बाधाओं की सम्पूर्ण श्रंखला** विद्यमान है। इनके कुछ उदाहरणों में पर्याप्त पुनर्समेकन सेवाओं की अपर्याप्तता, मानव तथा वित्तीय संसाधनों की कमी, सीमित संस्थागत जवाबदेही, तथा NGO एवं सरकार के बीच कमज़ोर साझेदारी आदि सम्मिलित हैं।
- **कानूनों का लचर तरीके से कार्यान्वयन:** तस्करी या बंधुआ मज़दूरी को अपराध घोषित करने वाले कानूनों को लागू करने में आने वाली मुख्य बाधा भारत के विभिन्न राज्यों में जाँच तथा अभियोजन के लिए एकीकृत क़ानून प्रत्यावर्तन प्रणालियों का अभाव भी है।

बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना, 2016

यह बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (1978) का परिष्कृत रूप है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- इसमें प्रत्यक्ष यौन उत्पीड़न से बचाए गए लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- पुनर्वास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है।
- बंधुआ मज़दूरी का सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी इस योजना में की गयी है।
- पुनर्वास संबंधी सहायता राशि प्रदान किए जाने को आरोपी के दोषी सिद्ध होने के साथ जोड़ा गया है।
- इस योजना में प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर **बंधुआ मजदूर पुनर्वास निधि** के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। यह सहायता राशि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होती है।

आगे की राह

- **ILO घरेलू कामगार अभिसमय, 2011 की अभिपुष्टि तथा उसे कार्यान्वित करने, मानव तस्करी (बचाव, संरक्षण तथा पुनर्वास) विधेयक** को पारित करने, **राष्ट्रीय घरेलू कामगार कार्य विनियमन तथा सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2016** को पारित करने इत्यादि के माध्यम से कानूनों को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।
- **स्थानीय सरकारों को पर्याप्त वित्तीय तथा मानव संसाधनों** का आवंटन करना ताकि वे आप्रवासी कामगारों को नए पहचान दस्तावेज़ प्रदान करने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने तथा गृह-निर्माण संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु इकाइयों की स्थापना कर सकें।
- **सीमा-पार के साथ-साथ स्थानीय दासता के विभिन्न संदर्भों को समाहित करने वाली आधुनिक दासता से पीड़ित सभी व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना** को क्रियान्वित किया जाना। आधुनिक दासता के सभी रूपों के प्रति सरकारी अनुक्रिया का समन्वय तथा उसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सरकारी निकाय के रूप में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** की भूमिका को अधिक सशक्त करना।
- लोगों को उनके अधिकारों तथा उनकी रक्षा के लिए विद्यमान विभिन्न कानूनों के बारे में अधिक जागरूक बनाये जाने की आवश्यकता है।

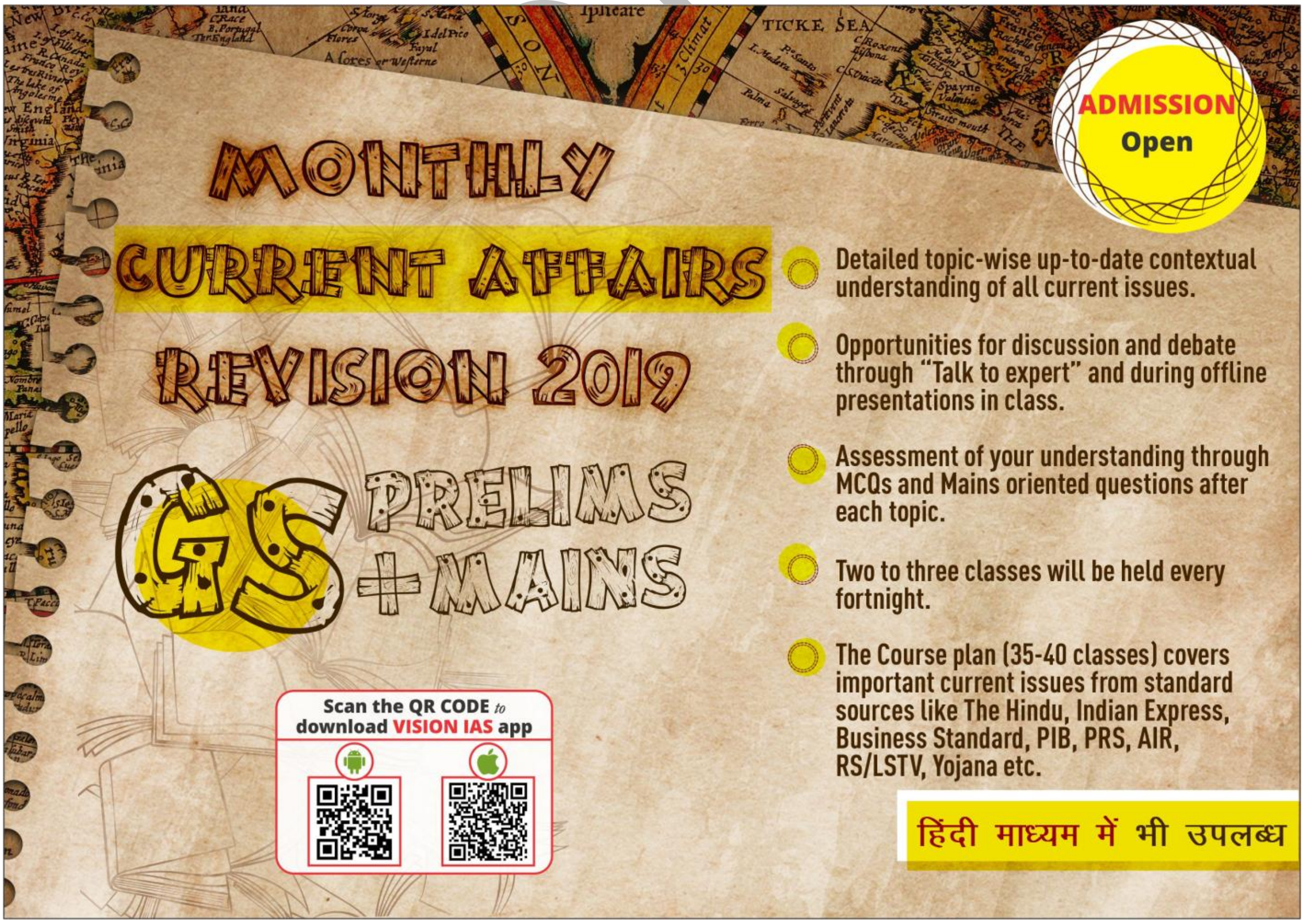

8. संस्कृति (Culture)

8.1. संस्कृति कुम्भ

(Sanskriti Kumbh)

सुर्खियों में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संस्कृति कुम्भ **(कुंभ मेला परिसर में 29 दिनों का एक असाधारण सांस्कृतिक कार्यक्रम)** का आयोजन कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने सभी समृद्ध और विविध आयामों में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें निष्पादन कलाओं (लोक संगीत, जनजातीय और शास्त्रीय कला शैलियों), हस्तशिल्प, व्यंजन, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा।

कुंभ के बारे में

- कुंभ मेला विश्व के सबसे **प्राचीन और व्यापक समागमों** में से एक है, जिसमें सभी जाति, पंथ, लिंग और क्षेत्र के करोड़ों लोग शामिल होते हैं।
- यूनेस्को द्वारा वर्ष 2017 में **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में** कुंभ मेले को शामिल किये जाने के बाद से इसका महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ा है।
- कुंभ मेला पवित्र नदियों के तट पर स्थित निम्नलिखित चार हिन्दू तीर्थ स्थानों पर नियमित आवर्तन में **12 वर्षों की समयावधि में चार बार आयोजित किया जाता** है:
  - हरिद्वार (गंगा नदी के किनारे);
  - प्रयागराज / इलाहाबाद (गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर);
  - नासिक (गोदावरी नदी के किनारे); और
  - उज्जैन (शिप्रा नदी के किनारे)।
- 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री **ह्वेन त्सांग** के वृत्तांतों के माध्यम से कुंभ मेले के इतिहास का पता लगाया जा सकता है। इस त्यौहार को आठवीं शताब्दी के संत **शंकराचार्य** ने भी लोगों के मध्य लोकप्रिय बनाया था।
- प्रयागराज में कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में और महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। जिन्हें पहले **अर्ध कुंभ और कुंभ** के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस वर्ष सरकार ने घोषणा की कि अर्ध कुंभ को कुंभ और कुंभ को महाकुंभ के रूप में जाना जाएगा।

यूनेस्को द्वारा जारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची

- यह एक सूची है जिसे अमूर्त विरासत को बढ़ावा देने और उनके महत्व के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने में योगदान देने के लिए तैयार किया गया है। इस सूची का निर्माण **कन्वेंशन फॉर सेफगॉर्डिंग ऑफ़ दि इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज** के प्रभावी होने के बाद किया गया था।
- *सेफगॉर्डिंग ऑफ़ दि इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज* के लिए अंतर-सरकारी समिति की बैठक में सदस्य राज्यों द्वारा प्रस्तावित नामांकन का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्येक वर्ष की सूची प्रकाशित की जाती है।
- यूनेस्को दो अलग-अलग सूचियां जारी करता है:
  - **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की प्रतिनिधि सूची:** यह उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है जो सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं।
  - **तत्काल रक्षोपाय की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची:** इसमें उन विरासतों को शामिल किया गया है जिनके संबंध में तत्काल रक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने में भी सहायता करती है।

भारत के निम्नलिखित स्थल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हैं-

- **कुटियाट्टम:** संस्कृत रंगमंच, केरल
- **मुडियट्टू:** केरल का एक आनुष्ठानिक रंगमंच
- **वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा**
- **रामलीला:** रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन
- **रम्मन:** गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और आनुष्ठानिक रंगमंच
- **कालबेलिया:** राजस्थान का लोक गीत और नृत्य
- **छऊ नृत्य:** सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज के क्षेत्रों से 3 अलग-अलग शैलियाँ
- **लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण:** जम्मू और कश्मीर के ट्रांस हिमालयन लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का सस्वर पाठ
- **संकीर्तन: मणिपुर** का एक आनुष्ठानिक गायन, वादन तथा **नृत्य**
- पंजाब की जंडियाल गुरु के ठठेरे द्वारा **पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला**
- **योग**

VISION IAS

- नौरोज
- कुंभ मेला (2017 में शामिल)

8.2. भारत रत्न

(Bharat Ratna)

सुर्खियों में क्यों?

प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख (मरणोपरांत) और भूपेन हजारिका (मरणोपरांत) को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

उपरोक्त सम्मानित व्यक्तियों के बारे में

- **प्रणब मुखर्जी:** वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं तथा 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं।
- **नानाजी देशमुख:** वे भारत के एक राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम किया था।
    - इन्होंने चित्रकूट में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (**भारत का प्रथम ग्रामीण विश्वविद्यालय**) की स्थापना की और इसके प्रथम कुलाधिपति भी थे।
    - इन्होंने 1950 में गोरखपुर में **भारत का पहला सरस्वती शिशु मंदिर** स्थापित किया था।
    - इन्होंने विनोबा भावे द्वारा प्रारम्भ किए गए **भूदान आंदोलन** में सक्रिय रूप से भाग लिया और उस समय जय प्रकाश नारायण से भी जुड़े जब उन्होंने **"संपूर्ण क्रांति"** का आह्वान किया था।
- **भूपेन हजारिका:** वे असम के एक भारतीय गायक, कवि, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। लोकप्रिय रूप से इन्हें **'ब्रह्मपुत्र के कवि'** के रूप में भी जाना जाता है।
    - ये **संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1987)** के साथ ही प्रतिष्ठित **दादा साहेब फाल्के पुरस्कार** (1992) के प्राप्तकर्ता भी थे।
    - भारत का सबसे लंबे पुल (ढोला-सदिया पुल), जो असम में लोहित नदी पर बना है, का नाम इनके नाम पर रखा गया है।

भारत रत्न के बारे में

- 'भारत रत्न' देश का **सर्वोच्च नागरिक सम्मान** है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी।
- यह **मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में** असाधारण सेवा / उच्चतम श्रेणी के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है।
- **भारत रत्न की सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है।** इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है।
- **वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक सीमित है।** प्रत्येक वर्ष पुरस्कार की घोषणा करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है।
- पुरस्कार प्रदान करने पर, **प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पीपल की पत्ती के आकार का पदक** प्राप्त होता है।
- पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 18 (1) की शर्तों के तहत पुरस्कार का प्रयोग **प्राप्तकर्ता के नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता।**
- इस पुरस्कार के धारकों को **वरीयता तालिका में 7A स्थान** पर रखा गया है।
- दो गैर-भारतीय **खान अब्दुल गफ्फार** (पाकिस्तान के) और **नेल्सन मंडेला** (दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति) को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

पद्म पुरस्कार

- ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं।
- ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: **पद्म विभूषण** (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए), **पद्म भूषण** (उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा) और **पद्म श्री** (विशिष्ट सेवा)।
- PSUs में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारी (डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर) इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते हैं।
- पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
- पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन **पद्म पुरस्कार समिति** (कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में) के समक्ष रखे जाते हैं, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।

VISION IAS

8.3. गणतंत्र दिवस परेड 2019

(Republic Day Parade 2019)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाई।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस वर्ष के उत्सव का मुख्य विषय **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती** था।
- दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा समारोह के मुख्य अतिथि थे।
- **परेड** में कुल **22** झांकियां प्रदर्शित की गयी थीं, जिसमें से **16 विभिन्न राज्य** एवं **केंद्र शासित प्रदेशों** जबकि छह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और अन्य संस्थानों से थीं जिसमें महात्मा गांधी के जीवन, समय और आदर्शों को प्रदर्शित किया गया।

विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ

- **शंखनाद पहली बार बजाया गया**
  - यह भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक मार्शल धुन है।
  - आजादी के बाद से, भारतीय रक्षा बल अंग्रेजों द्वारा सृजित 'मार्शल धुन' बजा रहे थे।
- **किसान गांधी: ICAR**
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को एकीकृत कृषि के थीम के साथ अपनी झांकी, 'किसान गांधी' के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  - इसमें ग्रामीण समुदायों की समृद्धि के लिए कृषि और पशुधन में सुधार लाने हेतु महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को चित्रित किया गया था।
- **करकट्टम लोक नृत्य: तमिलनाडु**
  - यह वर्षा देवी मरियम्मन की प्रशंसा में प्रदर्शित किया जाने वाला तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है।
  - कलाकार अपने सिर पर एक बर्तन रख उसे संतुलित किये होते हैं। परंपरागत रूप से, इस नृत्य को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है- पहला, **अटा करगम** - इसमें सिर पर सजाए गए बर्तनों के साथ नृत्य किया जाता है तथा यह आनंद और खुशी का प्रतीक होता है। इसे मुख्य रूप से दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शित किया जाता है; दूसरा, **शक्ति करगम -** केवल मंदिरों में एक आध्यात्मिक भेंट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- **टाकला लोक नृत्य: महाराष्ट्र**
  - यह स्थानीय आदिवासी समूहों के मध्य 'टाकला' सब्जी के आदान-प्रदान से संबंधित है।
- **गुजरात का मिश्र रास:** डांडिया रास के रूप में लोकप्रिय 'रास' गुजरात के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। मिश्र रास / गोप रास इस शैली का एक प्रकार है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह जाति या पेशे के किसी भी मापदंड पर आधारित नहीं है।
- **उत्तर-पूर्वी राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए लोक नृत्य**
  - **अरुणाचल प्रदेश का मोनपा:** यह मोनपा जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है, यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले और तवांग जिले के कुछ भागों में निवास करती है। यह नृत्य लोसर महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, जो इस जनजाति के नव वर्ष का प्रतीक है।
  - **त्रिपुरा का ममिता:** इसे ममिता उत्सव के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है, जो त्रिपुरी लोगों का फसल त्यौहार है।
  - **असम का सतोइया नित्य**
  - **सिक्किम का तमांग सेलो**
- **कर्नाटक:** इसकी झांकी 1924 में बेलगांव या बेलगाम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन पर आधारित थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी।
- **असम राइफल्स की सिर्फ महिलाओं की एक टुकड़ी** ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भाग लेकर इतिहास रचा।

8.4. हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 'युगल की कब्र' की प्राप्ति

(Couple's Grave in Harappan Settlement)

सुर्खियों में क्यों?

पहली बार, पुरातत्वविदों द्वारा हरियाणा के राखीगढ़ी के एक कब्रिस्तान में एक 'युगल की कब्र' की खोज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह मानव विज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी) द्वारा पुष्ट प्रथम 'युगल की कब्र' है, जिसे हरियाणा के राखीगढ़ी स्थित हड़प्पा कालीन बस्ती की खुदाई के दौरान खोजा गया है।

- दोनों शव एक दूसरे के निकट स्थित पाए गए हैं।
- इन कंकालों पर घाव या चोट के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मृत्यु के समय उनकी आयु 21 से 35 वर्ष के मध्य आंकलित की गई है।
- राखीगढ़ी **सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल** है और 70 से अधिक कंकालों वाले इस कब्रिस्तान ने पुरातत्वविदों को पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु DNA नमूने हासिल करने में सहायता की है।

विभिन्न हड़प्पा स्थलों से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं

- **हड़प्पा -** विशाल चबूतरों वाले छह अन्नागारों की 2 कतार, पाषाण निर्मित लिंग और योनी के प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, काष्ठ निर्मित ओखली में गेहूँ और जौ, पासा, ताँबे का तुला और दर्पण, हिरण का पीछा करते हुए कांस्य से बने कुत्ते की एक मूर्ति, पाषाण निर्मित नग्न नर्तकी की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर निर्मित पुरुष के धड़ की मूर्ति।
- **मोहनजोदड़ो -** विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, दाह संस्कार पश्चात् शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति।
- **धौलावीरा -** विशाल जलाशय, क्रीडांगन, बांध और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेतों वाला अभिलेख।
- **लोथल -** गोदी, दोहरा शवाधान, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, चित्रित भांड, आधुनिक शतरंज, अश्व और जहाज की टेराकोटा आकृतियां, 45, 90 और 180 डिग्री के कोणों को मापने के उपकरण।
- **रोपड़ -** अंडाकार गड्ढे में मानव शवाधान के साथ दफन कुत्ता।
- **बालाथल और कालीबंगा -** चूड़ी का कारखाना, खिलौना गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी, निचला शहर।
- **सुरकोतड़ा -** अश्व की हड्डियों के प्रथम वास्तविक अवशेष।
- **बनवाली -** खिलौना हल, जौ के दाने, अरीय (रेडियल) गलियों वाला एकमात्र शहर, अंडाकार आकार की बस्ती।
- **आलमगीरपुर -** नांद (trough) पर कपड़े की छाप।

संबंधित अन्य तथ्य

सिंधु घाटी सभ्यता (IVC)

- सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन सहित विश्व की चार प्राचीन सभ्यताओं में से एक है।
- यह भारत के आद्य-इतिहास **(प्रोटो-हिस्ट्री)** का हिस्सा है और **कांस्य युग** से संबंधित है।
    - प्रारंभिक चरण: 2900-2500 ई.पू.
    - मध्य (परिपक्व) चरण: 2500-2000 ई.पू.
    - उत्तरवर्ती चरण: 2000-1750 ई.पू.
- 1921 में **दयाराम साहनी** द्वारा पहली बार हड़प्पा की खोज की गई।
- 1922 में **आर. डी. बनर्जी** द्वारा मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला) की खोज की गई।
- **जॉन मार्शल** द्वारा सिन्धु घाटी सभ्यता को पहली बार **'हड़प्पा सभ्यता'** नाम दिया था।

8.5. गांधी सर्किट

(Gandhi Circuit)

सुर्खियों में क्यों?

बिहार में **"गांधी सर्किट: भितिहरवा-चंद्रहिया-तुरकौलिया"** के विकास संबंधी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार द्वारा अप्रैल-2017 से अप्रैल-2018 के दौरान **चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष** मनाने का निर्णय लिया गया था। गांधी सर्किट का विकास इस महोत्सव का हिस्सा है।
- केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ इस परियोजना को **"स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण सर्किट थीम"** के तहत मंजूरी प्रदान की गई है।
- यह 2015 में **बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज** के तहत विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं में से एक है।

इन स्थानों का महत्व

- **चंद्रहिया:** यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक गांव है, जिसका चंपारण सत्याग्रह में एक विशेष स्थान रहा था, क्योंकि 1916 में गांधीजी को **इस गाँव में तब रोका गया था** जब वे किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए जसौली पट्टी जा रहे थे जहाँ किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पर नील की खेती करने हेतु बाध्य किया जा रहा था।

VISION IAS

- **भितिहरवा:** 1917 में जब गांधीजी चंपारण में थे तो इस स्थान को उनके द्वारा **सामाजिक कार्यों के केंद्र के रूप में चुना गया था।** यहाँ एक गांधी आश्रम है, जहां गांधीजी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ठहरे थे।
- **तुरकौलिया: यह नील आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था।** इसे व्यापक रूप से नील कृषकों की दुर्दशा को संदर्भित करने हेतु चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में **"तुरकौलिया प्रसंग (Turkaulia Concern)"** के रूप में जाना जाता है।

स्वदेश दर्शन (एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना)

- **पर्यटन मंत्रालय** ने 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की थी।
- **इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों,** जैसे- स्वच्छ भारत अभियान, कौशल भारत, मेक इन इंडिया आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। पर्यटन क्षेत्र का स्थापन इस प्रकार करना है ताकि यह रोजगार सृजन का एक बड़ा वाहक बन सके और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सके तथा साथ ही पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का दोहन करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए थीम आधारित **13 सर्किटों** की पहचान की गई है, जिनके नाम हैं: पूर्वोत्तर सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, **ग्रामीण सर्किट**, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट एवं धरोहर सर्किट।

चंपारण सत्याग्रह (1917)

- यह **भारत में गांधीजी द्वारा प्रारंभ प्रथम सत्याग्रह** था और साथ ही **भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था।**
- चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों को उनकी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। इसे **तिनकठिया प्रणाली** के नाम से जाना जाता था।
- **राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण** पर गांधीजी चंपारण गए थे।
- गांधीजी ने सरकार को एक **जांच समिति के गठन** करने हेतु बाध्य किया, जिसने अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस लौटने का आदेश दिया था। इसके एक दशक के भीतर बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया।

8.6. अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार

(International Gandhi Peace Prize)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा चार वर्षों (2015 से 2018 तक) के लिए गांधी शांति पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसकी अंतिम बार घोषणा 2014 में की गई थी।

गांधी शांति पुरस्कार सम्मान के बारे में

- यह वार्षिक पुरस्कार है जिसे **1995** में **महात्मा गांधी की 125वीं जयंती** पर स्थापित किया गया था।
- यह **वार्षिक** पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, **जिन्होंने अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को प्राप्त करने में योगदान दिया है।**
- जूरी में **भारत के प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष के रूप में), **भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता और दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।**
- यह पुरस्कार मरणोपरांत **नहीं प्रदान किया जा सकता, केवल उस स्थिति के अतिरिक्त जब** उस व्यक्ति की मृत्यु जूरी को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बाद हुई हो।
- यदि प्रस्तुत किए गए **प्रस्तावों** में **कोई भी प्रस्ताव** सम्मान **योग्य नहीं** है, तो जूरी उस वर्ष के लिए पुरस्कार न प्रदान करने हेतु स्वतंत्र है।
- पुरस्कारों के लिए केवल नामांकन के ठीक पूर्व **10 वर्षों के भीतर की उपलब्धियों** पर ही विचार किया जाता है।

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची

- **2018: योही सासाकावा,** ये कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सद्भावना दूत हैं।
- **2017:** भारत के सुदूर क्षेत्रों में जनजातीय और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, ग्रामीण सशक्तिकरण, लैंगिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाले **एकल अभियान न्यास** को।
- **2016:** देशभर के लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने के लिए **अक्षय पात्र फाउंडेशन** तथा भारत में स्वच्छता में सुधार और हाथ से मैला ढोने वालों (मैनुअल स्केवेंजर्स) की मुक्ति में योगदान करने हेतु **सुलभ इंटरनेशनल** दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।
- **2015:** ग्रामीण विकास, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के विकास में योगदान देने हेतु कन्याकुमारी स्थित **विवेकानंद केन्द्र** को।

VISION IAS

8.7. राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

(Monuments of National Importance)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 2018 में 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत, **कम से कम सौ वर्षों से विद्यमान** ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व के प्राचीन स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों को **'राष्ट्रीय महत्व के स्मारक' के रूप में घोषित किया जा सकता है।**
- राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव का कार्य ASI द्वारा किया जाता है। यह कार्य स्मारकों की संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक संरक्षण और उनके आस-पास पर्यावरणीय विकास के माध्यम से किया जाता है जो एक नियमित और निरंतर प्रक्रिया है।
- **6 स्मारक निम्नलिखित हैं:**
    - 125 वर्ष पुराना नागपुर (महाराष्ट्र) स्थित उच्च न्यायालय भवन,
    - आगरा (उत्तर प्रदेश) में दो मुगलकालीन स्मारक
        - आगा खान की हवेली
        - हाथी खाना
    - अलवर (राजस्थान) स्थित नीमराना की प्राचीन बावड़ी
    - बोलांगिर (ओडिशा) स्थित मंदिरों का समूह
    - विष्णु मंदिर, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

- **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन ASI, पुरातत्वीय अनुसंधान तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है।
- ASI का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख-रखाव करना है।
- इसके अतिरिक्त, यह **प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है ।
- इसके द्वारा **पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972** को भी विनियमित किया जाता है।
- इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी जो इसके प्रथम महानिदेशक भी थे।

8.8. वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर

(World Capital of Architecture)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने ब्राजील के शहर **रियो डी जनेरियो** को वर्ष 2020 के लिए 'वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर' घोषित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **प्रथम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में रियो डी जनेरियो में 'ऑल द वर्ल्डस, जस्ट वन वर्ल्ड' (All the worlds. Just one world)'** थीम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के 11वें लक्ष्य 'सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण' को प्रोत्साहित किया जाएगा।"
- रियो डी जेनेरियो में आधुनिक और औपनिवेशिक वास्तुकला का मिश्रण पाया जाता है जहाँ **क्राइस्ट द रिडीमर** (अर्थात् उद्धार करने वाले ईसा मसीह) की प्रतिमा जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल **और म्यूज़ियम ऑफ़ टुमारो (Museum of Tomorrow)** जैसी समकालीन संरचनाएं स्थित हैं।

VISION IAS

वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर पहल के बारे में

- इसे 2018 में लॉन्च किया गया था जो यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स (UIA) की एक संयुक्त पहल है।
- वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर का उद्देश्य संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, शहरी नियोजन और वास्तुकला के दृष्टिकोण से गंभीर वैश्विक चुनौतियों के संबंध में वार्ता हेतु एक अंतरराष्ट्रीय मंच तैयार करना है।
- **यूनेस्को द्वारा UIA के वैश्विक सम्मेलन (World Congress) की भी मेज़बानी की जाती है।** इसका आयोजन तीन वर्षों में एक बार किया जाता है।

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स (UIA) के बारे में

- यह UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त एक **गैर-सरकारी संगठन है** जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एकमात्र आर्किटेक्चरल यूनियन है।
- इसकी स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में की गई थी। इसका उद्देश्य वास्तुकारों के राष्ट्रीय संगठनों के एक संघ के माध्यम से विश्व के वास्तुकारों को एकजुट करना है।

VISION IAS

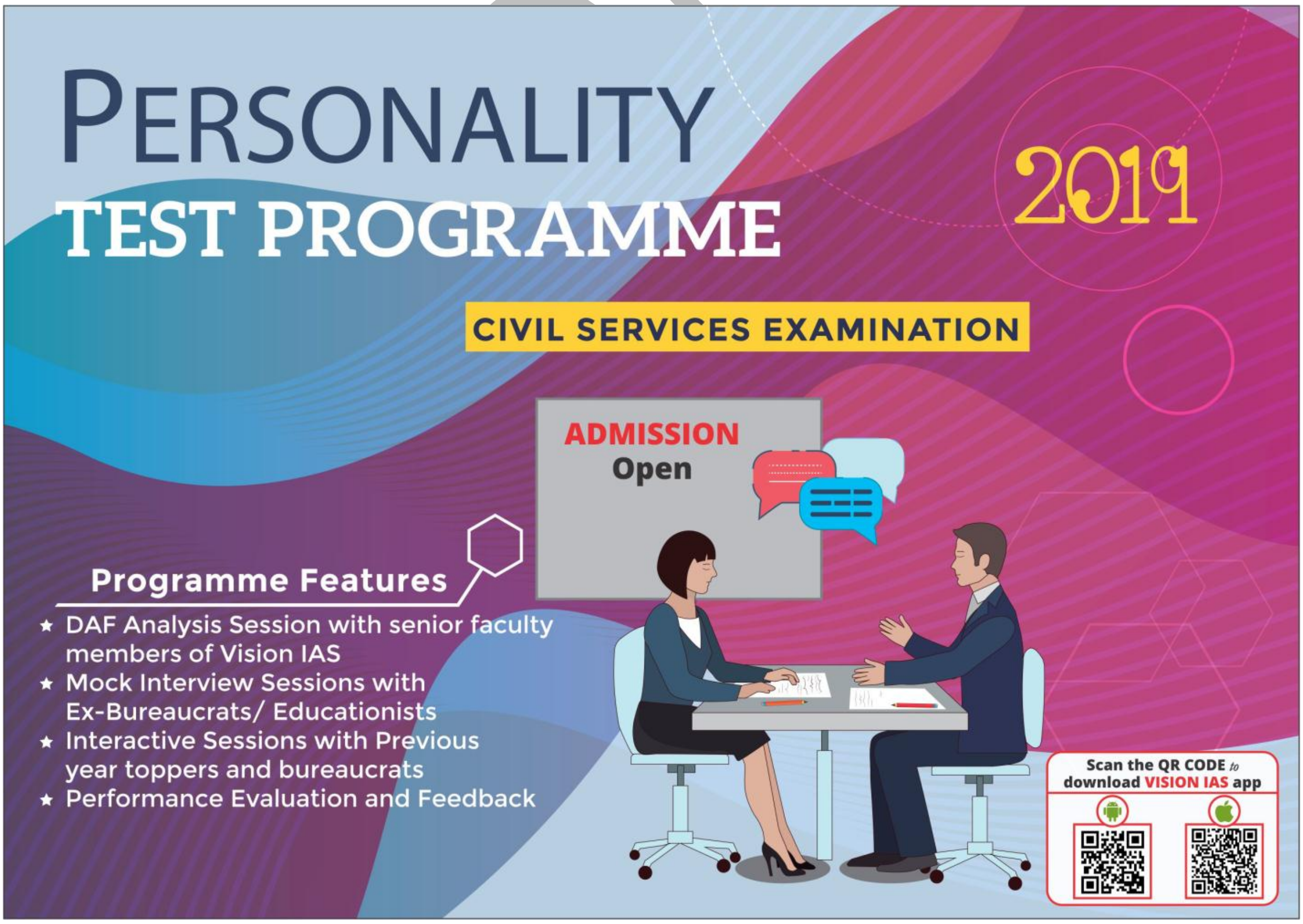

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. लैंगिक मुद्दों के प्रति युवाओं को संवेदनशील बनाना

(Sensitizing Youth towards Gender Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक टीवी शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर दो प्रसिद्ध युवा क्रिकेटरों की आलोचना की गई।

लैंगिक-संवेदनशीलता क्या है?

लैंगिक-संवेदनशीलता द्वारा यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है कि विकास में महिलाओं की भूमिका सहित समाज में महिलाओं एवं पुरुषों की भूमिका को लैंगिक विशेषताएँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं तथा साथ ही इसके द्वारा उनके मध्य के संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- समाज को परिवर्तित करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना, सर्वाधिक **प्रभावी और गैर-टकराववादी दृष्टिकोण** है। लैंगिक संवेदीकरण पुरुषों और महिलाओं की रुढ़िवादी मनोवृत्ति को परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। उल्लेखनीय है कि रुढ़िवादी मनोवृत्ति का आशय एक ऐसी मानसिकता से है जो दृढ़ता से यह स्वीकार करती है कि पुरुष और महिला 'असमान इकाई' हैं और इसलिए उन्हें अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक परिवेश में कार्य करना पड़ता है।
- लैंगिक संवेदीकरण महिलाओं और उनकी समस्याओं के प्रति **लोगों की संवेदनशीलता में वृद्धि** करता है। इस प्रक्रिया में, यह नीति निर्धारण से लेकर जमीनी स्तर तक विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग का निर्माण करता है। इन कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि किसी भी प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह एक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है और इसलिए वे उनके समक्ष उपस्थित लिंग संबंधी मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का प्रयास करते हैं।
- लैंगिक रूढ़िवादिता में परिवर्तन करना न केवल महिलाओं और लड़कियों को **बल्कि पुरुषों और लड़कों** को भी लाभ प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप पुरुषों और लड़कों को भी उस प्रकार की नौकरियां और अवसर प्राप्त होंगे जो अभी तक केवल महिलाओं तक सीमित हैं जैसे नर्सिंग और देखभाल व्यवसाय। पुरुषों और महिलाओं के मध्य घरेलू और देखभाल संबंधी उत्तरदायित्वों का समान विभाजन, पुरुषों को पारिवारिक जीवन का बेहतर आनंद लेने और जीवनसाथी एवं बच्चों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है।

लैंगिक संवेदीकरण की प्रक्रिया

- **धारणा में परिवर्तन (Change in Perception)**: इस स्तर पर लोगों को पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर प्रचलित पूर्वाग्रहों के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाता है।
- **स्वीकृति (Recognition)**: इस स्तर पर लोग, महिलाओं के सदगुणों तथा परिवार एवं समाज के लिए उनके महत्व को स्वीकृति प्रदान करने लगते हैं।
- **समायोजन (Accommodation):** लैंगिक संबंधों के संदर्भ में, लोग अपने अहम् (egos) को त्यागकर अपने व्यवहार को युक्तिसंगत बनाते हैं।
- **कार्रवाई (Action)**: लैंगिक संवेदनशील व्यक्ति समाज में महिलाओं की प्रस्थिति के संदर्भ में परिवर्तन का साधन बन जाता है।

युवाओं को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- चूंकि अभिवृत्ति और धारणाएं बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में ही आकार ग्रहण करती हैं, अत: **बाल्यावस्था में बच्चों के समाजीकरण** का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और माता-पिता एवं परिवारों द्वारा कम आयु में ही बच्चों में लैंगिक संवेदनशीलता को पोषित किया जाता है। लैंगिक संवेदनशीलता की दिशा में किए गए प्रयास पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करते हैं और चिंतन एवं व्यवहार के उन वैकल्पिक तरीकों को प्रस्तुत करते हैं जिससे युवा स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जहां पुरुषत्व की पारंपरिक सामाजिक अवधारणा युवा, पुरुषों और लड़कों को शारीरिक रूप से सुदृढ़, प्रभावशाली और यहां तक कि हिंसक बनने के लिए दबाव डालती है, वहीं पुरुषत्व की वैकल्पिक अवधारणा लड़कों और पुरुषों के भीतर इस प्रकार की विशेषताओं को अंतर्विष्ट कर सकती है जो दूसरों के प्रति सम्मान और देखभाल के भाव को प्रोत्साहित करे।

VISION IAS

- युवाओं की संलग्नता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के कई भागों में विद्यमान कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। युवाओं की वर्तमान पीढ़ी पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। युवाओं की प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण तक अधिक पहुंच होने के साथ ही विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व की तुलना में उन्हें अधिक अवसर उपलब्ध हैं। हालांकि, **परिवर्तन के एक एजेंट के रूप** में उनका कम उपयोग किया गया है।
- **महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम हेतु युवाओं को शामिल** करना महत्वपूर्ण है। युवा हिंसा-पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु लॉबिंग करने के लिए दबाव समूहों और संगठनों का गठन करके महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध होने वाली हिंसा को कम करने में योगदान कर सकते हैं, अपने साथियों को संवेदनशील बना सकते हैं और अधिकारियों को समय पर रिपोर्टिंग करने हेतु सामुदायिक स्तर पर हिंसा की निगरानी कर सकते हैं। युवा पुरुषों और लड़कों को शामिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह उन्हें व्यवहार के वैकल्पिक मॉडल को स्वीकार करने में सहायता करता है और शक्ति एवं प्रभुत्व का प्रदर्शन (जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं) करने वाली भूमिकाओं संबंधी दबावों से बचा सकता है।

युवाओं को संवेदनशील कैसे बनाया जाए?

- **माता-पिता की भूमिका**
  - माता-पिता अपने बच्चों को सहानुभूति रखने, दूसरों का सम्मान करने और नैतिक चिंतन के अन्य पहलुओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
  - बच्चों में नैतिक विचारों का विकास करने हेतु माता-पिता को स्वयं दैनंदिन जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- **शिक्षा प्रणाली में विद्यमान कमियों में सुधार करना**
  - **लैंगिक-संवेदनशील कक्षाओं और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना:** उदाहरण के लिए 2005 में, NCERT द्वारा स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक भूमिकाओं के लंबे समय से चले आ रहे रूढ़िवादी चित्रण (अर्थात् महिलाओं को अधिकांशत: गृहिणियों, माताओं जैसी पारंपरिक भूमिकाओं में प्रदर्शित करना तथा उनके संबंध में 'दयालु' एवं 'प्रेममय' जैसे रूढ़िवादी गुणों का चित्रण करना) को सुधारने का प्रयास किया।
  - **कुछ कक्षागत प्रवृत्तियों को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना:** जैसे लड़कों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में बेहतर प्रदर्शन करने वाला समझना और लड़कियों को पढ़ने, लिखने और हस्तकला में बेहतर प्रदर्शन करने वाली समझना, ताकि युवाओं में पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति को रोका जा सके।
  - कक्षा में वर्ग, जाति, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने हेतु शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए **शिक्षक-प्रशिक्षण** को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- **सरकार की पहलें:**
  - राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जैसी योजनाओं और नीतियों के साथ-साथ निम्नलिखित योजनाओं में स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से **नैतिक आचरण और मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना:**
    - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करने और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने हेतु शुरू की गई **अहिंसा दूत योजना**।
    - लोगों को उनके अधिकारों और हक के बारे में जागरूक बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में **भारत निर्माण स्वयंसेवक**।
  - **युवाओं के मध्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना:** इससे युवाओं में बेहतर टीम भावना का विकास किया जा सकता है और उनमें कदाचार एवं दुर्भावना के विरुद्ध एक प्रकार की अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** भारत के समकालीन मुद्दों के बारे में युवाओं को जागरूक करने में नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए: NGO उदय द्वारा आयोजित उदयन उत्सव।

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News In Short)

10.1 सुर्ख़ियों में रही रिपोर्ट एवं सूचकांक

(Report and Index in News)

- **वर्क फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर:** इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के **ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क** द्वारा प्रकाशित किया गया है।
    - ग्लोबल कमीशन की स्थापना **ILO के फ्यूचर ऑफ वर्क** नामक पहल के अंतर्गत की गई थी।
    - इसने सरकारों को **नवीन तकनीकों, जलवायु परिवर्तन और जनांकिकी** के कारण विश्व में हुए अभूतपूर्व परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपायों की एक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध किया है।

फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव:

- इसे ILO द्वारा 2015 में प्रारम्भ किया गया था ताकि विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझने और उत्पन्न नवीन चुनौतियों का प्रभावी रूप से समाधान किया जा सके।

- **ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स डार्कनिंग स्काइज:** रिपोर्ट का प्रकाशन हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किया गया है।
- **वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2019**, यह **वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपेक्षित रुझानों पर संयुक्त राष्ट्र** द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट है।
    - प्रकाशन मे शामिल संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हैं: यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकनोमिक एंड सोशल अफेयर्स (DESA), संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) और संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोग।
- **ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019:** हाल ही में इसे **विश्व आर्थिक मंच** द्वारा जारी किया गया था। यह ग्लोबल **रिस्क्स परसेप्शन सर्वे 2018-2019** के परिणामों के आधार पर प्रकाशित **एक वार्षिक रिपोर्ट** है।
- हाल ही में जारी किए गए **लोकतंत्र सूचकांक** में भारत को 41वां स्थान प्रदान किया गया है और इसे **'दोषपूर्ण लोकतंत्र (flawed democracy)'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - यह सूचकांक लंदन स्थित समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI), 2018:** 81वें स्थान (2017) से 78वें स्थान (2018) तक भारत की रैंकिंग में सुधार को दर्शाता है।
    - यह सूचकांक 0-100 के स्कोर के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है, जहां 0 का अर्थ 'सर्वाधिक भ्रष्ट' (Highly Corrupt) तथा 100 का अर्थ 'सर्वाधिक ईमानदार' (Very Clean) होने से है। देशों को उनके **सार्वजनिक क्षेत्र में** व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है।
- **वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक:** भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है(125 देशों में):
    - इस सूचकांक का प्रकाशन वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष 'इनसीड' (INSEAD) बिजनेस स्कूल द्वारा एडिको ग्रुप' (Adecco Group) और टाटा कम्युनिकेशंस के सहयोग से किया जा रहा है।
    - यह सूचकांक मापता है कि किस प्रकार देश एवं शहर में प्रतिभाओं को विकसित करते हैं, आकर्षित करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं तथा निर्णय निर्माताओं के लिए वैश्विक प्रतिभा बाजार को समझने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु रणनीति विकसित करने के लिए एक विशिष्ट संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

10.2 उत्कृष्टता के संस्थान

(Institutes of Eminence)

- उत्कृष्टता के संस्थान (इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस: IOEs) को चयनित करने वाली एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (EEC) ने ऐसे संस्थानों की संख्या को बढ़ाकर 30 तक करने की अनुशंसा की है।
- योजना का उद्देश्य IOEs के अंतर्गत चयनित **उच्च शिक्षा संस्थानों को आगामी 10 वर्षों में विश्व के शीर्ष 500 संस्थानों की सूची** में शामिल करना है और अंततः शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करना है।
- इस योजना को देश के भीतर **भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करने** और देश में शिक्षा के सामान्य स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है।

VISION IAS

- चयनित संस्थानों को निम्नलिखित प्रावधानों संबंधी अधिक स्वायत्तता प्राप्त है-
  - प्रवेशित छात्रों के 30% तक **विदेशी छात्रों को प्रवेश** देने की स्वीकृति;
  - संकाय की कुल संख्या के 25% तक **विदेशी संकाय की भर्ती** करना;
  - अपने कुल पाठ्यक्रमों के 20% को **ऑनलाइन पाठ्यक्रम** के रूप में उपलब्ध कराना ;
  - **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की अनुमति के बिना** विश्व के शीर्ष 500 संस्थानों के साथ **अकादमिक सहयोग स्थापित** करने की स्वीकृति;
  - बिना किसी प्रतिबंध के **विदेशी छात्रों हेतु शुल्क निर्धारित करने और लगाने की छूट**;
  - डिग्री लेने के लिए क्रेडिट घंटे और वर्षों के संदर्भ में **पाठ्यक्रम संरचना में लचीलापन**;करिक्यूलम और पाठ्यक्रम के निर्धारण में पूर्ण लचीलापन आदि IoEs को प्रदान किया गया है।
- 'उत्कृष्टता के संस्थान' के रूप में चयनित **प्रत्येक 'सार्वजनिक संस्थान' को पांच वर्षों की अवधि में 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान** की जाएगी।
- सरकार ने **6 संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों** के रूप में चयन किया है, जिनमें से 3 संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र के और 3 संस्थान निजी क्षेत्र के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र : (i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र और (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और निजी क्षेत्र : (i) जियो इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन) पुणे, ग्रीन फील्ड श्रेणी के तहत (ii) बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पिलानी, राजस्थान; और (iii) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटक।

10.3. प्रवासी भारतीय दिवस

(Pravasi Bharatiya Divas: PBD)

- यह प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है और विदेशी भारतीय समुदाय को सरकार के साथ जुड़ने के लिए मंच प्रदान करता है।
- ध्यातव्य है कि इस दिन अर्थात 9 जनवरी को महात्मा गाँधी की स्वदेश वापसी (वर्ष 1915 में इसी दिन) की स्मृति में मनाया जाता है। हालांकि, इस वर्ष कुंभ मेला और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए बहुतायत डायस्पोरा समुदाय की भावनाओं के सम्मान में, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी के स्थान पर 21 से 23 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया है।
- PBD के दौरान विदेशी भारतीयों को भारत और विदेशों दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
- **PBD 2019 की थीम** - 'नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका'।
- **प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना:** इसे PBD 2019 के अवसर पर प्रारंभ किया गया था और इसके तहत **45-60 आयु वर्ग** के प्रवासी भारतीयों को भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
  - यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।
  - **गिरमिटिया देशों** के लोगों को **प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी।**
  - गिरमिटिया या जहाजी, यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा गन्ने के रोपण हेतु फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मलय प्रायद्वीप, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका (त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम) में लाए गए संविदावद्ध भारतीय मजदूरों के वंशज हैं।

10.4 रायसीना वार्ता 2019

(Raisina Dialogue)

- रायसीना वार्ता का चौथा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रायसीना वार्ता भारत का प्रमुख वार्षिक भू-राजनैतिक एवं भू-आर्थिक सम्मेलन है। इस वर्ष वार्ता की थीम है– **"अ वर्ल्ड रिऑर्डर: न्यू जियोमेट्रीज, फ्लूड पार्टनरशिप्स, अनसर्टन आउटकम्स"**।
- इस सम्मेलन को भारत सरकार, **विदेश मंत्रालय** के सहयोग से **ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** (स्वतंत्र थिंक टैंक) द्वारा आयोजित किया गया है।
- **यूनाइटेड स्टेट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (GIPC)** ने रायसीना वार्ता में **"फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन"** नामक एक नई नवाचार पहल का शुभारंभ किया। यह पहल **आर्थिक नवप्रवर्तन** की जांच करेगी ताकि नीति-निर्माताओं द्वारा सफलता नवाचार को सक्षम करने और अनुसंधान, वकालत, साझेदारी और कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विश्व भर में नवाचार पूंजी का दोहन करने के अवसरों का पता लगाया जा सके।

VISION IAS

- खाड़ी क्षेत्र में मौजूद विवाद एवं अविश्वास संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक रणनीतिक रणनीतिक पहल **ईरान** ने क्षेत्रीय शांति निर्माण के एक नए मंच के रूप में एक नए मंच के रूप में **"फारस की खाड़ी क्षेत्रीय संवाद मंच"(Persian Gulf Regional Dialogue Forum)** को प्रस्तावित किया है।

10.5. कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप

(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

- हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) को उन छह देशों में क्रियान्वयित किया गया है, जिन्होंने पूर्व में इसे अनुमोदित किया था।
- यह **कनाडा** और **एशिया-प्रशांत क्षेत्र** के **10 अन्य देशों** के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है: जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। इसे अनौपचारिक रूप से TPP-11 के रूप में भी जाना जाता है।
- CPTPP में **कृषि, समुद्री खाद्य उत्पाद, वन उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद** आदि जैसे कई व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। समझौते के प्रभाव में आते ही, अधिकांश **टैरिफ लाइन** प्रत्येक CPTPP देश के लिए **शुल्क मुक्त** हो जाएंगी। अन्य वस्तुओं पर शुल्क **"चरण-बद्ध"** अवधि (20 वर्ष तक) में समाप्त कर दिए जाएंगे, जो प्रत्येक देश के अनुरूप भिन्न-भिन्न हैं।

10.6 एशिया रिअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट

(Asia Reassurance Initiative Act: ARIA)

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने और इस क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को पुनः सुदृढ़ करने के लिए ARIA अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में **अमेरिका की सुरक्षा, आर्थिक हितों और महत्व को बढ़ाने** के लिए एक बहुमुखी अमेरिकी रणनीति स्थापित करना है।
- नया कानून दक्षिण चीन सागर में **चीन द्वारा कृत्रिम स्थलाकृतियों के अवैध निर्माण तथा सैन्यीकरण** और बलपूर्वक अपनाए जा रहे आर्थिक क्रियाकलापों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई करता है।
- ARIA **भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा** को बढ़ावा देने में **संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य रणनीतिक साझेदारी** की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करता है और यह देशों के मध्य राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल देता है।
- भारत के साथ राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए, यह क्षेत्र में अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए **1.5 बिलियन डॉलर के बजट का प्रावधान करता है।**

10.7 बेरुत घोषणा

(Beirut Decleration)

- **अरब आर्थिक और सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन** के समापन पर शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसे बेरूत घोषणा के नाम से जाना जाता है।
- यह **अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना** और **विस्थापित एवं शरणार्थियों को शरण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहयोग** की अपील करता है।

10.8. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

(National Statistical Commission)

- हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के अध्यक्ष एवं सदस्य ने सरकार के साथ मौजूदा मतभेदों जैसे- GDP बैक सीरीज़ डेटा, नई आर्थिक जनगणना और 2016-17 के लिए रोजगार-बेरोजगारी रिपोर्ट की स्वीकृति के बावजूद इसके प्रकाशित करने में विलम्ब आदि के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।
- डॉ. सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 2005 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में NSC की स्थापना की गई थी।
- यह देश के सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसमें सांख्यिकीय मानकों को विकसित करना, निगरानी करना और लागू करना तथा इससे जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के मध्य सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।
    - आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, 4 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं, साथ ही नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका पदेन सदस्य है।
    - भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् आयोग के सचिव के रूप में कार्य करता है। वह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव भी होता हैं।

10.9. इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे (IOS) और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे (SIOS)

(Industrial Outlook Survey, and Services and Infrastructure Outlook Survey)

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे (IOS), और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे (SIOS)** नामक दो सर्वेक्षणों की शुरुआत की है।
- इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य भारत के विनिर्माण, सेवा और अवसंरचना क्षेत्रों में रोजगार सहित वर्तमान स्थिति का आकलन करना है।
- **इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वेक्षण (IOS)** का संचालन **हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा किया जाएगा। यह **विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन में** उपयोगी एवं बेहतर समझ प्रदान करेगा।
- **सर्विसेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे (SIOS)** भारत में **सेवा और अवसंरचना क्षेत्रों** में चयनित कंपनियों से मौजूदा तिमाही (जनवरी-मार्च 2019) के लिए कारोबारी स्थिति का आकलन करेगा। SIOS का संचालन **स्पेक्ट्रम प्लानिंग इंडिया लिमिटेड** द्वारा किया जाएगा।

10.10 डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व

(Debenture Redemption Reserve)

- हाल ही में वित्त मंत्रालय ने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (DRR) की आवश्यकता को हटाने सम्बन्धी सेबी के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है।
- DRR, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत शामिल एक प्रावधान है। **जब तक डिबेंचर की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती तब तक DRR को प्रत्येक वर्ष कंपनी के लाभ से वित्त पोषित किया जाना निर्धारित किया गया है।** रिज़र्व का निर्माण जारीकर्ता को अर्जित लाभ से,डिबेंचर के अंकित मूल्य का कम से कम 25% जारी होने तक के बाद किया जायेगा।
- बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे वित्तीय संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- DRR, **निवेशकों** को कंपनी द्वारा डिफ़ॉल्ट की संभावना से **बचाता** है।

डिबेंचर

- डिबेंचर एक प्रकार के बॉन्ड होते हैं, जो भौतिक संपत्ति या कोलैटरल द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। डिबेंचर केवल सामान्य साख और जारीकर्ता की प्रतिष्ठा से समर्थित होते हैं।
- एक इकाई, निश्चित ब्याज दर प्रदान करने और एक निश्चित तिथि पर मूलधन लौटाने के वायदे के साथ, धन जुटाने के लिए **डिबेंचर जारी** कर सकती है।
- सरकारों द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल एक प्रकार के डिबेंचर हैं।

10.11 शेयर-प्लेजिंग

(Share Pledging)

- हाल ही में ऋणदाताओं (जिन्होंने **ज़ी समूह** के प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों के विरुद्ध उन प्रमोटरों को धन उधार दिया था) द्वारा शेयर बेच देने के कारण ज़ी समूह के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट हुई। इसने **'शेयर-प्लेजिंग' या 'लोन अगेंस्ट शेयर' प्रणाली** सम्बन्धी मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
- बैंक और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए शेयर-प्लेजिंग प्रक्रिया अपनाए जाती है। वित्तीय संस्थानों के लिए, गिरवी रखे गए शेयर कोलेटरल होते हैं।
- बैंक, गिरवी रखे शेयरों को स्टॉक की कीमत उनके और कंपनी के मध्य किए गए अनुबंध में निर्धारित कीमतों के लगभग समान होने की स्थिति में बेच सकते हैं। सामान्यतः, प्रमोटरों को बैंकों या NBFCs द्वारा ऋण स्वरूप प्रदान की गई राशि शेयरों के बाजार मूल्य से कम होती है।
- उच्च प्लेजिंग लेवल को सामान्यतः निवेशकों द्वारा अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि बाजार मूल्य में गिरावट से ऋणदाताओं द्वारा शेयरों की बिक्री की जा सकती है और प्रबंधन में बदलाव हो सकता है। ऋणदाता द्वारा कोलेटरल को बेचने के भय से निवेशक स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, जो आगे चलकर विक्रय सम्बन्धी कठिनाइयों को बढ़ा सकता है।

10.12 यू. के. सिन्हा समिति

(U K Sinha Committee)

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने MSME क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक समाधान सुझाने के लिए सेबी के पूर्व अध्यक्ष यू. के. सिन्हा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

- समिति कुछ अन्य मुद्दों के साथ क्षेत्रक (MSME) को वित्त की समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जांच करेगी।

10.13 गाफा टैक्स

(GAFA Tax)

- हाल ही में फ्रांस ने 1 जनवरी 2019 से अत्यधिक वार्षिक वैश्विक राजस्व वाली बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर गाफ़ा (Google Apple Facebook Amazon) नामक कर आरोपित करने की घोषणा की है।

10.14 री-वीव.इन

(Re-Weave.In)

- हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने **प्रोजेक्ट री-वीव** के अंतर्गत एक नया ई-कॉमर्स **प्लेटफॉर्म re-weave.in** लॉन्च किया है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म **बुनकर समुदायों द्वारा निर्मित विशिष्ट पारंपरिक डिजाईन को मंच प्रदान करता है, जो प्राकृतिक रंगों से निर्मित पारम्परिक डिज़ाइन एवं उत्पादों को प्रदर्शित करता है।**
- **प्रोजेक्ट री-वीव** को 2016 में विशाखापट्टनम स्थित गैर-लाभकारी संगठन चैतन्य भारती के साथ साझेदारी से लॉन्च किया गया था ताकि **राज्य में पारंपरिक हथकरघा कला शैलियों के पुनरुद्धार को सुनिश्चित किया जा सके।**
- इस परियोजना के तहत, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया बुनकरों को **गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से कार्यशील पूंजी के माध्यम** से सहायता प्रदान करता है।

10.15. केरल में भारत का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम

(India's Largest Startup Ecosystem in Kerala)

- यह इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी इनोवेशन ज़ोन (TIZ) में स्थापित किया गया है। यहाँ आधुनिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्ट-अप्स के लिए इन्क्यूबेशन सेट-अप विकसित किये जा रहे हैं।
- इस एकीकृत स्टार्टअप परिसर को **केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM)** के तहत स्थापित किया गया है, इसमें निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित हैं:
  - मेकर विलेज जो हार्डवेयर स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा,
  - बायोनेस्ट (BioNest) जो चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है,
  - ब्रिंक (BRINC) हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए देश कि पहली अंतरराष्ट्रीय पहल है;
  - ब्रिक (BRIC) कैंसर के निदान एवं देखभाल के लिए उपचार विकसित करने में सहायता प्रदान रहा है, और
  - उद्योग की बड़ी कंपनियों जैसे-UNITY द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र।

10.16. जन शिक्षण संस्थान

(Jan Shikshan Santhans: JSS)

- सरकार द्वारा जन शिक्षण संस्थानों (JSS) को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualification Framework: NSQF) के साथ संरेखित करने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना **गैर-साक्षर, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों** को उनके स्थापना स्थल के बाजार हेतु आवश्यक कौशल की पहचान करके **व्यावसायिक प्रशिक्षण** प्रदान करने हेतु की जाती है।
- जन शिक्षण संस्थानों (JSS) के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - व्यावसायिक कारकों, सामान्य जागरूकता और जीवन संपन्नता घटकों को शामिल करते हुए **उपयुक्त पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास/स्रोत।**
  - JSS को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा निरूपित पाठ्यक्रमों के **समतुल्य प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता** है।
  - प्रशिक्षुओं के उपयुक्त नियोजन के लिए **कर्मचारियों और उद्योगों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।**
- यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत था, **परंतु 2018 में इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।**

VISION IAS

10.17. भारतीय शिक्षा बोर्ड

(Bharatiya Shiksha Board: BSB)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए **देश के पहले नेशनल स्कूल बोर्ड के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB) के स्थापना** के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
- इसका **उद्देश्य** पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षा का आयोजन करने और प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से **वैदिक शिक्षा का मानकीकरण** करना है।
- BSB को **पारंपरिक पाठशालाओं से संबद्ध करने के अतिरिक्त** वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का समायोजित स्वरूप प्रदान करने वाले **नए प्रकार के स्कूलों के विकास का** उत्तरदायित्व भी सौंपा जाएगा।
- यह **पारंपरिक शिक्षा को मान्यता प्रदान करने** संबंधी समस्या का भी समाधान करेगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, **महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान** (MSRVP) द्वारा निर्धारित मॉडल उपनियमों के अनुरूप इस बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
  - MSRVP को **वेदों के मौखिक अध्ययनों के विकास तथा प्रचार** के लिए स्थापित किया गया था।
  - यह वर्तमान में देश भर में **पाठशालाओं तथा गुरु-शिष्य परम्परा योजना** के तहत पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने वाले 450 संस्थानों को संबद्ध करता है।
  - यद्यपि यह संगठन दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन करता रहा है, परंतु इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को अधिकांश संस्थानों द्वारा शिक्षा के मानक स्तर के समकक्ष नहीं माना जाता है।

10.18. अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम

(Consortium for Academic and Research Ethics)

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission: UGC) ने अनुसंधान संबंधी प्रकाशन को परिष्कृत एवं सुदृढ़ करने हेतु अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम (CARE) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली इत्यादि विषयों की अच्छी गुणवत्ता वाली अनुसंधान पत्रिकाओं को CARE द्वारा बनाए रखा जाएगा, जिसे **'गुणवत्ता पत्रिकाओं की CARE संदर्भ सूची' (CARE Reference List of Quality Journals)** के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- इसका उपयोग सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 'गुणवत्ता पत्रिकाओं की CARE संदर्भ सूची' को UGC एवं कंसोर्टियम के सदस्यों द्वारा अपनी निजी वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतित और प्रकाशित किया जाएगा।

10.19. वैश्विक सौर परिषद्

(Global Solar Council)

- हाल ही में, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रणव आर मेहता, वैश्विक सौर परिषद् के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वे इसके अध्यक्ष बनने वाले **पहले भारतीय** हैं।
- वैश्विक सौर परिषद एक **अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संघ है** इसमें कई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ तथा विश्व के कई बड़े अग्रणी कॉर्पोरेशन भी शामिल हैं।
- इसकी स्थापना 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में की गई थी।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ **वैश्विक सौर परिषद (GSC) का एक संस्थापक सदस्य है।**
  - यह भारत के सभी सौर ऊर्जा हितधारकों जैसे कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों हेतु एक समग्र संगठन है।
  - यह 2022 तक भारत के 100 GW के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ सहायक के रूप से कार्य करता है।

10.20. अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट

(Alliance To End Plastic Waste:AEPW)

- हाल ही में, **अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट** की स्थापना की गई।
- यह एक **गैर-लाभकारी संगठन** है, जिसमें संपूर्ण विश्व की कंपनियां सम्मिलित हैं। भारत की ओर से, **रिलायंस इंडस्ट्रीज** इस अलायन्स का भाग है।
- इसने आगामी 5 वर्षों में 1.5 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ 1.0 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ताकि पर्यावरण से प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करने में सहायता प्रदान की जा सके।

10.21. रेणुका बहु-उद्देश्यीय बाँध परियोजना

(Renuka Multipurpose Dam Project)

- हाल ही में केंद्र सरकार ने **ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना** के निर्माण कार्य को पुनर्प्रारंभ करने हेतु पांच राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और **हिमाचल प्रदेश** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- रेणुका बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में **गिरि नदी** (यमुना की एक सहायक नदी) **पर एक स्टोरेज प्रोजेक्ट होगी**।

10.22. अरुणाचल प्रदेश का डिफो पुल

(Diffo Bridge in Arunachal)

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **अरुणाचल प्रदेश में डिफो नदी** पर गर्डर (girder) पुल का उद्घाटन किया। यह एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट बॉक्स गर्डर टाइप पुल है।
- इसका निर्माण **सीमा सड़क संगठन (BRO)** (रक्षा मंत्रालय के अधीन एक निकाय) की उदयक परियोजना के तहत किया गया है तथा इसका संचालन भी BRO द्वारा ही किया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार जैसे मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास तथा रखरखाव करता है।

10.23. अटल सेतु

(Atal Setu)

- हाल ही में, केंद्रीय परिवहन मंत्री एवं गोवा के मुख्यमंत्री ने गोवा में **माण्डवी नदी** पर **"अटल सेतु"** नामक नदी पुल का उद्घाटन किया।
- अटल सेतु 5.1 किमी लंबा **केबल द्वारा धारित** चार-लेन वाला पुल है, इसका कुल भार 2.5 लाख टन है।

10.24. वन्दे भारत एक्सप्रेस

(Vande Bharat Express)

- हाल ही में, रेलवे मंत्री ने **ट्रेन-18** (मेक इन इंडिया के तहत **स्वदेशी रूप से निर्मित** विश्व स्तरीय ट्रेन) हेतु **वंदे भारत एक्सप्रेस** नाम की घोषणा की।
- यह देश की **प्रथम लोकोमोटिव-रहित ट्रेन** है तथा इसका संचालन दिल्ली से वाराणसी के मध्य होगा।
- यह भारत की **प्रथम सेमी हाई-स्पीड ट्रेन** है, जिसकी **अधिकतम गति 180 किमी प्रति घंटा है।**

अन्य संबंधित जानकारी

- चीन की **शंघाई मैग्लेव ट्रेन** 350 किमी/ घंटा की परिचालन गति के साथ विश्व की सबसे तेज गति वाली ट्रेन है। इसमें पहिए नहीं है तथा यह चुंबकीय उत्तोलन (Magnetic Levitation) के माध्यम से चलती है।
- वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 18) से पूर्व **गतिमान एक्सप्रेस** भारत में सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन थी जिसकी अधिकतम परिचालन गति 160 किलोमीटर / घंटा है।
- भारतीय रेलवे के **मिशन रफ़्तार** का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करना तथा सभी गैर-उपनगरीय (non-suburban) यात्री गाड़ियों की औसत गति में 25 किमी प्रति घंटे की वृद्धि करना है।
- **ट्रेन 20:** यह ट्रेन 18 पर आधारित हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 200 किमी/प्रति घंटा होगी, यह वर्ष 2020 तक सभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रतिस्थापित करेगी।

10.25. एशियन वाटरबर्ड सेन्सस, 2019

(Asian Waterbird Census, 2019)

- हाल ही में, भारत के विभिन्न भागों में एशियन वाटरबर्ड सेन्सस (एशियाई जलीय पक्षियों की गणना), 2019 का आयोजन किया गया था।
- यह वैश्विक स्तर पर **अंतरराष्ट्रीय जलीय पक्षी गणना (IWC)** का एक भाग है, जिसका आयोजन स्वैच्छिक गतिविधि के रूप में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में किया जाता है।
- भारत में, एशियन वाटरबर्ड सेन्सस (AWC) का समन्वयन संयुक्त रूप से **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी** एवं **वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है।**
- वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में '**इंटरनेशनल वाइल्डफाउल इंक्वायरी**' के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है।
- **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS)**: यह भारत का एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जो संरक्षण संबंधी अनुसंधान में संलग्न है।

VISION IAS

10.26 व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम

(Large Forest Fire Monitoring Programme)

- हाल ही में, **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)** द्वारा व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम का बीटा-संस्करण लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य गंभीर वनाग्नि संबंधी घटनाओं की पहचान करने, पता लगाने तथा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ **विशिष्ट व्यापक वनाग्नि चेतावनियों को जारी करते हुए** व्यापक वनाग्नि की घटनाओं के प्रति सामरिक और रणनीतिक प्रतिक्रिया में सुधार करना है।
- यह **फायर अलर्ट सिस्टम (FAST) संस्करण 3.0** का भाग है, जहां FSI **उपग्रह सेंसर** से रियल टाइम डेटा का उपयोग करके वनाग्नि संबंधी घटनाओं की निगरानी करेगा।

10.27 उर्मिया झील

(Lake Urmia)

- ईरान ने अपनी संकटग्रस्त खारे पानी की **उर्मिया झील** का पुनरुत्थान करने हेतु एक योजना प्रारंभ की है।
- यह ईरान की सबसे बड़ी झील होने के साथ **मध्य पूर्व की दूसरी सबसे बड़ी झील** और पृथ्वी पर **छठी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।**
- संकुचन से पूर्व, इसे विश्व की **दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील** माना जाता था।
- दीर्घकालीन शुष्क अवधि, अत्यधिक कृषि कार्य, बांध अवरोधक और जलवायु परिवर्तन की परिघटनाओं के कारण यह वर्ष **1995 से निरंतर संकुचित** होती जा रही है।
- इसे **रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन, 1971** के तहत **अंतरराष्ट्रीय महत्त्व** के स्थल के रूप में नामित किया गया है।
- वर्ष 1976 में, यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा **उर्मिया झील को एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।**

10.28. 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस

(106th Indian Science Congress)

- हाल ही में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां सत्र जालंधर में आयोजित किया गया था।
- इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत **भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन (ISCA)** द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।
- इसका पहला अधिवेशन वर्ष 1914 में आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में आयोजित किया गया था। वर्ष 1947 में प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गयी थी। विगत 70 वर्षों से विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा इस परंपरा का निर्वहन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
- इस वर्ष की थीम **"भावी भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी"**(Future India: Science and Technology) थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में **विज्ञान, तकनीक और नवाचार से लोगों को जोड़ने पर बल दिया।**

10.29. सालसा

(SALSA)

- हाल ही में, वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय दल ने **अंटार्कटिका की सब्ग्लेशियल, मर्सर झील** (Lake Mercer) में **सूक्ष्म जीवों** और **जीवित नमूनों** के अध्ययन के लिए **सालसा (SUBGLACIAL ANTARCTIC LAKES SCIENTIFIC ACCESS: SALSA)** नामक एक शोध प्रारंभ किया है।
- यह परियोजना पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों जैसे **मंगल ग्रह के गहन आंतरिक क्षेत्रों** या बृहस्पति और शनि के **हिमाच्छादित चन्द्रमाओं** पर चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में **जीवन के विकासक्रम** संबंधी ज्ञान में वृद्धि कर सकती है।
- एक अधोहिमानी (subglacial) झील हिमचादर और महाद्वीपीय भूखंड के मध्य स्थित एक जलीय निकाय होती है। जल तरलावस्था में रहता है, क्योंकि जल सतह के ऊपर हिमचादर एक ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करती है तथा पृथ्वी की भू-पर्पटी से उत्सर्जित भू-तापीय ऊष्मा को अवरुद्ध करती है।

10.30. एक्स-कैलिबर

(X-Calibure)

- हाल ही में, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने **अंटार्कटिका से एक्स-कैलिबर (X-Calibure) नामक एक दूरबीन** लांच की है।
- इसका उद्देश्य सुदूरवर्ती न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स और अन्य बाह्य खगोलीय पिंडों से आने वाली **एक्स-किरणों (X-rays) के ध्रुवीकरण** का मापन करना है।
- ये पर्यवेक्षण, चरम परिस्थितियों यथा **क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स (क्वांटम विद्युत् गतिकी) और सामान्य सापेक्षता** के तहत आधुनिक भौतिकी में दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का भी परीक्षण करेंगे।

VISION IAS

- **क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स-** इसे सामान्यतया QED के रूप में जाना जाता है। यह विद्युत् चुम्बकीय बल संबंधी क्वांटम फील्ड सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर विद्युत् चुम्बकत्व का पारंपरिक सिद्धांत दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक दूसरे की स्थिति के सापेक्ष उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के रूप में परिभाषित करेगा। लगने वाले बल की गणना कूलाम के नियम के आधार पर की जा सकती है।
    - क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत संबंधी दृष्टिकोण इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को आभासी फोटॉन के आदान-प्रदान से उत्पन्न होने वाले एक विनिमय बल के रूप में दर्शाता है।
- **सामान्य सापेक्षता -** यह स्पष्ट करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुत: दिक्-काल की वक्रता से उत्पन्न होता है।

10.31 अल्टिमा थुले

(Ultima Thule)

- हाल ही में नासा का अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स सुदूरवर्ती पिंड **अल्टिमा थूले (ultima thule)** के निकट से गुजरा और उसके चित्रों को प्रेषित किया।
- अल्टिमा थुले, एक कांटैक्ट बाइनरी (contact binary) है। इसक अर्थ है कि यह एक एकल पिण्ड है जिसके दो भाग हैं, परन्तु दोनों भाग एक दूसरे से पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं।
- इस प्रकार के पिंडों के निर्माण हेतु परिदृश्य यह है कि संभवतः प्रारम्भिक चरण में ही बाह्य सौर मंडल के एक लघु क्षेत्र में अनेक छोटे ग्रहाणु एक साथ आए, जिनमें से दो या दो से अधिक या कम का एक-दूसरे से संस्पर्श हुआ और गुरुत्वाकर्षण के कारण वे संलगित हो गए। इस प्रकार इसने **स्नोमैन के आकार वाले** दो खण्डों से युक्त युग्मक पिंड का सृजन किया।
- नासा ने वृहद् भाग को **अल्टिमा** तथा दूसरा, जो लगभग तीन गुना **छोटा** है, उसे **थुले** नाम दिया।
- यह **अब तक का देखा गया सर्वाधिक सुदूरवर्ती पिंड** है।
- यह क्विपर बेल्ट(kuiper belt) में स्थित है जो नेप्च्यून की कक्षा से दूर बर्फीले पिंडों का एक वलयाकार क्षेत्र।
    - न्यू होराइजन्स, क्विपर बेल्ट का अन्वेक्षण करने वाला प्रथम मिशन है।
    - क्विपर बेल्ट के बर्फीले पिण्ड सौर मंडल के निर्माण से बचे अवशेष हैं।
    - क्विपर बेल्ट के कई पिण्ड अरबों वर्षों से अपरिवर्तित बने हुए हैं और सौर मंडल के इतिहास और संभवत: पृथ्वी जैसे वासयोग्य ग्रहों के निर्माण से संबंधित परिस्थितियों से संबंध साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।
    - प्लूटो भी क्विपर बेल्ट में स्थित है।

10.32.ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान- सी-44

(PSLV - C44)

- हाल ही में, भारत के **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C44)** ने माइक्रोसेट-आर और कलामसैट-वी 2 उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षाओं में सफलतापूर्वक अंत:क्षेपित किया।
- **PSLVC-44 में PS4:** सामान्यत: यह PSLV रॉकेट का अंतिम चरण होता है, जो अंतरिक्ष में प्राथमिक उपग्रह को छोड़ने के पश्चात अप्रयुक्त हो जाता है तथा इसे मलबे (debris) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, PSLV-C44 में, यान के चौथे चरण (PS4) में उच्च वृत्ताकार कक्षा में जाना संभव हो जाता है, ताकि **अनुप्रयोग करने हेतु एक कक्षीय प्लेटफार्म की स्थापना** की जा सके।
- **पेलोड: कलामसेट (नैनो-उपग्रह)**, कक्षीय प्लेटफार्म के रूप में PS4 का प्रयोग करने वाला प्रथम स्टूडेंट पेलोड है, तथा **माइक्रोसैट-आर** एक मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट है।
- PSLV एक चार चरण वाला प्रक्षेपण यान है, जो वैकल्पिक रूप से ठोस एवं द्रव्य चरणों का प्रयोग कर सकता है।

10.33. उत्तर चुम्बकीय ध्रुव का स्थानांतरण

(Shifting North Magnetic Pole)

- यह सूचना प्राप्त हुई है कि **पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा में अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्व की अपेक्षा में अधिक तीव्र गति से साइबेरिया की ओर संचरण कर रहा है।**
- यह लगभग 50 किमी/प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ रहा है। यह 1900 से लेकर 1980 के मध्य तक अधिक आगे नहीं बढ़ा था, परंतु विगत 40 वर्षों में इसकी गतिशीलता में वस्तुत: वृद्धि अधिक तीव्रता आई है।
- इस प्रक्रिया के मापन हेतु वैज्ञानिक समय-समय पर वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल को अद्यतित करते रहते हैं। ध्यातव्य है कि सबसे हालिया संस्करण का सृजन वर्ष 2015 में किया गया था, जिसका प्रयोजन वर्ष 2020 तक जारी रहने का था।

VISION IAS

- हालांकि, चुंबकीय क्षेत्र इतने तीव्र एवं अनिश्चित ढंग से परिवर्तित हो रहा है कि नियमित जांच करते समय, शोधकर्ताओं को ज्ञात हुआ कि यह स्थानांतरण नौवहन संबंधी त्रुटियों हेतु स्वीकार्य सीमा को पार करने की स्थिति में था।
- इसने शोधकर्ताओं को चुंबकीय मॉडल को अभूतपूर्व शीघ्र अद्यतित करने हेतु विवश किया, ताकि **आर्कटिक क्षेत्र में नौवहन (navigate) हेतु जहाजों, विमानों एवं पनडुब्बियों को सहायता प्रदान की जा सके।**
- ध्रुवीय परिभ्रमण **पृथ्वी की अत्यंत गहराई में विद्यमान द्रव्य रूप में मौजूद आयरन में अप्रत्याशित परिवर्तनों द्वारा उत्प्रेरित हुआ है।**

10.34. इंडस फ़ूड 2019

(Indus Food 2019)

- हाल ही में इंडिया एक्सपो मार्ट में इंडस फूड- II (INDUS FOOD-2) का आयोजन किया गया, ध्यातव्य है कि इसकी थीम 'वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट' थी।
- इंडस फूड एक वैश्विक मंच है जहां भारत के खाद्य एवं पेय उद्योग के शीर्ष निर्यातक भाग लेंगे तथा इसमें विश्व भर के विक्रेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।
- इसे भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से **भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद** (Trade Promotion Council of India: TCPI) द्वारा आयोजित किया गया है।
  - TCPI **विदेशी व्यापार नीति में अधिसूचित** एक शीर्ष व्यापार तथा निवेश संवर्धन संगठन है।
  - यह परिषद **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेषीकृत** व्यावसायिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा **व्यापार में विस्तार करने** और साथ ही साथ अनुसंधान एवं उद्योग से संबंधित हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर आधारित नीतिगत सुझाव उपलब्ध करवाकर सरकार के साथ कार्य करने हेतु रणनीतियां प्रदान करती है।

10.35. स्मार्ट फ़ूड एग्जीक्यूटिव कॉउन्सिल

(Smart Food Executive Council)

- हाल ही में, स्मार्ट फूड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन **इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द सेमी-एरीड-ट्रॉपिक्स (ICRISAT)** द्वारा स्थापित **स्मार्ट फूड इनिशिएटिव** के तत्वावधान में किया गया।
- इसका उद्देश्य ऐसी खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना है जिनके द्वारा ऐसा भोजन प्राप्त हो सके, जो हमारे लिए (अत्यधिक पौष्टिक), पृथ्वी के लिए, तथा छोटे किसानों के लिए बेहतर हो।
- इस पहल का प्रमुख उद्देश्य **प्रमुख खाद्य पदार्थों (staples) को विविधिकृत करना है, जिनका पोषण, पर्यावरण और किसान कल्याण पर सुदृढ़ प्रभाव पड़ता हो।**
- यह देखते हुए कि प्रमुख खाद्य पदार्थ (staple) सामान्यतः भोजन का 70 प्रतिशत भाग होते हैं, और प्रायः इनका सेवन दिन में तीन बार किया जाता है, इस संदर्भ में उन्हें विविधिकृत करने से कुपोषण और गरीबी को नियंत्रित करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय निम्नीकरण का सामना करने में एक स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हो सकता है।

ICRISAT के बारे में

- यह एक **गैर-लाभकारी एवं गैर-राजनीतिक संगठन** है, जो **एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों के विकास में वृद्धि करने के लिए** कृषि संबंधी अनुसंधान करता है।
- **ICRISAT का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में अवस्थित** है, जिसके दो क्षेत्रीय केंद्र नैरोबी (केन्या) और बमाको (माली) में भी स्थित हैं।

10.36. वेब-वंडर वुमेन अभियान

(Web- Wonder Women" Campaign)

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन अभियान '**#www: वेब वंडर वुमन** का शुभारम्भ किया है।
- इसका उद्देश्य उन महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को खोजना और मान्यता प्रदान करना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं। यह अभियान इन मेधावी महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देने के साथ स्वीकृति प्रदान करेगा।
- विश्व में कहीं भी कार्य कर रहीं या बसी हुई भारतीय मूल की महिलाएं नामांकन हेतु पात्र हैं। चयनित प्रविष्टियों को ट्वीटर पर सार्वजनिक वोटिंग के लिए खोला जाएगा और निर्णायकों के पैनल द्वारा फाइनल में पहुंचने वालों का चयन किया जाएगा।

10.37. द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019

(2nd World Integrated Medicine Forum 2019)

- हाल ही में **होम्योपैथिक चिकित्सा उत्पादों के विनियमन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा** देने के लिए गोवा में **द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी, 2019** का आयोजन किया गया।
- विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी का मिशन सार्वजनिक और निजी सहयोग को बढ़ावा देकर पारंपरिक और साक्ष्य आधारित औषधि की एकीकृत प्रणाली का विकास करना है।
- इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Homoeopathy:CCRH), होम्योपैथी फार्मेकोपिया कन्वेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (HPCUS), फार्मेकोपिया कमीशन ऑफ़ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा किया गया था।

10.38. सीलिएक रोग

(Celiac Disease)

- सीलिएक रोग जिसे स्प्रू या सोलिएक भी कहा जाता है, ग्लूटेन (गेहूं ,जौ और राई में पाए जाने वाला एक प्रोटीन) खाने पर एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। यह एक प्रकार का **स्वप्रतिरक्षित रोग (autoimmune disorder)** है **जो आनुवंशिक रूप से पहले से प्रवृत्त रहे लोगों में होती है।**
- सीलिएक रोगी में, ग्लूटेन खाने से छोटी आंत में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। समय के साथ यह प्रतिक्रिया छोटी आंत की परत को नुकसान पहुंचाती है और कुछ पोषक तत्वों (कुअवशोषण) के अवशोषण को रोकती है। **आंतों की क्षति** प्रायः दस्त, थकान, वजन घटाने, सूजन और एनीमिया का कारण बनती है और गंभीर जटिलताओं को उत्पन्न कर सकती है
- सीलिएक रोग का कोई उपचार नहीं है।
- AIIMS के विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में छह से आठ मिलियन लोग सीलिएक रोग से प्रभावित हैं।
- भारत में कई ग्लूटेन मुक्त अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी, कुट्टू) स्थानीय रूप से उगाए जाते हैं। दालें, चावल और सब्जियां भी भारतीय आहार का अनिवार्य भाग हैं।

10.39. लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी

(Triple Drug Therapy For Lymphatic Filariasis)

- हाल ही में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (हाथी पांव) के उन्मूलन के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी अभियान का शुभारंभ नागपुर शहर में हुआ था।
- ट्रिपल ड्रग थेरेपी में तीन दवाओं आइवरमेक्टिन, डाइएथिलकार्बामैज़िन साइट्रेट, एवं एल्बेंडाजोल (IDA के रूप में जाना जाता है) का संयोजन शामिल है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के वैश्विक उन्मूलन में तीव्रता लाने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी की अनुशंसा की है।
- लिम्फैटिक फाइलेरियासिस सामान्यतः **उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाने वाला रोग** है, जो **लिम्फैटिक प्रणाली में रहने वाले परजीवी कीड़े के संक्रमण** के कारण होता है।
- **परजीवी (माइक्रो फाइलेरिया) के लार्वा चरण** रक्त में संचारित होते हैं तथा मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित होते हैं।
- **संक्रमण के पश्चात रोग को प्रकट होने में समय लगता है** और इसके परिणामस्वरूप लिम्फैटिक प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों (जैसे- पैर, हाथ, स्तन एवं जनन-सम्बन्धी अंग) में **असामान्य वृद्धि** हो सकती है, इसके कारण प्रभावित व्यक्ति को गंभीर विकलांगता, सामाजिक दोषारोपण तथा गरीबी का सामना करना पड़ सकता है।

10.40. सुर्ख़ियों में रहने वाले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यास

(Bilateral and Multilateral Exercises in News)

- हाल ही में, द्वितीय भारत-म्यांमार द्विपक्षीय **सेना** अभ्यास 'इम्बेक्स 2018-19' का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया।
- हाल ही में, भारतीय नौसेना और तट रक्षक ने भारत के सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास 'सागर सतर्कता (सी विजिल) 2019' का आयोजन किया। जिसने प्रथम बार सभी द्वीप क्षेत्रों सहित **भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र** को शामिल किया है।
- हाल ही में, भारतीय सेना और विभिन्न अफ्रीकी देशों की सेनाओं ने 'इंडिया-अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग' **(IAFTX) -2019** अभ्यास का आयोजन किया है।

10.41. होवित्जर संयंत्र

(Howitzer Plant)

- हाल ही में, सरकार ने हजीरा (गुजरात) में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा विकसित आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स (ASC) नामक भारत के **प्रथम निजी क्षेत्र के छोटे हथियारों के विनिर्माण संयंत्र** का उद्घाटन किया है।
- यह ASC मेक इन इंडिया पहल के तहत K9 वज्र स्व-चालित होवित्जर तोपों का निर्माण करेगा।

10.42. मिसाइल परीक्षण

(Missiles Testing)

- हाल ही में, भारत ने **बराक 8- सतह से वायु में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली (LRSAM) का परीक्षण किया है।** इसे रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन (DRDO), इज़राइली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज तथा राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- इसमें उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी / इंफ्रारेड होमिंग सीकर्स लगे हुए हैं, इसकी **मारक क्षमता 70-100 किमी** है।
- परिचालन में आने के पश्चात, इसे सभी मुख्य भारतीय युद्धपोतों में तैनात किया जाएगा, जो शत्रु के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और अन्य शस्त्रों के विरुद्ध **सभी प्रकार के मौसम में रक्षा कवच** के रूप में कार्य करेगी।

10.43. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के कमांड और कंट्रोल सेंटर (CCC) तथा कृत्रिम आसूचना में उत्कृष्टता केन्द्र (COE IN AI)

(National Informatics Centre's Command & Control Centre (CCC) And Center Of Excellence In Artificial Intelligence (COE IN AI)

- **भारत सरकार ने क्लाउड और डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर की निगरानी, समस्या निवारण और तकनीकी सहायता के लिए सिंगल विंडो समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से NIC में कमांड और कंट्रोल सेंटर (CCC) की स्थापना की।**
- इसके अतिरिक्त, NIC द्वारा **कृत्रिम आसूचना (AI) में उत्कृष्टता के केन्द्र का** उद्घाटन किया गया है।
- NIC द्वारा COE IN AI की स्थापना नागरिकों को सरकारी सेवा आपूर्ति सुधारने की दिशा में काम करने के लिए उत्तरदायी शासन के लिए 'समग्र AI' के उद्देश्य से की गई है।
- कृत्रिम असूचना में उत्कृष्टता केन्द्र (COE IN AI), AI स्पेस में **नवाचारी नए समाधानों के लिए एक मंच** होगा।

समावेशी कृत्रिम आसूचना (AI) की आवश्यकता

- अवसरों के बावजूद नई प्रौद्योगिकियों की पेशकश में बिना सोचे-समझे हस्तक्षेप का एक **वास्तविक** जोखिम बना रहता है जिससे ये संरचनात्मक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन को बढ़ा सकते हैं और विभिन्न जनसांख्यिकीय चर के आधार पर **असमानताओं को और सुदृढ़ कर सकते हैं।**
- उदाहरण के लिए, विधि के प्रवर्तन में ये उपकरण संरक्षित समूह के विरुद्ध गश्त और पक्षपाती विधिक निर्णयों को बढ़ा सकते हैं। श्रम क्षेत्र में, **ये जानबूझकर मौजूदा कार्यबल असमानताओं में वृद्धि कर सकते हैं** तथा असमान रूप से बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं।

10.44. केन्द्रीय मंत्रियो के लिए कार्नो पुरस्कार

(Carnot Prize for Union Minister)

- हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को संधारणीय ऊर्जा समाधानों की दिशा में उनके द्वारा दिए गए योगदानों के लिए **कार्नो पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार **पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ डिजाइन में स्थित क्लाइनमैन सेंटर ऑफ एनर्जी पॉलिसी** द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने ऊर्जा नीति की समझ में विशेष योगदान दिया हो ।
- इसका नाम फ्रेंच भौतिक विज्ञानी निकोलस सादी कार्नो के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1824 में **रिफ्लेक्शंस ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर** प्रकाशित किया था, जो ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का आधार बना। इन्होने भाप के इंजन की शक्ति को पहचानते हुए कहा था कि मानव विकास में ये "एक महान क्रांति का निर्माण करेगा।"

10.45. प्रधानमंत्री ने प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राप्त किया

(PM Receives First Ever Philip Kotler Presidential Award)

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम **फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड** प्राप्त किया।

VISION IAS

- **आधुनिक विपणन के जनक फिलिप कोटलर,** नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। इस अवार्ड का उद्देश्य मार्केटिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में महारत प्राप्त करने वाले को सम्मानित करना है। यह पुरस्कार तीन आधार रेखा **पीपुल, प्रॉफिट और प्लेनेट** पर केन्द्रित है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा।

10.46. हाल ही में सुर्ख़ियों में रही राज्य सरकार की योजनाएँ

(State Schemes in News)

- हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री ने **'एक परिवार, एक नौकरी** 'योजना का शुभारंभ किया है जिसके तहत राज्य के उस प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है।
- मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के युवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित करने हेतु **युवा स्वाभिमान योजना** का शुभारंभ करने की घोषणा की है।
- UNICEF इंडिया के साथ साझेदारी से ओडिशा सरकार ने विशेष रूप से राज्य के सुभेद्य जनजातीय समूहों के मध्य राज्य सरकार के विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे मे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए **"जीबन संपर्क (Jiban Sampark)"** योजना का शुभारम्भ किया है।

VISION IAS

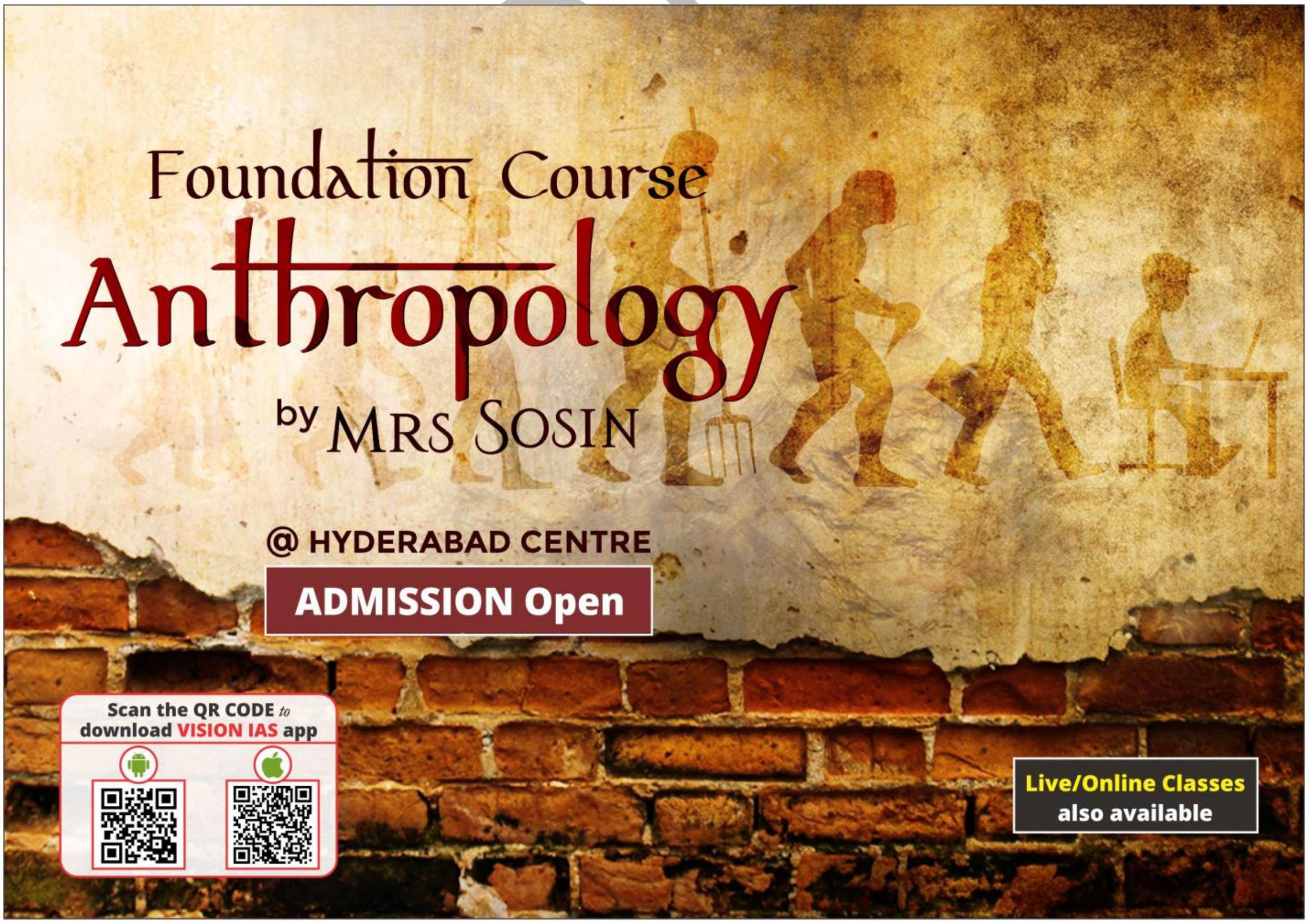

11. हाल ही में सुर्ख़ियों में रही सरकार की योजनाएं (Government Schemes In News)

11.1 अटल ज्योति योजना

(Atal Jyoti Yojana)

हाल ही में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए **'अटल ज्योति योजना'** (AJAY) के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है।

उद्देश्य	अभीष्ट लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
सार्वजनिक उपयोग स्थलों जैसे सड़कों, बस स्टॉप, आदि को प्रकाशमान करने और लाइट व्यवस्था में सुधार के माध्यम से सुरक्षा एवं बचाव को बेहतर बनाने हेतु **'सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम'** की व्यवस्था करना।	• **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम** राज्य। • **जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड** जैसे पहाड़ी राज्य। • **सिक्किम सहित उत्तर पूर्व** के राज्य • **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप** • अन्य राज्यों के **आकांक्षी जिले**।	• यह **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** की 'ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना' के तहत एक उप योजना है, और **ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL)** इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। • इसके तहत **ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों** को कवर किया जाएगा। • MNRE के विनिर्देश केआधार पर उन क्षेत्रों में12W की क्षमता वाली LED सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराई जाएंगी **जो बिजली की पर्याप्त कवरेज का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।** • प्रकाश व्यवस्था की **लागत का 75% MNRE बजट** द्वारा, और शेष 25% MPLADS निधि, पंचायत निधि या नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय शहरी निकायों (ULB) की निधियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। • सौर प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार एवं इसे लोकप्रिय बनाने हेतु रख-रखाव और संरक्षण संबंधी **प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

11.2 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

(Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS)

हाल ही में योजना पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• **दिव्यांग व्यक्तियों** के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय प्रदान करने और उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्षम परिवेश का निर्माण करना।
• **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।
	• यह भारत सरकार की एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।
	• इसे **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
	• विभिन्न सेवाओं के वितरण के प्रोत्साहन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता और NGOs को **अनुदान सहायता** प्रदान की जाती है।
	• स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है: **माता-पिता/अभिभावक और स्वयंसेवी संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।**
	• दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराना
	  ○ अग्रिम हस्तक्षेप को शामिल करना
	  ○ दैनिक जीवन हेतु कौशल, शिक्षा का विकास
	  ○ रोजगार आधारित कौशल-विकास
	  ○ प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करना।

VISION IAS

11.3 उड़ान 3.0 (उड़े देश का आम नागरिक योजना) / क्षेत्रीय संपर्क योजना

(UDAN 3.0 (Ude Desh Ka Aam Naagrik Scheme) / Regional Connectivity Scheme: RCS)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा योजना के तीसरे चरण के तहत एयरलाइंस का रूट निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• निम्नलिखित के माध्यम से एयरलाइन्स प्रचालनों को सुविधा प्रदान करके/ प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय वायु संपर्क को वहनीय बनाना ○ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा संचालकों द्वारा रियायतें प्रदान करना ○ वित्तीय (व्यवहार्यता अंतराल निधीयन या VGF) समर्थन	• यह **नागरिक उड्डयन मंत्रालय** के अधीन संचालित है और **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** इसके लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण है। • यह **राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति** का एक प्रमुख घटक है। • यह क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) विकसित करने के लिए एक विशिष्ट बाजार-आधारित मॉडल है। • मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के उपयोग न हो रहे और आंशिक रूप से उपयोग हो रहे हवाई अड्डों वाले क्षेत्रों को संपर्क प्रदान करता है। • पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय के माध्यम से पर्यटन मार्गों का समावेश। • जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए सीप्लेन (Seaplanes) का समावेश। • पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई मार्गों को 'उड़ान' के अंतर्गत लाना। • उड़ान-III की बिडिंग के अंतर्गत हेलीकाप्टर मार्गों पर विचार नहीं किया गया है। • यह 200 किमी से 800 किमी की दूरी तय करने वाली उड़ानों पर लागू होगा, वहीं पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीप और सुरक्षा हेतु संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। • एयरलाइंस को **न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 उड़ान सीटें** (रियायती दर पर) उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान किया गया है। • केंद्र, निष्क्रिय हवाई अड्डों द्वारा उड़ान भरने वाली एयरलाइंस को उनकी लागत में होने वाली **हानि के लिए सब्सिडी** प्रदान करेगा। ○ घरेलू एयरलाइनों की प्रत्येक प्रस्थान करने वाली फ्लाइट पर 8,500 रु तक की लेवी वसूल कर सब्सिडी का लगभग 80% वहन किया जाएगा और शेष 20% का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। • इस योजना के तहत विभिन्न दूरियों/समय के रूपों पर समानुपातिक मूल्य निर्धारण के साथ प्रति घंटे की यात्रा के किराये की अधिकतम सीमा 2500 रुपये तक सीमित करने वाले संचालकों को VGF प्रदान की जाएगी। • योजना के तहत VGF संबंधी आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड निर्मित किया जाएगा। ○ इस निधि में **भागीदार राज्य सरकारें** (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के अतिरिक्त जिनका योगदान 10% होगा) की **हिस्सेदारी 20%** होगी। • यह योजना 10 वर्ष तक की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। • राज्य सरकारों को निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं और रियायती दरों पर जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करना होगा। राज्य विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट को 1 प्रतिशत तक कम करेंगे। क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) उड़ानों के लिए कोई भी लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क एवं टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क आरोपित नहीं किया जाएगा। • इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम (IACS-Udan) के तहत गुवाहाटी से 2 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ की गईं हैं (इसके तहत निधियों/कीमतों पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, ये उड़ानें बाजार संचालित होंगी)

VISION IAS

11.4 परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना

(Scheme for Family Welfare and other Health Interventions)

- यह केंद्र द्वारा प्रस्तावित **पांच केन्द्रीय क्षेत्रक की योजनाओं** (100% केंद्र द्वारा प्रायोजित) यथा, स्वस्थ नागरिक अभियान (नागरिकों के मध्य जागरूकता बढाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुडी जानकारियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए), गर्भ निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति, गर्भ-निरोधकों का सामाजिक विपणन, MIS योजना (जिसका नाम अब स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (HSHR) रखने का प्रस्ताव है) और जनसंख्या अनुसंधान केंद्र के लिए एक **अम्ब्रेला योजना** है।
- गर्भ-निरोधकों का सामाजिक विपणन तथा गर्भ निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति से सम्बन्धित घटक विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लक्षित हैं। हालांकि, समग्र योजना किसी विशेष समूह या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या को कवर करना है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS